बुधवार, 14 मई, 1997

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 14 मई, 1997/24 वैशाख, 1919

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
107	नीचे से 3	प्रश्न संख्या 6065	प्रश्न संख्या 6056
113	नीचे से 14	श्री विजय बन्नजी मुंडे	श्री विजय बन्नाजी मुंडे
239	15	श्री विशेश्वर भगत	श्री विश्वेश्वर भगत
299	8	वीरवचनों	परिवचनों
352	6	श्री सोहनबीर	श्री सोहनवीर सिंह

विषय-सूची

[एकादश माला खंड 14, चौथा सत्र (भाग-चार) 1997/1919 (शक)]

अंक 10, बुधवार, 14 मई, 1997/24 वैशाख, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 541 से 544	2—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 545 से 560	26—60
अतारांकित प्रश्न संख्या 6010 से 6239	60—297
सभा पटल पर रखे गए पत्र	297—311
राज्य सभा से सन्देश	311—312
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
नौवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	312
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश—*सभापटल पर रखा गया*	312
याचिका समिति	
तीसरा प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	313
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—*प्रस्तुत*	313
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
इक्यावनवां और बावनवां प्रतिवेदन—*सभापटल पर रखे गए*	313
कार्य मंत्रणा समिति के तेहरवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	313—322
श्री श्रीकांत जेना	313, 320—322
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	314—315
श्री पी॰सी॰ चाक्को	315—316
श्री बसुदेव आचार्य	316—317

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

श्री चित्त बसु 318

प्रो॰ रासा सिंह रावत 318

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में 322—333

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी . . . . 323—326

श्री जसवंत सिंह . . . . 327—328

श्री शरद यादव . . . . 328—332

श्री सोमनाथ चटर्जी . . . . 332—333

नियम 377 के अधीन मामले 352—355

(एक) दिल्ली और हरिद्वार के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने तथा उसका विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री सोहनवीर सिंह 352

(दो) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की भूमि, जिसे राजस्व भू-अभिलेखों में "झुडपी जंगल" के रूप में दर्ज किया गया है, को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंधों से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक . . . . 352—353

(तीन) उड़ीसा में रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री के॰ पी॰ सिंह देव 353

(चार) पुपरी (सीतामढ़ी) बिहार में बैंक सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय . . . . 353—354

(पांच) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर रहने वाले झुग्गी वालों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार 354

(छः) केन्द्रीय सिविल सेवाओं में पंजाब के शिक्षित युवकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने की आवश्यकता

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा . . . . 354—355

(सात) देश में इन्डोसल्फान तथा अन्य विषैले पदार्थों के निर्माण तथा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

डा॰ कृपासिन्धु भोई 355

उपराष्ट्रपति पेंशन विधेयक पारित 356—362

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मोहम्मद मकबूल डार . . . . 358—359, 361

श्री थावर चन्द गेहलोत . . . . 259—360

श्री सत्य पाल जैन . . . . 360—361

खंड 2 से 5 और 1 361

पारित करने के लिए प्रस्ताव 362

नियम 193 के अधीन चर्चा 362—400

कपड़ा उद्योग की समस्याएं

श्री सनत मेहता . . . . 362—373

श्री हरिन पाठक . . . . 373—379

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह . . . . 379—380

श्री संदीपान थोरात . . . . 380—382

श्री बसुदेव आचार्य . . . . 382—390

श्रीमती गीता मुखर्जी . . . . 390—392

श्री चित्त बसु . . . . 392—395

श्री मधुकर सरपोतदार . . . . 395—398

लोक सभा

बुधवार, 14 मई, 1997/24 वैशाख, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[प्रो॰ रीता वर्मा *पीठासीन हुई* **]**

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे प्रिय मित्र श्री बी॰ भगवती के दुखद निधन के बारे में सूचना देनी है।

श्री बी॰ भगवती ने 1957-70 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा में असम के दारांग और तेजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उससे पहले वह दस वर्ष तक असम विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मई 1962 से मार्च 1967 तक परिवहन और संचार तथा निर्माण और शहरी विकास मंत्रालयों के केन्द्रीय उपमंत्री के रूप में कार्य किया।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन तथा 1930 में नागरिक अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल गए।

उन्होंने देश विदेश की यात्रा की और जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बागान समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया। श्री भगवती ने कई पुस्तकें लिखीं—"गांधीवाद" तथा "भारतीय सांस्कृतिक धारा" उनकी कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकें हैं।

श्री भगवती का निधन 90 वर्ष की आयु में 8 मई, 1997 को तेजपुर में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करने में सभा मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कुछ क्षण मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदया जी,

सभापति महोदय : प्रश्न काल में जीरो आवर मत कीजिए। जीरो आवर में आपको समय मिलेगा।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

\+
***541. डॉ॰ राम विलास वैदान्ती :**
श्री एन॰ जे॰ राठवा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को न्यूनतम मौलिक सुविधा के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संबंधित राज्य बिजली बोर्डों की सूचना के अनुसार सभी राज्यों में विद्युतीकरण किए गए गांवों और पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास हेतु आधारभूत आवश्यकता के रूप में ऊर्जा अवसंरचनात्मक संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सरकार प्राथमिकता प्रदान करती है।

अनुबंध

राज्यवार विद्युतीकृत किए गए गांव और 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता (अनंतिम)

क्र० सं०	राज्य		निम्न वर्ग के दौरान विद्युतीकृत किए गांवों की सं०			ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विद्युतीकरण किए गए गांवों समेत राज्य बिजली बोर्डों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता*		
			1994-95	1995-96	1996-97 (अनंतिम)	1994-95	1995-96	1996-97 (अनंतिम एवं गैर लेखा परीक्षित) (लाख रु० में)
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	*				13,221	10,329	1,787
2.	अरुणाचल प्रदेश		310	121	91	2,779	1,555	1,199
3.	असम		170	222	126	3,600	3,000	13
4.	बिहार		59	43	27	588	0	0
5.	दिल्ली	*				0	0	0
6.	गोवा	*				0	0	0
7.	गुजरात	*				4,409	4,640	4,205
8.	हरियाणा	*				1,598	1,053	1,076
9.	हिमाचल प्रदेश	*				1,307	1,299	1,470
10.	जम्मू और कश्मीर		50	43	13	926	1,567	1,800
11.	कर्नाटक	*				5,004	6,871	8,520
12.	केरल	*				1,597	4,179	4,825
13.	मध्य प्रदेश		1,019	503	400	16,158	15,055	13,362
14.	महाराष्ट्र	*				9,299	9,730	8,599
15.	मणिपुर		71	163	140	701	1,348	1,980
16.	मेघालय		0	0	60	0	386	0
17.	मिजोरम		65	45	9	819	741	337
18.	नागालैंड	*				11	80	175
19.	उड़ीसा		223	740	585	1,700	1,582	1,200
20	पंजाब	*				2,497	2,153	3,219
21.	राजस्थान		699	750	670	7,704	7,065	9,200
22.	सिक्किम	*				30	0	0
23.	तमिलनाडु	*				7,779	7,243	7,646
24.	त्रिपुरा		150	62	16	648	565	633
25.	उत्तर प्रदेश		428	1,305	1,283	9,253	1,886	7,142
26.	पश्चिम बंगाल		310	89	49	2,089	566	423
	जोड़		3,554	4,086	3,469	93,725	82,893	79,008

टिप्पणी-1 :— तारक ऐसे राज्यों को दर्शाता है जहां पर 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है (इनमें ऐसे गांव शामिल नहीं हैं जिनका विद्युतीकरण किया जाना व्यावहारिक नहीं है)

टिप्पणी-2 :— योजनागत आवंटन और निधियां कार्यक्रमवार मुहैया कराई गई हैं तथा गांव विद्युतीकरण एवं पंपसेट ऊर्जन जैसे प्रत्येक घटक हेतु अलग से निधियां मुहैया नहीं कराई गई हैं। इसी कालम 6, 7 एवं 8 में दर्शाई गई वित्तीय सहायता की राशि संपूर्ण कार्यक्रम के लिए है जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण भी शामिल है (नए तथा पहले से विद्युतीकृत जैसा भी मामला हो)

टिप्पणी-3 :— 1994-95 और 1995-96 के दौरान वास्तविक उपलब्धियों में राज्य योजना को भी शामिल किया है। 1996-97 की अनंतिम उपलब्धियां हैं।

* फरवरी, 1997 तक की प्रगति। इसमें कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए मुहैया कराई गई अनुदान राशि और लीजिंग तथा पवन ऊर्जा उत्पादन आदि हेतु 8,243 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ॰ राम बिलास वेदान्ती : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव शेष रहे हैं जिनका विद्युतीकरण किया जाना शेष है तथा कब तक उनके विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है। इस समय हालत यह है कि गांव में ट्रांसफारमर्स जले पड़े हैं। खंभे तो हैं लेकिन तार नहीं हैं। ट्रांसफॉर्मर लगाने का सामान कई वर्षों से पड़ा हुआ है। उनकी देखभाल भी नहीं हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुजानगंज में विद्युत केन्द्र का सामान कई वर्षों से पड़ा हुआ है लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। प्रतापगढ़ के मीरापुर विधान सभा में नौरेरा विद्युत उपकेन्द्र घोषित है किन्तु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। क्या सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई सर्वेक्षण कराया है ?

[अनुवाद]

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी : महोदया, उत्तर प्रदेश में 31-3-96 तक जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया उनकी संख्या 86,639 है। यह जनसंख्या का 77% है। 1997 बजट तक कुल विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की कुल संख्या 1,283 है। कुल उपलब्धि 78% है। मार्च 1997 के अंत में कुल 87,922 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार विशेषकर नियामक निगम विद्युत बोर्डों के सभी प्रस्तावों को भरसक समर्थन दे रहे हैं। निगम धनराशि प्रदान कर इन प्रस्तावों को निश्चय ही सहायता देगी।

[हिन्दी]

डॉ॰ राम विलास वेदान्ती : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बिना विद्युतीकरण के कितने गांव हैं और उन गांवों के विद्युतीकरण होने की क्या सम्भावना है ? उन गांवों का विद्युतीकरण कब तक किया जा सकता है ?

[अनुवाद]

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी : 1981 की जनगणना के अनुसार 11.25 लाख गांवों में से 8.66 लाख गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। तीस प्रतिशत अभी विद्युतीकृत किए जाने हैं। गांव का चयन और ऐसी अन्य बातें बिजली बोर्डों पर छोड़ दी जाती हैं। इन प्रस्तावों को प्राप्त करने के पश्चात् आर॰ई॰सी॰ परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगी।

[हिन्दी]

श्री एन॰ जे॰ राठवा : सभापति महोदय, मैंने सवाल पूछा था कि कितने गांवों का विद्युतीकरण पिछले तीन सालों में हुआ है ? जवाब में नम्बर आफ विलेजीस कई स्टेट्स के दिए नहीं गए हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और केरल जैसे कई राज्य हैं जिनके लिए फंड एलोकेट किया गया है लेकिन इनके नम्बर आफ विलेजीस दिए नहीं गए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार विशेषकर आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में सिर्फ ऐसे गांवों का पता लगाकर, जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया, यदि उनका विद्युतीकरण किया भी गया है तो उन गांवों में रहने वाले हरिजन आदिवासी आबादी को छोड़कर दूसरे सब गांवों में विद्युतीकरण कराए जाने हेतु कोई विशेष योजना सरकार ने तैयार की है ?

[अनुवाद]

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी : महोदया, जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात और हरियाणा के सभी गांवों को बिजली दे दी गई है। दलित बस्तियों के विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अभी भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। 31-3-96 तक की स्थिति के अनुसार दलित बस्तियों के विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत 55.2 है अर्थात् 2,87,766 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। 30-9-96 की स्थिति के अनुसार 2,88,843 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। आदिवासी विद्युतीकृत गांवों की संख्या है 1,11896।

श्री के॰ एस॰ आर॰ मूर्ति : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आंध्र प्रदेश को कुल आबंटन घटकर मात्र 17 करोड़ रह गया है जबकि 1994-95 में यह 132 करोड़ और 1995-96 में 103 करोड़ रुपए था। बिहार ऐसा राज्य नहीं जहां के सभी गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हों और वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए उसको किया गया आबंटन लगभग नगण्य था। क्या मंत्रालय उन राज्यों का पता करने का प्रयास कर रहा है जहां बिल्कुल भी विद्युतीकरण नहीं हुआ। जो गांव तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं उनके सम्बन्ध में मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी : विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई वित्तीय सहायता उनकी अर्थक्षमता तथा बकाया राशि पर निर्भर करती है। परन्तु आर॰ई॰सी॰ कोई भी धनराशि काट नहीं रही चाहे वह आंध्र प्रदेश हो या बिहार या कोई अन्य राज्य। यह विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है और इसमें केन्द्र और राज्य दोनों को कदम उठाने होते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधियों का प्रबन्ध करने के मामले में आर॰ ई॰ सी॰ राज्य सरकार का समर्थन कर रही है। आर॰ ई॰ सी॰ शत-प्रतिशत निधियां प्रदान कर रही है, परन्तु इसके साथ ही हमें कई राज्य सरकारों से पिछले बकाया भी वसूल करने हैं। 31-3-97 को लगभग 8,900 करोड़ रुपए बकाया थे। विश्व बैंक ने अथवा किसी अन्य संस्था ने कुछ भी राशि दी हो, हमें अधिक निधियों के लिए बैंकों के पास जाना होगा। अब वे संस्थाएं हमें पुरानी बकाया राशि की वसूली के बारे में पूछ रही हैं आर॰ ई॰ सी॰ कार्यकारी अभिकरण नहीं है। जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, यह केन्द्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है।

हाल ही में इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है। यहां तक कि कुछ स्थायी समितियों में प्रश्न भी उठाए गए। इसको संयुक्त मोर्चे के सामूहिक न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में भी प्रश्न था। आपके माध्यम से मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी परिभाषा बदलने के बारे में अपने सुझाव दें। पहले पम्प-सेटों को बिजली देने अथवा घरों के विद्युतीकरण के लिए एक सीमा थी, जिसके बाहर हम नहीं जा सकते थे। फिर हमने यह सूचना एकत्र की कि हम समस्त गांवों का विद्युतीकरण कैसे कर सकते हैं। हमने गांवों की गिनती की और

उनका विद्युतीकरण कर दिया। प्रत्येक गांव में सात या आठ बस्तियां हैं। उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। परन्तु हम उन बस्तियों को विद्युतीकरण के लिए नहीं गिनते। अतः परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : माननीय सभापति महोदया, हमारे हिन्दुस्तान में चार लाख से ज्यादा गांव हैं और आज भारत की आजादी के 50 साल बाद जब हम अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव के लोगों को बिजली न देकर उनको दो नम्बर का नागरिक बनाकर रखा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि देश के एक-एक गांव में विद्युतीकरण का कार्यक्रम खत्म करने के लिए कितना समय लिया जाएगा और इसको कब तक पूरा करेंगे क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जूनागढ़ में एक हजार से ज्यादा गांव हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान की आजादी का फल उनको आज तक नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि गांव के सभी लोगों को विद्युतीकरण का लाभ मिले, इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आपने क्या कार्यक्रम लिया है और इसे कब लेंगे तथा कब खत्म करेंगे ?

[अनुवाद]

डॉ. एस. वेणुगोपालचारी : महोदया, 1991 की जनगणना के अनुसार 5,87,288 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था। 31-3-97 तक 5,50,300 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था। अतः यह 87% तक पहुंच गया। जहां तक पूरे देश को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का सवाल है इससे पहले भी मैंने कहा है कि यह केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। आर. ई. सी. मात्र एक वित्तीय निकाय है। कार्यपालक निकाय तो विद्युत बोर्ड है। यदि विद्युत बोर्ड क्षेत्रों का अभिनिर्धारण कर लेते हैं तो उन्हें आर. ई. सी. के द्वारा दी गई निधियों का उपयोग करना होता है। माननीय सदस्य देख सकते हैं कि योजना आबंटन में से हम कुछ भी नहीं निकाल रहे। वास्तव में, यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 1994-95 में यह 704.85 करोड़ रुपए था। 1996-97 में यह बढ़कर 750 करोड़ रुपए हो गया। विद्युत विभाग और वित्त मंत्रालय के लिए योजना आबंटन भी धीरे-धीरे बढ़े हैं। परन्तु समस्या बकाया राशि की है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है बकाया राशि 8,900 करोड़ तक पहुंच गई है। केवल इसी कारण हम सभी गांवों का विद्युतीकरण नहीं कर पाते हैं। यदि बिजली बोर्ड अपनी बकाया राशि की अदायगी करने में समर्थ होंगे तभी आर. ई. सी. निरन्तर रूप से उनका वित्तपोषण कर पाएगी। सर्वेक्षण के अनुसार यह कहा गया कि सन 2000 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यावहारिक रूप से यह सम्भव नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री एन. डेनिस : सभापति महोदया, यद्यपि ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में पर्याप्त उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं, कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाके और सुदूर क्षेत्रों को बिजली अभी नहीं उपलब्ध करवाई गई। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन दुर्गम इलाकों को बिजली के कनैक्शन देने के लिए कौन-सी विशेष नीति बनाई गई है।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह गांवों को बिजली के कनेक्शन दे। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी समयबद्ध कार्यक्रम का निर्देश दिया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिसके आधार पर पूरे देश को एक समय सीमा के भीतर बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जा सकें।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न सीधे पूछिए ताकि कुछ और सदस्यों को बोलने का समय दिया जा सके।

डॉ. एस. वेणुगोपालचारी : अपने नियमित कार्यक्रमों जैसे पम्पसेटों को बिजली, आर. ई. इत्यादि के अतिरिक्त हम अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभाग के माध्यम से भी निधियां प्रदान करते हैं ताकि छोटी पनबिजली परियोजनाएं, पवन ऊर्जा आदि कार्यक्रमों को चलाया जा सके। आर. ई. सी. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को सुदूर गांवों, दुर्गम पहाड़ी और आदिवासी और दलित इलाकों को बिजली पहुंचाने के लिए भी निधियां प्रदान कर रही है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि चाहे हमने विगत पचास वर्षों में बहुत-सी उपलब्धियां हासिल की हैं, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है अतः इस वर्ष 1997-98 में हम आर. ई. सी. के माध्यम से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 20 करोड़ रुपए छोटी-छोटी परियोजनाएं पवन ऊर्जा और गैस रिजर्व परियोजनाओं पर खर्च कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिशत की दृष्टि से देश के कितने गांव ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार के लिए तकनीकी रूप से सम्भाव्य माने जाते हैं; और क्या सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा पुनः निर्धारित करने पर विचार कर रही है ताकि पंचायती राज प्रणाली को इससे जोड़ा जा सके और पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को तेज किया जा सके ?

डॉ. एस. वेणुगोपालचारी : सुदूर क्षेत्रों के 18,000 गांवों को इस कार्य के लिए चुना गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव भी मंत्रालय के विचाराधीन है।

जैसा कि मैंने पहले भी माननीय सदन को बताया है कि राजस्व परिधि के अन्दर चाहे पम्पसेट को बिजली देने का काम हो, गांव के विद्युतीकरण का या किसी बस्ती के विद्युतीकरण का, इसे शत-प्रतिशत किया जाएगा। अब हम इसे बदलना चाहते हैं और इसके लिए हम इस अवधारणा का गांव राजस्व परिधि से हटाकर पुनर्वास व्यवस्था तक विस्तार कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से विचार-विमर्श करके हम यह परिभाषा बदलना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे परिभाषा को बदलने के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनके सुझावों का स्वागत है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मेरा सवाल भावना जी ने पूछ लिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न काल के दौरान प्रत्येक सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न लिखित रूप से माननीय मंत्री जी को भेजें और अपने उत्तर पाएं।

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा : सभापति जी, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह दुरुस्त है कि जो गांव इलेक्ट्रिफाइ हुए हैं, वह पूरी तरह इलेक्ट्रिफाई नहीं हुए बल्कि गांव के बड़े हिस्से और कई मोहल्ले बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के हैं। उन हिस्सों को या गांवों के उन पोर्श्नन्स को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए सरकार के पास क्या स्कीमें हैं ?

दूसरी बात यह है कि जो गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं, वहां आम तौर पर ट्रांसफॉर्मस फेल हो जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स ट्रांसफॉर्मर्स रिपेयर करने में कई महीने लगा देती हैं।

क्या ऐसी कोई स्कीम भारत सरकार के पास है कि वह राज्य सरकारों की मदद करे, ताकि वे ट्रांसफार्मर्स स्पेयर रखें ताकि अगर किसी गांव में ट्रांसफार्मर फेल हो जाए तो वहां पर स्पेयर ट्रांसफार्मर लगाया जाए। इस वजह जिन इलाकों को बिजली मिलती है उनको तो कम से कम बिजली मिलती रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो आधे गांव इलेक्ट्रीफाइड होने से रह गए हैं उनको कैसे इलैक्ट्रीफाइड करेंगे और जो ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं और कई महीने फिर बिजली नहीं मिलती है, उनके लिए आप क्या इंतजाम करना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी : महोदय, अपने नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त हम हर वर्ष 20 करोड़ रुपए एम॰ एल॰ ए॰ कार्यक्रमों और अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों पर भी खर्च करते हैं। हम छोटे पनबिजली, पवन ऊर्जा और गैस पर आधारित कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं। तत्पश्चात् हम आर॰ ई॰ सी॰ के माध्यम से प्रणाली सुधार कार्यक्रम भी चला रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से या ट्रांसफार्मर और दूसरी प्रणालियां बनाने और लोड क्षमता में सुधार के लिए बिजली बोर्डों को ऋण भी दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : सभापति महोदय, जो प्रश्न पूछा गया था वह सारे स्टेट्स के बारे में था। हिन्दुस्तान में सात यूनियन टैरीटरीज हैं। उनमें से दो के बारे में तो जानकारी दी है। लेकिन जो बाकी पांच यूनियन टैरीटरीज हैं, उनके बारे में इस प्रश्न के उत्तर में कोई जानकारी नहीं दी गई है और हमारे यहां चंडीगढ़ यूनियन टैरीटरी ने आपसे इसके बारे में पैसे भी मांगे हैं। पंजाब, हरियाणा हाइकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि कुछ क्षेत्रों में जहां अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं हैं, वहां बिजली कनेक्शंस दिए जाएं। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो बाकी पांच यूनियन टैरीटरीज हैं, जिनमें चंडीगढ़ भी शामिल है, उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई है और अगर आपके पास जानकारी है तो क्या वह आप इस समय सदन को बताने की स्थिति में हैं कि वहां की क्या स्थिति है ?

[अनुवाद]

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी : महोदया, मैं माननीय सदस्य तक यह सूचना पहुंचा दूंगा।

सभापति महोदय : अब हम प्रश्न सं॰ 542 पर आते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदया, इससे पहले कि आप अगले प्रश्न पर पहुंचें कि मैं जानना चाहता हूं कि सचिवालय कार्य सूची में खाली पृष्ठों को अनुसूची के रूप में मुझे भेजकर, मुझे ही अपना लक्ष्य क्यों बना रहा है ? महोदया, क्या आप सचिवालय से कहेंगी कि वे इसकी जांच करें ? ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आप यह मामला बाद में उठा सकते हैं, प्रश्न काल के दौरान नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वास्तव में मैं प्रश्नकाल शुरू होने से पूर्व इसे पूछना चाहता था। महोदया, मैंने देखा कि आपने प्रश्न काल शुरू कर दिया है ...*(व्यवधान)* क्या आप सचिवालय से कहेंगी कि इसकी जांच करें।

सभापति महोदय : आप इसे बाद में उठा सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

मेगा शहरों के लिए आबंटन

***542. श्री चिन्तामन वानगा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में मेगा शहरों में बुनियादी ढांचा विकास के प्रयोजनार्थ उनको धनराशि के आबंटन की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो मेगा शहरों को आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी इस मेगा शहर योजना को जारी रखने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मेगा शहर योजना में और शहरों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शहरों के चयन के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में मेगा शहरों में अवस्थापना विकास हेतु बनाई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत मेगा शहरों को प्रदत्त धन राशि इस प्रकार है :—

मेगा शहर	प्रदत्त राशि (1993-94)* (रुपए करोड़ों में)
कलकत्ता	67.86
मुम्बई	67.36
चेन्नई	55.26
हैदराबाद	53.49
बंगलौर	45.83
जोड़	289.80

* वर्ष 1993-97 के लिए योजना आयोग द्वारा धन विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया गया था और उसे मेगा सिटी स्कीम हेतु केन्द्रीय अंश माना गया था। वर्ष 1994-95 से धन शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिया गया।

(ग) जी हां। सरकार ने मेगा सिटी स्कीम को नौवीं योजना में जारी रखने के लिए योजना आयोग को प्रस्ताव भेजा है।

(घ) मेगा सिटी स्कीम में और अधिक शहरों को शामिल करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) स्कीम के दिशा निर्देशों में, सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख (4 मिलियन) से अधिक आबादी वाले शहर को मेगा सिटी स्कीम में शामिल किए जाने का मानदंड है।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामन वानगा : सभापति महोदय, मेगा सिटीज में सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन्स इश्यू की है और फंडिंग पैटर्न दिया है। इस फंडिंग पैटर्न के अंतर्गत केन्द्र सरकार का शेयर 25 प्रतिशत है, राज्य सरकार का शेयर भी 25 प्रतिशत है और जो नोडल इम्पलीमेंटिंग एजेंसी हैं, उसका शेयर 50 प्रतिशत है। लेकिन नोडल एजेंसी के लिए यह 50 प्रतिशत शेयर इकट्ठा करने में बहुत दिक्कतें आती हैं और जो सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं, इनको प्रभावशाली बनाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह प्रश्न है कि केन्द्र सरकार का 25 प्रतिशत शेयर है, क्या केन्द्र सरकार इसको और बढ़ाने के बारे में सोच रही है ?

[अनुवाद]

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह योजना केन्द्र की ओर से प्रायोजित है। जब यह बनाई गई थी तो इस आधार पर बनाई गई कि केन्द्र और राज्य सरकारें आधा-आधा व्यय वहन करेंगी; परियोजना का पच्चीस प्रतिशत खर्चा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा एक अनुदान के रूप में और 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और शेष पचास प्रतिशत व्यय या तो किसी संस्था से ऋण के रूप में या भूमि का विकास करके या राज्य सरकार द्वारा आन्तरिक रूप से कोई और साधन जुटा कर एकत्रित किया जाएगा।

परंतु सारा कार्य केंद्रीय सरकार ने एक नाभिकीय अभिकरण के सुपुर्द कर दिया है। अतः केन्द्र सरकार के पास न तो कोई प्रस्ताव है और न यह सम्भव है कि वह 25% व्यय का प्रबन्ध करे।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामन वानगा : मेगा सिटी योजना के लिए गाइडलाइन्स निर्धारित हैं, जिनके अंतर्गत म्युनिसिपल कार्पोरेशन के मास्टर प्लान की स्कीमों को नहीं लिया जा सकता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेगा सिटी योजना के अंतर्गत क्या म्युनिसिपैलिटीज की स्कीमों को लिया जा सकता है ?

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कि माननीय सदस्य मुझसे किस तरह का सही उत्तर चाहते हैं। जहां तक मेगा सिटी स्कीम का संबंध है नगर निगम अपनी योजना स्वयं बना सकती है। लेकिन इसके लिए राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति है। नगर निगम द्वारा बनाई गई किसी भी परियोजना को केवल राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा ही मंजूरी दी जा सकती है और इस योजना को स्वीकृति भी अनुमोदन समिति द्वारा ही दी जा सकती है। जहां तक उनके स्तर पर मेगा सिटी योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली योजनाओं की संख्या का संबंध है, इस मामले में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : महोदया, मेगा सिटी से संबंधित यह प्रश्न उत्तर में दिए गए सभी प्रमुख महानगरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं, कि क्या मेगा सिटी से जुड़े हुए शहरों को एकीकृत शहर के रूप में माना जाता है या नहीं ? मैं कलकत्ता शहर का एक विशिष्ट उदाहरण दूंगा। कलकत्ता और हावड़ा दोनों को एक ही शहर के रूप में माना जाता है। हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं प्रधानमंत्री से माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक यही जिरह करता रहा हूं कि इसे मेगा सिटी कम्पलेक्स के अंतर्गत दो जुड़े हुए शहरों की एक परियोजना माना जाए। वास्तविक समस्या यह है कि नगर निगम के पास अपना कोई संस्थागत ढांचा नहीं है। मैंने जब नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास इस योजना को लागू करने हेतु कोई आधारिक संरचना नहीं है। उनका कहना है "कि उनके पास तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी नहीं हैं" धन दिया गया है। हालांकि जो धन दिया गया वह बहुत थोड़ा है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। इसे किस तरह और किस हद तक लागू किया जाएगा ?

बजट प्रस्तुति से पूर्व मैंने सूरत, कानपुर, अहमदाबाद से बिना किसी पूर्व विचार-विमर्श के वहां की नागरिक जीवन की नाटकीय स्थितियों, स्लम हालात और पेयजल की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री से मेगा सिटी योजना के अंतर्गत उनका विशेष ध्यान रखने का प्रस्ताव किया था। ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे ग्रुप की टीम एकीकृत शहरों में कार्य कर रही है। लेकिन इस विषय में कुछ नहीं किया गया है। मैंने नागपुर के बारे में भी प्रस्ताव किया था। एक तरफ सरकार

सिद्धान्ततः मुख्य शहरी क्षेत्रों में ज्यादा भीड़-भाड़ के विरुद्ध है, दूसरी ओर सरकार यह कह रही है कि मेगा सिटी काम्पलेक्स कार्यक्रम को तुरन्त लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जब हम राज्यों की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि नौकरशाही और तकनीकी ढांचा नदारद है। क्या इसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता है ? अब मैं कलकत्ता और हावड़ा के सवाल पर आता हूं। इस ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था। इन शहरों में पिछले दस महीनों से पेयजल उपलब्ध नहीं है और महिलाएं पानी की तलाश में सड़कों पर उतर आई हैं। स्लम की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। मेगा सिटी के लिए दिए गए धन का उपयोग नहीं किया गया है। हावड़ा के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुझे बताया कि उनके पास कोई आधारिक संरचना नहीं है। कलकत्ता म्यूनिसिपल आयुक्त का कहना है कि उनके पास दिशा-निर्देश नहीं है। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने धन भेज दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस कार्य को कौन करेगा। कृपा कर इन प्रश्नों का उत्तर दें।

(क) क्या हावड़ा को एकीकृत शहर परियोजना के अंतर्गत कलकत्ता से जोड़ दिया गया है।

(ख) क्या इस परियोजना को लागू करने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु उन्होंने तंत्र विकसित किया है ? क्या चल रहा है ...*(व्यवधान)*

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : कलकत्ता और हावड़ा एक मेगा सिटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। दोनों एक मेगा सिटी परियोजना में आते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : इसमें हावड़ा का नाम नहीं है।

[अनुवाद]

आपको यह कहना चाहिए कि कलकत्ता और हावड़ा का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है।

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : इसे कलकत्ता मेगा सिटी परियोजना क्यों कहा जाता है। और इसे कलकत्ता-हावड़ा मेगा सिटी परियोजना क्यों नहीं कहा जाता इसके ऐतिहासिक कारणों की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक मेगा सिटी परियोजना का संबंध है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे सकते हैं।

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदया, यह कलकत्ता मेगा सिटी परियोजना के अंतर्गत है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि पूर्व में जो योजनाएं मेगा सिटी योजना के कार्यक्षेत्र में ली गई हैं, उनके ऊपर निर्णय राज्य स्तरीय समितियों द्वारा लिया जाएगा।

जहां तक कलकत्ता का संबंध है कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण इस परियोजना को अंतिम रूप देने और लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। कलकत्ता में ही इस समिति द्वारा परिकल्पित 56 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने अभी-अभी यह स्वीकार किया है, कि हावड़ा कलकत्ता में शामिल है। हावड़ा को कोई योजना नहीं दी गई है, यह सब कलकत्ता को दी गई हैं। इसी कारण मैं यह प्रश्न कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

श्री रूपचन्द पाल : आप कलकत्ता में रहते हैं, इसी कारण यह कलकत्ता क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : श्री पाल, यह गंभीर प्रश्न है, कोई गलती न करें। यदि हावड़ा पर सभी गाड़ियां रोक ली गई तब आपका कोई भी आदमी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। क्या यह ठीक रहेगा ?

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : माननीय सदस्य ने मुझे यह पत्र दिया है। मैंने इस पत्र को राज्य सरकार को इस योजना विशेष पर विचार करने हेतु प्रेषित कर दिया है। मुझे उनसे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। स्वीकृत परियोजनाओं में कुछ जोड़े जाने या निकाले जाने का अधिकार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति को है। इसमें मेरे मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होगा। यहां तक कि समिति में योजना आयोग का भी प्रतिनिधि होगा। समिति इन परियोजनाओं के लिए आबंटित कुल बजट के सीमा में कुछ योजनाओं को निकाल सकती है या जोड़ सकती है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति जी, क्या केन्द्र सरकार के शहरी कार्य रोजगार मंत्रालय द्वारा मेगा सिटी "बी" हेतु कोई धनराशि मुहैया कराई गई है ? यदि हां तो राजस्थान के लिए कुल कितनी धनराशि पिछले पांच वर्षों में मुहैया कराई गई और उनमें से किन-किन नगरों को कितनी-कितनी धनराशि दी गई। कृपा करके आप इसे स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : यह मेगा सिटी योजना के अंतर्गत नहीं आएगा।

सभापति महोदय : आप उनको लिख सकते हैं।

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : जी हां।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति जी, क्राइटीरिया तय किया हुआ है।

सभापति महोदय : आप बाद में उनको चिट्ठी लिखकर दे दीजिए। मंत्री जी जवाब दे देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सभा में शांति बनाए रखें।

श्री सुरेश प्रभु : मेगा सिटी योजना को केन्द्रीय सरकार किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर लागू कर रही है। लोगों के एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने से उन शहरों में अत्यधिक

भार बढ़ जाता है जिन शहरों में यह प्रवासी बस जाते हैं।

मुम्बई शहर की जनसंख्या इस समय 120 लाख से ऊपर है। हम मेगा सिटी के दर्जे की बात कर रहे हैं—उन शहरों की जिनकी जनसंख्या केवल चालीस लाख है। लेकिन इससे तीन गुना लोग मुम्बई में ही रहते हैं। इसकी आधी से अधिक आबादी स्लम में लगभग नारकीय अवस्था में रहती है। राज्य सरकार उनके जीवन स्तर को सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रही है। लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा 13 से 14 रुपए प्रति व्यक्ति मात्र की जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है यह एक क्रूर मजाक है। यह जख्मों पर नमक डालने के समान है। मुम्बई के राष्ट्र के वित्तीय राजधानी होने से दावे को मद्देनजर रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का इरादा रखती है। क्या केन्द्रीय सरकार मुम्बई शहर के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है विशेषकर जब वह इसे देश की एक वाणिज्यिक राजधानी मानने का दावा करती है ? क्या सरकार 14 करोड़ या 15 करोड़ रुपयेकी धनराशि उपलब्ध कराने के बजाए इस शहर के विकास में भागीदार बनेगी ? सरकार की इस बारे में क्या राय है ? क्या यह सोच मेगा सिटी का दर्जा देने के लिए बनाए गए सिद्धांत से मेल खाती है ? क्या सरकार का शहर के विकास में विशेष भागीदारी करने का इरादा है जिससे उन लोगों की दशा में सुधार हो सके जो राष्ट्र के सभी भागों से यहां आकर बसे हैं ? क्या सरकार का उन राज्यों पर शुल्क लगाने का इरादा है जिनकी जनसंख्या का एक हिस्सा हमारी छोटी-सी मुम्बई में प्रवास के लिए आता है।

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मेगा सिटी की अवधारणा एक सिद्धांत के आधार पर बनी थी और इस संबंध में जो भी निर्णय लिए गए थे, वह कुछ दिशा-निर्देश के आधार पर लिए गए थे।

मेगा सिटी परियोजनाएं उन शहरों में आरंभ की गई हैं जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर चालीस लाख से अधिक थी। केवल उन्ही शहरों में इस योजना के अंतर्गत काम शुरू किया गया था। मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर ही पांच ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से ज्यादा है। इसलिए 40 लाख से अधिक की जनसंख्या के सिद्धांत के आधार पर इन पांच शहरों को इस परियोजना के अंतर्गत लिया गया। जहां तक परियोजना द्वारा वहन किए जाने वाली राशि और केन्द्रीय सरकार की परस्पर भागीदारी अनुमान का प्रश्न है, मुम्बई के लिए कुल 800 करोड़ की लागत योजना में स्वीकृत की गई थी और जिसका 25 प्रतिशत भार केन्द्र द्वारा अनुदानों के रूप में उठाया जाएगा। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार 200 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी।

इस प्रकार कलकत्ता के लिए 1600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चेन्नई के लिए 914 करोड़, हैदराबाद के लिए 913 करोड़ और बंगलौर के लिए 805 करोड़ रुपए। इन योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इनका 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

श्री कमारूल इस्लाम : महोदया, बंगलौर को मेगा सिटी योजना में शामिल किया गया है। जहां तक बंगलौर के मौसम का संबंध है, बंगलौर का मौसम बहुत ही खुशगवार है। जब संसद के एक सत्र को दक्षिण में आयोजित करने पर विचार किया गया था। तब बंगलौर को इसके लिए चुना गया था। लेकिन बंगलौर अब पेयजल और मेगा सिटी की समस्या का सामना कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए कितना धन आबंटित किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस पर जल्द ही कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए और जहां तक आबंटन का संबंध है मेगा सिटी को विकसित कर इस क्षेत्र के साथ न्याय किया जाना चाहिए।

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदया, आठवीं योजना के अंतर्गत मेगा सिटी योजना के अधीन बंगलौर के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है और अब तक केवल 45.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदया, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि मुंबई के लिए 800 करोड़ रुपए का और कलकत्ता के लिए 1600 करोड़ रुपए का मतलब डबल ऐमाउंट का प्लान मंजूर किया है। मेरे सहयोगी मित्र श्री प्रभु ने कहा कि मुंबई की आबादी 1 करोड़ 20 लाख है लेकिन मुंबई की आबादी केवल 1 करोड़ 20 लाख नहीं, मुंबई से लगी हुई चार महापालिकाएं—मुंबई, ठाणे, कल्याण और नवीं मुंबई और साथ ही आठ नगरपालिकाएं भाईंदर, वसई, नालासोपार, विरार, नवचर, अंबरनाथ, उल्लासनगर और पनवेल जुड़ी हुई हैं जिससे 2 करोड़ की आबादी बनती है। इन 2 करोड़ लोगों की सारी सिविक ऐमीनिटीज़ का भार मुंबई पर आ जाता है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्लानिंग के आयोजन में मुंबई मैगासिटी केवल 1 करोड़ 20 लाख की नहीं, 2 करोड़ की आबादी के हिसाब से मानी जाएगी ? साथ ही मुंबई को कलकत्ता की तुलना में केवल 800 करोड़ रुपए देने का क्या कारण है ? मुंबई पर लगातार इस प्रकार का अन्याय क्यों हो रहा है ?

[अनुवाद]

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदया, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इन योजनाओं को 1993-94 में स्वीकृत कर दिया गया था और आठवीं योजना में इन योजनाओं को लागू किया जा रहा था। आठवीं योजना के अंत में यह स्थिति है। अधिकांश योजनाओं पर कार्य नहीं हुआ है। जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा सका है।

वास्तव में मेरे मंत्रालय ने योजना आयोग को नौवीं पंचवर्षीय योजना में मेगा सिटी योजना को जारी रखने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है। इस पर अभी विचार चल रहा है और इस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर पुनः विचार और इसे जारी रखने के साथ ही हमने यह भी निवेदन किया है कि इन शहरों की वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए। मेरे विचार से नौवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार-विमर्श को अंतिम रूप देने तक इस पर भी कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या भविष्य में 2 करोड़ की आबादी का विचार किया जाएगा और साथ ही आप मुंबई पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, यह बताइए ? पुरानी सरकार हुई तो क्या हुआ, सरकार तो चलती रहती है।

[अनुवाद]

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैं कह रहा था कि इस योजना को आठवीं योजना के अंत तक बंद होना है। अब मैंने योजना आयोग को लिखा है चूंकि योजना को अभी तक न तो अन्तिम रूप दिया जा सका है और न ही इसे पूरा किया जा सका है अतएव नौवीं योजना के दौरान इस योजना को जारी रखा जाना परम आवश्यक है, मैं उनको निवेदन करता रहा हूं कि वह सभी बातों पर विचार करें।

सभापति महोदय : प्रश्न संख्या 543।

श्री मधुकर सरपोतदार : इस प्रश्न विशेष का संबंध मेरे शहर से है। मुझे प्रश्न पूछने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। यह बड़ी हैरानी की बात है।

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय को लिखकर उनसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 543।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : जहां तक हावड़ा का संबंध है, एक प्रश्न पूछा गया था। यह ठीक है। मैंने प्रारंभ से अपना हाथ खड़ा रखा था और यह प्रश्न विशेष हमारे शहर से संबंधित है आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है यह ठीक है, लेकिन मैं यह बात ध्यान में लाना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा के लिए लिख सकते हैं।

डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : माननीय सदस्य मुझसे आकर बात कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है, तो हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : मेगा सिटी की परिभाषा क्या है ?

सभापति महोदय : श्री विजय गोयल इस प्रकार चर्चा नहीं चल सकती है।

विदेशों के साथ भारत का सहयोग

***543. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1996 में आयोजित सार्क देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में नेपाली प्रतिनिधि मण्डल ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिसमें यह मांग की गई थी कि चार देशों के एक-दूसरे से जुड़े हुए भागों के जल, बिजली, परिवहन, व्यापार, संचार आदि के क्षेत्रों में विकास हेतु भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच सहयोग होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दृष्टिकोण पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस संबंध में भारत द्वारा कोई पहल किए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) से (ग) वक्तव्य सदन के सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

नेपाल की सरकार ने जो दस्तावेज पेश किया है उसमें मोटे तौर पर विशेषज्ञों के व्यापक अध्ययन की शृंखला के माध्यम से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत को शामिल करके उक्त क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संवर्द्धन शामिल है ताकि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में उपक्षेत्रीय सहयोग की अवधारणा को क्रियान्वित करने में मदद मिल सके। प्रस्ताव में तीन चरणीय योजना के माध्यम से आपसी लाभ के लिए बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग करने पर विचार किया गया है।

भारत ने दक्षिण एशिया के 4 देशों को सम्मिलित करते हुए आर्थिक सहयोग की इस पहलकदमी का स्वागत किया है और काठमांडू में 2 अप्रैल, 1997 को विदेश सचिव स्तर पर हुई बैठक में भाग लिया है। बैठक में यह सहमति हुई थी कि "चतुर्देशीय विकास" का उद्देश्य एक ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है जिसमें बहु रूपात्मक परिवहन और संचार, ऊर्जा, व्यापार और निवेश सरलीकरण और प्रोन्नयन, पर्यटन, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की विशिष्ट परियोजना का पता लगाकर और उन्हें क्रियान्वित करके तेजी से आर्थिक विकास किया जा सके।

चारों देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में 08 अप्रैल, 1997 को बैठक हुई थी जहां उन्होंने औपचारिक रूप से उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की पहल आरंभ की थी। उन्होंने आर्थिक प्रगति को तेज करने, आधारभूत सुविधाओं की अड़चनों को दूर करने और उप क्षेत्रीय सम्पूरकताओं को अनुकूलतम उपयोग करने के लिए उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का अनुसरण करने के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की।

डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत दक्षिण एशिया के चार देशों के मध्य आर्थिक सहयोग की पहल का स्वागत करता है और इस संबंध में उसने 2 अप्रैल, 1997 को काठमांडू में विदेश सचिव स्तर की वार्ता में भाग भी लिया था। बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि चार देशों के विकास का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण को बनाना है जिसमें बहुआयामी परिवहन और संसार, ऊर्जा, व्यापार और निवेश की सहूलियतें और उन्हें बढ़ावा देना, पर्यटन, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण जैसे मुख्य आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग की विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाकर उन्हें लागू किया जा सके जिनके माध्यम से तीव्र गति से विकास संभव हो सके।

इस प्रस्ताव पर, पाकिस्तान ने हमारे इन देशों से बढ़ते संबंधों को पसंद नहीं किया और इस प्रस्ताव पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह कहा कि इस प्रकार का उपक्षेत्रीय ग्रुप दक्षेस की भावना को कम करेगा। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान को इस बात का डर

है कि इन देशों के साथ भारत के बढ़ते हुए संबंध उसको नुकसान पहुंचाएंगे।

मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान की आपत्ति नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से हो रहे सहयोग को लागू करने की प्रक्रिया को धीमा करेगा। दिसंबर 1996 में जब इस प्रस्ताव को लाया गया था उसके बाद से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? छोटे देशों की विशेष आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए भारत का इन देशों को किस प्रकार की सहायता या छूट देने का प्रस्ताव है ?

श्री रमाकान्त डी॰ खलप : महोदया, जहां तक पाकिस्तान की आपत्तियों से संबंधित पहले प्रश्न का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ऐसा प्रतीत होता कि उन्हें मालदीव की घटनाओं की जानकारी नहीं है। प्रारंभ में पाकिस्तान द्वारा उठाई गई आपत्तियों का अब कोई महत्त्व नहीं है। मालदीव में चल रही दक्षेस शिविर वार्ता के दौरान हम आपत्तियों को दूर करने में सफल रहे हैं। चार देशों के इस ग्रुप ने यह निर्णय लिया है कि पूर्व योजना के अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

जहां तक बैठक के बाद उठाए गए कदमों का संबंध है मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चार देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पहले काठमांडू में और बाद में दिल्ली में बैठकें आयोजित की गईं। इस पर आगे भी विचार-विमर्श होगा। इस समूचे विचार-विमर्श को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में इन चार देशों के विकास की अवधारणा का विकास करना। दूसरे चरण में डिजाइन, योजना बनाना आदि का कार्य शामिल है। तीसरे चरण में योजना को लागू करने का कार्य है।

इन चारों देशों में भारत सबसे अधिक साधन संपन्न देश है इसलिए स्वभावतः हमें अन्य देशों को अधिक छूट देनी होगी। लेकिन अंततः यह दक्षेस के अंतर्गत चार क्षेत्रीय राष्ट्रों के बीच सहयोग की एक प्रक्रिया है। इस क्षेत्रीय उप समूह के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर जो भी कदम उठाए जाएंगे उसका लाभ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सभी राष्ट्रों को मिलेगा।

इससे भारत को ही लाभ नहीं होगा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को भी लाभ होगा।

डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : महोदया, पड़ोसी देशों के व्यापारियों के संदेहों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि कम समय में बिना लाभ-हानि का अनुमान लगाए पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा सके।

श्री रमाकान्त डी॰ खलप : महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह आशवासन देना चाहूंगा कि जो भी शंकाएं व्यापारियों के मन में हैं वह कार्य प्रारंभ होने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसका पता इसी बात से चलता है कि व्यापार और निवेश को सुगम बनाना और इसे बढ़ावा देना ही इस उप-क्षेत्रीय ग्रुप का उद्देश्य है। वास्तव में विभिन्न मामलों जैसे पर्यटन, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, बहुउद्देशीय परिवहन और संचार, ऊर्जा इत्यादि में सहयोग होगा।

डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : महोदया, माननीय मंत्री ने विवरण नहीं दिया है। मेरा प्रश्न विशेष था : कि किस प्रकार की सहायता और छूट दी जा रही है ?

श्री रमाकान्त डी॰ खलप : महोदय, इन पर विचार-विमर्श हो रहा है और इस संबंध में कुछ समय लगेगा।

श्री सुधीर गिरि : महोदया, हम यह चाहते हैं कि दक्षेस के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सके और इससे हम सब को लाभ हो। इसके लिए आपसी सामंजस्य बनाया जाना चाहिए और गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। प्रेस के एक वर्ग में इस आशय की एक रिपोर्ट छपी है कि श्रीलंका और पाकिस्तान ने पहले ही बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत को उप क्षेत्रीय ग्रुप बनाए जाने पर आपत्ति उठाई है अतः क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो शंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री रमाकान्त डी॰ खलप : महोदया, श्रीलंका और पाकिस्तान की आपत्तियां बीते समय की बात हो गई हैं। इसके बाद चर्चाएं हुई हैं और मालदीव शिखर वार्त्ता में पाकिस्तान और श्रीलंका की एक समय उठाई गई आपत्तियों को सफलतापूर्वक दूर कर दिया गया है। अब प्रत्येक सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि उप क्षेत्रीय समूह को आगे आना चाहिए और दक्षेस के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। दक्षेस चार्टर का अनुच्छेद 7 इस प्रकार के उप क्षेत्रीय ग्रुप की अनुमति देता है। यह न केवल इन ग्रुपों के हित में है कि वह इकट्ठे होकर कार्य करें साथ ही यह भी आशा की जाती है कि यह कार्य समूचे दक्षेस के हित में होगा।

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव : महोदया, मैं इसी शंका को दोहरा रहा हूं। दक्षेस के नियमों के अनुसार दक्षेस के सभी सात देशों से संबंधित मामलों को ही उठाया जाता है। यदि दक्षेस सात देशों के बीच में यह द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या चतुर्पक्षीय इत्यादि हो तो सामान्यतः इसे दक्षेस कार्यक्रमों के अंतर्गत नहीं लिया जाता है ? यदि आधार नियमों में अब कोई परिवर्तन हुआ है तो यह किस शिखर सम्मेलन में हुआ था ?

व्यक्तिगत रूप से मैं यह महसूस करता हूं कि इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी। अतः माननीय मंत्री सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि आधार नियमों के अनुसार ऐसा किस प्रकार किया गया है, क्या इसके लिए नियमों को संशोधित किया गया है या अपवाद के तौर पर ऐसा किया गया है ? यह निर्णय किस आधार पर लिया गया ? यदि तीन-चार देश सार्क के बाहर ऐसा कुछ करते हैं, तो ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मामले में भी हमारी कुछ दिक्कतें हैं। एक समय ऐसा था कि इन बातों पर दक्षेस की शिखर वार्त्ता या दक्षेस के विदेश मंत्रियों की बैठक के समय हम चर्चा से इनकार कर देते थे। हम इस बात का सख्ती के साथ पालन करते थे। क्या माननीय मंत्री इस निर्णय को विस्तारपूर्वक बताएंगे ?

श्री रमाकान्त डी॰ खलप : महोदया, जब इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी तब इस पर पाकिस्तान और श्रीलंका ने कुछ शंकाएं

व्यक्त की थी। यह महसूस किया गया था कि दक्षेस देशों के भीतर इस प्रकार के उप समूह से पूरे समूह में कुछ आपत्तियां उठेंगी और शायद इससे कुछ बिखराव भी पैदा हों। यह उनके विचार और अवधारणा थी। दक्षेस चार्टर का अनुच्छेद 7 इस प्रकार है :

"स्थायी समिति सदस्य देशों की ऐसी कार्यसमिति स्थापित कर सकती है जिसका संबंध ऐसी परियोजना के लागू करने से है जिसका संबंध दो से अधिक सदस्य देशों से हो, लेकिन जिसमें सारे सदस्य देश शामिल न हों।"

अतः भारत ने इस अनुच्छेद का लाभ उठाया। हमने अनुच्छेद 10 का भी लाभ उठाया जिसमें सर्वसम्मति के सिद्धान्त के बारे में दिया गया है। विभिन्न स्तरों और जगहों पर उठाई गई आपत्तियां धीरे-धीरे दूर होती चली गईं। जो बातचीत दक्षेस के अंतर्गत शुरू की गई थी उसे दक्षेस के बाहर लाने का भी प्रयास किया गया और स्वतंत्र रूप से इसको लागू करने का प्रयास किया गया। बाद में और विशेषतः चल रही शिखर वार्त्ता में यह निर्णय लिया गया कि उप-क्षेत्रीय ग्रुप का यह निर्णय जिसे दक्षेस के चार क्षेत्रीय दलों के विकास का चतुषकोण कहा गया, वह दक्षेस के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करेगा। अतः जैसा कि मैंने कहा था इन आपत्तियों का आज कोई मायने नहीं है। मैं सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह प्रधानमंत्री के आने का इंतजार करें, वह कल सभा में एक वक्तव्य देने वाले हैं जो चर्चा को सही तौर पर स्पष्ट कर पाएगा।

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव : महोदया, यह ठीक रहेगा क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि एक परियोजना विशेष को दक्षेस के आधार नियमों या उसके अपवाद के रूप में कैसे लिया जा सकता है। हमें इसे स्पष्ट करना होगा जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री वापिस आने के पश्चात् वह या तो सभा को विश्वास में लें या हममें से कुछ को—जैसे विपक्ष के नेता को लिखें। क्योंकि मैं पूछ रहा हूं तो वह कृपया मुझे भी इसकी एक प्रति भेज सकते हैं। मैं इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहूंगा। मुझे अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे किस प्रकार किया गया है।

श्री रमाकान्त डी॰ खलप : महोदया, सुझाव को स्वीकार किया गया है। वह सुझाव को लागू करेंगे।

रोजगार में वृद्धि की दर

***544. श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार में कमी आ रही है;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों के सरकारी उद्यम किस हद तक इस कमी के लिए जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि दर बढ़ाने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा गया है।

विवरण

31 मार्च, 1992 से 1996 तक की स्थिति के अनुसार, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत् प्राप्त सूचना के अनुसार, संगठित क्षेत्र में (समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र के 10 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले समस्त गैर-कृषीय प्रतिष्ठान) ररोजगार के अनुमान निम्न प्रकार थे :—

रोजगार (लाख)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	क्षेत्र सार्वजनिक	निजी	योग	वृद्धि दर
1992	192.10	78.46	270.56	1.2%
1993	193.26	78.51	271.77	0.5%
1994	194.45	79.30	273.75	0.7%
1995	194.66	80.59	275.25	0.54%
1996	194.29	85.12	279.41	1.51%

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई तथा समग्र संगठित क्षेत्र रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्र तथा राज्य दोनों को शामिल करते हुए) की अंशधारिता 70% थी।

31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए 194.29 लाख नियोजनों में से अर्ध-सरकारी केन्द्र क्षेत्र तथा अर्ध-सरकारी राज्य क्षेत्र में क्रमशः लगभग 35.38 लाख तथा 29.20 लाख नियोजन किए गए।

अल्प-रोजगार की बढ़ती हुई घटनाओं तथा श्रम के बढ़ते हुए नैमित्तीकरण को देखते हुए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगारी के उच्च दरों की विशेषताओं वाले क्षेत्रों में, श्रम गहन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकीयों पर संकेन्द्रण करते हुए, विकास प्रक्रिया में ही अधिक उत्पादक रोजगार का सृजन किया जाएगा। जिन सात बुनियादी सेवाओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए समयबद्ध आधार पर उनके सम्पूर्ण विस्तार हेतु पुरजोर प्रयत्नों सहित पता लगाया गया है, वे हैं : सुरक्षित पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, सभी बेसहारा गरीब परिवारों की जन आवास सहायता का प्रावधान, बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना, गरीबों को लक्षित करते हुए समस्त ग्रामों एवं निवासियों को सड़कों एवं जन वितरण पद्धति से जोड़ना। उक्त सात बुनियादी सेवाओं को दिए जाने वाले महत्त्व से भी रोजगार का सृजन होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों के कौशल का उन्नयन करने तथा आधुनिक औजार किटों से उनकी सक्षमताओं में सुधार लाने संबंधी विद्यमान कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में सुदृढ़ बनाया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि, प्रत्येक जिले में, जिला ग्रामीण अवस्थापनापरक विकास निधि (आर आई डी एफ) का उपयोग उन परियोजनाओं हेतु किया जाएगा जो कि कृषि आधारित बड़ी परियोजनाओं या क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा निर्यात मांग वाले निर्धारित केन्द्रों के आस-पास केन्द्रित कौशल उन्नयन, प्रक्रियान्वयन, परिवहन संबंधी बुनियादी सुविधाओं या गुणवत्ता सुधार हेतु छोटे किसानों, कारीगरों या भूमिहीन श्रमिकों के समूह को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। उक्त के अतिरिक्त, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के कमजोर वर्गों हेतु रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आश्वासन योजना तथा नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबों हेतु शहरी बुनियादी सेवाएं तथा ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षितों हेतु प्रधानमंत्री की रोजगार योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में शेष बचे हुए बेरोजगारों हेतु राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना को भी कार्यान्वित किया जाएगा।

9वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में कार्यक्रमों के चयन हेतु अपने दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंधित किया है कि उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो कि अपरिवर्तनीय, अधिकार प्राप्त तथा श्रम गहन हों।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मंत्री जी ने जो जानकारी अपने उत्तर में दी है, उससे दिख रहा है कि पिछले पांच सालों में देश में संगठित क्षेत्र में दस और उससे अधिक कर्मचारी जहां पर काम में लग जाते हैं तो कुल 8,85,000 नए रोजगार पैदा हुए हैं। यह बात सही है कि कुछ पुराने रोजगार अपने ढंग से खत्म होकर वहां नए रोजगार भी आए हों, लेकिन कुल 8,85,000 ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं जिनमें से निजी क्षेत्र में 6,66,000 और सार्वजनिक क्षेत्र में 2,19,000 हैं। अब रोजगार के बारे में मुझे परेशानी यह है कि अभी वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा था, उस बजट में सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार हैं, उन सबकी एक सूची आपने दी थी, पूरा ब्यौरा दिया था और मुझे परेशान करने वाले दो आंकड़े थे। एक रेलवे के अंदर 1996 में जहां 15,89,000 कर्मचारी हैं, वहीं 1998 में 15,51,000 यानि कुल मिलाकर 37,000 रोजगार कम हो गए और सरकार के गृह विभाग में पुलिस खाते में जहां 1996 में 5,16,810 पुलिस कर्मचारी थे, वहीं 1998 में 5,87,347 हो गए हैं। यानि 70,537 पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ाने का इंतजाम हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी जो रोजगार की योजना है, उस योजना के अंतर्गत एक तरफ जहां निर्माण करने वाले क्षेत्रों में, प्रोडक्टिव क्षेत्रों में आप रोजगार को घटाने की दिशा में जा रहे हैं और बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए पुलिस में रोजगार को बढ़ाने की जो नीति चला रहे हैं, यह नीति कब तक चलाना चाहते हैं ? इसका आपके पास क्या उपाय है ?

[अनुवाद]

श्री एम॰ अरुणाचलम : महोदया, जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, मेरे पास क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक नहीं हैं। मैं इस बात पर माननीय सदस्य से सहमत हूं। रोजगार के अवसर कम नहीं हुए हैं, साथ ही उनमें संतोषजनक बढ़ोत्तरी हुई है। इससे यह अवधारणा बनी है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं वास्तव में संगठित क्षेत्र के विकास के साथ रोजगार के अवसरों में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। मैंने जो आपको आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उससे आपको पता चलेगा कि उदारीकरण के बाद रोजगार के अवसर कम नहीं हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ से बता रहे हैं कि रोजगार बढ़ नहीं रहा है और दूसरी तरफ लिब्रलाइजेशन पालिसी के चलते हुए, कुछ घट नहीं रहा है, तो फिर कौन-सी नीतियों के चलते हुए इस देश में रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आप यहां पर कहां तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वकालत करेंगे। मंत्री जी ने अपने लम्बे जवाब में रोजगार निर्माण करने के लिए सरकार की जो नई नीतियां हैं, उनको किसी तरह से भी स्पैलआउट न करते हुए कहा है,

[अनुवाद]

श्रम उन्मुख क्षेत्र जिनकी पहचान बेरोजगार और अल्परोजगार की ऊंची दरों के रूप में हुई है।

[हिन्दी]

अभी आप नई रोजगार नीति बनाने जा रहे हैं। आपकी समुच्चय आर्थिक नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों में है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों में है। जैसा कि इस बारे में आपको बताया गया है। मैं एक ठोस बात मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में बीड़ी बनाने वाले जो मजदूर हैं, उनकी संख्या 60 लाख है। सरकार ने सिगरेट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करके और बीड़ी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाकर, सिग्रेट को बाजार में ज्यादा बेचने का काम किया है और बीड़ी उद्योग को खत्म किया है। मैं इस प्रकार के 25 उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी चीजों पर ठोस विचार करके, जहां लोग अपनी स्वयं रोजगार योजनाओं के अन्दर काम करते रहते हैं, उनके रोजगार को बचाने के लिए आप कोई उपाय निकालेंगे?

[अनुवाद]

श्री एम॰ अरुणाचलम : महोदया, सभी योजनाओं में सरकार की नीति रोजगार के अवसर बढ़ाने की और सबको रोजगार दिलाने की रही है। जहां तक टैक्स ढांचे और अन्य बातों का संबंध है तो माननीय

सदस्य माननीय वित्त मंत्री से अलग से प्रश्न पूछें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं समझता हूं कि वह जिस बात पर जोर दे रहे थे वह है वित्त मंत्री के माध्यम से खगोलीकरण अर्थात् रोजगार विहीन विकास। यहां जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे पता चलता है कि 1993 में विकास दर 0.5 प्रतिशत थी, 1994 में यह 0.7 प्रतिशत थी और 1995 में यह 0.4 प्रतिशत थी। यह धीरे-धीरे कम हो रही है। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा-सा है। उत्तर के अन्तिम भाग में यह दिया गया था "कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में कार्यक्रमों को चुनने के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाया गया है कि न हटाए जाने वाले, अधिकार दिए जाने वाले और श्रम बहुल वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

मेरा एक प्रश्न है और यदि आवश्यक हो तो श्रम मंत्री, वित्त मंत्री की मदद ले सकते हैं।

मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध योजना आयोग से है जिसने अनेक योजना अवधियों में बेरोजगारों के आंकड़े देना बंद कर दिया है। क्या मंत्री महोदय योजना आयोग से अनुरोध करेंगे कि वह संबंधित आकड़े उपलब्ध कराएं और दिए गए आंकड़ों का सत्यापन करें ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है—रोजगार के पिछले अवसरों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि रोजगार की वृद्धि दर श्रम विकास की दर से कम है अत: बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अत: पिछले बकाया में हमेशा ही कुछ जुड़ रहा है। किस वर्ष में श्रम मंत्री स्थिति में परिवर्तन की आशा रखते हैं, जिससे रोजगार के पिछले बकाया में कमी आ सके ?

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे प्रश्न का तीसरा भाग हथकरघे से संबंधित है क्योंकि मंत्री महोदय ने खादी का उल्लेख श्रम उन्मुख के रूप में किया था। क्या वह हथकरघे पर और खर्चा करेंगे ?

मध्याह्न 12.00 बजे

सभापति महोदय : अब समय नहीं है, माननीय मंत्री महोदय जल्दी से उत्तर दें।

श्री एम. अरुणाचलम : माननीय सदस्य ने 1996 की विकास दर का उल्लेख नहीं किया है। जो 1.5 प्रतिशत है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कम है और वह विकास दर ज्यादा है। यही विरोधाभास है।

श्री एम. अरुणाचलम : उन्होंने सुविधापूर्वक इस बात का उल्लेख ही नहीं किया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वर्ष 2002 तक अनुमानत: 940 लाख रोजगार के सृजन का प्रावधान है। और वे रोजगार के अवसरों की ओर देख रहे होंगे।

सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री महोदय को विस्तार में लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति की दर

***545. श्री काशीराम राणा :**

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण रखने हेतु किए गए उपायों के बावजूद यह दो अंकों से भी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो गत छ: माह के दौरान अवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों ही मूल्य सूचकांकों में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान "प्वाइंट टू प्वाइंट" आधार पर साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर क्या रही;

(ङ) मुद्रास्फीति में वृद्धि का आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) मूल्य वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति की दर पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 1996-97 के सम्पूर्ण वर्ष में एक अंक के स्तर पर बनी रही जो दिसम्बर, 1996 में 8 प्रतिशत के सर्वोच्च बिन्दु पर थी। इसमें तब से और कमी आई है और अप्रैल 1997 के अंत तक यह 6.35 प्रतिशत थी। तथापि, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.) पर आधारित मुद्रास्फीति दर जनवरी, 1997 में 11.1 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर थी, जिसके बाद यह कम होकर मार्च, 1997 में 10 प्रतिशत हो गई थी।

(ख) अक्टूबर-मार्च, 1996-97 की छह माह की अवधि में अनिवार्य वस्तुओं के लिए औद्योगिक कामगारों हेतु थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

1996-97	अनिवार्य वस्तुएं	
	थोक मल्य सूचकांक	उपभोक्ता सूचकांक
अक्टूबर	330.4	343
नवम्बर	333.9	348
दिसम्बर	335.4	349
जनवरी	332.1	347
फरवरी	334.4	347
मार्च	336.5	उ.न.

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी॰पी॰आई॰-आई॰ डब्ल्यू॰) में वृद्धि कई कारकों की वजह से थी, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों (18 प्रतिशत तक), कोयला (22 प्रतिशत तक) बिजली (10.6 प्रतिशत तक) के मूल्यों में दीर्घावधि से लम्बित समायोजन के अतिरिक्त चीनी के निर्गम मूल्य में 16 प्रतिशत वृद्धि। 1995-96 में गेहूं के उत्पादन में 3 मिलियन से अधिक की गिरावट और इसके परिणामस्वरूप 4 मिलियन टन की कम अधिप्राप्ति खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूं, जिसके मूल्यों में 33 प्रतिशत से अधिक तक की बढ़ोत्तरी हो गई थी, के बाजार मूल्य में तीव्र वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी।

(घ) पिछले छह महीनों के लिए बिन्दु दर बिन्दु के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर नीचे सूचीबद्ध की गई है :—

माह	को समाप्त सप्ताह	वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
नवम्बर, 1996	02.11.96	6.72
	09.11.96	6.47
	16.11.96	6.44
	23.11.96	6.76
	30.11.96	6.67
दिसम्बर	07.12.96	7.15
	14.12.96	7.39
	21.12.96	7.81
	28.12.96	8.05
जनवरी, 1997	04.01.97	7.75
	11.01.97	7.57
	18.01.97	7.28
	25.01.97	7.53
फरवरी	01.02.97	8.03
	08.02.97	7.83
	15.02.97	7.85
	22.02.97	7.77
मार्च	01.03.97	7.75
	08.03.97	7.78 अ.
	15.03.97	7.65 अ.
	22.03.97	7.51 अ.
	29.03.97	7.35 अ.
अप्रैल	05.04.97	6.99 अ.
	12.04.97	6.64 अ.
	19.04.97	6.54 अ.
	26.04.97	6.35 अ.

अ. = अनंतिम

(ङ) मार्च, 1997 की समाप्ति पर अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर में अंशदान लगभग 40 प्रतिशत था। तथापि फरवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार सी॰पी॰आई॰-आई॰डब्ल्यू॰ आधारित मुद्रास्फीति का अंशदान कहीं अधिक (44 प्रतिशत) था क्योंकि सी॰पी॰आई॰-आई॰डब्ल्यू॰ में खाद्य पदार्थों का भारांश अधिक है।

(च) 1997-98 में मौद्रिक वृद्धि को 15-15.5 प्रतिशत तक नियंत्रित रखने तथा साथ ही राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक सीमित करने के मांग पक्ष के उपायों के अतिरिक्त सरकार आपूर्ति पक्ष में भी कारगर उपाय करना जारी रखेगी जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण और लक्ष्यीकरण की सुधरी हुई व्यवस्था, यदि आवश्यक हो तो आयात के जरिए खाद्यान्नों के सरकारी स्टाकों में वृद्धि, तथा महत्त्वपूर्ण अनिवार्य वस्तुओं जैसे कि खाद्य तेल, दालों और चीनी के आयात के लिए उदार व्यापार नीति, बैंक उधार दरों में कमी, के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क दरों में कमी तथा उनके यौक्तिकीकरण से उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में और सुधार आने और इस प्रकार मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण पाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

तत्काल योजना

***546. श्री दादा बाबूराव परांजपे :**

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संशोधित "तत्काल" योजना की सफलता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहें;

(ग) उक्त "तत्काल" गैस कनेक्शन योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक जारी किए गए रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत आबंटित रसोई गैस एजेंसियों की संख्या क्या है;

(ङ) इस योजना का लम्बे समय से गैस कनेक्शन के लिए इन्तजार कर रहे गरीब व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(च) क्या इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित तत्काल योजना का कार्यान्वयन 20 फरवरी, 1997 से प्रभावी है और देश में ग्राहकों ने इस योजना में अत्यधिक रुचि दिखाई है।

(ग) 30.4.97 तक पूरे देश में संशोधित तत्काल योजना के अंतर्गत जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या 5,06,164 है।

(घ) सभी वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटरों को तत्काल योजना के अंतर्गत एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए अभिकृत किया गया है।

(ङ) प्रतीक्षा सूचीबद्ध पंजीकृत व्यक्तियों पर तत्काल योजना का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि फिलहाल वार्षिक नामांकन योजना का केवल 10 प्रतिशत भाग तत्काल योजना के अंतर्गत एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए आरक्षित किया गया है तथा शेष 90 प्रतिशत नामांकन प्रतीक्षा सूची, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्राथमिकताओं, पर्वतीय बाजार और ताज ट्रेपीज्यम क्षेत्र आदि में कनेक्शन जारी करने के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के लिए किया जा रहा नामांकन पिछले वर्ष के नामांकन से लगभग दो गुना है तथा प्रतीक्षा सूची के और अधिक व्यक्तियों को कनेक्शन मिलेंगे।

(च) तत्काल योजना के अंतर्गत कनेक्शनों का जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, इसलिए इस योजना के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा की जा रही है।

(छ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विमान कंपनियों को ऋण

***547. श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गैर-सरकारी विमान कंपनियों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए ऋण संबंधी मानदंडों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारियों को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु ऋण संबंधी मानदंडों की भी समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) और (ख) विमान सेवा उद्योग भी अन्य उद्योगों के समान ही है और इसे ऋण औद्योगिक क्षेत्र पर लागू मार्ग-निर्देशों के ढांचे के भीतर ही दिया जाता है। वर्ष 1997-98 के पूर्वार्द्ध के लिए मौद्रिक एवं ऋण नीति के भाग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से 15 अप्रैल, 1997 को कई उपायों की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित दो महत्त्वपूर्ण उपाय, जिसमें गैर-सरकारी विमान कंपनियों के वित्तपोषण के बारे में कहा गया है, ये हैं :—

(i) बैंकों के लिए यह बाध्यकारी नहीं होगा कि वे किसी सहायता संघ का गठन करें भले ही प्रति उधारकर्ता ऋण सीमा 50 करोड़ रु॰ से अधिक हो जाए। अतः उधारकर्ताओं द्वारा अपेक्षित आवश्यकता पर आधारित वित्त एक्सपोजर सीमाओं के अनुपालन के अध्यधीन या तो पूरी तरह से स्वयं बैंक द्वारा या फिर अन्य बैंकों के साथ मिलकर प्रदान किया जाए। एकल/बहु-बैंकिंग/संघीय सहायता व्यवस्था के विकल्प के रूप में बैंक अंतर्ग्रस्त ऋण की प्रमात्रा पर ध्यान दिए बिना, समूहन मार्ग (सिंडिकेशन रूट) अपनाने के लिए स्वतंत्र है, यदि यह व्यवस्था उधारकर्ता और वित्तपोषक बैंकों के अनुकूल हो।

(ii) बैंकों को उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी संबंधी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने की पूरी परिचालनात्मक स्वतंत्रता दी गई है। तदनुसार, उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए अब बैंक पहले से निर्धारित विवेकपूर्ण मार्ग-निर्देशों और एक्सपोजर मानदंडों के भीतर स्वयं की अपनी प्रणाली तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। उद्योग की प्रत्येक बड़ी श्रेणी के संबंध में ऋण नीति प्रत्येक बैंक द्वारा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निर्धारित की जाएगी। अधिकतम अनुज्ञेय बैंक वित्त से संबंधित पिछले सभी अनुदेश वापस ले लिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों के वित्त पोषण के लिए इसके द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की पुनरीक्षा का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक मध्यम दर्जे के व्यापारियों का संबंध है, 15 अप्रैल, 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति संबंधी उपायों के भाग के रूप में बैंक मध्यम दर्जे के व्यापारियों की कार्यशील पूंजी संबंधी अपेक्षा के मूल्यांकन के लिए विवेकपूर्ण मार्ग-निर्देशों और एक्सपोजर मानदंडों के भीतर स्वयं अपनी प्रणाली/मानदंड तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

***548. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र द्वारा पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान इनकी खपत में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि के कारण क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कटौती करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के संदर्भ में आर्थिक दृष्टि से कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार खपत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है। यह मुख्यतया उद्योग, परिवहन इत्यादि समेत विविध क्षेत्रों में देश के आर्थिक क्रियाकलापों में हुई वृद्धि के कारण है।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने से देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सरकार ने परिवहन, औद्योगिक, कृषि संबंधित तथा घरेलू क्षेत्रों के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को प्रोन्नत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें ऐसे उपायों तथा व्यवहारों को अपनाना जो कि परिवहन क्षेत्र में ईंधन कुशलता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ईंधन कुशल व्यवहारों एवं उपस्कर के प्रोन्नयन और बायलरों, भट्टियां तथा अन्य तेल प्रचालित उपस्करों को कुशल उपस्करों से बदलकर आधुनिक बनाने, कृषि क्षेत्र में ईंधन कुशल सिंचाई पंपसेटों का मानकीकरण तथा पंपसेटों को अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए विद्यमान पंपसेटों का सुधार तथा गृहस्थी के क्षेत्र में मिट्टी तेल तथा एल पी जी स्टोवों जैसे ईंधन कुशल उपस्कर एवं उपकरणों के प्रयोग के संबंध में विकास, साथ ही प्रोन्नयन, शामिल हैं।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के संबंध में किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के वर्षों के दौरान क्रमशः 838 करोड़ रुपए, 969 करोड़ रुपए तथा 1102 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत की गई थी।

विवरण

पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग/खपत

("000" टन)

वर्ष	कुल खपत	प्रतिशत वृद्धि	पेट्रोल	प्रतिशत विकास
1993-94	60812		3834	
1994-95	65487	7.7	4141	8.0
1995-96	72569	10.8	4679	13.0
1996-97*	77219	6.7	4980	6.4

*अनंतिम

टिप्पणी : यह अनुमान किया जाता है कि केवल परिवहन क्षेत्र द्वारा कुल पेट्रोल की खपत की जा रही है।

प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार खपत

("000" टन)

	क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97* (अप्रैल-जनवरी)	विकास दर (प्रतिशत) 1994-95	विकास दर (प्रतिशत) 1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
	एल पी गैस						
1.	घरेलू	2423	2762	3053	2678	14.0	10.5
2.	वाणिज्यिक/उद्योग	635	654	736	624	3.0	12.5
3.	अन्य	55	18	60	50	-67.3	233.3
	योग (1 + 2 + 3)	3113	3434	3849	3352	10.3	12.1
	नेफ्था						
1.	उर्वरक	2172	2495	2669	1953	14.9	7.0
2.	पेट्रोरसायन	1013	831	959	967	-18.0	15.4
3.	अन्य	6	74	41	30	1133.3	-44.6
	योग (1 + 2 + 3)	3191	3400	3669	2950	6.5	7.9
	एच एस डी ओ						
1.	परिवहन	23059	24742	28034	24348	7.3	13.3
2.	वानिकी/खाद्य	494	621	789	446	25.7	27.1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	विद्युत उत्पादन (उपयोगिताएं)	115	229	167	157	99.1	-27.1
4.	उद्योग	1512	1783	2386	2087	17.9	33.8
5.	विविध सेवाएं	698	886	878	719	26.9	-0.9
	योग (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	25878	28261	32254	27757	9.2	14.1

*अनंतिम

प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार खपत

(मात्र —"000" टन)

	क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97* (अप्रैल-जनवरी)	विकास दर (प्रतिशत) 1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
				एल डी ओ (नियमित)			
1.	परिवहन	82	83	272	191	1.2	227.7
2..	वानिकी/खाद्य	36	35	41	28	-2.8	17.1
3.	विद्युत उत्पादन (उपयोगिताएं)	182	165	166	148	-9.3	0.6
4.	उद्योग	625	641	700	513	2.6	9.2
5.	विविध सेवाएं	437	441	128	93	0.9	-71.0
	योग (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1362	1365	1307	973	0.2	-4.2
				एफ ओ (नियमित)			
1.	परिवहन	405	440	321	236	8.6	-27.0
2.	वानिकी/खाद्य	186	188	214	199	1.1	13.8
3.	विद्युत उत्पादन (उपयोगिताएं)	490	580	720	618	18.4	24.1
4.	उद्योग	3,603	3944	4836	3693	9.5	22.6
5.	विविध सेवाएं	342	685	405	322	100.3	-40.9
	योग (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5026	5837	6496	5068	16.1	11.3
				एल एस एच एस/एच एच एस			
1.	परिवहन	12	2	3	3	-83.3	50.0
2.	वानिकी/खाद्य	40	27	32	20	-32.5	18.5
3.	विद्युत उत्पादन (उपयोगिताएं)	1676	1624	1747	1340	-3.1	7.6
4.	उद्योग	2366	2258	2246	1962	-4.6	-0.5
5.	विविध सेवाएं	72	141	161	138	95.8	14.2
	योग (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4166	4052	4189	3463	-2.7	3.4

*अनंतिम

[अनुवाद]

प्रतिभा पलायन

***549. श्री सिद्दया कोटा :**

श्री एल॰ रमना :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के मध्यम स्तर के और अनुभवी कार्मिकों के विदेशों और गैर-सरकारी संगठनों में चले जाने के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने कार्मिकों ने त्याग पत्र दिया; और

(ग) इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कार्यक्रमों और गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस दृष्टि से इस प्रकार रिक्त होने वाले पदों को भरे जाने संबंधी स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का पलायन कोई सर्वथा नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी लोगों ने त्यागपत्र दिए हैं। फिर भी, पिछले कुछ समय से संगठन छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। संगठन छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों ने व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख किया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान त्यागपत्र देने वाले वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की संख्या निम्न प्रकार है :

1994	—	59
1995	—	114
1996	—	142

(ग) इस प्रतिभा-पलायन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में बेहतर आवास की सुविधाएं प्रदान करना, अग्रेतर अध्ययनों सहित शैक्षणिक तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों के लिए अधिक अवसरों को प्रदान करना, वैज्ञानिकों और उद्योग के बीच अंतरापृष्ठ में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार रिक्त होने वाले पदों को कार्यक्रम-संबंधी आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर भरा जा रहा है।

महात्मा गांधी के कागजात की नीलामी

***550. श्री शिवानंद एच॰ कौजलगी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-ब्रिटेन संसदीय मंच के संयोजक द्वारा नवम्बर, 1995 में ब्रिटेन के "हाउस ऑफ कामन्स" में उठाए गए इस प्रश्न की फिलिप्स नीलामी-कर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी के कागजात की नीलामी पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा इन्हें महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए "नवजीवन न्यास" को लौटाया जाए, जैसा कि दिनांक 9.11.96 के "हिन्दू" में रिपोर्ट किया गया है, की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नवजीवन न्यास को लौटाने हेतु इन बहुमूल्य कागजात को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

***551. श्री पवन दीवान :**

डॉ॰ रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार देश पर देशवार तथा एजेंसीवार कितना विदेशी ऋण है;

(ख) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार देश पर प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1997 तक प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज चुकाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने देश पर विदेशी ऋण भारत को कम करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) अद्यतन उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 31 मार्च, 1996 को बकाया विदेशी ऋण 92.2 बिलियन अमरीकी डालर था। बहुपक्षीय (अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष सहित) अभिकरणों और द्विपक्षीय (रुपए में मूल्यवर्गित ऋण सहित द्विपक्षीय सरकारों और सरकारी अभिकरणों से) अभिकरणों का हिस्सा कुल ऋण का क्रमशः 30.9 बिलियन अमरीकी डालर और 26.9 बिलियन अमरीकी डालर था। शेष 34.4 बिलियन अमरीकी डालर अन्य स्रोतों (जैसे वाणिज्यिक, निर्यात ऋण और अल्पकालिक सहित अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों) से था।

कुल विदेशी ऋण की मात्रा मूल देश द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसे घटक हैं उदाहरणार्थ बहुपक्षीय जो कि पारिभाषित रूप में द्विपक्षीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बांड धारिताओं के निवेशक अनेक देशों में फैले हुए होते हैं। एक्सचेंजों में लेन-देन करने पर ये बांड भी एक हाथ से दूसरे हाथ में चले जाते हैं।

(ख) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 1995-96 में प्रतिव्यक्ति विदेशी ऋण 100.7 अमरीकी डालर था।

(ग) 31 मार्च, 1997 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान निम्नानुसार है :

	1994-95	1995-96	1996-97* (मिलियन अमरीकी डालर)
ब्याज भुगतान	4099	4315	4719

*अनंतिम अनुमान

(घ) और (ङ) सरकार एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन नीति का अनुसरण कर ही है, जिसकी मुख्य विशेषताओं में निर्यात की उच्च वृद्धि दर को लगातार बनाए रखना, गैर-ऋण सृजक पूंजी अन्तः प्रवाहों को प्रोत्साहित करना तथा परिपक्वता संरचना के साथ-साथ विदेशी ऋण की कुल धनराशि को विवेकपूर्ण सीमाओं में बनाए रखना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद से ऋण का अनुपात 1991-92 में 41.0 प्रतिशत के उच्चस्तर से घटकर 1995-96 में 28.7 प्रतिशत हो गया है।

[अनुवाद]

श्रमिकों के लिए योजना

***552. श्री चमन लाल गुप्त :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तथा देश के अन्य भागों के निर्धन लोग बड़ी संख्या में जम्मू और कश्मीर में श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उनकी समस्याओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1996 तथा वर्तमान में इन श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(च) क्या संघ स्तर पर इन श्रमिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन देने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ङ) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(क) और (ख) सरकार ने अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है जिसका उद्देश्य ऐसे प्रवासी कामगारों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है जिन्हें दूसरे राज्य के प्रतिष्ठान में कार्य करने के लिए किसी ठेकेदार के माध्यम से अथवा उसके द्वारा भर्ती किया जाता है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ नियोजक के पंजीकरण और ठेकेदार के लिए लाइसेंस दिए जाने, कामगारों के लिए पास बुक जारी किए जाने, स्थानीय श्रमिकों को सदिय दर पर ही मजदूरी की अदायगी किए जाने, विस्थापन भत्ता, यात्रा भत्ता का भुगतान किए जाने, उपयुक्त रिहायशी आवास, चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाए जाने, संरक्षात्मक कपड़ों तथा घातक दुर्घटनाओं की सूचना दिए जाने आदि का प्रावधान है।

(ग) अप्रैल, 1994 में जम्मू और कश्मीर से 9949 प्रवासी श्रमिकों की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें से अधिकांश उड़ीसा, बिहार और राजस्थान राज्यों के हैं।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (1987-91) ने अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगारों की समस्याओं को प्रकृति, परिणाम और प्रबलता, उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति तथा प्रवास के लिए उत्तरदायी कारकों को समझने एवं अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के कार्यान्वयन के संबंध में जांच-पड़ताल करने के उद्देश्य से एक प्रवासी श्रमिक अध्ययन दल का गठन किया था।

ठेका श्रमिक

***553. श्री येल्लैया नंदी :**

डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर, 1995 में ठेका श्रमिक के संबंध में कोई निर्णय दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय में किन महत्त्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने ठेका श्रमिकों के लिए मुख्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, आकस्मिक छुट्टी, कैंटीन, बीमा तथा उनकी मृत्यु की स्थिति में उनको मुआवजा आदि देने जैसे विषयों का कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) और (ख) गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थर्मल पावर स्टेशन इकाई गुजरात बनाम हिन्द मजदूर सभा और अन्य के मामले में ठेका श्रम के संबंध में उच्चतम न्यायालय का दिनांक 9 मई, 1995 का निर्णय सितंबर, 1995 में 'आल इंडिया रिपोर्टर' में प्रकाशित हुआ है। निर्णय में वर्णित महत्त्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं :—

1. अधिनियम की धारा 10 में यह निर्धारण किए जाने का प्रावधान नहीं है कि यदि समुचित सरकार द्वारा उस धारा के अंतर्गत ठेका श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध किए जाने संबंधी अधिसूचना एक बार जारी कर दी जाती है तो पूर्व ठेकेदार के कामगार की स्थिति क्या होगी।

2. यदि संविदा समाप्त कर दी जाती है तो कामगार बुरी स्थिति में फंस जाते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में न तो ठेकेदार द्वारा उन्हें नियोजित किया जा सकता है, न उन्हें प्रधान नियोजक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में नियोजित करने का नियोजक पर ही कोई दायित्व है।

3. यद्यपि विधान का उद्देश्य हितकारी है, फिर भी इसमें संविदा को समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् संबंधित कामगारों के लिए किसी राहत का प्रावधान नहीं है।

4. ठेका श्रम के उन्मूलन पर मूल प्रतिष्ठान में विद्यमान ठेका श्रमिकों को स्वतः खपाए जाने का प्रावधान न किए जाने के संबंध में विधान का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

5. तथापि, कानून में ऐसी खामी अथवा चूक द्वारा औद्योगिक अधिनिर्णायक को निरुद्ध नहीं किया जा सकता।

6. औद्योगिक अधिनिर्णायक के पास संविदात्मक संबंध में परिवर्तन करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच नई संविदाएं किए जाने का क्षेत्राधिकार है।

7. उन सभी मामलों में, जिनमें ठेका श्रम का उन्मूलन किया जाता है, औद्योगिक अधिनिर्णायक, मामले के तथ्यों के आधार पर, पूर्व ठेकेदार के ऐसे कामगारों को खपाने और समक्ष संगत सामग्री के आधार पर ऐसी अवधियां निर्धारित करने के लिए प्रधान नियोजक को निर्देश देने के लिए प्राधिकारी होगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ ये भी सिफ़ारिशें की कि :—

(क) अधिनियम की धारा 10(2) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित कारकों को पूरा करने वाली किसी प्रक्रिया, प्रचालन या कार्य में ठेका श्रम पद्धति को नियोजित करने वाले सभी उपक्रमों को स्वयं ठेका श्रम बंद कर देना चाहिए और उतने श्रमिकों को, जितने संभव हों, अपने मूल कर्मचारियों के रूप में, अन्तर्लीन कर लेना चाहिए।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों को ऐसे प्रतिष्ठानों जिनमें ठेका श्रम नियोजित है, और जहां, अधिनियम की धारा 10(2) के खण्ड (क) से (घ) में दिए गए मानदण्डों के आधार पर ठेका श्रम पद्धति को समाप्त किया जा सकता है और ठेका श्रमिकों को सीधा रोजगार दिया जा सकता है, उनकी छानबीन करने के लिए समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। समुचित सरकार को अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम को समाप्त करने के लिए स्वयं पहल करनी चाहिए।

(ग) जब समुचित सरकार द्वारा ठेका श्रम समाप्त किया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार को अधिनियम में पूर्व ठेकेदार के कर्मकारों को प्रधान प्रतिष्ठान में सीधे रोजगार के प्रश्न को औद्योगिक न्याय-निर्णायक के समक्ष संदर्भित किए जाने के संबंध में एक समुचित उपबंध को समाविष्ट करते हुए अधिनियम में संशोधन करना चाहिए।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो कार्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ठेका श्रम के संबंध में समय-समय पर सर्वेक्षण करता है। अभी तक 39 ऐसे सर्वेक्षण कराए गए हैं, जिनमें से 38 सर्वेक्षणों को रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया है। ये सर्वेक्षण 1956-57 में शुरू किए गए जिनमें से एक लौह अयस्क खानों में ठेका श्रम से संबंधित था। इन सर्वेक्षणों में अन्यों के साथ-साथ ठेका श्रम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाता है :—

1. कार्य के घंटे
2. विश्राम
3. रात्रि पाली कार्य
4. वेतन सहित छुट्टी और अवकाश
5. आवासीय स्थल
6. दुर्घटना के लिए मुआवजा
7. प्रसूति लाभ
8. भविष्य निधि
9. उपदान और पेंशन योजना
10. व्यवसाय संघवाद और शिकायत निवारण तंत्र
11. सफाई व्यवस्था
12. धुलाई सुविधा
13. प्रथमोपचार पेटी

ये सर्वेक्षण रिपोर्टें सरकार के लिए ठेका श्रम के क्षेत्र में नीति निर्माण और विधान बनाने के लिए सूचनापरक और उपयोगी हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

***554. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**

श्री सुरेश प्रभु :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा किन परिस्थितियों के कारण मूल्य में वृद्धि की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बार-बार वृद्धि न की जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य सरकार द्वारा तेल पूल खाता व्यवस्था के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं। तेल पूल खाते स्वतः संतुलित समझे जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया कि 31.03.96 तक तेल कम्पनियों की संचयी बकाया राशि 5700 करोड़ रुपए होगी। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने, रुपए-डालर की विनिमय दर में अंतर, रेल भाड़े में वृद्धि होने और 1996-97 के वित्त विधेयक में घोषित सीमा और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन होने के कारण पूल खाता अक्टूबर, 1996 में बुरी तरह प्रभावित हुआ। 31.03.97 तक पूल लेखे से तेल कम्पनियों की संचयी बकाया राशि 15,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और यदि सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं, तो 31.03.98 तक इसके 24,500 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

इस बढ़ते हुए बकाए के कारण तेल कम्पनियां घोर नकदी संकट का अनुभव कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें बड़ी राशियों के उधार लेने पड़ रहे हैं, और इन राशियों के 31.03.97 तक 23,000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

तेल पूल खाते की सतत् आधार पर निगरानी की जा रही है और

सरकार तेल पूल खाते में घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है।

पेट्रोलियम उत्पाद

***555. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड का विचार मौजूदा तेल तथा गैस क्षेत्रों के उत्पादन में कमी के कारण तेल उत्पादन पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने हेतु नए हाइड्रोकार्बोनिक भण्डारों का पता लगाने के लिए गहरे पानी में तेल की खोज कार्य बढ़ाने के लिए कोई प्रमुख कार्यक्रम आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या गहरे पानी में तेल की खोज संबंधी प्रौद्योगिकी पर दो दिवसीय सम्मेलन मार्च, 1997 में हुआ था;

(ग) सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या किन्हीं क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा;

(च) इन परियोजनाओं पर आरंभ में कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

(छ) वर्ष 1997 के दौरान किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा; और

(ज) इस कार्य में कितनी विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां। ओ एन जी सी ने गहरे जल में अन्वेषण करने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्मेलन में गहरे जल में अन्वेषण की लागत में अत्यधिक कमी करने के लिए अब उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकीय विकल्पों पर चर्चा की गई।

(घ), (ङ) और (छ) केरल-कोंकण अपतट में दो स्थानों और कावेरी और कृष्णा-गोदावरी अपतट में एक-एक स्थान का पता लगाया गया है। केरल-कोंकण में वेधन दिसंबर, 1997 में आरम्भ होने की संभावना है।

(च) 1997-98 में वेधन और वेधनपोत के उन्नयन पर होने वाला अनुमानित व्यय 82 करोड़ रुपए है।

(ज) ओ एन जी सी गहरे जल में वेधन के क्षेत्र में विश्वविख्यात कंपनियों की सेवाएं किराए पर प्राप्त कर सकता है।

राजस्व वसूली में कमी

***556. श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान उत्पाद तथा सीमा शुल्क के रूप में होने वाली राजस्व वसूली में कमी हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तस्करी संबंधी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उत्पाद तथा सीमा शुल्क विभाग में वरिष्ठ/शीर्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती में व्याप्त कदाचार ही प्रमुख रूप से इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है;

(घ) क्या पक्षपात को कम करने हेतु कार्यनिष्पादन आधारित तैनाती संबंधी नीति लागू की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जहां तक राजस्व वसूली का संबंध है, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व और सीमा शुल्क राजस्व दोनों की राशि वर्ष 1995-96 में प्राप्त राशि की तुलना में अधिक रही है किन्तु वर्ष 1996-97 के लिए निर्धारित संशोधित बजट अनुमानों की तुलना में सीमाशुल्क के संबंध में कुछ कमी हुई है।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह पता चले कि तस्करी की गतिविधियों में कोई वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क दोनों ही पक्षों में वरिष्ठ/उच्च स्तरीय अधिकारियों की तैनातियां/स्थानांतरण विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की तैनाती/स्थानांतरण संबंधी निर्धारित नीति विषयक मार्ग निर्देशक सिद्धांतों का पालन करते हुए और प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा इसके साथ ही कुछेक विशिष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लक्षित समूह

***557. श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी;

(ख) क्या सरकार अब अपने मूल विचार से हट गई है और उसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी कुल ऋण राशि का 60 प्रतिशत गैर-लक्षित समूह को प्रदान करने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों से की गई थी :—

1. बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता का विशेषकर ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना जहां पर अभी तक बैंक नहीं है;

2. समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना;

3. ग्रामीण बचतें जुटाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक क्रिया-कलापों में सहायता देने के लिए उन्हें सरलीकृत करना;

4. केन्द्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रवाह हेतु पूरक माध्यम सृजित करना;

5. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना; तथा

6. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पहुंचाने की लागत को कम करना।

यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन उद्देश्यों को पूरा करते हैं तो उनके कार्यों का निरंतर अर्थक्षम बना रहना जरूरी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा ग्रामीण क्षेत्र को पर्याप्त एवं सतत् ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के संदर्भ में, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों की अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज दरों को अविनियमित करना, विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना, बैंक विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करना, सेवा क्षेत्र को बढ़ाना तथा गैर-लक्ष्य समूहों को उनके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उनके नए ऋणों का 60% तक वित्तपोषित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यह निर्धारित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अग्रिम राशियां उनके बकाया अग्रिम राशियों का 40% होना चाहिए, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में होता है। 40% के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत, समाज के कमजोर वर्गों को दी गई अग्रिम राशियां अग्रिम क्षेत्र की राशियों का 25% (कुल बकाया अग्रिम राशियों का 10%) होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण संबंधी कार्य प्रभावी बनेंगे और साथ ही वाणिज्यिक बैंकों के साथ ऋण संबंधी दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित होगी। इन नीतिगत परिवर्तनों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्तरीय कार्य क्षेत्र प्राप्त होगा जिससे वे अर्थक्षम एवं सतत् तरीके से अपने कार्यों को पूरा कर सकें।

अर्थोपाय अग्रिम

***558. श्री अन्ना साहिब एम॰ के॰ पाटिल :**

डॉ॰ सी॰ सिल्वेरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों की वर्तमान प्रणाली के व्यापक पुनर्गठन/फेरबदल पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों/प्रस्तावित निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी ऋणों पर अंकुश लगाने के लिए अन्य प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक योजना में निर्धारित सीमा के भीतर बाजार ऋण तथा पारस्परिक बातचीत से तय ऋण लेने की अनुमति है। किसी भी प्रकार का ऋण लेने के लिए उन्हें अनुच्छेद 283 के तहत भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। भारत सरकार ऋणेत्तर प्राप्तियों को बढ़ाने और व्यय पर नियंत्रण के अपने प्रयासों द्वारा वित्तीय घाटे को कम करते हुए उधार स्तर को सीमित बनाए रखने के प्रयास करती है।

जल विद्युत परियोजनाएं

***559. श्री सत महाजन :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी और कौन-कौन-सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं;

(ख) क्या कुछ विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के मार्ग में कुछ अड़चनें हैं;

(ग) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन अड़चनों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकरी तथा चमेरा-2 विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) से (ग) देश में इस समय 74 जल विद्युत परियोजनाएं (3 मे॰ वा॰ से अधिक) क्रियान्वयनाधीन हैं। परियोजनावार ब्यौरा और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुए विलंब के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर जिन घटकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इनमें निधियों संबंधी बाधाएं पर्यावरणीय एवं पुनर्वास पहलू, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या, भौगोलिक समस्याएं आदि शामिल हैं।

(घ) कुछ जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

केन्द्रीय क्षेत्र के निगमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निबल बजटीय सहायता (एनबीएस) की राशि जो कि 1996-97 में 533 करोड़ रुपए थी इसमें पर्याप्त वृद्धि करके 1997-98 के लिए यह राशि 866 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं नामशः टिहरी, दुलहस्ती, उरी, रंगीत और कोपिली के लिए 1997-98 के बजट में 617 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं और यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए 1.1.1997 अथवा इसके पश्चात् चालू की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं हेतु जनवरी, 1995 में एक प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी समेत जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु प्रस्ताव सुझाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने श्री एम॰ के॰ सांबामूर्ति की अध्यक्षता में 26 अगस्त, 1996 को एक समिति का गठन किया

था। समिति ने 27 मार्च, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जल विद्युत के विकास हेतु राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते समय समिति की सिफारिशों को इस नीति में समाहित कर लिया जाएगा।

(ङ) नाथपा-झाकरी जल विद्युत परियोजना (6 × 250 = 1500 मे० वा०) हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन है। परियोजना के सिविल कार्य प्रगति पर हैं और अधिकांश उपस्करों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। वर्तमान सूचना के अनुसार परियोजना को मार्च, 2002 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

हिमाचल प्रदेश में चमेरा चरण-2 परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) को सौंपा गया है। निदेश संबंधी अनुमोदन हेतु परियोजना पर कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

स्वीकृत जल विद्युत स्कीमें

(क्षमता अभी जोड़ी जानी है)

सार

(15.4.97 के अनुसार)

क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र (मे०वा०) (परियोजना की संख्या)	राज्य क्षेत्र (मे०वा०) (परियोजना की संख्या)	निजी क्षेत्र (मे०वा०) (परियोजना की संख्या)	जोड़ (परियोजना की संख्या)
उत्तरी	3170 (4)	1930 (10)	1273 (6)	6373 (20)
पश्चिमी	शून्य	4455 (11)	490 (2)	4945 (13)
दक्षिणी	शून्य	2475 (20)	8 (1)	2483 (21)
पूर्वी	770 (2)	1835.50 (11)	शून्य	2605.50 (13)
उत्तर-पूर्वी	480 (2)	159 (5)	शून्य	639 (7)
जोड़	4420 (8)	10854.50 (57)	1771 (9)	17045.50 (74)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्रियान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम/ राज्य/अधिष्ठापित क्षमता (मे० वा०) अनुमोदन की तिथि	चालू किए जाने का मूल/नवीनतम कार्यक्रम	विलंब के कारण
1	2	3	4
क.	**केन्द्रीय**		
1.	नाथपा-झाकड़ी (एनजेपीसी) हि० प्र०/6 × 250 5.4.89	1995-97 / 2001-02	सिविल कार्यों संबंधित ठेके प्रदान करने में विलंब। ठेकेदारों द्वारा असंतोषजनक कार्य निष्पादन।
2.	दुलहस्ती (एनएचपीसी) जे. एंड. के./3 × 130 12.7.89 (द्विपक्षीय)	1994-95 / 2000-01	एचआरटी में भौगोलिक समस्याएं। कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं जिनके कारण संविदात्मक समस्याएं उत्पन्न हुईं।

1	2	3	4
3.	टिहरी चरण-I (टीएचडीसी) उ.प्र./4 × 250 2.6.72 (4 × 150 मे.वा. के लिए) पी.आई.बी. 23.1.92	1981-82 2000-01	वृहत् कार्यों में ठेके देने में वित्तीय समस्याएं। विस्थापितों का पुनर्वास। उत्तराखंड आन्दोलन।
4.	धौली गंगा-I (एनएचपीसी) 8.4.91	1998-99 2004-05	निधियों की समस्या।
5.	कोयल-कारो (एनएचपीसी) बिहार/4 × 172.5 + 1 × 20 14.11.91	1999-2000 2004-05	भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास निधियों की कमी।
6.	रंगीत-3 (एनएचपीसी) सिक्किम/3 × 20 17.4.90	1994-95 1998-99	देश में संशोधन पर संविदाकार के साथ विवाद के कारण सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
7.	रंगानदी (नीपको) अरुणाचल प्रदेश/3 × 135 11.8.86 4/87 (सीसीईए)	1994-95 1998-99	सुरंगीकरण उपस्कर के निर्माण में विलंब। पावरहाऊस और बांध के प्रमुख कार्यों को प्रदान करने में विलंब। निधियों की समस्याएं कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या क्षमता एवं अन्य मानदंडों में परिवर्तन। भूमि अधिग्रहण में विलंब।
8.	दोयांग (नीपको)	1994-95 1997-98	निधियों की समस्या। संविदा की विफलता। बांध की संविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब।
ख.	**राज्य क्षेत्र** **उत्तरी क्षेत्र**		
9.	धानवी हि. प्र./3 × 7.5 15.12.87	1994-95 1999-2000	पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति पहले प्राप्त कर ली गई है। परियोजना को शीघ्र ही आरंभ किए जाने की आशा है।
10.	लारजी हि.प्र./3 × 42 30.3.87	1990-92 10वीं योजना	विदेशी/स्वदेशी एजेंसियों से निधियों को सुनिश्चित करना। निधियों की समस्याएं।
11.	अपर सिंध-2 (क) जे. एंड के./2 × 35 22.11.83	1988-89 1998-99	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। मै. टीएसएल के साथ विवाद तथा पैनस्टॉक के गठन के लिए नई एजेंसी का निर्धारण।
II.	अपर सिंध विस्तार जे. एंड के./1 × 35 20.6.89	1993-94	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या।
12.	कृष्णगंगा जे. एंड के./3 × 110	2006-07 2006-07	
13.	सेवा एसटी-3 ले. एंड के./3 × 3	1997-98 1997-98	
14.	चेनानी चरण-3 जे. एंड के./3 × 2.5	1997-98 1997-98	

1	2	3	4
15.	रंजीत सागर पंजाब/4 × 150 26.5.86	1991-93 1998-99	भूमि अधिग्रहण। वन स्वीकृति। सितंबर, 88 में बाढ़, बेल्ट कनवेयर सिस्टम को लगाए जाने में विलंब के कारण बांध की भराई की धीमी प्रगति।
16.	सोबला उ॰ प्र॰/2 × 3 3.10.88	1993-94 1997-98	जनवरी, 93 और पुन: अगस्त, 94 में प्राकृतिक विपदाओं के कारण विलंब।
17.	लखवार व्यासी उ॰ प्र॰/3 × 100 + 2 × 60 जनवरी, 1976	1989-90 9वीं योजना से आगे	निधियों संबंधी समस्याओं के कारण धीमी प्रगति।
18.	मनेरी भाली-2 उ॰ प्र॰/4 × 76 27.1.81	1989-90 2001-02	निधियों संबंधी समस्याएं।
पश्चिमी क्षेत्र			
19.	कदाना पीएसएस विस्तार गुजरात/2 × 60 26.6.72	1985-86 1995-98	यूनिट का उत्थापन
20.	सरदार सरोवर गुज॰/म॰प्र॰/महाराष्ट्र (6 × 200 + 5 × 50) (16:57:27 के अनुपात में गुज॰/म॰प्र॰/महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना)	1994-96 1998-2002	प्रमुख बांध की ऊंचाई को 110 मीटर तक उठाए जाने के लिए निर्माण। पावरहाऊस गुफा में दरारों की रोकथाम/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समस्याएं। विश्व बैंक में ओईसीएफ सहायता का उपलब्ध न होना।
21.	बाणसागर टोन्स चरण-2 और 3 (म॰ प्र॰) 2 × 15 + 2 × 20 31.7.92	1989-91 2000-01	बाणसागर बांध के विस्थापितों की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी समस्याएं, निधियों की समस्याएं।
22.	बाणसागर टोन्स चरण-4 म॰ प्र॰/2 × 10	1996-97 2001-02	बाणसागर बांध के विस्थापितों की आर एंड आर समस्या। क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण।
23.	इंदिरा सागर (नर्मदा सागर)	1997-2000 2000-06 (दो यूनिटें 9वीं योजना में)	आर एंड आर समस्या। परियोजना वित्त।
24.	इंदिरा सरोवर (बोधघाट) म॰ प्र॰/4 × 125	1989-91 2006-07	एमओईएफ स्वीकृति।
25.	राजघाट उ॰ प्र॰/म॰ प्र॰/3 × 15 50:50 के अनुपात में उ॰ प्र॰/म॰ प्र॰ की संयुक्त परियोजना) 1.8.91	1995-96 1998-99	नकदी संबंधी (यूपीएसईबी) भुगतान न करना।

1	2	3	4
26.	वारना महा॰/2 × 8 14.7.86	1989-90 1997-98	पावरहाऊस सिविल कार्यों तथा यूनिटों के लिए उत्थापन में विलंब।
27.	कोयना चरण-4 महा॰/4 × 250 4.8.89	1995-96 1998-99	टीजी सेटों का आर्डर देने तथा पीएच सिविल कार्यों में विलंब
28.	दूधगंगा महा॰/2 × 12 26.4.88	1990-92 1997-99	पीएच सिविल कार्यों तथा यूनिटों के उत्थापन में विलंब।
29.	घाटघर पीएसएस महा॰/2 × 125 11.8.92	9वीं योजना 2001-03	राज्य सरकार द्वारा निम्न प्राथमिकता।
दक्षिणी क्षेत्र			
30.	श्री सेलम एलबीपीएच आ॰ प्र॰/6 × 150 1.9.86	1993-95 1999-2002	सिविल कार्यों को प्रदान करने में विलंब संविदाकार द्वारा दरों में परिवर्तन के कारण एचआरटी और टीआरटी के सिविल कार्यों में विलंब। संविदाकार द्वारा फरवरी, 95 से अगस्त, 95 तक हड़ताल।
31.	सिंगूर आ॰ प्र॰/2 × 7.5 15.5.93	1993-94 1997-98	सिविल कार्यों को प्रदान करने में विलंब नकदी संबंधी समस्याएं।
32.	बालीमेला में आ॰ प्र॰ आ॰ प्र॰ पावर हाऊस आ॰प्र॰/2 × 30 26.2.77	1982-83 2001-02	उड़ीसा सरकार द्वारा विस्फोट कार्य किए जाने हेतु लाइसेंस जारी करने की वजह से विद्युत गृह की खुदाई में विलंब।
33.	दांडेली कर्ना॰/2 × 30 14.5.80	1987-88 9वीं योजना से आगे	वन स्वीकृति।
34.	कालीनदी चरण-2	1987-88	विश्व बैंक ऋण करार के निर्धारण में विलंब विश्व बैंक ऋण का रद्द होना। यूनिटों के उत्थापन में विलंब। पुनर्वास कार्य हेतु भूमि के विपथन में विलंब। नकदी संबंधी समस्या। पावरहाऊस, बांध सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
35.	बृन्दावन कर्ना॰/2 × 6 10.4.90	1993-94 1999-2000	नहर की दरारों के मरम्मत कार्यों के पूरा न होने की वजह से कार्यों के आरंभ करने में विलंब।
36.	भद्रा-आरबीसी (अतिरिक्त यूनिट) कर्नाटक/1 × 6 10.4.90	1993-94 1998-99	नहर की दरारों के मरम्मत कार्यों के पूरा न होने की वजह से कार्यों के आरंभ करने में विलंब।

1	2	3	4
37.	शरावती टी॰ आर॰ कर्ना॰/4 × 60 6.5.87	1993-94 1998-2001	विश्व बैंक ऋण का रद्द होना। एमओईएफ स्वीकृति जारी न होने के कारण कार्यों का स्थगन।
38.	बेड़थी (गंगावली) कर्ना॰/2 × 105 2.4.79	1985-86 9वीं योजना से आगे	एमओईएफ स्वीकृति।
39.	लोअर पेरियार कर्ना॰/3 × 60 3.2.83	1990-91 1996-98	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति/मई/जून 91 से अक्तूबर, 93 तक कार्यों का स्थगन। एनएचपीसी संविदाओं का रद्द होना।
40.	मालनकारा (मुवाथूपुजा) केरल/3 × 3.5 अगस्त, 1986 (2 × 3.5 मे॰ वा॰ के लिए)	1990-91 1999-2000	सिविल कार्यों में विलंब। क्षमता में परिवर्तन।
41.	काक्कड़	1980-81	सिविल कार्यों के प्रारंभ में विलंब। बारंबार मजदूरों की हड़ताल। 10/92 को अग्नि दुर्घटना। अक्तूबर तथा नवंबर, 92 में बरसातों के कारण विद्युत गृह में पानी भरना। 9/95 से 11/92 तक पावर आईसी टनल संविदाकार द्वारा हड़ताल।
42.	पोरिंगलकुथु एलबी विस्तार केरल/1 × 16 9.5.89	1994-95 1997-98	पीएच सिविल कार्यों तथा टीजी उपस्करों के उत्थापन में विलंब।
43.	कुटियाडी विस्तार	1996-97	परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्णय लेने में केएसईबी द्वारा विलंब।
44.	पयानकुट्टी केरल/2 × 120 21.8.96	8वीं योजना 9वीं योजना से आगे	वन स्वीकृति।
45.	लोअर भवानी बांध तमिलनाडु/2 × 4 आरबीसी 15.4.88	1991-92 1997-98	पीएच सिविल कार्यों तथा टीजी सेटों को प्रदान करने में विलंब।
46.	शतनूर बांध टी॰ एन॰/1 × 7.5 15.04.88	1991-92 1997-98	पीएच सिविल कार्यों तथा टीजी सेटों का ठेका देने में विलंब।
47.	पारसन वैली (कुण्डाह-5 विस्तार) टी॰एन॰/1 × 30	9वीं योजना 1999-2000	सिविल कार्य संबंधी ठेका देने में विलंब, वन स्वीकृति जारी करने में विलंब।
48.	पाइकारा अंतिम चरण टी॰एन॰/3 × 50 01.08.88	1994-95 1999-2001	टीआरटी और पहुंच-मार्ग सुरंग के कार्यों का ठेका देने में विलंब।

1	2	3	4
49.	कोलिमलाई टीएन/1 × 20 04.09.95	2000-2001 2000-2001	आधारभूत कार्य प्रगति पर है।
पूर्वी क्षेत्र			
50.	पूर्वी गंडक बिहार/3 × 5 09.06.83	1987-88 (यू-I और II संगठित) 1997-98 (यूनिट-3)	निधियों की कमी। सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ठेकेदारों का विवाद।
51.	चांदिल बिहार/2 × 4 14.04.87	1990-91 1998-99	निधियों की समस्याएं। पीएच सिविल कार्यों की धीमीगति। उत्पादन संबंधी ठेका।
52.	उत्तरी कोल बिहार/2 × 12 10.03.84	1987-88	टीआरटी और विद्युत गृह के सिविल कार्यों में विलंब। नकदी की कम उपलब्धता।
53.	ऊपरी इन्द्रावती उड़ीसा/4 × 150 03.05.72	1986-88 1998-2000	सिविल कार्यों का कार्यनिष्पादन न करना। विश्व बैंक ऋण रद्द होना। 7/91 में बाढ़ के कारण कार्यों में क्षति। मुरान बांध और एचआरटी के शेष कार्यों को देर से प्रदान करना।
54.	पोत्तेरू उड़ीसा/1 × 3 + 1 × 3 30.07.84	1989-90	भूमि अधिग्रहण में विलंब। वन स्वीकृति। पीएच कार्यों में संविदात्मक समस्या। निमंत्रण पैनल में हानि। संविदाकार द्वारा धीमी प्रगति।
55.	बलीमेला विस्तार उड़ीसा/2 × 75 18.03.92		विश्व बैंक-ऋण का रद्द होना। कार्यों की धीमी प्रगति।
56.	बरगढ़ कनाल उड़ीसा/3 × 3 19.01.93	9वीं योजना 1999-2000	क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण।
57.	रयोंग्चू सिक्किम/3 × 10 जनवरी, 1993	9वीं योजना 2001-02	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति।
58.	तीस्ता प्रपात I-I प० बंगाल/3 × 3 × 7.5 सितंबर, 1985	1989-90 1997-99	सिविल कार्यों में विलंब। स्थानीय जनता द्वारा आन्दोलन।
59.	रम्मम चरण-I प० बंगाल/3 × 12 17.03.93	9वीं योजना 10वीं योजना	कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है।
60.	पुरुलिया पीएसएस प० बंगाल/4 × 225 09.02.94	9वीं योजना 10वीं योजना	अनुमोदन के एक वर्ष पश्चात् ओईसीएफ के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर हुए।

1	2	3	4
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र			
61.	नूरांग आं० प्र०/3 × 2	1994-95 1997-98	कार्यों को प्रदान करने में विलंब सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
62.	कारबी लगंपी (लोवर बोरपानी) आसाम/2 × 50	1985-86 1999-2000	बांध कार्यों हेतु ठेकेदार को बार-बार बदलना। बांध के पूरा होने में विलंब।
63.	धनश्री आसाम/5 × 3 × 1.33 06.02.85	1988-89 1998-99	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। निधियों की समस्याएं।
64.	लिकिम-रो नागालैंड/3 × 8 18.10.89	1993-94 1999-2000	सिविल कार्यों को प्रदान करने में विलंब। सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। निधियों संबंधी समस्याएं।
65.	सेरलुई-बी मिजोरम/2 × 4.5 03.10.91	1995-96 2001-02	परियोजना कार्यों हेतु संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण विलंब।
निजी क्षेत्र			
66.	बसपा स्टेज-II हि०प्र०/3 × 100	9वीं योजना 2001-02	राज्य सरकार के साथ पीपीए न होने के कारण कार्य को रोक दिया गया।
67.	उहल I-III हि०प्र०/4 × 17.5	1994-95 2001-02	निधियों की कमी के कारण परियोजना कार्यों को पहले आरम्भ नहीं किया जा सका। निजी भागीदारी हेतु प्रस्तुत।
68.	शाहपुरकाण्डी पंजाब/2 × 40 + 2 × 40 × 8	9वीं योजना 2001-02	निधियों संबंधी समस्याएं।
69.	जखम राज०/2 × 2.5 01.10.84	1988-89 2001-02	वन स्वीकृति 7/11/94 को प्राप्त हुई परियोजना कार्यों के 1996-97 में आरम्भ होने की आशा है।
70.	विष्णु प्रयाग उ०प्र०/4 × 100 10.07.78	1984-85 9वीं योजना से पहले	क्रियान्वयन एजेंसी के निर्धारण में विलंब पर्यावरण एवं वन स्वीकृति। अधिष्ठापित क्षमता का संशोधन।
71.	श्रीनगर उ०प्र०/5 × 66 18.04.86	1991-92 9वीं योजना से पहले	विश्व बैंक ऋण के रद्द होने के कारण निधियों की समस्या। भूमि अधिग्रहण समस्या।
72.	अनाक्कम केरल/2 × 4. 26.02.91	1994-95 1999-2000	परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्णय लेने में केएसईबी द्वारा विलंब। कार्य को आरंभ करने में विलंब।
73.	महेश्वर* म०प्र०/10 × 40 12.11.93 (के०वि०प्रा० की स्वीकृति)	9वीं योजना 2001-04 (4 यूनिटें 9वीं योजना में)	क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण।

1	2	3	4
74.	भीवपुरी पीएसएस* महा०/1 × 90 13.05.91 (सीईए की स्वीकृति)	9वीं योजना	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रीब्यूनल अवार्ड।

* निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं।

लोकल एरिया बैंक

***560. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लोकल एरिया बैंकों की स्थापना से सहकारी कृषि ऋण ढांचे और सहकारी तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण बैंकों के अस्थिर हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने इस निर्णय की समीक्षा करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) सरकार की यह राय है कि निजी क्षेत्र में लोकल एरिया बैंकों की स्थापना इसलिए की गई है कि धन जुटाने के अतिरिक्त, ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी ऋण अंतराल को समाप्त किया जा सके। वे ग्रामीण ऋण वितरण ढांचे में सुधार लाने के लिए सहकारी तथा अन्य ग्रामीण ऋण एजेंसियों के प्रयासों को पूरा करेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार के मामले

6010. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आज की तारीख में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन राजपत्रित/अराजपत्रित इंजीनियरों/अधिकारियों के नाम और पद क्या हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भ्रष्टाचार आरोपों का आज तक सामना कर रहे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित इंजीनियरों/कर्मचारियों के नाम और पदनाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं॰	नाम श्री/सर्व श्री	पदनाम	राजपत्रित	वर्तमान नियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	वी॰पी॰ गुप्ता	मुख्य वास्तुकार	—वही—	दिल्ली
2.	ए॰के॰ पाठक	वरिष्ठ वास्तुकार	—वही—	—वही—
3.	अशोक अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता	—वही—	राजस्थान
4.	जे॰एम॰ स्वरूप	—वही—	—वही—	चण्डीगढ़
5.	पी॰के॰ गुप्ता	—वही—	—वही—	दिल्ली
6.	एम॰के॰ बजाज	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	—वही—	—वही—
7.	रवि माथुर	—वही—	—वही—	—वही—
8.	कैलाश नायक	—वही—	—वही—	—वही—
9.	वसुदास	—वही—	—वही—	—वही—
10.	आर॰एस॰ सिंह	—वही—	—वही—	उत्तर प्रदेश
11.	एस॰एम॰ संधु	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)	—वही—	दिल्ली
12.	केदार राम	—वही—	—वही—	—वही—

1	2	3	4	5
13.	एम॰के॰ शर्मा॰	—वही—	—वही—	तमिलनाडु
14.	वी॰के॰ जम्मोलकर	—वही—	—वही—	प॰ बंगाल
15.	एस॰ पटनायक	—वही—	—वही—	दिल्ली
16.	टी॰पी॰ मेनन	—वही—	—वही—	तमिलनाडु
17.	ए॰के॰ दास	सहायक अभियन्ता (सिविल)	—वही—	प॰ बंगाल
18.	बी॰ सुब्रमन्यम	—वही—	—वही—	आंध्र प्रदेश
19.	एम॰जे॰ खब्बर	—वही—	—वही—	राजस्थान
20.	पी॰के॰ सदीन	—वही—	—वही—	दिल्ली
21.	राम प्रकाश	—वही—	—वही—	—वही—
22.	एस॰ जी॰ गोयल	—वही—	—वही—	उत्तर प्रदेश
23.	शंकर सिंह	सहायक अभियंता (सिविल)	राजपत्रित	दिल्ली
24.	थान सिंह	—वही—	—वही—	—वही—
25.	यामिन बेग	—वही—	—वही—	उत्तर प्रदेश
26.	फूल चन्द	—वही—	—वही—	दिल्ली
27.	बी॰एस॰ पन्नू	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	—वही—	हरियाणा
28.	एम॰एस॰ भल्ला	—वही—	—वही—	दिल्ली
29.	वी॰बी॰ वर्मा	—वही—	—वही—	—वही—
30.	वी॰पी॰ जैन	—वही—	—वही—	—वही—
31.	यू॰पी॰ रमैया	—वही—	—वही—	तमिलनाडु
32.	रंजित सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	अराजपत्रित	दिल्ली
33.	ए॰के॰ सिंह	—वही—	—वही—	—वही—
34.	पी॰के॰ तलवार	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	—वही—	—वही—
35.	असीन कुमार	—वही—	अराजपत्रित	—वही—
36.	जे॰पी॰ शर्मा	ड्राफ्टमैन ग्रेड-II	—वही—	—वही—
37.	ब्रह्म मांझी	एल॰डी॰सी॰	—वही—	—वही—
38.	डी॰के॰ अग्रवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	—वही—	राजस्थान
39.	जे॰के॰ मीणा	—वही—	—वही—	—वही—
40.	सी॰ पाठक	एल॰डी॰सी॰	—वही—	उत्तर प्रदेश
41.	टी॰ देवनाथन	कनिष्ठ अभियन्ता	—वही—	पांडीचेरी
42.	वी॰ वेंकटास्वामी	कार्य सहायक	—वही—	—वही—
43.	ज्वाला दास	यू॰डी॰सी॰	—वही—	पंजाब
44.	जगदीश लाल	—वही—	—वही—	एस॰ई॰ (एन्क॰)
45.	महासिंह	—वही—	—वही—	हरियाणा
46.	ए॰के॰ राय	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	—वही—	प॰ बंगाल
47.	के॰ मजूमदार	—वही—	—वही—	—वही—
48.	एस॰आर॰ मिर्धा	एल॰डी॰सी॰	—वही—	—वही—
49.	कोटेश्वरा राव	हेड क्लर्क	अराजपत्रित	आंध्र प्रदेश

अतिक्रमण

6011. श्री राम सागर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम सभा की वह भूमि जो हड़पने वालों से खाली करा ली गई थी, वह विशेषकर मुंडका, रोशनपुर, सतबाड़ी, लामपुर, बवाना तथा नबीसराय के गांवों में पुनः उनके द्वारा हड़प ली गई है;

(ख) यदि हां, तो पुनः हड़पी गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूमि को वापिस लेने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) अपर जिला मजिस्ट्रेट सह निदेशक (पंचायत) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि कुछ मामलों में गांव सभा की भूमि पर उसे अन्य विभागों को सौंपने के पश्चात् अतिक्रमण हुए हैं।

(ख) विवरण, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की सूचना है।

(i) गांव सभा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमे लड़ रही है।

(ii) गांव सभा की भूमि पर कटिदार बाड़ लगा दी गई है/लगाई जा रही है।

(iii) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 86-ए के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है और तत्पश्चात् निर्माण गिराने की कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं भी वांछित समझा जाता है पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है।

विवरण

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	अभ्युक्ति
1.	मुंडका	373	इस भूमि को कटिदार बाड़ लगाने हेतु बाढ़ विभाग को सौंपा गया है।
2.	बवाना	304	इस भूमि को बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र के निर्माण हेतु ग्रामीण विभाग को सौंपा गया है।
3.	लामपुर	85/2	दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि दो मामले सिविल जज के न्यायालय में लंबित हैं। अब मामलों की सुनवाई 15-5-97 को निर्धारित की गई है।
4.	रोशनपुरा	2/2 और 2/3	बाड़ लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
5.	सतवाड़ी	822	गांव सभा की आधी भूमि पर निकटवर्ती भू-स्वामियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिसके बाबत मुकदमे का मामला लंबित है।
6.	नेवसराय	532	आंशिक भूमि पर कटिदार बाड़ लगा दी है शेष पर जिसमें अतिक्रमण है एक मामला एस.डी.एम. हौज खास के न्यायालय में लंबित है।

परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

6012. श्री राम नाईक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमेन डॉ. ए. गोपालकृष्णन ने कुछ समाचार-पत्रों को दिए गए साक्षात्कार में भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों के सुरक्षा पहलुओं पर आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने जो कुछ कहा है, वह सच है; और

(ग) यदि हां, तो परमाणु प्रतिष्ठानों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ समाचार-पत्रों ने कुछ कथन प्रकाशित किए थे जिनमें नाभिकीय संस्थापनाओं से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित कथन भी शामिल थे, जिन्हें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के भूतपूर्व अध्यक्ष का बताया गया है।

प्रैस के विवरणों में उठाए गए मुद्दों के संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष ने स्वयं ही यह कहा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के मूल्यांकन से परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की किसी भी संस्थापना में किसी खतरनाक कमी के मौजूद होने के बारे में पता नहीं चला, जिससे उनके लगातार प्रचालन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करने की आवश्यकता हो।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की संस्थापनाओं में सुरक्षा संबंधी विनिर्देशों को मॉनिटर करने और लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक और तकनीकी तंत्र मौजूद हैं।

इस तंत्र में त्रि-स्तरीय संरचना का समावेश है जिसमें (क) प्रत्येक संरचना में यूनिट सुरक्षा समिति; (ख) चालू संयंत्रों की सुरक्षा पुनरीक्षा समिति; और (ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड शामिल हैं।

परिवार पेंशन

6013. श्री सौम्य रंजन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत कर्मचारियों की पत्नी अथवा पति/बच्चों को मृत कर्मचारियों के कोटे में नियोजित करने पर पारिवारिक पेंशन और वेतन दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन लोगों को नियोजित करने के बाद पेंशन बंद करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

सरकारी भूमि का अतिक्रमण

6014. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** सरकारी भूमि के अतिक्रमण के बारे में 11 सितंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा बिजली/पानी के कनेक्शनों का प्रावधान करने के बारे में स्थिति का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन व्यक्तियों को बिजली और पानी के कनेक्शन न देने का क्या कारण है जिन्होंने दिल्ली में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूखण्डों के आवंटितों से भूखण्ड खरीदे हैं;

(घ) क्या उन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं जिन्होंने झुग्गी-झोपड़ी वाले से, जिन्हें दिल्ली में भूखण्ड आवंटित किए गए थे, भूखण्ड खरीदे थे;

(ङ) अतिक्रमणधारियों से अन्नत राम डेरी में सरकारी भूमि रिक्त कराने के लिए भूमि कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु): (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बरामदे को कवर करना

6015. श्रीमती शीला गौतम : क्या **प्रधानमंत्री** शिकायतों के बारे में 18 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3948 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बरामदे को कवर करने के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में ठेकेदार और अभियन्ता के बीच सांठ-गांठ से घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग और वित्तीय अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या वर्ष 1996 में अपेक्षित 10 प्रतिशत भुगतान लिए बिना लक्ष्मीबाई नगर में बहुत से बरामदों को कवर किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार गैर-भुगतान योजना को इस वर्ष के लिए भी बढ़ाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) बरामदे को कवर करने के साथ सभी छोटे-मोटे कार्यों के लिए धनराशि आबंटित की जाती है। पिछले तीन वर्षों में मोटे-मोटे कार्यों के लिए आबंटित कुल धनराशि और बरामदे का कवर करने के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	छोटे-मोटे कार्यों के लिए आबंटित धनराशि (लाखों रुपए में)	बरामदे को ढकने पर खर्च की गई धनराशि (लाखों रुपए में)
1993-94	58.05	13.710
1994-95	87.65	21.945
1995-96	106.36	18.012

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

बंद पड़ी कम्पनी मैसर्स सिल्वानियां लक्ष्मण लि॰ पर वैधानिक बकाया

6016. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अप्रैल, 1996 से बंद पड़ी मैसर्स सिल्वानियां लक्ष्मण लिमिटेड, मोती नगर, नई दिल्ली की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी के कर्मचारियों को अप्रैल, 1996 से कोई वेतन नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्रबंधन को कर्मचारियों की बकाया राशि (वेतन, ग्रेचुएटी आदि) तुरंत देने तथा उनकी कठिनाइयों को कम करने का निर्देश दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स सिलवानिया एण्ड लक्ष्मण लिमिटेड, मोती नगर, नई दिल्ली के जून, 1996 में सूचित किया था कि बिजली कट जाने और कच्चे माल की उपलब्धता न होने के कारण वे अपने एक अनुभाग को नोएडा शिफ्ट कर रहे हैं। कर्मकारों से भी कहा गया था कि वे नोएडा में अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें।

यह भी सूचित किया गया था कि माह अप्रैल और मई, 1996 के लिए मजदूरी की अदायगी न किए जाने के संबंध में कम्पनी के प्रबंधन के विरुद्ध सिलवानिया और लक्ष्मण कर्मचारी संघ की ओर से 10.6.96 को एक शिकायत प्राप्त होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के श्रम विभाग ने संराधन कार्यवाही शुरू की थी और 2.7.96 को प्रबंधन और कर्मकारों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें प्रबंधन ने क्रमश: 8.7.96 और 15.7.96 तक माह अप्रैल और मई, 1996 के लिए मजदूरी की अदायगी करने की सहमति दी थी। कम्पनी के प्रबंधन ने निधियों की कमी को मजदूरी की अदायगी न किए जाने का कारण बताया है।

कर्मकारों को अप्रैल, 1996 से मजदूरी अदा नहीं की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 18.7.96 को औ॰ वि॰ अधिनियम 1947 की धारा 33-ग (1) के अधीन कर्मचारियों की माह अप्रैल और मई, 1996 की मजदूरी की वसूली करने के लिए 65,24,868.50/- रुपए का एक वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया था किन्तु इसे दिल्ली के उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका में प्रबंधन द्वारा चुनौती दी गई थी। अधिनियम की धारा 33(ग)(1) के साथ पठित धारा 25-ण(6) के अधीन 17.4.97 को जून से नवम्बर, 1996 की मजदूरी के लिए 218,74,421.70/- रु॰ हेतु एक अन्य वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

हडको सहायता

6017. श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को 522 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो 1996-97 के दौरान राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) 1996-97 में राज्य सरकार को प्रदान की गई सहायता में से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) इस धनराशि का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं चलाई जाएंगी;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोज़गार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) हडको द्वारा आवास योजनाओं के लिए क्षेत्र तथा आबादी के हिसाब से ऋण का राज्यवार नियतन किया जाता है। शहरी विकास/अवस्थापना योजनाओं के लिए राज्यवार कोई अग्रिम नियतन नहीं किया गया। ऐसी स्कीमों के लिए सहायता की मात्रा राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर निर्भर करेगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान हडको ने आंध्र प्रदेश के लिए वार्षिक नियतन का 50% अर्थात् 40.78 करोड़ रु॰ के नियतन की सूचना दी है। तथापि, पूरे साल का अन्तिम नियतन राज्यों की मांग और कार्य निष्पादन के आधार पर अलग-अलग होगा।

(ख) 1996-97 के दौरान हडको ने आवास योजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को कुल 202 करोड़ रु॰ का ऋण मंजूर किया है और 155.45 करोड़ रु॰ की राशि संवितरित की है। इसके अलावा हडको ने 29 शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए आंध्र प्रदेश को कुल 290.39 करोड़ रु॰ की ऋण राशि मंजूर की है और राज्य को 31.53 करोड़ रु॰ की राशि जारी की है।

(ग) कार्यान्वयन एजेंसियों की उपयोग रिपोर्ट हडको के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च) हडको द्वारा 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश को मंजूर की गई आवास तथा शहरी अवस्थापनाओं के ब्यौरे संकलित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

आर्सेनिक तथा फ्लोराईड का प्रदूषण

6018. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को आर्सेनिक तथा फ्लोराइड के प्रदूषण संबंधी अनुसंधान तथा विकास के लिए 4.58 करोड़ रुपए की एक परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 70 से अधिक प्रखंडों में आर्सेनिक की मात्रा प्रति लीटर अनुमानित सीमा 0.05 मिलिग्राम से अधिक पाई गई है तथा "सिलिकोसिस" की मात्रा से भी खतरा उत्पन्न हुआ है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ख) जी नहीं। तथापि ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार द्वारा राजीव गांधी पेय जल मिशन के तहत कई शोध और विकास योजनाएं मंजूर की गई हैं। ये परियोजनाएं इस प्रकार है :—

1. शोध तथा विकास परियोजनाएं (सम्पन्न)।

(i) स्कूल आफ ट्रोपिकल मैडीसिन्स तथा ए॰ आई॰ आई॰ एच॰

एण्ड पी॰ एच॰ द्वारा जनवरी 1988 में 10.82 लाख रु॰ की परियोजना लागत पर पश्चिमी बंगाल में भूमि जल में अर्सेनिक प्रदूषण पर सबमिशन प्रोजेक्ट।

(ii) मार्च, 1994 में 4.125 लाख रु॰ की परियोजना लागत पर पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में आर्सेनिक संदूषण का अध्ययन। अध्ययन का पहला चरण जादवपुर युनिवर्सिटी, कलकत्ता द्वारा पूरा कर लिया गया है।

(iii) दिसम्बर, 1994 में 4.93 लाख रु की परियोजना लागत पर लम्बे समय से आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में विषाक्तता का पता लगाने के लिए महामारी संबंधी अध्ययन पर शोध तथा विकास परियोजना।

2. शोध तथा विकास परियोजनाएं (चालू)।

(i) 2.74 लाख रु॰ की परियोजना लागता पर अनुमोदित अर्सेनिक तथा अन्य रासायनिक प्रदूषणकारी तत्त्वों पर नियंत्रण के बारे में शोध तथा विकास परियोजना। यह अध्ययन प्रेसिडेंसी कालेज, कलकत्ता को सौंपा गया है।

(ii) भूमि जल से आर्सेनिक तत्त्व हटाने के लिए 3.304 लाख रु॰ की परियोजना लागत पर 1995-96 में कम लागत परिशोधन संयंत्र का विकास। यह अध्ययन नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर को सौंपा गया है।

(iii) मार्च, 1996 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 4.78 लाख रुपए की परियोजना लागत पर पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में भूमि जल में आर्सेनिक तत्त्वों का भू-वैज्ञानिक एवं भू-रासायनिकी जैव विज्ञान अध्ययन। यह अध्ययन सेन्टर फार स्टडी आफ मैन एंड एनवारमेंट, कलकत्ता को सौंपा गया है।

कृषि विकास संबंधी वित्त कम्पनियां

6019. डॉ॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में राज्य स्तरीय कृषि विकास संबंधी वित्त कम्पनियां स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है, उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ अपने-अपने राज्यों की उपलब्ध व्यावसायिक क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए, अपने-अपने राज्यों में कृषि विकास वित्त कम्पनियां (ए डी एफ सी) स्थापित करने के बारे में अपनी इच्छाओं से अवगत कराएं। तथापि, असम सरकार ने इस मामले में नाबार्ड को कोई उत्तर नहीं भेजा है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

नाबार्ड

6020. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रमीण विकास बैंक द्वारा किसी राज्य में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कितनी धनराशि जुटाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि इसने गुजरात में कृषि प्रसंस्करण के बारे में एक संभावित सर्वेक्षण जिसमें राज्य के छः जिलों को शामिल किया गया है और साथ ही छः राज्यों में कृषि-अपशिष्ट पर आधारित पैकिंग करने वाली (पैकेजिंग) सामग्री के बारे में उत्पाद अध्ययन किया है।

गुजरात में सर्वेक्षण संबंधी अंतिम रिपोर्टों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन 38 क्रिया-क्लापों के संबंध में परियोजना की रूपरेखा (प्रोफाइल) शामिल हैं जिनकी संभावना शामिल किए गए जिलों में विद्यमान है। निष्कर्षों को प्रचार बैंकों और संबंधित एजेंसियों में व्यापक रूप से किया जाता है। जबकि राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह रिपोर्ट में पहचान किए गए संभावित क्रिया-क्लापों के लिए आधारभूत एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, बैंकों से कहा गया है कि वे अपने सेवा क्षेत्र संबंधी योजनाओं में अभिज्ञात संभाव्यता को शामिल करें और ऋण देकर उद्यमियों की सहायता करने के लिए पर्याप्त विधान करें।

कृषि अपशिष्ट पर आधारित पैकिंग की जाने वाली सामग्री के बारे में उत्पाद अध्ययन में केरल, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल थे। इस अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों खासकर जीवभार (बॉयो मास) और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके पैकिंग की जाने वाली सामग्री के विकास और विकेन्द्रित क्षेत्र में उत्पादन एककों की स्थापना पर जोर दिया गया है। इस अध्ययन में पार्टिकल बोर्ड और जूट की छड़ियों से जेआरपी चद्दरें, कपास के डंठलों से सीओपीबी बक्से बनाने जैसी अर्थक्षम परियोजनाओं की संभावना का भी पता लगाया गया। जहां आवश्यक हो, नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता सहित इसे पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी और संबंधित राज्य सरकारों को आधारभूत और अन्य सम्पर्क सहायता सुनिश्चित करनी होगी।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए किसी विशेष राशि का जुटाया जाना प्रस्तावित नहीं है। उपर्युक्त अध्ययन में पहचान की गई संभावना के लिए, बैंकों को, अपने पास प्रस्तुत की गई विशेष परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय अर्थक्षमता से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात्, ऋण सहायता प्रदान करनी होगी।

तथापि, नाबार्ड ने कृषि प्रसंस्करण कारोबार के लिए 13 राज्यों में वर्ष 1996-97 के लिए 331.3 लाख रु. आबंटित किए थे।

चाय बागान में लगे बाल मजदूर

6021. श्री केशव महन्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के चाय बागानों में भारी संख्या में बाल श्रमिक कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि चाय बागानों में बाल श्रमिकों को न लगाया जाए ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (ग) चाय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, वर्ष 1994 के दौरान असम के चाय बागान उद्योग में नियोजित बाल श्रमिकों की अनुमानित औसत दैनिक संख्या लगभग 18,000 थी जो असम चाय बागान उद्योग में नियोजित कुल श्रमिकों का 3.18 प्रतिशत बैठती है। तथापि, बाल श्रमिकों की संख्या में हाल के दिनों में लगातार काफी कमी हो रही है और चाय उद्योग के अनुसार, 1995 के बाद से बागान उद्योग में बाल श्रम नियोजन नगण्य रहा है। बागान एसोसिएशन की परामर्शदात्री समिति ने अपने संघटक सदस्यों को बागान उद्योग में 14 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियोजित न करने की सलाह दी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ड्राफ्ट सुविधाएं

6022. श्री उद्धव बर्मन :

डॉ. असीम बाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक ड्राफ्ट जारी करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा किस वर्ष शुरू की गई; और

(ग) ऐसी सुविधा शुरू करने के लिए किन-किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रयोजित बैंक द्वारा सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक ड्राफ्ट जारी करने की अनुमति वर्ष 1980 से ही दे दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 19 बैंकों द्वारा 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए गए हैं जिन्होंने अब तक इस सुविधा को लागू किया है। ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार ब्यौरे उनके प्रायोजक बैंकों के नामों के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31.3.96 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार ब्यौरे के साथ ड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने वाले प्रायोजक बैंकों के नाम

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	प्रायोजक बैंक
1	2
आंध्र प्रदेश	
1. रायलसीमा ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक
2. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
3. श्री अनन्था ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक
4. श्री वेंकटेश्वरा ग्रामीण बैंक	इंडियन बैंक
5. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
6. गोलकुंडा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
7. कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक	इंडियन बैंक
बिहार	
8. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9. मुंगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक
10. संथाल परगना ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
गुजरात	
11. बनसकंठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक	देना बैंक
हरियाणा	
12. हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
हिमाचल प्रदेश	
13. पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
जम्मू व कश्मीर	
14. जम्मू ग्रामीण बैंक	जम्मू एण्ड कश्मीर लि.
कर्नाटक	
15. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
16. मालाप्रभा ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक
17. कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
18. कोलार ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
19. चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक	कारपोरेशन बैंक
20. सायाद्री ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
21. वारदा ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक

1	2
22. विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक	विजया बैंक
केरल	
23. साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
24. नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक
मध्य प्रदेश	
25. रीवासिधि ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
26. झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
27. चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
महाराष्ट्र	
28. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
29. औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
30. चंद्पुर गधचिरोली ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया
31. अकोला ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
32. सोलापुर ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया
33. थाने ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
उड़ीसा	
34. पुरी ग्राम्य बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक
35. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
36. कटक ग्राम्य बैंक	यूको बैंक
37. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
38. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब	
39. फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
राजस्थान	
40. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
41. हरदोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
42. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	यूको बैंक
43 बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
44. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
तमिलनाडु	
45. पाण्ड्यन ग्रामीण बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक
उत्तर प्रदेश	
46. प्रथमा बैंक	सिंडिकेट बैंक
47. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
48. फरुखाबाद ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया
49. सरस्वती ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक
50. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
51. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
52. तुलसी ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक
53. एटा ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
54. सरयू ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक
55. जमुना ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
पश्चिम बंगाल	
56. हावड़ा ग्रामीण बैंक	यूको बैंक

उत्प्रवास अधिनियम को प्रभावी बनाना

6023. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौकरी दिलाने वाले ऐसे बेईमान एजेंटों, जो लोगों को नौकरी देने का प्रलोभन देकर और उनसे पैसा वसूलकर गायब हो जाते हैं, पर अंकुश लगाने के लिए आव्रजन अधिनियम को और सख्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

6024. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने खाराजल क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल का खारापन दूर करने की प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में, विशेषरूप से उड़ीसा में शुरू की गई "पायलट" परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है; और

(घ) इस तकनीक का व्यावसायीकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी): (क) और (ख) जी, हां। यह प्रतिलोम परासरण प्रक्रिया पर आधारित है जिसके द्वारा भूमिगत खारे जल को एक झिल्लीदार तत्त्व में पम्प किया जाता है झिल्ली से बाहर आने वाले जल में नमक का अंश कम होता है और वह सूक्ष्मजीवों से भी मुक्त होता है, और इस तरह वह सुरक्षित पेय जल बन जाता है।

(ग) इस प्रौद्योगिकी पर आधारित पॉयलट परियोजनाएं आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ गांवों में उपलब्ध खारे पानी के स्रोतों से सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थीं। इस प्रौद्योगिकी पर आधारित कोई भी परियोजना उड़ीसा में शुरू नहीं की गई थी।

(घ) ऊपर उल्लिखित खारा जल विलवणीकरण प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक स्तर पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है।

आन्ध्र प्रदेश को विश्व बैंक से ऋण

6025. डॉ. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अगले वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश हेतु प्रस्तावित वित्तीय समायोजन ऋण देने के बारे में विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राज्य को विश्व बैंक का ऋण देने के संबंध में गारंटी देना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसे ऋणों की कर्जदार भारत सरकार होगी। प्रस्तावित ऋण मानक निबन्धन तथा शर्तों पर आन्ध्र प्रदेश सरकार को दे दिया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित ऋण के संबंध में गारन्टी देने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वरोजगार कार्यक्रम

6026. श्री जयसिंह चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में शहरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शहरवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी हां। इस मंत्रालय द्वारा नेहरू रोजगार योजना (एन॰ आर॰ वाई॰) तथा प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी॰ एम॰ आई॰ यू॰ पी॰ ई॰ पी॰) नामक दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें स्वरोजगार एक घटक है।

एन॰ आई॰ वाई॰ अक्तूबर, 1989 में आरम्भ की गई थी जिसका लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले शहरी निर्धनों को स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। योजना गुजरात सहित सारे देश में चलाई जा रही है।

पी॰ एम॰ आई॰ यू॰ पी॰ ई॰ पी॰ नवम्बर 1995 में आरम्भ की गई थी जिसमें लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार पर विचार किया गया है। यह कार्यक्रम 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले सभी शहरी क्षेत्रों में लागू है।

(ख) और (ग) पी॰ एम॰ आई॰ यू॰ पी॰ ई॰ पी॰ :—गुजरात में शामिल किए गए 27 शहरी क्षेत्रों की सूची दशनि वाला विवरण संलग्न है।

एन॰ आर॰ वाई॰ :— पी॰ एम॰ आई॰ यू॰ पी॰ ई॰ पी॰ के अन्तर्गत शामिल न किए गए अन्य सभी शहरी कस्बे एन॰ आर॰ वाई॰ में शामिल हैं।

विवरण

पी॰ एम॰ आई॰ यू॰ पी॰ ई॰ पी॰ के अन्तर्गत गुजरात में शामिल किए गए 27 कस्बों की सूची

गुजरात :—

1. पाटन
2. दोहाद
3. जैतपुर
4. कालोल
5. पालनपुर
6. खम्भाल
7. गोंडल
8. धोराजी
9. अंकलेश्वर
10. अमरेली
11. सावरकुण्डला
12. बोताड़
13. महुबा
14. दीसा
15. विसनगर
16. धरांगधरा
17. धोलका
18. उपलेता
19. सिद्धपुर
20. हिम्मतनगर
21. अन्जार
22. बिलीमोरा
23. ऊंझा
24. कादी
25. वीरांगल
26. दभोई
27. केशोड़

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

6027. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी): (क) और (ख) जी, हां। ग्राम विद्युतीकरण की विद्यमान परिभाषा के अनुसार यदि बिजली का किसी भी प्रयोजन से गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपयोग किया जाता है तो उस गांव को विद्युतीकृत समझ लिया जाएगा। इस परिभाषा के क्षेत्र में विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि गांव के आवासीय क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा सके।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण साझा न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तथापि, सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता प्रदान करती है ताकि ग्रामीण विकास के लिए एक आधारभूत आवश्यकता के रूप में ऊर्जा संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

राज्य बिजली बोर्ड

6028. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बिजली उद्योग, विशेषत: वे विद्युत उपयोगिताओं और राज्य बिजली बोर्डों को बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्यक्रमों के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने वाले उद्योग राज्य बिजली बोर्डो पर दो हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की बकाया राशि के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे तेल का उत्पादन

6029. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कच्चे तेल के उत्पादन में सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा देश में कच्चे तेल के उत्पादन में सुधार संबंधी योजनाओं सहित अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा उपयोग की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि० तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड की बम्बई हाई अपतटीय विकास परियोजना तथा गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना जैसी विभिन्न अन्वेषण तथा विकासशील परियोजनाओं के लिए लगभग 1937 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता उपलब्ध कराई है। प्रथम ऋण करार में वर्ष 1977 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा इन दो कंपनियों द्वारा लगभग 1906 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि पहले ही उपयोग कर ली गई है।

भारत की परमाणु नीति पर अमरीका का दबाव

6030. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री विजय गोयल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका भारत पर एन० पी० टी०, सी० टी० बी० टी तथा "फिसाईल मेटेरियल कट आफ्फ्ट्रिटी" (एफ० एम० सी० टी०) पर हस्ताक्षर करने हेतु द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए हुए है;

(ख) अमरीका द्वारा भारत पर इस प्रकार का दबाव बनाए जाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) परमाणु अप्रसार संधि और हाल ही में सम्पन्न व्यापक परमाणु प्रतिरोध संधि संयुक्त राज्य की परमाणु अप्रसार कार्यसूची के प्रमुख मसले हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य फिस्साइल मैटीरीयल कट आफट्रीटी (एफ० एम० सी० टी०) के लिए वार्ता शीघ्र करने को उच्च प्राथमिकता देता है। भारत और संयुक्त राज्य के द्विपक्षीय स्तर पर इन मसलों पर अभी तक चर्चा नहीं की है। इन मसलों पर भारत का दृष्टिकोण सैद्धांतिक और सुविदित है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डी.डी.ए. के अधिकारियों को अभियोजित किया जाना

6031. प्रो० रीता वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-86 की अवधि के दौरान डी.डी.ए. के उन कर्मचारियों (वर्ग III, समूह"ग") के नाम, पदनाम क्या हैं जो बिना किसी सूचना "पूर्वानुमति" अवकाश के इसे छोड़कर विदेश चले गए हैं;

(ख) अभियोजित किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध संबंधित आचरण नियम के तहत क्या विभागीय जांच शुरू की गई है;, और

(ग) ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दि०वि० प्राधिकरण द्वारा दोषी पाया गया और उनकी सेवा सामाप्त की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि डी॰डी॰ए॰ में कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना दिए और सेवा से त्यागपत्र दिए बिना विदेश जाने का रिकार्ड रखे जाने की कोई पद्धति नहीं है। तथापि, अवैध रूप से अनुपस्थिति के मामले आचरण संहिता की नियमावली के तहत आते हैं। बिना अनुमति की लंबी छुट्टी से सेवा समाप्त कर दी जाती है। वर्ष 1981 से 86 की अवधि के दौरान दो कार्मिकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी और डयूटी से अवैध अनुपस्थिति के लिए तीन कार्मिकों पर पदावनति देते हुए/वेतन वृद्धियों की रोक का दंड लगाया गया था।

[हिन्दी]

शहरी रोजगार योजना

6032. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान को तथा अन्य राज्यों को इन योजनाओं के अन्तर्गत दी गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी क्या परिणाम निकले हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) यह मंत्रालय दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नाम : नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री का एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है जिसमें रोजगार सृजन का घटक है।

नेहरू रोजगार योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1989 में शुरू की गयी थी और राजस्थान सहित पूरे देश में चलाई जा रही है।

नवम्बर, 1995 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लघु उद्यम लगाकर स्वरोजगार मुहैया कराना एक घटक है। यह कार्यक्रम 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 के बीच की आबादी वाले सभी शहरी समूहों में लागू है।

(ख) नेहरू रोजगार योजना के तहत गत 5 वर्षों के दौरान शहरी लघु उद्यम स्कीम (सब्सिडी) के अन्तर्गत दी गयी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण I में है।

प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी धनराशि के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

(ग) **नेहरू रोजगार योजना :** गत पांच वर्षों के दौरान लघु उद्यम इकाइयां लगाने के लिए जिन लाभार्थियों को सहायता दी गई उनके ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम : उपलब्धियां दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक शहरी लघु उद्यम स्कीम सब्सिडी के तहत मुहैया कराई गई केन्द्रीय राशि

(रु॰ लाख में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	155.60	268.00	173.90	197.25	197.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	28.60	11.37	23.00	23.00	23.00
4.	बिहार	60.45	—	77.15	167.10	167.10
5.	गोवा	—	—	1.25	2.00	—
6.	गुजरात	33.35	46.22	42.55	79.15	—
7.	हरियाणा	21.20	35.55	29.00	26.15	21.80
8.	हिमाचल प्रदेश	11.00	5.00	6.00	12.00	12.00
9.	जम्मू और कश्मीर	14.00	14.00	7.00	14.00	14.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	116.20	80.67	74.20	77.98	—
11.	केरल	59.50	72.40	81.83	53.65	53.65
12.	मध्य प्रदेश	140.90	243.04	193.90	171.54	143.00
13.	महाराष्ट्र	190.60	199.47	92.80	247.25	218.45
14.	मणिपुर	6.00	6.80	9.83	9.59	8.00
15.	मेघालय	3.90	—	—	5.00	5.00
16.	मिजोरम	3.00	1.50	3.69	3.60	3.00
17.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	39.90	68.60	44.50	50.40	—
19.	पंजाब	40.70	70.35	56.16	19.90	19.90
20.	राजस्थान	35.45	98.45	90.60	88.00	88.00
21.	सिक्किम	6.20	4.13	4.91	4.80	4.00
22.	तमिलनाडु	171.20	308.96	210.50	206.95	178.15
23.	त्रिपुरा	4.10	3.67	3.69	3.00	3.00
24.	उत्तर प्रदेश	346.10	596.58	475.91	410.93	347.90
25.	पश्चिम बंगाल	152.70	89.70	83.65	196.90	—
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप स०	—	1.85	4.12	3.35	3.35
27.	चंडीगढ़	—	—	2.55	—	-
28.	दादरा तथा नगर हवेली	—	0.85	0.85	1.65	—
29.	दमन व द्विव	—	—	—	3.35	—
30.	दिल्ली	14.40	14.40	14.40	14.40	—
31.	पांडीचेरी	2.00	—	2.00	2.00	—
	योग	1657.05	2241.56	1809.94	2105.89	1510.55

विवरण-II

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष 1995-96 से 1996-97 के लिए प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी की गई राशि

(रु० लाख में)

क्र०स०	राज्य का नाम	जारी किया गया केन्द्रीय अंश (1995-96)	जारी किया गया केन्द्रीय अंश (1996-97)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	980.58	866.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.11	95.8045
3.	असम	265.94	314.7863
4.	बिहार	819.37	443.0348

1	2	3	4
5.	गोवा	90.00	58.5615
6.	गुजरात	583.59	315.5450
7.	हरियाणा	183.03	103.6784
8.	हिमाचल प्रदेश	87.57	82.6388
9.	जम्मू और कश्मीर	136.22	128.5492
10.	कर्नाटक	634.59	343.1226
11.	केरल	263.20	186.24
12.	मध्य प्रदेश	772.87	437.7788
13.	महाराष्ट्र	948.60	512.9095
14.	मणिपुर	48.65	68.4318
15.	मेघालय	38.92	42.6336
16.	मिजोरम	19.46	27.7938
17.	नागालैण्ड	108.65	123.1772
18.	उड़ीसा	269.17	145.5448
19.	पंजाब	306.30	270.55
20.	राजस्थान	506.27	447.18
21.	सिक्किम	38.92	36.7290
22.	तमिलनाडु	1046.37	647.00
23.	त्रिपुरा	19.45	27.37280
24.	उत्तर प्रदेश	1584.74	884.3184
25.	पश्चिम बंगाल	679.43	390.4892
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप स॰	50.00	30.00
27.	पांडीचेरी	30.00	30.00
	जोड़	10580.00	7060.00

विवरण-III

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के लिए शहरी लघु उद्यम स्कीम (सब्सिडी) के तहत सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

क्र.स॰	राज्य/संघ का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	25523	18175	15510	5701	18315
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	40	—	813
3.	असम	1822	1299	13572	—	0
4.	बिहार	3732	1987	—	14026	428
5.	गोवा	—	440	—	10	0

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	4765	2630	1663	1777	1512
7.	हरियाणा	7435	800	2060	1725	1644
8.	हिमाचल प्रदेश	190	—	—	1334	108
9.	जम्मू व कशमीर	1695	91	—	1489	2386
10.	कर्नाटक	14789	3345	14048	—	4358
11.	केरल	4790	5202	3279	1282	0
12.	मध्य प्रदेश	43787	32072	—	16019	16581
13.	महाराष्ट्र	18839	11917	7435	10649	13441
14.	मणिपुर	395	2745	1651	—	0
15.	मेघालय	119	274	—	146	1415
16.	मिजोरम	—	—	700	40	(—)90
17.	नागालैण्ड	—	—	—	—	0
18.	उड़ीसा	4946	1214	—	6223	3408
19.	पंजाब	3985	3931	2670	2133	3931
20.	राजस्थान	4594	11749	9621	9415	12140
21.	सिक्किम	182	16	—	310	406
22.	तमिलनाडु	19182	24418	12665	9857	26618
23.	त्रिपुरा	330	137	(—)33	22	119
24.	उत्तर प्रदेश	59101	24813	35852	24893	24833
25.	पश्चिम बंगाल	15169	4368	3042	17567	(—)5278
26.	अंडमान व निकोबार द्वीव स०	—	177	1	102	328
27.	चंडीगढ़	178	—	21	135	64
28.	दादरा व नगर हवेली	43	53	11	37	40
29.	दमन व द्विव	—	—	—	213	245
30.	दिल्ली	1038	295	79	—	518
31.	पांडीचेरी	246	160	705	211	616
	योग	236855	152308	124595	125308	128899

विवरण-IV

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

लक्ष्य :

5 वर्ष की कार्यान्वयन अवधि (1995-96 से 1999-2000) के दौरान कार्यक्रम के तहत 5 मिलीयन शहरी गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपलब्धियां :—

राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(क) 240 शहरों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा किया गया।

(ख) 229 शहरों के लिए शहर-वार परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

(ग) स्वरोजगार घटक के तहत 31,286 आवेदन बैंकों को भेजे गए जिसमें से 4,726 मामले मंजूर किए जा चुके हैं।

(घ) आश्रय-सुधार घटक के तहत 14,504 आवेदन बैंकों/हडको को भेजे गए हैं जिनमें से हडको द्वारा 7,796 मामले मंजूर किए जा चुके हैं।

(ङ) 8,382 परिवेश दल, 1,280 परिवेश विकास समितियां और

81 समुदाय विकास समितियां बनाई गई हैं।

(च) 921 थिफ्ट एंड क्रेडिट समितियां और 151 सामुदायिक केन्द्र बनाए गए हैं।

मध्य प्रदेश में बैंकों में जमा धनराशि

6033. **श्री बुद्धसेन पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बैंकों में जमा धनराशि और किए गए निवेश की धनराशि तथा तत्संबंधी प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में अपेक्षित प्रतिशत में धन का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति ऋण की कितनी धनराशि आबंटित की गई है और ऋण की कम धनराशि प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश में दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकों के अभाव के कारण राज्य के पिछड़ेपन से अवगत है; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुल बकाया जमाराशियां तथा सकल बैंक ऋण और उसके ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत निम्नलिखित है:—

(लाख रुपए)

मार्च को समाप्त वर्ष	जमाराशियां	ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1994	10964,41	6142,29	56.0
1995	13324,38	7105,41	53.3
1996	15651,13	8934,28	57.1

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश शेष भारत में सकल बैंक ऋण की औसत प्रति व्यक्ति धनराशि निम्नलिखित है:—

(धनराशि रुपए में)

मार्च को समाप्त वर्ष के लिए सकल बैंक ऋण की प्रति व्यक्ति धनराशि

	1994	1995	1996
मध्य प्रदेश	868	985	1215
शेष भारत	2097	2553	2965

किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष में ऋण जमा अनुपात (सी॰डी॰ आर॰), न केवल बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों अपितु ऋण खपाने की क्षमता, आधारभूत सहायता और क्षेत्र में समग्र नीतिगत ढांचे जैसे अन्य विभिन्न तथ्यों पर भी निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अखिल भारतीय स्तर पर अपनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अलग-अलग 60 प्रतिशत का सी डी आर प्राप्त करें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि जबकि यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपात शाखा-वार, जिला-वार अथवा क्षेत्र-वार अलग-अलग प्राप्त किया जाए, फिर भी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण अभिनियोजन में असंतुलन कम करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्य/क्षेत्रों के बीच अनुपात में व्यापक असमानता से बचा जाए।

[अनुवाद]

जमा राशियों पर ब्याज दरें

6034. **श्री भक्त चरण दास :**

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन जमा राशियों जिन्हें परिपक्वता से पहले निकाल लिया जाता है, के संबंध में ब्याज दरों के भुगतान संबंधी मानदंडों में संशोधन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र के अनेक बैंक सावधि जमा राशि पर ब्याज की अदायगी करते समय बैंक के मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को सलाह दी है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से घरेलू/अनिवासी (बाह्य) मियादी जमाओं के परिपक्वता-पूर्व आहरण पर ब्याज बैंक में जमाराशि की अवधि के लिए लागू दर पर यह संविदागत दर पर, जो भी कम हो, दिया जाना चाहिए, जिसमें से परिपक्वतापूर्व आहरण के लिए दंड के रूप में एक प्रतिशत काट लिया जाना चाहिए। पहले ऐसी जमाराशियों के परिपक्वता-पूर्व आहरण पर जमाराशि के बैंक

में रहने की अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज दिया जाता था, जिसमें से परिपक्वता-पूर्व आहरण के लिए दंड के रूप में एक प्रतिशत काट लिया जाता था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अलग-अलग बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए एक समान दरें अपनानी होती हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया था कि अन्यों में से गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों ने, जमाराशि पर ब्याज दरों के संबंध में उसके निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, सार्वजनिक संस्थाओं और अन्य ग्राहकों को समान परिपक्वता की घरेलू मियादी जमाराशियों पर ब्याज की पेशकश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी/नवम्बर, 1996 के दौरान इन दो बैंकों को नाराजगी-पत्र जारी किए हैं।

हनुमंत राव समिति

6035. श्री के.पी. नायडू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हनुमन्त राव समिति द्वारा की गई घोषणा के अनुसार टिहरी बांध परियोजना के संबंध में पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति क्या है और उसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा;

(ख) क्या देश में बांध परियोजनाओं के कारण विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी): (क) टिहरी जल विद्युत परियोजना के पुनर्वास और पर्यावरणीय पहलुओं की जांच करने के लिए 17 सितम्बर, 1996 को गठित की गई हनुमन्त राव समिति को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करनी थी। समिति की अवधि 15 मई, 1997 तक बढ़ा दी गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अब 15 जून, 1997 तक का और समय मांगा है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सरकार 15 जून, 1997 तक अवधि बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) और (ग) विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से भूमि का अधिग्रहण करने के परिणामस्वरूप विपरीत रूप से प्रभावित होने वाले लोगों/परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के संबंध में नोडल विभाग नामश: ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राष्ट्रीय नीति तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक प्रारूप तैयार करने के लिए अब कार्रवाई आरंभ कर दी है।

पुनर्वास

6036. श्री हंस राज अहीर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विस्थापितों का पुनर्वास करते समय किसान परिवारों को प्राथमिकता देने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में दिशा-निर्देश और राष्ट्रीय नीति की घोषणा करते समय राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित करने का है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सचिवों की समिति के विचाराधीन है।

आधारभूत योजनाएं

6037. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश को 95 करोड़ रुपए के ऋण की बचनबद्धता के साथ, पांच शहरी आधारभूत योजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष राज्य हेतु कुल 263 करोड़ रुपए की आधारभूत योजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या योजना के कार्यान्वियन हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) हडको ने 31.3.97 तक आन्ध्र प्रदेश में 5 नहीं बल्कि 55 शहरी अवस्थापना स्कीमें मंजूर की हैं।

(ख) अनुमोदित योजनाओं के स्कीमवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान अब तक आंध्र प्रदेश में कोई शहरी अवस्थापना योजना मंजूर नहीं की गई है।

(ङ) जी, हां। हडको द्वारा मंजूर योजनाएं एजेंसी द्वारा प्रस्तुत ऋण आहरण कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जानी है। अनुवर्ती ऋण किश्तें जारी करना, पहले जारी किश्त के वास्तविक उपयोग और कार्य की वास्तविक प्रगति पर निर्भर करता है।

विवरण

1996-97 के दौरान हडको द्वारा आंध्र प्रदेश में मंजूर की गई शहरी अवस्थापना की संख्या

क्र०सं०	मंजूर की गई स्कीम का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि
1	2	3	4
1.	तिरुपति में कमर्शियल काम्प्लैक्स	318.72	194.40
2.	कोरुतला में जलापूर्ति स्कीम	130.27	91.19
3.	जनगांव में जलापूर्ति स्कीम	149.85	104.34
4.	विकराबाद में जलापूर्ति स्कीम	139.34	97.56
5.	सीद्दीपेट में जलापूर्ति स्कीम	2509.87	1756.91
6.	सीकलहस्ती में जलापूर्ति स्कीम	985.48	689.84
7.	विजनगरम् में जलापूर्ति स्कीम	2440.34	1708.34
8.	कोन्नूर में जलापूर्ति स्कीम	1154.50	808.15
9.	मेहबूब नगर में जलापूर्ति स्कीम	4449.44	3114.61
10.	चित्तौड़ में जलापूर्ति स्कीम	4656.07	3259.25
11.	वनपार्थी में जलापूर्ति स्कीम	1067.61	747.33
12.	कावली में जलापूर्ति स्कीम	1209.72	840.80
13.	येम्मीगन्नूर में जलापूर्ति स्कीम	1352.82	946.97
14.	गढ़वाल में जलापूर्ति स्कीम	335.80	235.06
15.	मदनापल्ली में जलापूर्ति स्कीम	426.03	298.22
16.	पुनगन्नूर में जलापूर्ति स्कीम	323.69	226.58
17.	अमालपुरम में जलापूर्ति स्कीम	488.69	342.08
18.	भिमुनीपत में जलापूर्ति स्कीम	266.60	186.71
19.	रामालकोट में जलापूर्ति स्कीम	391.48	274.04
20.	कन्डुपुर में जलापूर्ति स्कीम	597.08	417.96
21.	सदाशिवपेट में जलापूर्ति स्कीम	407.15	285.00
22.	इंप्रभमेंट आफ रोड/ड्रेन-कुप्पम टाउन	389.26	266.48
23.	अदिबीबरम में रेहाब सेन्टर/स्कूल	3435.14	2404.68
24.	इंफ्रास्ट्रक्चर देव बिजयवाड़ा	4710.97	3286.61
25.	वायो-कनर्वसन आफ वेस्ट इन्टू आर्गेनिक मैन्नोर-विजयवाड़ा	145.00	98.00
26.	रामागुण्डम में जलापूर्ति स्कीम	994.00	676.28
27.	हैदराबाद और सिकन्दराबाद के लिए सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट	1487.46	1041.22
28.	कुरनुल में जलापूर्ति स्कीम	3017.89	2120.37
29.	मौलाली-सिकन्दराबाद में रेहाब सेन्टर/स्कूल फार सोसल अफेन्ड्रम	3341.68	2514.02
30.	हैदराबाद में इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम ट्रक ट्रमीनल तथा होलसेल मार्कीट	116.00	116.00
31.	कन्सट्रक्सन आफ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर एट मण्डल हेड क्वा० इन हैदराबाद	206.00	102.77
32.	हैदराबाद में आर एण्ड डी/इ एण्ड टी	1695.00	1271.85

1	2	3	4
33.	हैदराबाद जलापूर्ति व सीवरेज शोधन स्कीम	1725.00	1050.00
34.	विशाखापत्तनम में कम्प्रीहैंसीव सीवरेज इंप्रूवमेंट स्कीम फेज-II सब फेज-I	1668.19	994.87
35.	निल्लौर में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	222.89	124.07
36.	विजयनगरम् में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	191.12	132.62
37.	मानचेरियल में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	184.45	106.78
38.	मछलीपट्टनम में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	113.94	18.77
39.	तिरुपति में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	161.45	112.00
40.	कुरनुल में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	200.93	122.44
41.	कुडप्पा में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	174.56	121.13
42.	निजामाबाद में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	191.26	132.72
43.	हमाम में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	146.89	101.94
44.	चिराला में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	94.70	63.90
45.	नुजवीड में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	49.64	34.84
46.	पलवकां में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	36.02	24.91
47.	चित्तूर में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	106.15	64.66
48.	विजयवाड़ा में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	502.15	286.00
49.	कम्प्रीहैन्सीव सीवरेज स्कीम फार पट्नतलंका एण्ड कृष्णालंका आफ विजयवाड़ा सिटी	1470.00	998.00
50.	विशाखापत्तनम डिविजन में मण्डल हेड क्वार्टर पर 27 पी एच सी का निर्माण	324.78	2488.77
51.	हैदराबाद में मण्डल हेड क्वार्टर पर 27 पीएचसी का निर्माण	310.51	230.20
52.	कुडप्पा डिविजन में मण्डल हेड क्वार्टर पर 29 पीएचसी का निर्माण	341.44	253.12
53.	नान्दीयाल में जलापूर्ति स्कीम में वृद्धि	1535.00	684.00
54.	हैदराबाद शहर में जलापूर्ति और सीवरेज सुधार स्कीम	5968.75	2500.00
55.	हैदराबाद शहर में जलापूर्ति सुधार	7496.23	4340.00
	योग	41321.38	29038.82

भारतीय व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों द्वारा यात्रा

6038. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गए भारतीय व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक भारतीय यात्रियों पर भारत सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) क्या सरकार इन यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रही है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान चीन के तिब्बत क्षेत्र और पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों की भारतीय व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा की गई यात्राओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

	1994	1995	1996
भारतीय व्यापारियों की तिब्बत यात्रा	451	466	496*
कैलाश मानसरोवर यात्री	370	350	435
सिख/सहजधारी और हिन्दू जत्थों की पाकिस्तान यात्रा	5380	5210	5085

*(अनुमानित)

2. चीन के तिब्बत क्षेत्र में जाने वाले व्यापरियों का कोई खर्च सरकार वहन नहीं करती है।

3. कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को सरकार सुविधाएं मुहैया कराती है जिनमें चिकित्सा सहायता, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस के सौजन्य से सुरक्षा और मार्गरक्षण, दिल्ली और मार्गस्थ भारतीय तथा चीनी स्थानों के बीच संचार सम्पर्क शामिल है। 1996 में सरकार ने यात्रियों द्वारा कुमाऊं मंडल विकास निगम को 5000/— रुपए प्रति यात्री की दर से देय धन राशि को स्थिर करने का भी निर्णय लिया था। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा प्रति यात्री 8250 रु॰ लिए गए थे। इस प्रकार सरकार ने 3250 रु॰ प्रति यात्री का खर्च वहन किया था।

4. भारत से पाकिस्तान जाने वाले सिख/सहजधारियों तथा हिन्दू जत्थों के मामले में सरकार सभी अपेक्षित सहायता पहुंचाती है; प्रत्येक जत्थे की यात्रा के लिए पाकिस्तान की सरकार से अनुमोदन प्राप्त करती है, विभिन्न राज्य सरकारों/मंत्रालयों/प्राधिकारियों से समन्वय करती है और जाने के इच्छुक यात्रियों की सूची वीजा के लिए पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली को अग्रेषित करती है, यात्रियों के जाने और आने के लिए रेल मंत्रालय से विशेष रेल चलाने का प्रबंध करती है, विशेष मामले के रूप में रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा शीघ्र जारी करने की व्यवस्था करती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जत्थों को जाने की अनुमति अल्पावधिक सूचना पर दी जाती है और यात्रियों के पासपोर्टों पर वीजा की मोहर तो जत्थों के प्रस्थान से एक या दो दिन पहले लगाई जाती है, यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन से एक सम्पर्क अधिकारी को साथ भेजती है, इत्यादि।

5. सरकार, इन यात्रियों को दी जाने वाली उपर्युक्त सुविधाओं को जारी रखना चाहती है।

परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना

6039. श्री समीक लहिरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पूर्वी क्षेत्र, जिसका पश्चिम बंगाल एक हिस्सा है, में कोयले के संसाधन उपलब्ध होने की वजह से पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजलीघर स्थापित किए जाने की प्राथमिकता उन क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थित हैं।

ग्रामीण ऋण ढांचा

6040. डॉ॰ असीम बाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण ऋण ढांचे तथा विश्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता के अध्ययन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कितने अधिकारी विदेश भेजे हैं; और

(ख) विदेश भेजी गयी इस तरह की प्रत्येक टीम द्वारा दी गयी रिपोर्ट/की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारत में ग्रामीण वित्त सुधार पर विश्व बैंक समूह के साथ विचार विमर्श के लिए नवम्बर 1996 के दौरान वाशिंगटन जाने वाले सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों में से एक भारतीय रिजर्व बैंक का वरिष्ठ अधिकारी था। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापक ग्रामीण वित्त सुधार कार्यक्रम के लिए संभावित विश्व बैंक सहायता पर विचार-विमर्श करना था। विश्व बैंक समूह के साथ विचार-विमर्श अन्वेषणात्मक प्रकृति के थे तथा इसमें ग्रामीण वित्त सुधार प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था।

भविष्य निधि

6041. श्री हाराधन राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने चूककर्ता लाभार्थियों ने कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि जमा नहीं की है;

(ख) ऐसे चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक चूककर्ता की ओर से कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए इन चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि चूककर्ताओं पर बकाया क॰ भ॰ नि॰ देयों की धनराशि निम्नानुसार थी:—

वर्ष	चूक की धनराशि (रु॰ करोड़ों में)
1993-94	357.04
1994-95	347.33
1995-96	421.40

चूंकि चूककर्ताओं की संख्या अधिक है अतः उनके अलग-अलग ब्यौरे प्रस्तुत कर पाना कठिन है।

(ग) चूककर्ताओं से बकाया देयों की वसूली के लिए क॰ भ॰ नि॰ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 7अ, 8ब, 14 और 14ब

तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

विवरण

क्षेत्र का नाम	चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या		
	1993-94	1994-95	1995-96
आन्ध्र प्रदेश	971	647	743
बिहार	1139	1304	1349
दिल्ली	456	536	500
गुजरात	282	274	209
हरियाणा	360	464	525
कर्नाटक	409	413	424
केरल	503	388	464
मध्य प्रदेश	693	667	505
महाराष्ट्र	876	768	893
उ० पूर्वी क्षेत्र	145	144	124
उड़ीसा	390	343	275
पंजाब	1329	1389	1139
राजस्थान	490	546	577
तमिलनाडु	1316	1525	1281
उत्तर प्रदेश	1230	1352	1458
प० बंगाल	1232	1216	1216
कुल	11821	11976	11682

बाल्मर लारी

6042. श्री इन्नान मोल्लाह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुप्रबंधन के कारण बाल्मर लारी की 13 संयुक्त इकाइयां घाटे में चल रही हैं;

(ख) क्या वित्त निदेशक और दो महाप्रबंधकों ने ऐसी विसंगतियों जिनके कारण उन्हें दण्ड दिया जा सकता था, की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया;

(ग) क्या सरकार का विचार इस भारी वित्तीय घाटे की जांच कराने और उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) जी, नहीं। केवल तीन संयुक्त उद्यम अर्थात कोचीन रिफाइनरीज—बामर लारी लिमिटेड, बामर लारी—वैन लियर लिमिटेड, बामर लारी-फेट कंटेनर्स मद्रास, घाटे पर चल रही है। सभी संयुक्त उद्यम बोर्ड के प्रबंध वाली कंपनियां हैं और उनके बोर्डों में पेशेवर पूर्णकालिक निदेशक होते हैं और इन संयुक्त उद्यमों में बामर लारी की इक्विटी धारिता 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है।

(ख) निदेशक (वित्त) ने भविष्य की बेहतर संभावनाओं के लिए त्यागपत्र दे दिया है और किसी भी महाप्रबंधक ने हाल में त्यागपत्र नहीं दिया है। सजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन संयुक्त उद्यमों का प्रबंध स्वतंत्र बोर्डों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

एशियाई विकास बैंक द्वारा केरल को ऋण

6043. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक की सहायता से केरल में परियोजनाओं और नहरों के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1996-97 के दौरान केरल में एशियाई विकास बैंक की सहायता से कुछ कार्य आरम्भ किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ङ) शेष कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) केरल सरकार एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त किसी भी परियोजना/नहर का कार्यान्वयन नहीं कर रही है।

हालांकि केरल "द्वितीय सड़क परियोजना" के लिए 250.00 मिलियन अमरीकी डालर के एशियाई विकास बैंक के ऋण के अन्तर्गत लाभ-भोगी राज्यों में से एक है। ऋण-करार में केरल में अलवई-व्यतिल्ला और अरूर-शेरथलाई के 47 किलोमीटर मार्ग को चार-लाइनों में बनाने संबंधी कार्य तथा व्यतिल्ला-अरूर के 47 कि॰मी॰ के राष्ट्रीय राजमार्ग की पट्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए 23.48 मिलियन अमरीकी डालर का प्रावधान है। इस उप-परियोजना के अन्तर्गत कार्य मार्च, 1994 में शुरू किया गया था और इस कार्य के पूरा होने की निर्धारित तारीख मार्च, 1999 है। इस उप-परियोजना के अन्तर्गत अभी तक खर्च हुए 67.12 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से वर्ष 1996-97 के दौरान 32.47 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

आवासीय योजनाओं में निजी क्षेत्र

6044. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें बिहार में सभी के लिए मकान प्रदान करने संबंधी आवासीय योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत वित्त उपलब्ध कराकर, योजनाओं के शीघ्र अनुमोदन तथा अन्य प्रकार की सहायता देकर, भूमि एकत्रीकरण तथा विकास की बाधाओं को हटाकर आवास तथा भूमि विकास में विभिन्न प्रकार से निवेश करने के लिए निजी विकासकों तथा संगठित क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर विचार किया गया है। नीति में यह भी उल्लेख है कि निजी विकासक निवेश का महत्त्वपूर्ण अंश निम्न तथा मध्यम आय समूहों के लिए सस्ते मूल्यों पर आवास में लगाएंगे तथा अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे।

आवास राज्य का विषय होने के कारण यह निर्णय संबंधित राज्य सरकारों, इस मामले में बिहार सरकार द्वारा किया जाना है कि निजी क्षेत्र को आवास विकास कार्यक्रमों में कहां तक और किस प्रकार शामिल किया जाए।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण

6045. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय राज्यों से कितने लोगों को भर्ती किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने लोग भर्ती किए गए;

(ख) इन सेवाओं में सफल प्रतियोगियों को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या सामान्य में श्रेणीकृत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय राज्यों ने प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उम्मीदवारों को, संविधान (अ॰जा॰) आदेश, 1950 और संविधान (अ॰ज॰जा॰) आदेश 1950 तथा अन्य संबद्ध आदेशों के तहत अधिसूचित तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। कल्याण मंत्रालय के संकल्प द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में जिन समुदायों को अधिसूचित किया गया है उनसे संबंधित उम्मीदवारों को अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार माना जाता है। उन उम्मीदवारों को, जो उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें सामान्य उम्मीदवार माना जाता है।

(ग) तथा (घ) अपेक्षित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय राज्यों के भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या

	(सीधी भर्ती के अधिकारी)			(पदोन्नत अधिकारी)		
वर्ष :	1994	1995	1996	1994	1995	1996
अरुणाचल प्रदेश :						
भा॰प्र॰से॰	0	0	0	2	3	—
भा॰व॰से॰	0	0	0	0	0	0
भा॰पु॰से॰	0	0	0	0	0	1
मेघालय :						
भा॰प्र॰से॰	0	0	1	1	1	3
भा॰व॰से॰	0	0	0	0	0	0
भा॰पु॰से॰	1	0	0	2	0	2
मणिपुर :						
भा॰प्र॰से॰	0	1	0	4	1	2
भा॰व॰से॰	2	1	2	1	0	0
भा॰पु॰से॰	1	0	1	0	1	1

कश्मीर में बंधक

6046. श्री छीतुभाई गामीत :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर में पश्चिमी देशों के चार बंधकों को उन्नीस माह की बंधक अवधि से रिहाई दिलाने के संबंध में कोई ठोस प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप): (क) और (ख) सरकार जम्मू और कश्मीर में चार विदेशी पर्यटकों के अपहरण तथा उन्हें बंधक बनाए जाने से संबद्ध परिस्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है तथा उस पर नजर रखे हुए है तथा उन्हें खोजने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में और पूछ-ताछ तेज करने के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया है तथा वह इन व्यक्तियों की अवस्थिति ज्ञात करने तथा उन्हें खोजने के लिए सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास भी कर रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में ठोस सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम देने की भी घोषणा की और इनाम की इस घोषणा को प्रेस तथा समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित भी किया गया है। केन्द्रीय तौर पर एक नोडल आफीसर को नियुक्त किया गया है जो बंधकों की अवस्थिति से संबंधित किसी भी स्रोत से प्राप्त किसी भी प्रकार की सूचना को लगातार इकट्ठा करेगा तथा उसकी पुनरीक्षा करेगा तथा इस मामले में राज्य सरकार के साथ नियमित तौर पर सम्पर्क भी करेगा और अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सरकार उन देशों के प्रतिनिधियों, जिनके राष्ट्रिक बंधक बनाए गए हैं, के साथ सूचना के आदान-प्रदान और बंधकों को यथाशीघ्र खोजने तथा उनकी अवस्थिति को जानने के समान उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विचारों के आदान-प्रदान के जरिए लगातार निकट सम्पर्क बनाए हुए है। इन सभी दिशाओं में लगातार तीव्र कार्रवाई की जा रही है।

हैदराबाद में लाइट रेल ट्रांसिट सिस्टम

6047. श्री बी॰ धर्म भिक्षम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में लाइट रेल ट्रांसिट सिस्टम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु अब तक कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) इसको पूरा करने हेतु अभी तक केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु): (क) से (ग) हैदराबाद में हल्की रेल परिवहन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अप्रैल, 1993 में भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार तथा आई॰एल॰एंड एफ॰ एस॰ नामक एक वित्तीय संस्थान की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी गठित की गई जिसमें प्रत्येक सहभागी को 15-15 लाख की प्रारम्भिक इक्विटी भागीदारी थी। भारत सरकार द्वारा 1994 में इक्विटी में अग्रिम के तौर पर 7 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि इतनी ही राशि आंध्र प्रदेश सरकार तथा आई एल एंड एफ एस द्वारा जारी की जाएगी। यह मामला आंध्र प्रदेश सरकार और आई एल एंड एफ एस के पास लम्बित है इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि उनका यू एम टी सी की बजाय परियोजना को स्वयं निष्पादित करने का प्रस्ताव है। तथापि, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से 31.5.97 तक अपने निर्णय की पुनः पुष्टि करने का अनुरोध किया है।

सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

6048. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों विशेष रूप से विदेशी राजनयिकों द्वारा की गयी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन अधिकारियों द्वारा विदेशी नागरिकों/राजनयिकों को परेशान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) नवम्बर, 1995 में इस मंत्रालय को चीफ प्रोटोकॉल, विदेश मंत्रालय से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ था कि कुछेक विदेशी मिशनों ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों के असहयोगपूर्ण व्यवहार की सूचना दी है। मुख्य शिकायत यह थी कि विमानपत्तन प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो पहचानपत्रधारी राजनयिकों को यात्रियों के आगमन के लिए आशयित सीमाशुल्क क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में विदेशी नागरिकों से प्राप्त अन्य प्रकार की शिकायतें इस प्रकार हैं—असबाब की निकासी में विलम्ब, विदेशी करेंसी ले जाने से रोकना, विमानपत्तन में देर तक पूछ-ताछ करना आदि। इनमें से प्रत्येक मामले की पूरी तरह से जांच-पड़ताल की जाती है और अधिकारी के स्थानांतरण सहित उपचारी कार्रवाई तुरन्त की जाती है।

बीमा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग

6049. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंकों ने भारतीय बैंकों से विदेशी कम्पनियों के तकनीकी सहयोग से भारतीय बीमा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्यू पैटर्न स्कीम

6050. श्री आई० डी० स्वामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "न्यू पैटर्न स्कीम, 1979" के अंतर्गत पंजीकृत कुछ लोगों को 1991 में आश्वासन दिया था कि उन्हें सेवा-निवृत होने से पहले फ्लैट आबंटित कर दिए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपना वचन पूरा किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे व्यक्तियों से कुछ संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें फ्लैटों के आबंटन का आश्वासन दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार एन०पी०आर०एन-1979 के पंजीकृत व्यक्तियों, जो सेवा-निवृत हो गए हैं/सेवा निवृत हो रहे हैं, को प्राधिकरण की नीति के अनुसार आबंटनों में वरीयता दी जाती है। एन०पी०आर०एस-1979 के पंजीकृत सेवा निवृत/सेवा निवृत हो रहे व्यक्तियों को वरीयता से आबंटन हेतु अपने आवेदनों को निर्धारित अवधि के भीतर जब ये आमंत्रित किए जाते हैं। प्रस्तुत करना अपेक्षित है यदि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होते हैं तो व्यक्ति सांसदों की सिफारिश पर कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

भूमि का आबंटन

6051. श्री लिंगराज वल्याल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जापानी औद्योगिक गांव स्थापित करने के लिए जापान को भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस देश को इससे कितना लाभ होने की आशा है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में अनियमितताएं

6052. श्री ए० सम्पथ :

श्री एन० एन० कृष्णादास :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने परामर्शदाताओं की नियुक्ति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की पूर्ण अनदेखी करके तथा इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय में दो परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इनकी नियुक्ति की शर्तें अवधि वेतन तथा इससे संबंधित अन्य तथ्य तथा आंकड़ों का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाए; और

(ग) यदि यह पाया जाता है कि परामर्शदाताओं के रूप में उनकी नियुक्तियां इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करती हैं तो माननीय विदेश मंत्री द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में पिछले कुछ समय से पुस्तकों के स्टॉक की गणना और वास्तविक सत्यापन का कार्य नहीं हुआ है। यह कार्यक्रम पिछले वर्ष शुरू किया गया था और एक सेवा-निवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष श्री टी० सी० टुटेजा को इस कार्य के लिए 4000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर नियुक्त किया गया था। आरंभ में यह नियुक्ति तीन माह के लिए की गई थी, बाद में सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन से इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी और उस समय तक यह नियुक्ति बनी रहेगी जब तक कि पुस्तकालय की पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन और आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूरा नहीं हो जाता।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अध्यक्ष और शासी निकाय के अनुमोदन से 29 सितम्बर, 1995 को परिवहन और आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर श्री सुरेन्द्र माथुर की सांस्कृतिक कार्यक्रम सलाहकार के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति हुई थी। सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन से उनकी नियुक्ति की अवधि 5000 रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी।

(ग) ये नियुक्तियां भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के संविधान के सिद्धान्तों के अनुरूप है तथा सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से की गई हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण जमा दर

6053. श्री बाजू बन रियान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में बैंक की ऋण जमा दर का

ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों का ऋण मिलने में बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात निम्नलिखित हैं :—

	ऋण जमा अनुपात (%)
अरुणाचल प्रदेश	10.4
असम	39.3
मणिपुर	53.7
मेघालय	14.4
मिजोरम	16.2
नागालैंड	27.4
त्रिपुरा	42.1

किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में ऋण जमा अनुपात (सी डी आर) न केवल बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों पर निर्भर करता है, बल्कि राज्य में ऋण खपत क्षमता, आधारिक सहायता और समग्र नीतिगत ढांचे सहित विभिन्न अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों में कम ऋण जमा अनुपात के लिए कारणों का पता लगाने हेतु कार्यदल स्थापित किए थे। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, जिनमें ऋण जमा अनुपात कम था और साथ ही जिनमें विशिष्ट कार्यदलों का गठन भी नहीं किया गया था, राज्य स्तरीय बैंक समिति के संयोजक बैंकों से कहा गया था कि वे विचार-विमर्श करने तथा स्थिति में सुधार के लिए समुचित उपाय करने हेतु विशेष बैठकें आयोजित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण प्रवाह की पुनरीक्षा के लिए शिलांग में दिनांक 4.1.96 को आयोजित इस क्षेत्र की क्षेत्रीय सलाहकार समिति में किए गए निर्णय के अनुसार समुचित अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आबंटन

6054. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **प्रधानमंत्री** दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन के बारे में 5.3.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने फ्लैट बिना बारी के आबंटित किए गए, किन-किन लोगों को आबंटित किए गए, बिना बारी के आबंटन किए जाने के क्या विशिष्ट कारण थे, किन-किन क्षेत्रों में आबंटित किए गए, उनके संबंध में भुगतान विधि क्या थी, तथा किन लोगों की सिफारिश पर आबंटित किए गए इत्यादि;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने फ्लैटों का निर्माण किया तथा उनमें से कितने फ्लैटों का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के आबंटितियों को मनोवांछित बस्ती चुनने का विकल्प नहीं दिया गया था; और

(घ) क्या पंजीकृत व्यक्तियों को अपनी पसंद की बस्ती और तल के संबंध में तरजीह देने का और उसे तब तक प्रतीक्षा करने का मौका देने का प्रस्ताव है जब तक उसे मनोवांछित क्षेत्र और तल नहीं मिलता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि गत पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं। वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1992	55
1993	127
1994	54
1995	19
1996	01

बिना बारी के किए गए आबंटियों के नाम और ऐसे आबंटन के आधार वाली सूची सभा पटल पर रख दी जाएगी। बिना बारी आबंटन भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की स्वीकृत नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किराया खरीद आधार पर आबंटन करने हेतु विशेष निर्णय न लिए होने की स्थिति में सभी बिना बारी आबंटन नकद भुगतान के आधार पर किए जाते हैं।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान निर्मित और आबंटित फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	निर्मित	आबंटित
1992-93	7,876	10,218
1993-94	7,661	18,702
1994-95	6,844	10,365
1995-96	2,298	5,933
1996-97	7,743	21,493

उपर्युक्त आबंटन के आंकड़ों में पहले से ही आबंटित फ्लैट में से वापस किए गए/रद्द किए गए फ्लैटों का आबंटन भी है। वास्तव में फ्लैट आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है। कभी-कभी उसी वर्ष में निर्मित सभी फ्लैट आबंटित करना सम्भव नहीं होता क्योंकि बिजली और पानी

जैसे प्रावधानों की अनुपलब्धता सहित अनेक कारक हैं।

(ग) एन॰पी॰आर॰एस॰-1979 की स्कीम में इलाके बावद बरामद पसन्द का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) एन॰पी॰आर॰एस॰-1997 की स्कीम में क्षेत्र की पसन्द बावत वरीयता देना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षेस देश

6055. श्री बी॰ एल॰ शंकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षेस को स्थापित करने के उद्देश्य क्या हैं और इन उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या साझा बाजार स्थापित करने और दक्षेस देशों के बीच एक साझी मुद्रा प्रचलित करने के लिए दक्षेस के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण के संवर्धन और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने तथा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास करने के इसके प्रमुख उद्देश्यों को लेकर सार्क की स्थापना 1985 में की गई है। इन लक्ष्यों के अनुसरण में दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साफ्टा) के अन्तर-सरकारी बातचीत से काफी प्रगति हुई है और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की दिशा में सदस्य देशों ने अधिमानतः सन् 2000 ईस्वी तक परंतु हर हाल में सन् 2005 ईस्वी से पूर्व इसके लिए अथक प्रयास करने का सामूहिक रूप से निश्चय किया है। आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में निवेश संवर्धन, सीमाशुल्क सामंजस्यता, मध्यस्थता और मानकीकरण शामिल हैं। सार्क सदस्य राज्यों के समान हित के 11 सहमत क्षेत्रों में एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी सहयोग अनुसरण किया जाता है। इस क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है और महिलाओं, बच्चों, युवाओं, पर्यावरणीय मसलों और लोगों से लोगों के बीच संपर्क पर विशेष रूप से बल दिया जाता रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सार्क आर्थिक सहयोग समिति के समक्ष जो सार्क में आर्थिक सहयोग संबंधी मसलों की निगरानी करती है और मंत्रिपरिषद् को अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करती है, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं लाया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ई॰एस॰आई॰ अस्पताल

6065. डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई॰एस॰आई॰ (राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में नागदा में श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्मित किए जा रहे अस्पताल की निर्माण लागत कितनी है तथा इसमें कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसके निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसका कब तक निर्माण हो जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) और (ख) क॰रा॰बी॰ निगम के नागदा (म॰प्र॰) में एक 50 बिस्तरों वाले क॰रा॰बी॰ अस्पताल के निर्माण के लिए 2,78,99,401.00 रु॰ की राशि स्वीकृति की है। परियोजना के लिए 261.00 लाख रु॰ की राशि पहले ही निर्गत कर दी गई है। अस्पताल का भवन ढांचागत रूप में तैयार है और इसके चालू वर्ष के दौरान कार्य शुरू कर देने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

एकीकृत महानगर परिवहन प्रणाली

6057. श्री वी॰ प्रदीप देव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में शहरी परिवहन के विभिन्न माध्यमों के संबंध में उचित योजना बनाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह प्राधिकरण कब तक स्थापित किया जाएगा और इसके मुख्यालय कहां स्थापित किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के गठन के लिए एक प्रारूप विधान शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। विभिन्न आकार के नगरों में शहरी परिवहन की समस्याओं के विभिन्न पक्षों की जांच की जा रही है।

(ख) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाने के बाद ही राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया जानने का प्रश्न उठेगा।

(ग) इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि प्राधिकरण का गठन कब तक कर लिया जाएगा अथवा मुख्यालय कहां होगा।

वसूलियां

6058. श्री सत्य पाल जैन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को भूतपूर्व मंत्रियों, संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों आदि से उन्हें आबंटित किए गए मकानों, के किराए तथा बिजली, पानी, परिवहन आदि जैसे विभिन्न शुल्कों की वसूली करनी है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और 31 दिसम्बर,

1996 तक की गई ऐसी वसूलियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनसे कारगर ढंग से वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ये शुल्क कब तक पूरी तरह से वसूल कर लिए जाएंगे; और

(घ) सरकार द्वारा ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च किए गए धन का शीर्ष-वार और सदस्य-वार ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वसूलियां तेजी से की जा रही हैं। जहां अनुस्मारकों और नोटिसों को जारी करने के बाद भी भुगतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है उन मामलों में समय-समय पर संशोधित पी॰पी॰ (अनधिकृत कब्जों को खाली कराने) अधिनियम 1971 के अंतर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। क्योंकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सरकारी वसूलियां की जाती हैं इसलिए इस प्रकार वसूलियों के लिए किसी प्रकार की समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

(घ) भूतपूर्व मंत्रियों, संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों इत्यादि को देने वाली सुविधाओं पर खर्च होने वाली राशि अधिकतर एक मुश्त आधार पर होती है। इसलिए इस राशि को शीर्षवार और सदस्यवार दिखाना सम्भव नहीं है।

आवास को किराए पर देना

6059. श्री दिलीप संघानी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय ने दिल्ली में विशेषरूप से वसंत बिहार और एन्ड्रूजगंज में उन सरकारी आवासों, को जो अवैध रूप से किराए पर दिए गए हैं; को खाली कराने के लिए उच्चतम न्यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विशेष पूलों के संबंध में आवास किराए पर देने में आई तेजी की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवासों को शीघ्र खाली कराने के संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) उच्चतम न्यायालय के सिविल रिट याचिका संख्या 585/94 शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ तथा अन्य में दिए कए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 1996 में सम्पदा निदेशालय के प्रशासनिक अधीन संदिग्ध उप किराएदारी वाले सरकारी मकानों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण कराया गया तथा प्रारंभिक निरीक्षण के आधार पर एन्ड्रूजगंज तथा बसंत विहार इलाकों में स्थित मकानों सहित उन 4488 सरकारी मकानों के आबंटियों को जिनमें उप किराएदारी की प्रथम दृष्टि में आशंका थी, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 27-9-96 तक कारण बताओ नोटियों के प्रत्युत्तर में आबंटियों की व्यक्तिगत सुनवाई की इजाजत देकर 1085 आबंटन रद्द किए गए हैं तथा उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते 634 मकान खाली/बेदखल कराए गए हैं। बसंत विहार तथा एन्ड्रूजगंज इलाकों में जिन आबंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं उनकी संख्या क्रमशः 70 और 11 है।

(ख) सम्पदा निदेशालय के अधीन मकानों अलावा, राज्य सभा/लोक सभा पूलों सहित अन्य पूलों के क्वार्टरों के बारे में सम्पदा निदेशालय की जानकारी में आने वाले उप किराएदारी की आशंका वाले मामलों को संबंधित संगठनों के ध्यान में लाया जाता है और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति उनको परवर्ती कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

(ग) आबंटन नियमों की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर आबंटी से आवास खाली करवाने से पहले, समय-समय पर संशोधित वास आबंटन नियमावली तथा लोक परिसर अनधिकृत दखलकारों की बेदखली (अधिनियम 1971) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है इस प्रक्रिया का यथा जरूरत उपयोग किया जा रहा है।

ज्ञापन

6060. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के फूल काटने वाले, उगाने वाले और आपूर्तिकर्ताओं की वेलफेयर सोसायटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 जुलाई, 1996 को माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) इस मामले की जांच की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बारात घर

6061. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई सरकारी कालोनियों विशेषरूप से सेक्टर-4, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारी बारात घर न होने की वजह से कठिनाई अनुभव कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सेक्टर-4, आर॰के॰ पुरम्, नई दिल्ली में एक बारात घर बनाने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए जगह की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस कालोनी में बारात घर कब तक बनाए जाने की संभावना है

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (च) बारात घर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए जाते हैं। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में समाज सदन/बारात घर का निर्माण नहीं किया जाएगा। समाज सदन/बारात घर के लिए निर्दिष्ट स्थानों बच्चों/निवासियों की सुविधा के लिए खुली जगह के रूप में प्रयोग में लाई जाएंगी।

बाजार के स्थान में अतिक्रमण

6062. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरोजनी नगर बाजार और शंकर मार्किट के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुकानदारों द्वारा इस बरामदे को घेर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन दोनों मार्किटों में ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली नगर परिषद् ने सरोजनी नगर बाजार एवं शंकर मार्केट में आने वाले ग्राहकों के लिए शौचालय ब्लाक, पार्किंग स्थल आदि जैसी बुनियादी सुख-सुविधाएं/सुविधाएं प्रदान करके इन बाजारों को आधुनिक बनाने के कुछ कदम उठाए हैं।

(ग) जी, हां। कुछ दुकानदारों/स्टाल धारियों ने इन बाजारों में बरामदे घेर रखे हैं।

(घ) जब कभी भी ऐसे उल्लंघन हमारे ध्यान में आते हैं तो पट्टा विलेख/लाइसेंस विलेख में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने के लिए पट्टेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पद

6063. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिल्ली कार्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणियों में चतुर्थ श्रेणी के अनेक पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित प्रत्याशी साक्षात्कारों/चयन हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) क्या निर्धारित नीति के अनुसार सभी ऐसी आरक्षित रिक्तियां निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर भरी जानी होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि इसके नई दिल्ली स्थित कार्यालय में कुछ रिक्तियां हैं जिनमें श्रेणी-IV (समूह "घ" पदों) के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए बैंक द्वारा कार्रवाई 1996 के दौरान प्रारंभ कर दी गई थी। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के एक निर्णय से जिसमें मांगकर्ता प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि रिक्तियों को रोजगार कार्यालय में अधिसूचित करवाने के साथ-साथ वह उन्हें विज्ञपित भी करवाए, प्रतीक्षा-सूची तैयार करने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी। चूंकि यह निर्णय सभी प्राधिकारियों पर लागू था, अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले पर विधिक दृष्टि से विचार करवाया और सूचित किया है कि उन्होंने अपने नई दिल्ली कार्यालय को भर्ती प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने की सलाह दी है।

नोटिस दिया जाना

6064. श्री ई. अहमद : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपदा निदेशालय ने अभियोजन विभाग द्वारा सेक्टर-7, आर.के.पुरम् के निवासियों को कितने नोटिस दिए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी मकानवार, पूलवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नोटिस देने से पूर्व अधिभोक्ताओं के नाम सुनिश्चित कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ङ) सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन आर.के.पुरम सैक्टर-VII में स्थित सरकारी मकानों के निवासियों को मुकदमा अनुभाग द्वारा 18 नोटिस भेजे गए हैं, जो संलग्न-विवरण के अनुसार हैं। ये नोटिस संबंधित आबंटन अनुभाग से नाम तथा पतों के सत्यापन करने के लिए भेजे गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	सर्वश्री	परिसर सं. सैक्टर-VII आर.के.पुरम	रद्द करने के कारण
1.	किशन चन्द	सै.-VII/822 आर. के. पुरम	दो क्वार्टर रखे हुए हैं।
2.	हजारी लाल	" /650 "	उप किराए पर
3.	चरन सिंह	" /570 "	—वही—
4.	जय नारायण	" /582 "	—वही—
5.	देव दास	" /576 "	—वही—
6.	मीना लाल	" /883 "	—वही—
7.	तारा चन्द	" /928 "	—वही—
8.	श्रीमती अंगूरी देवी	" /862 "	—वही—
9.	श्रीमती फाल्गुनी देवी	" /670 "	—वही—
10.	आर. एन. राय	" /50 "	सेवा निवृत
11.	एस. एल. तिवारी	" /254 "	—वही—
12.	पीरा सिंह	" /387 "	—वही—
13.	एस. के. बजाज	" /286 "	उपकिराए पर
14.	शाम सिंह	" /500 "	—वही—
15.	स्व. श्री सत्य सिंह का परिवार	" /360 "	मृत्यु
16.	वी. एस. रावत	" /1196 "	सेवानिवृत
17.	निरंजन घोष	" /983 "	उपकिराए पर
18.	ओ. एम. प्रभावती	" /453 "	—वही—

नोट : ये सभी क्वार्टर सामान्य पूल के हैं।

रूस में भारतीय महोत्सव

6065. श्री विजय अन्नाजी मुंडे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने रूस में भारतीय महोत्सव के लिए मैसर्स इंटर लाइन ट्रेवल्स लिमिटेड के माध्यम से अध्यक्ष की अनुमति के बिना और बिना कोई दरें निविदाएं आमंत्रित किए, अंतर्राष्ट्रीय एयर टिकटों की खरीद पर 30 लाख रुपए खर्च किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) "डेज ऑफ इंडियन कल्चर इन रशिया" कार्यक्रम का अनुमोदन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अध्यक्ष और शासी निकाय/महा सभा ने किया था और इसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की वर्ष 1996-97 की कार्य-योजना में शामिल किया गया था।

परिषद् का अपना ट्रैवल एजेंटों का एक पैनल है तथा यह कार्य इन्हीं फर्मों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है। "डेज ऑफ इंडियन कल्चर इन रशिया" की यात्रा प्रबंध का कार्य मैसर्स इन्टरलाइन को सौंपा गया था जो परिषद् के पैनल में है तथा जिन्होंने न्यूनतम दरें कोट की थीं।

"डेज ऑफ इंडियन कल्चर इन रशिया" के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 48,51,000/- रुपए का बजट आबंटित किया गया था तथा केवल 30,17,174/- रुपए का व्यय किया गया था। यह व्यय अनुमोदित बजट प्राक्कलनों के भीतर था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीका वार्ता

6066. श्री पी. आर. दासमुंशी :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने उन्हें दौरा करने तथा अपने अमरीकी सहभागी से चर्चाएं करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार में अनिश्चितता के कारण दौरा रद्द किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस दौरे के लिए और कोई तारीख नियत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अगले दौरे के लिए निर्धारित तिथि और समय क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ) विदेश मंत्री द्वारा यह यात्रा अप्रैल 1997 में किसी समय करने की योजना बनाई जा रही थी। इस यात्रा के लिए ठीक-ठीक तारीखें विचार-विमर्श द्वारा तय की जानी थी। दोनों पक्षों के लिए और अधिक सुविधाजनक समय तक इस यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जल आपूर्ति

6067. **श्री दत्ता मेघे :**

श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पेयजल की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) इसकी आपूर्ति में कुल कितनी कमी है;

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विश्व बैंक ने जल आपूर्ति की स्थिति को सुधारने हेतु कोई विशेष परियोजना ऋण दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) चूंकि पेय-जल की आपूर्ति राज्य का विषय है इसलिए सुरक्षित तथा पर्याप्त जल-आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार एवं कार्यान्वयन एजेंसियों का कार्य है। प्रत्येक राज्य में पेय-जल की कुल आवश्यकता तथा भण्डारण पर इस मंत्रालय द्वारा निगरानी नहीं रखी जाती।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र में जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक ने ऋण सहायता दी है। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त ऐसी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजनाओं की सूची

क्रम सं॰	परियोजना	लागत (करोड़ रु॰)	सहायता मिलियन अमरीकी डालर	पूरा होने का वर्ष
1.	I. मुंबई ज॰ आ॰ एवं स॰	185.00	55.00	1981
2.	महाराष्ट्र ज॰ आ॰ एवं स॰	86.00	48.00	1985
3.	II मुंबई ज॰ आ॰ एवं स॰	640.00	196.00	1988
4.	III मुंबई ज॰ आ॰ एवं स॰	915.00	145.00	1996
5.	महाराष्ट्र ग्रामीण एवं ज॰ आ॰ एवं स॰	319.00	109.90	31.12.97

[अनुवाद]

वित्तीय घाटा

6068. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक जुलाई और जनवरी को सकल घरेलू उत्पाद के रूप में वित्तीय घाटे का प्रतिशत क्या है;

(ख) इस घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या औद्योगिक विकास और राजस्व संग्रहण की दर में गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेंद्र कुमार) : (क) और (ख) सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे की तुलना वार्षिक आधार पर की जाती है। विगत तीन वर्षों के विवरण निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपए)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा
1994-95	57703	6.1
1995-96	60243	5.5
1996-97 (सं॰ अ॰)	63131	5.0

वर्ष 1997-98 (ब० अ०) के लिए राजकोषीय घाटा 65454 करोड़ रुपए रखा गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। सरकार व्यय को नियंत्रित करके तथा ऋण भिन्न प्राप्तियों में वृद्धि के माध्यम से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

(ग) और (घ) विवरण निम्नानुसार है :—

	1994-95	1995-96	1996-97
कर-राजस्व (केन्द्र के पास निवल) (करोड़ रुपए)	67454	81939	*97212
औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.4	11.6	** 7.5

* संशोधित अनुमान

** अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 की अवधि के लिए त्वरित अनुमान।

आधारभूत सुविधाओं का विकास

6069. श्री बीर सिंह महतो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राज्य में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में तीन वर्षों के भीतर सभी गांवों में सम्पर्क सड़कों को बना लिए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से अपने राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुधार हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसे विश्व बैंक को भेज दिया गया है। यह अभी तैयारी की प्रारम्भिक अवस्था में है।

नैफ्था का आबंटन

6070. श्री वी० वी० राघवन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा राज्य के विद्युत उत्पादन हेतु कितनी मात्रा में नैफ्था की मांग की गई है तथा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के लिए कितनी मात्रा में इसका आबंटन किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी मात्रा में नैफ्था की मांग की है; और उन्हें कितनी नैफ्था आपूर्ति की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) 1996-97 के दौरान केरल सरकार ने 500 मेगावाट की कन्नूर विद्युत परियोजना लि० के लिए प्रतिवर्ष 505000 टन नैफ्था के आबंटन की सिफारिश की थी। परन्तु उक्त आबंटन 1996-97 के दौरान नहीं किया जा सका क्योंकि आबंटन की नीति तैयार की जा रही थी।

विद्युत परियोजनाओं के लिए नई तरल ईंधन नीति के अंतर्गत सरकार ने केरल राज्य को तरल ईंधन पर आधारित 660 मेगावाट विद्युत क्षमता का आबंटन किया है। राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर केरल में कुल 727 मेगावाट क्षमता की तीन विद्युत परियोजनाओं के लिए नैफ्था की कुल 908.75 टी० एम० टी० पी० ए० मात्रा का आबंटन किया गया और आदेश 9.5.97 को जारी किए गए।

(ख) नैफ्था का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता। इसका आबंटन विद्युत, पेट्रोरसायन, उर्वरक, इस्पात आदि जैसे उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पक्षकारों को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की सिफारिश पर किया जाता है।

तरल ईंधन

6071. श्री हरिन पाठक :

श्री अय्यन्ना पटरूधू :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र द्वारा तरल ईंधन के प्रयोग संबंधी वर्तमान नीति में परिवर्तन करने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में पिछली नीति क्या थी; और

(ग) नई नीति को कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

लोहे के दरवाजे लगाना

6072. डॉ० बलिराम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० के० पुरम् सेक्टर सात में लगभग सभी भूतल वाले सरकारी आवासों के पिछवाड़े में लोहे के दरवाजे लगा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आर० के० पुरम् सेक्टर सात में क्वार्टर नं० 995 में बार-बार शिकायतों के बावजूद ऐसा दरवाजा नहीं लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन संबंधित कनिष्ठ सहायक अभियंताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो उक्त क्वार्टरों का कई बार दौरा कर चुके हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) आर० के० पुरम सेक्टर-VII में लगभग 70 क्वार्टरों में लोहे के

दरवाजे लगवा दिए गए हैं। क्वार्टर सं॰ 995, आर॰के॰ पुरम सहित सेक्टर VII के शेष क्वार्टरों में इस्पात (स्टील) के दरवाजे लगवाने का कार्य निधि के उपलब्ध नहीं होने और मौजूदा दरवाजों की स्थिति के कारण पिछले वर्ष के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका।

(ग) चूंकि संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता दोषी नहीं थे, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

खानों में दुर्घटनाएं

6073. श्री राधा मोहन सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोने की खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई खान दुर्घटनाओं को रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सोने की खानों को आधुनिक तकनीकें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसी खानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित उपबंधों को खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में शामिल किया गया है। सुरक्षा कानूनों की सतत् रूप से पुनरीक्षा की जाती है और समय-समय पर उनमें संशोधन किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी सुरक्षा उपायों में सुधार करने के संबंध में प्रबंधनों को परिपत्र के रूप में दिशा-निर्देश जारी करता है। इन उपबंधों का अनुपालन खान प्रबंधनों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन की स्थिति को देखने के लिए और चूक के मामले में खान अधिनियम, 1952 के अधीन यथा उपबंधित कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर खानों का निरीक्षण करते रहते हैं।

विधायी उपायों के अतिरिक्त, सरकार अनेक अन्य पहलों को बढ़ावा दे रही है, जैसे कि :—

(i) खानों में सुरक्षा सम्मेलन।

(ii) प्रबंधनों द्वारा स्वत: विनियमन।

(iii) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता।

(iv) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय पुनरीक्षा।

(v) कर्मकारों के प्रशिक्षण।

(vi) सुरक्षा सप्ताहों का मनाया जाना और सुरक्षा अभियान चलाना।

(vii) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

(ख) से (घ) पिछले दशक की तुलना में सोने की खानों में घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं और उनके परिणामस्वरूप हुई मौतों/चोटों की संख्या में चालू दशक के दौरान गिरावट आई है।

(ङ) विशेष प्रयास जैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स की खानों के संबंध में इन खानों में कार्यरत कर्मकारों की कामकाजी दशाओं को सुधारने के लिए वातानुकूलन और स्पॉट कूलरों का उपयोग शुरू किए गए हैं। इन खानों में चट्टानों के खण्डित करने के कार्य को खत्म करने के लिए व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन भी शुरू किए गए हैं।

रेशम की तस्करी

6074. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या :

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :

श्री द्वारका नाथ दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ पड़ोसी देशों से कच्चे रेशम की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में देश के रेशम उत्पादकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू सिल्क उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) प्राप्त रिपोर्टों से नेपाल, बांग्लादेश सीमाओं से भारत में कच्चे रेशम के अवैध आयात का पता चलता है।

भारत सरकार ने देश में कच्चे रेशम की तस्करी रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करते हुए इस मामले में बांग्लादेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और नेपाल सरकार के साथ भी इस मामले को उठाया जा रहा है। कच्चे रेशम की तश्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी रोकने के प्रयासों को विफल करने के लिए उपयुक्त निवारक उपाय करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क रहने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् के विरुद्ध जांच महानिदेशक द्वारा जांच

6075. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की व्यवस्था के अनुसार जांच महानिदेशक को निर्देश दिया गया है कि वह परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के विरुद्ध कोटा आबंटन से संबंधित शिकायतों की प्रारंभिक जांच शुरू करें;

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह जांच कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) आल इंडिया गारमेंट एक्सपोर्ट्स कॉमन काज गिल्ड एंड ग्लोब ओवरसीज ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने महानिदेशक,

जांच एवं पंजीकरण को मैसर्स परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (ए ई पी सी) के विरुद्ध लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच करने तथा उस पर 60 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट फाइल करने का निदेश दिया है।

शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादी परिषद, मैसर्स ए ई पी सी ने पहले आओ पहले पाओ (एफ सी एफ एस) प्रणाली के अंतर्गत निर्मोचित की जाने वाली मात्रा के बारे में 28.10.96 को सरकार को अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करते समय आंकड़े दिए हैं और कोटा के आबंटन की शर्तों में हेरा-फेरी की है। अब मामला आयोग के समक्ष प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के विचारार्थ 10.7.1997 के लिए सूचीबद्ध है।

निर्यात-आयात बैंक

6076. **श्री शिवराज सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कार्यरत निर्यात-आयात बैंकों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के श्रेणीवार कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) आज की तारीख तक इन श्रेणियों में बकाया रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सूचित किया है कि इसके छः क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर, मुम्बई और अहमदाबाद में स्थित हैं।

(ख) एक्जिम बैंक ने सूचित किया है कि इसकी कुल 150 की विद्यमान नफरी में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक स्टाफ की संख्या क्रमशः 21, 20 और 34 है।

(ग) एक्जिम बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक अनुसूचित जाति वर्ग में संचित रिक्तियां छः और अनुसूचित जनजाति वर्ग में तीन हैं। इस संचित पदों में से अनुसूचित जाति के चार और अनुसूचित जनजाति के दो प्रत्याशियों का चयन किया गया है। चूंकि अल्पसंख्यक वर्ग में कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए इस वर्ग में संचित पदों का प्रश्न नहीं उठता।

एम॰ आर॰ टी॰ एस॰

6077. **श्री राजीव प्रताप रूडी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवंबर, 1996 के इकॉनामिक टाइम्स में "डिलेज रेज एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ का रूट बाई रुपीज 1,000 करोर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां। एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ के कार्यान्वियन में विलंब के कारण परियोजना लागत में वृद्धि हो सकती है। तथापि, परियोजना का कार्यान्वियन अभी हाल ही में शुरू हुआ है।

(ख) और (ग) एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ परियोजना सन् 2005 तक पूरी होनी है। परियोजना कार्यान्वियन के लिए निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार की दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड नामक एक संयुक्त कम्पनी स्थापित की गई है। परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1997 में ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰ जापान के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा योजना के लिए जनरल कन्सलटेंट की नियुक्ति संबंधी मामला भी हाथ में लिया गया है।

नगर पालिकाओं का विकास

6078. **श्री रमेश चेन्नितला :**

श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में नगर पालिकाओं की पहचान कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) यह विभाग देश में शहरी गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित तीन स्कीमों का कार्यान्वियन कर रहा है :—

(1) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) : यह स्कीम 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 की आबादी वाले देश के सभी श्रेणी-II शहरी समूहों तथा पूर्वोत्तर के राज्यों, पर्वतीय राज्यों और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्रों के विशेष श्रेणी के शहरी समूहों के लिए भी लागू है। सारे देश में इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरी समूहों की संख्या 424 है।

(2) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) : यह स्कीम देश में पी एम आई यू पी ई पी के अंतर्गत न आने वाले सभी शहरी कस्बों के लिए लागू है।

(3) शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सुविधाएं (यूबीएसपी) : यह स्कीम राज्य सरकारों द्वारा चुने गए शहरों और इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कस्बों के लिए लागू है। वर्तमान में यह स्कीम सारे देश के 353 कस्बों में लागू है।

[हिन्दी]

पेयजल योजनाएं

6079. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां भारत-जर्मन सहयोग से पेयजल की योजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है;

(ख) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा योजनावार अनुमानतः कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(ग) इन योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है तथा इन्हें कब तक पूरा किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) राजस्थान सरकार ने बताया है कि एकीकृत जल आपूर्ति, सफाई और समुदाय सहभागिता परियोजना चुरू और हनुमानगढ़ जिलों के 325 गांवों और 2 शहरों में भारत-जर्मन सहयोग में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 253.01 करोड़ रु. है, जिसमें 135 मिलियन डी. एम. की जर्मन सहायता शामिल है। परियोजना पर किए जाने वाले कुल अनुमानित व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1.	तकनीकी	—	214.71 करोड़ रु.
2.	गैर-तकनीकी	—	19.00 करोड़ रु.
3.	परामर्श	—	19.30 करोड़ रु.
	कुल	—	253.01 करोड़ रु.

(ग) विस्तृत इंजीनियरी कार्य पूरा हो चुका है और पाइपों के उत्पादन एवं उन्हें बिछाने, शोधन संयंत्रों, जलाशयों आदि के निर्माण का कार्य चल रहा है। परियोजना के 30.12.2000 तक पूरा हो जाने की आशा है।

सहकारी बैंक

6080. श्रीमती केतकी देवी सिंह :

कुमारी उमा भारती :

श्री पंकज चौधरी :

श्री छत्तर सिंह दरबार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों को अपने वित्तीय संकट से उबरने हेतु विशेष सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय निधि की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य सहकारी बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाए जाने की योजना का हवाला दे रहे हैं। यह बताया जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जहां केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से शेयर पूंजी में अंशदान करती है, से अलग राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों की शेयर धारिता में उनके सदस्यों और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। कुछ हद तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य सरकार को दीर्घावधि ऋण प्रदान करता है ताकि वे सरकारी ऋण संस्थाओं की शेयरपूंजी में अंशदान कर सकें।

नाबार्ड की पहल पर सभी राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों ने अपने कार्यकरण में सुधार लाने और स्थायित्व पूर्ण अर्थक्षमता प्राप्त करने के लिए विकास कार्य योजनाएं (डी ए पी) तैयार की हैं और ऐसी योजनाओं पर निर्भर करते हुए, उक्त विकास कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने राज्य सरकारों के साथ-साथ राज्य/जिला स्तरीय सहकारी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया है।

[अनुवाद]

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियां

6081. श्री सुरेश प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे केवल वास्तविक व्यापारिक बिलों पर ही कटौती करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन. बी. एफ. सी.), विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (एम. एन. बी. सी.) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आर. एन. बी. सी. से कहा है कि वे केवल वास्तविक व्यापारिक बिलों पर ही कटौती करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनियों को यह भी चेतावनी दी है कि बिलों की पुनर्भुनाई के जरिए प्राप्त कोई भी धन, जो वास्तविक व्यापारिक लेन-देनों के जरिए समर्थित न हो, उसे विनियमित जमाराशि माना जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उनकी जानकारी में आया था कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अन्य निगमित निकायों, समितियों, न्यासों, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यक्तियों आदि के साथ विनिमय-पत्रों की पुनर्भुनाई के जरिए धन प्राप्त किया था और कई मामलों में वे बिल वास्तविक व्यावसायिक लेन-देनों से प्राप्त नहीं हुए थे तथा केवल निभाव बिलों की प्रकृति के थे। ऐसे बिलों की अर्थपूर्ण पुनर्भुनाई बिलों की

पुनर्भुनाई के रूप में जमा राशि प्राप्त करने की एक क्रिया थी और जमाराशि प्राप्त करने के क्रिया-कलापों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों से बचने के लिए इसका सहारा लिया गया था।

पेयजल की कमी

6082. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी उड़ीसा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ने जिला-वार कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में जल की कमी के स्थायी समाधान के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस योजना को लागू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि सूखा पीड़ित क्षेत्रों सहित अनाच्छादित एवं आंशिक रूप से आच्छादित निवास स्थानों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, आधारभूत न्यूनतम सेवा एवं डी॰ पी॰ ए॰ पी॰ कलमिटी रीलीफ फंड आदि के अंतर्गत दी जाती है। वर्ष 1997-98 के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 41.73 करोड़ रु॰ का विनिर्धारण किया गया है, जिसमें से 12.51 करोड़ रु॰ जारी किए जा चुके हैं। जिलावार धनराशि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जारी की जाती है। यह भी बताया गया है कि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके निर्वाह योग्य स्रोत उपलब्ध कराने के लिए सभी अनाच्छादित एवं आंशिक रूप आच्छादित निवास-स्थानों को शामिल करने की उड़ीसा राज्य सरकार की एक कार्य योजना है। सभी अनाच्छादित निवास-स्थानों को 1997-98 तक एवं आंशिक रूप आच्छादित निवास स्थानों को 2000 ई॰ तक शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

जहां तक शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय का संबंध है, 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों (1991 की जनगणना के अनुसार) पर यथा लागू एक केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11.58 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत पर अब तक 8 पेय-जल आपूर्ति योजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 2.89 करोड़ रु॰ का केन्द्रीय अंश जारी किया जा चुका है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं

(रु॰ लाख में)

क्रम सं॰	शहर का नाम	जिला	संस्वीकृति की तारीख	परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश
1.	बालीमेला	कोरापुट	मार्च, 94	83.65	41.83
2.	पिपिली	पुरी	मार्च, 94	83.65	41.83
3.	काशीनगर	गंजम	मार्च, 94	37.26	18.62
4.	चन्दाली	भद्रक	अक्तूबर, 95	90.73	45.39
5.	पन्पोश	सुंदरगढ़	अक्तूबर, 95	93.78	46.89
6.	कामख्यानगर	ढेंकनाल	नवम्बर, 95	236.73	118.37
7.	मल्कानगिरी	मल्कानगिरी	जनवरी, 97	219.00	109.50
8.	पोलसारा	गंजम	मार्च, 97	313.80	156.90
	योग			1158.62	579.31

विश्व बैंक

6083. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जल रिसाव, बिजली और पानी के अवैध कनेक्शनों तथा पानी/बिजली के मीटरों के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ और उनकी चोरी को रोकने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना शुरू की है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक ने कुल कितना धन देने का आश्वासन दिया है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान शुरू की जाने वाली संभावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने राज्य सरकार से अब तक शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी

6084. श्री एस॰ बंगारप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टेक्नोलॉजी पैकेज को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) और (ख) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी को सरकारी प्रशासन, वाणिज्य उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष, रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक अपनाया तथा लागू किया जा रहा है। नौवीं योजना के दौरान देश में कम्प्यूटर के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया है :—

(i) भारतीय भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर का स्थानीकरण;

(ii) डेटा वेयरहाउस/डेटा बेस का निर्माण एवं अनुरक्षण; तथा

(iii) कम्प्यूटर नेटवर्क संबंधी मूल संरचनात्मक सुविधाओं में अभिवृद्धि।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

वर्ष 1996-97 में नाबार्ड के लक्ष्य

6085. श्री नारायण अठावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 'नाबार्ड' कम कार्यनिष्पादन क्या रहा;

(ख) पिछली संबंधित अवधि से उसके कार्यनिष्पादन की तुलना किस प्रकार की जाती है;

(ग) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना का राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु आवश्यक पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए नाबार्ड द्वारा अन्तिम रूप दी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा किन-किन प्रमुख परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया गया और हाल ही में स्वीकृत/विचाराधीन/लम्बित परियोजनाओं के ब्यौरे सहित उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंक में लूटपाट

6086. श्री सत्यदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में लूटपाट को रोकने और लुटेरों को पकड़ने के लिए भारत में अमरीकी प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस संबंध में रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) देश में उपरोक्त प्रणाली कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में नृशंस हत्याएं

6087. श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा :

कुमारी उमा भारती :

श्री चमन लाल गुप्त :

श्री मंगत राम शर्मा :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री अशोक प्रधान :

प्रो॰ अजीत कुमार मेहता :

श्री राम बहादुर सिंह :

श्री प्रमोद महाजन :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1997 में मध्य कश्मीर में बडगांव जिलों में संग्रामपुर गांव में आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक सदस्यों की हत्या कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीरी पंडित पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों का निशाना रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो 1990 से अब तक कितने कश्मीरी पंडित मारे गए हैं;

(ङ) जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) 1990 से अब तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की हिंसा के कारण जम्मू छोड़कर आए व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(छ) क्या प्रवासियों को घाटी में वापस भेजा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) 21/22 मार्च, 1997 के बीच की रात को कुछ अज्ञात उग्रवादी बड़गाम जिले के संग्रामपुरा, बीरवाह, गांव में घुसे और उन्होंने कश्मीरी पण्डित समुदाय के पुरुष सदस्यों को बाहर बुलाया। बताया जाता है कि उन्होंने 8 कश्मीरी पण्डितों को एक कतार में खड़े होने का निर्देश दिया और उसके बाद उन पर निकट से गोलियां दाग दी जिसके परिणामस्वरूप 7 व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारे गए तथा एक व्यक्ति घायल हो गया।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां पिछले तीन वर्षों, 1994 से 1996 तक की अवधि के दौरान सुरक्षा बल के कार्मिकों सहित कुल मारे गए 4352 व्यक्तियों में से कश्मीरी पण्डितों सहित 304 व्यक्ति हिन्दू समुदाय के थे। वर्ष 1990 से 31.3.97 तक की अवधि के दौरान राज्य में आतंकवादी हिंसा में कश्मीरी पण्डितों सहित हिन्दू समुदाय के 706 व्यक्तियों की जानें गई हैं।

(ङ) अन्य विश्वास पैदा करने वाले उपायों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या वाले इन पॉकेटों में विभिन्न स्थानों पर पुलिस पिकेट स्थापित किए गए हैं, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को ऐसे क्षेत्रों में और उनके आस-पास गश्त लगाने को कहा गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भी ऐसे गांवों का दौरा कर रहे हैं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों में विश्वास पैदा करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 48131 परिवार कश्मीर घाटी से जम्मू व देश के अन्य भागों में पलायन कर गए हैं।

(छ) और (ज) कश्मीरी पण्डितों की अपने घरों को वापसी और उनका पुनर्वास राज्य सरकार की एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता है। राज्य सरकार उनकी वापसी के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसे अन्तिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि इस मुद्दे को राजनैतिक आर्थिक आधार पर निपटाया जाना है।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर

6088. श्री डी॰ पी॰ यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय संविदा विकास निधि कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में पैदा किए गए रोजगार के अवसरों की संख्या क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन से संबंधित दो केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यथा नेहरू रोजगार योजना (एन॰ आर॰ वाई॰) और प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी॰ एम॰ आई॰ यू॰ पी॰ ई॰ पी॰)। दोनों स्कीमों में, सरकार द्वारा राष्ट्रीय संविदा विकास निधि कार्यक्रम (एन॰ सी॰ डी॰ एफ॰ प्रोग्राम) के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में ऐसा कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

आई॰ सी॰ सी॰ आर॰ द्वारा की गई खरीद में अनियमितताएं

6089. श्री एस॰ अजय कुमार :
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्री देवेन्द्र बहादुर राय :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई॰ सी॰ सी॰ आर॰ द्वारा बिना किसी निविदा/मूल्य दर मंगाए जनरेटर सैटों को खरीदने तथा लगाने के लिए 13,00 लाख रुपए खर्च किए गए जबकि यह जी॰ एफ॰ आर॰ के अंतर्गत अनिवार्य है, और न ही उन्होंने डी॰ जी॰ एस॰ एण्ड डी॰ से दर संविदा किया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने 1994 में बार-बार बिजली के चले जाने और बिजली की निर्बाध आपूर्ति, विशेषकर आजाद भवन के आडिटोरियम में कला मंचन के दौरान की आवश्यकता को देखते हुए बड़े भवनों के लिए 285 के॰ वी॰ का एक जैनरेटर सेट खरीदा था। जेनरेटर सेट की आपूर्ति के लिए मुहरबन्द निविदाएं मंगाई गई थी और उस कम्पनी को ठेका दिया गया था जिसकी बोली न्यूनतम थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमि का आबंटन

6090. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण सामाजिक संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रोहिणी और पप्पन-कलां परियोजनाओं में ऐसा कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि रोहिणी और द्वारका (पप्पन कलां) परियोजनाओं में सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में दिए गए मानकों के अनुसार किया गया है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा लिया गया ऋण

6091. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा उधार लेने पर सीमा लगाने की व्यवहार्यता विचाराधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1995-96 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी लोक ऋण पर वैधानिक सीमा तय करने का सुझाव दिया है। बैंक से इस विषय में एक परिचर्चा पत्र तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में विद्युत की कमी

6092. डॉ. कृपासिंधु भोई :

डॉ. वाई. एस. राज शेखर रेड्डी :

श्री हरिन पाठक :

श्री वी. प्रदीप देव :

श्री के. वी. सिंह देव :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) केन्द्र सरकार किन कारणों से दिल्ली में विद्युत की कमी को दूर करने में असफल है;

(ङ) इन कारणों को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(च) एम. एन. सी. द्वारा शुरू की गई निजी विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(छ) क्या सतत और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) दिल्ली समेत उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की कमी का मुख्य कारण विद्युत उत्पादन क्षमता में बहुत कम अभिवृद्धि किया जाना है जबकि मांग 7% -8% प्रति वर्ष बढ़ती रही है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के ताप विद्युत स्टेशनों का कम संयंत्र भार घटक और गैस की अपर्याप्त उपलब्धता दिल्ली में विद्युत की कमी के अन्य कारण हैं। दिसंबर, 1996 और जनवरी, 1997 में उत्तरी क्षेत्र ग्रिड खराब हो जाने और जनवरी, 1997 के दौरान ओएनजीसी द्वारा गैस प्लेटफार्म का बंद हो जाने के कारण दिसंबर, 1996 और जनवरी, 1997 के महीनों के दौरान दिल्ली की विद्युत आपूर्ति स्थिति और भी प्रभावित हुई है। दिल्ली में विद्युत की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों में उत्तरी क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों में उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से आबंटन किए जाने को प्राथमिकता प्रदान करना, दिल्ली के चारों ओर 400 के. वी. क्षमता का शीघ्रता से चालू करना, दिल्ली में 220 के. वी. नेटवर्क को सशक्त बनाना, तथा वोल्टता प्रोफाइल सुधारने के लिए कैपेसिटरों की अधिष्ठापना करना शामिल है। पूर्वी क्षेत्र की अधिशेष विद्युत (लगभग 100 मे. वा.) का उत्तरी क्षेत्र में अंतरण करने के लिए रूपात्मकताएं भी तैयार की जा रही हैं। दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की भी एक कृतक बल द्वारा मानीटरिंग की जा रही है।

दिल्ली में गर्मी के महीनों के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति में अभिवृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं :—

(i) उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों में केन्द्रीय सरकार के अनाबंटित हिस्से से अतिरिक्त किया गया है।

(ii) जब तक पंजाब में विद्युत अधिशेष है जब तक पीएसईबी के रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र के 210 मे. वा. क्षमता की एक यूनिट से दिल्ली के विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

(iii) नरौरा एपीएस से 15% विद्युत का अतिरिक्त आबंटन।

(च) अब तक विद्युत मंत्रालय विदेशी निवेश वाले 54 प्रस्तावों की मानीटरिंग कर रहा है इन प्रस्तावों में से 16 प्रस्तावों को के. वि. प्रा. की तकनीकी-आर्थिकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और 38 प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में के. वि. प्रा. की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

(छ) और (ज) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के

लिए उठाए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, विद्यमान क्षमता से विद्युत उत्पादन अधिकतम करना, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने में शीघ्रता लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षक उपाय करना, पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से विद्युत की व्यवस्था करना तथा विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना आदि।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति

(सभी आंकड़े निवल मि॰ यू॰ में)

	अप्रैल-96-मार्च, 97			
क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	887	885	2	0.2
दिल्ली	14060	13694	366	2.6
हरियाणा	13895	13078	817	5.9
हिमाचल प्रदेश	2325	2303	22	0.9
जम्मू और कश्मीर	4833	3961	872	18.0
पंजाब	21770	21414	356	1.6
राजस्थान	20080	18595	1485	7.4
उत्तर प्रदेश	41365	35600	5765	13.9
उ॰ क्षे॰	119215	109530	9685	8.1
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	38225	35111	3114	8.1
मध्य प्रदेश	33045	29096	3949	12.0
महाराष्ट्र	60181	56824	3357	5.6
गोवा	1273	1273	0	0.0
प॰ क्षे॰	132724	122304	10420	7.9
दक्षिण क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	40240	31359	8881	22.1
कर्नाटक	24940	18172	6768	27.1
केरल	11415	8820	2595	22.7
तमिलनाडु	36080	31118	4962	13.8
द॰ क्षे॰	112675	89469	23206	20.6
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	9625	6981	2644	27.5
डीवीसी	8315	8064	251	3.0
उड़ीसा	10605	10282	323	3.0
पश्चिम बंगाल	15475	15026	449	2.9
पू॰ क्षे॰	44020	40353	3667	8.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	162.9	83.9	79.0	48.5
असम	3004.8	2697.5	307.3	10.2
मणिपुर	416.9	372.4	44.5	10.7
मेघालय	412.3	412.3	0.0	0.0
मिजोरम	189.0	152.8	36.2	19.2
नागालैंड	187.3	157.2	30.1	16.1
त्रिपुरा	482.8	367.9	114.9	23.8
उ॰ पू॰ क्षे॰	4856.0	4244.0	612.0	12.6
अखिल भारत	413490	365900	47590	11.5

असंतोषजनक कार्यदशाएं

6093. श्री के॰ परसुरामन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेश मंत्रालय के असंतोषजनक कार्यदशाओं के बारे में कुछ समय पूर्व "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) क्या नियंत्रक अधिकारियों के व्यवहार और दृष्टिकोण से अधीनस्थ कर्मचारियों में अत्यधिक नाराजगी और असंतोष व्याप्त है; और

(ग) सरकार का इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) से (ग) चूंकि समाचार में छपे सन्दर्भाधीन समाचार की तारीख का कोई उल्लेख नहीं किया गया है अत: उसकी विषय वस्तु पर ठीक-ठीक टिप्पणी करना संभव नहीं है तथापि स्टाफ के सदस्यों की शिकायतों के निवारण के संबंध में एक सुस्थापित शिकायत निवारण तंत्र काम कर रहा है और ऐसी किसी भी शिकायत को तुरंत हल करने की दृष्टि से यह तंत्र एक मुक्त सरल प्रक्रिया का अनुपालन करता है।

अप्रयुक्त धनराशि

6094. श्री विजय गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों की अप्रयुक्त कुल धनराशि कितनी है; और

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान धनराशि की तुलना में वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान व्यपगत धनराशि कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के लिए संघ सरकार के वार्षिक लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की बचत दर्शाने वाला एक विवरण (संगत वर्षों के लिए विनियोग लेखे के अनुसार) संलग्न है।

विवरण

क्रम सं॰	मंत्रालय/विभाग	बचत (करोड़ रुपयों में)		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	कृषि मंत्रालय	443.99	285.06	386.52
2.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	108.09	190.54	43.40
3.	नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय	12.31	13.11	36.40
4.	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	8.99	10.76	13.11
5.	कोयला मंत्रालय	148.33	258.97	183.49
6.	वाणिज्य एवं पूर्ति मंत्रालय	45.20	86.03	98.56
7.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	18.74	30.61	62.21
8.	विदेश मंत्रालय	39.20	@	75.25
9.	वित्त मंत्रालय	16059.68	40911.06	52158.89
10.	खाद्य मंत्रालय	61.94	123.65	229.75
11.	खाद्य संसाधन मंत्रालय	13.80	15.68	4.71
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	147.94	256.60	230.48
13.	गृह मंत्रालय	303.77	175.31	88.41
14.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	120.82	50.69	423.34
15.	उद्योग मंत्रालय	677.27	810.64	618.58
16.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	130.58	14.06	31.27
17.	श्रम मंत्रालय	5.20	116.34	49.22
18.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	35.87	3.58	32.64
19.	खान मंत्रालय	17.93	24.65	9.35
20.	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	3.82	21.98	56.00
21.	संसदीय कार्य मंत्रालय	0.01	0.19	0.01
22.	कार्मिक लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय	1.20	0.37	1.46
23.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	80.10	157.57	0.07
24.	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	37.66	49.30	61.42
25.	विद्युत मंत्रालय	108.83	374.36	477.99
26.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	172.79	1.93	304.64
27.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मंत्रालय	19.45	19.51	37.78

1	2	3	4	5
28.	इस्पात मंत्रालय	25.48	11.49	52.65
29.	भूतल परिवहन मंत्रालय	198.87	154.27	272.51
30.	वस्त्र मंत्रालय	220.13	261.64	122.25
31.	शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय	118.97	140.07	135.59
32.	जल संसाधन मंत्रालय	40.11	52.85	53.26
33.	कल्याण मंत्रालय	46.53	31.97	33.81
34.	परमाणु ऊर्जा मंत्रालय	172.79	270.76	127.74
35.	इलैक्ट्रानिकी विभाग	33.77	33.38	38.76
36.	महासागर विकास विभाग	7.98	6.19	7.70
37.	अन्तरिक्ष विभाग	48.39	15.92	26.22
38.	संसद (लोक सभा/राज्य सभा)	0.77	4.34	5.55
39.	राष्ट्रपति	0.28	0.35	0.03
40.	उपराष्ट्रपति	0.00	0.01	0.08
41.	संघ लोक सेवा आयोग	0.02	0.01	1.37
42.	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1009.63	14.78	73.80
43.	डाक विभाग	@	@	@
44.	दूर संचार विभाम	781.65	1004.71	423.70
45.	रक्षा मंत्रालय	209.25	558.36	395.02
46.	रेल मंत्रालय	1484.78	1004.71	423.70
	जोड़	23222.91	47568.36	57908.69

टिप्पणियां :

1. बचत के उपर्युक्त आंकड़े मूल तथा पूरक अनुदानों/विनियोगों से सुसंगत हैं। विनियोग लेखे में प्रतिबिम्बित होने वाली बचतों को अन्तिम व्यय अनुमानों के संदर्भ में परिकलित नहीं किया जाता है। ये व्यय में कमी में लेखों में समायोजित वसूलियों को अथवा ऐसी प्राप्तियां, जिन्हें व्यय बजट में प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए लिया जाता है, को भी प्रतिम्बित नहीं करते हैं।

2. ऐसे मामले जिन्हें @ के रूप में चिन्हित किया गया है, में व्यय स्वीकृति अनुदान से अधिक हो गया है।

बीड़ी श्रमिकों को सुविधाएं

6095. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बीड़ी श्रमिकों के लिए बीमा, भविष्य निधि और पेंशन आदि की कोई योजना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और समूह बीमा योजना जैसी कई योजनाएं हैं जो देश में बीड़ी कर्मकारों पर लागू हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तरल ईंधन का आबंटन

6096. श्री अययन्ना पटरूषु : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं हेतु तरल ईंधन के परिवर्धित आबंटन में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कटौती किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) बिजली की मांग को पूरा करने

के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि नौवीं योजनावधि (1997-2002) के लिए देश को लगभग 57000 मेगावाट वर्धमान क्षमता की आवश्यकता होगी और दसवीं योजनावधि (2002-2007) के दौरान आवश्यकता 65000 मेगावाट होने का अनुमान है। कई राज्य सरकारें कमियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से निजी क्षेत्र में तरल ईंधन पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने का अनुरोध करती रही हैं क्योंकि इन संयंत्रों को आरम्भ करने और चालू करने के लिए छोटी अवधि का लाभ प्राप्त है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए तरल ईंधन नीति तैयार की है और देश के तरल ईंधन पर आधारित 12000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के विकास की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा इस क्षमता का राज्य-वार आबंटन राज्यों की अतिरिक्त मांगों और ऊर्जा व न्यूनता में वृद्धि के आधार पर किया गया है।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों को आबंटित तरल ईंधन के आधार पर विद्युत क्षमता क्रमशः 1160 मेगावाट और 1500 मेगावाट है। राज्यों में विद्युत परियोजनाओं को तरल ईंधन का आबंटन विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर संबंधित राज्यों को विद्युत क्षमता आबंटन की सीमा तक किया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों ने आबंटित क्षमताओं से काफी अधिक क्षमता की परियोजनाओं की सिफारिश की है। विद्युत मंत्रालय से सिफारिशों की प्राथमिकता पुनः निर्धारित करने और इन्हें तर्कसम्मत बनाने का अनुरोध किया गया है, ताकि आबंटनों को संस्वीकृत क्षमता के भीतर रखा जा सके।

भारत-कनाडा संयुक्त आयोग

6097. श्री के. प्रधानी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए भारत-कनाडा संयुक्त आयोग गठित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक सहयोग के किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) उक्त मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) कनाडा के विदेश मंत्री श्री लॉयड एक्सवर्दी की हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में एक संयुक्त मंत्रालयी समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया था। यह समिति आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ वाणिज्यिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग में तेजी लाने की दिशा में कार्य करेगी। एक अलग भारत-कनाडा संयुक्त आर्थिक आयोग के गठन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस समिति की पहली बैठक की कार्यसूची में सहयोग के सही-सही क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा जिसकी तारीख अभी तय की जानी है।

(ग) संयुक्त मंत्रालयी समिति की पहली बैठक के ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के लिए दोनों सरकारें एक-दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं।

बंगलौर में रिंग रेल चलाना

6098. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक राज्य के बंगलौर शहर में रिंग रेल सेवा शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में हलकी रेल परिवहन प्रणाली आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए इक्विटी सहभागिता हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है। तथापि, कर्नाटक सरकार अभी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और आर्थिक तथा वित्तीय आकलन तैयार करने की प्रक्रिया में ही है। राज्य सरकार से इन रिपोर्टों को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है ताकि उपरोक्त परियोजना की इक्विटी में सहभागिता के संबंध में भारत सरकार समुचित कार्रवाई कर सके।

भारत-ओमान समझौता

6099. डॉ. एम. पी. जायसवाल :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान के सुल्तान खबूस-बिन-सद ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) उपरोक्त यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेश/संरक्षण और प्रत्यक्ष कराधान से बचने के लिए किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित करार सम्पन्न हुए।

(1) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार।

(2) दोहरे कराधान के परिहार और आय पर करों के संबंध में वित्तीय अपवंचन की रोकथाम से सम्बद्ध करार।

(3) ओमान के कृषि तथा मात्सिकी मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बीच वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध समझौता करार।

(4) भारत और ओमन के बीच 1997 और 1998 के लिए सांस्कृतिक तथा शैक्षिक करार का कार्यकारी कार्यक्रम।

(5) द्विपक्षीय नागर विमानन से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन।

(6) ओमान-भारत खाद परियोजना से सम्बद्ध संयुक्त उद्यम करार।

(घ) निवेश संवर्धन और संरक्षण करार का व्यापक उद्देश्य दोनों में से किसी भी देश से दूसरे देश में निवेश का संवर्धन और संरक्षण करना है। दोनों देशों को निवेशकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां संवर्धित एवं सृजित करनी हैं और निवेश की अनुमति उस देश के कानूनों और नीतियों के अध्यधीन होगी जहां निवेश करना है। इसके अलावा, प्रत्येक देश दूसरे देश के निवेश को वही बरताव देगा जो निष्पक्ष और समान हो। इसके अलावा इस करार में यह व्यवस्था है कि निवेश की राष्ट्रीयता और स्वामित्वहरण का सहारा नहीं लिया जाएगा जब तक कि भेदभावरहित आधार पर और मुआवजा के विरुद्ध कानून के अनुसार लोक हित में आवश्यक न हो।

दोहरे कराधान के परिहार और आय पर करों के संबंध में वित्तीय अपवंचन की रोकथाम से सम्बद्ध करार से उम्मीद है कि आपसी व्यापार, निवेश के प्रवाह और भारत तथा ओमान के बीच प्रौद्योगिकी अन्तरण में वृद्धि करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस करार में संबंधित देशों में करदाताओं के समक्ष आ रही कर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परस्पर सहमत क्रियाविधि की व्यवस्था है। इसमें दोनों देशों के बीच कर अपवंचन को रोकने के लिए सूचना के आदान-प्रदान की भी व्यवस्था है।

दिल्ली में एम॰ आर॰ टी॰ एस॰

6100. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में बाधा उत्पन्न हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर आपत्ति करने वाले संस्थानों/व्यक्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ परियोजना के लिए संशोधित चरण-1 हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तथापि, शाहदरा, नांगलोई रेल कोरिडोर का रेल कोरिडोर को लेकर किराड़ी सुलेमान तथा मुंडका गांवों के निवासियों ने दिल्ली सरकार को नांगलोई एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ डिपो के निर्माण हेतु वैकल्पिक स्थान पर विचार करने के लिए अभ्यावेदन दिया है। इस परियोजनार्थ मैसर्ज राइट्स को नांगलोई डिपो का स्थान बदलने अथवा डिजाइन बदलने की संभावना की जांच करने को कहा गया है ताकि उस इलाके के कम से कम निवासियों को अन्यत्र बसाना पड़े।

[हिन्दी]

कश्मीर के सरकारी स्कूलों में भारत विरोधी प्रचार

6101. **चौधरी रामचन्द्र बेंदा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुंछ और कश्मीर घाटी के सरकारी और अन्य स्कूलों में भारत विरोधी प्रचार अभियान चलाया जा रहा है और ये मदरसे तथा सरकारी स्कूल पाकिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी संगठन जमायते इस्लामी से प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रचार कहां-कहां पर किया जा रहा है और इस कार्य में कौन-कौन से संगठन संलिप्त हैं तथा किन-किन और कितने लोगों द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) इस पर रोक लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रहमण्यन : (क) से (ग) सरकार को ऐसी कुछ रिपोर्टों की जानकारी है कि युवाओं को अपने मत की शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य में जमात-ए-इस्लामी आदि जैसी कुछ अलगाववादी/उग्रवादी संगठनों के संरक्षण में स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार को नियमित रूप से सुग्राही बनाया गया है और ऐसे संगठनों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उन पर सतत दबाव बनाए रखा जा रहा है। नियमित शैक्षिक संस्थानों को पुनः सक्रिय करने और उनके कार्यकरण में सुधार लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं जिससे अन्य बातों के साथ-साथ बच्चे ऐसे संगठनों के प्रभाव से दूर हो जाएंगे।

[अनुवाद]

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

6102. **श्री चन्दूभाई देशमुख** :

श्री सनत मेहता :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को बड़ोदरा में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के संबंध में कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या इन शर्तों का गुजरात सरकार द्वारा पालन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक यह स्थापित कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (घ) वर्ष 1991 में बड़ोदरा में महिलाओं हेतु क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की

स्थापना पर सहमति इस शर्त पर हुई थी कि गुजरात सरकार संस्थान के स्थायी भवन के निर्माण हेतु लगभग 5 एकड़ का उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध करवाएगी तथा प्रशिक्षण गतिविधियों को तुरंत आरंभ करने हेतु पर्याप्त अस्थायी आवास भी उपलब्ध करवाएगी। अप्रैल 1993 में, गुजरात सरकार ने एक भू-खण्ड एक विद्यमान अधिरचना के साथ उपलब्ध करवाया था जिस पर एक नया भवन भी निर्माणाधीन है। यद्यपि भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि भवन के निर्माण की लागत की उसे प्रतिपूर्ति कर दी जाए। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्माणाधीन भवन, विश्व बैंक, जिसकी सहायता से योजना कार्यान्वित की जा रही है, के मानकों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। तथापि, मई, 1995 से संस्थान समिति मौलिक सुविधाओं के साथ कार्य कर रहा है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

6103. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में विभागीय पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के सही ढंग से अनुपालन न करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

छत प्रयोग के मानदंड

6104. श्री शिबु सोरेन :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में बनाए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के तीन मंजिला एल. आई. जी. फ्लैटों की छत प्रयोग के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या छत का प्रयोग तीसरी मंजिल पर बने फ्लैट का आबंटी ही कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रोहिणी क्षेत्र में बने दिल्ली विकास प्राधिकरण के एल. आई. जी. फ्लैटों तथा अन्य स्थानों पर बने ऐसे फ्लैटों के आवंटियों, जो किश्तें अदा नहीं करते, के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी. डी. ए.) ने बताया है कि छत का प्रयोग सामान्यतया तीसरी/ऊपरी मंजिल के आबंटियों द्वारा अपने बाहरी कार्यकलापों के लिए किया जाता है। तथापि, निचली मंजिलों के आबंटी भी पानी की टंकियों तथा टी. वी. एंटिना इत्यादि के रख-रखाव के लिए छत का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(घ) आबंटन की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, किराया-खरीद आधार पर आबंटित फ्लैटों के आबंटियों द्वारा स्वयं ही प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक मासिक किश्त के भुगतान की अपेक्षा की जाती है। डी. डी. ए. ने किश्तों की बकाया राशि वसूलने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) चूककर्ता आबंटियों को नोटिस जारी करना।

(ii) गैर-वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना।

(iii) चूककर्ता आबंटियों को कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए देय राशि का भुगतान करने की सलाह देते हुए, अखबारों में सूचना जारी करना।

(iv) पंजाब, भू-राजस्व अधिनियम, 1887 तथा लोक परिसर अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई जैसे गिरफ्तारी वारंट जारी करना, फ्लैट सील करना, आबंटन रद्द करना इत्यादि।

(v) रोहिणी जोन में घर-घर जाकर वसूली करना।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा

6105. श्री मुरलीधर जेना :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में शहरी विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई समन्वय किया जाता है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा योजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कितनी उपलब्धि हुई;

(ङ) क्या राज्यों से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित नए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) जी, हां। शहरी विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में निम्नलिखित 6 केन्द्रीय योजनाएं प्रायोजित की जा रही हैं :—

(i) छोटे और मझोले शहरों का एकीकृत विकास।

(ii) मेगा सिटी स्कीम।

(iii) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं।

(iv) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

(v) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम।

(vi) कम लागत की सफाई।

राज्य सरकारें इन योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं तथा उपयुक्त अन्तराल पर नियमित बैठकें आयोजित करके राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित किया गया है।

(घ) इन स्कीमों के बारे में गत 3 वर्षों के दौरान आबंटित धन, निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण-I से X में दी गई हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान आई डी एस एम टी स्कीम के तहत धन का नियतन और शहरों की संख्या

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ प्रदेश	1994-95		1995-96		1996-97	
		शहर	धन	शहर	धन	शहर	धन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6	135.00	6	208.21	8	490.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	26	1	10.00		11.00
3.	असम	3	45.00		40.00	2	60.00
4.	बिहार	2	46.00	5	120.00	5	75.00
5.	गोवा	1	24.00				
6.	गुजरात	7	150.00	4	118.00	4	176.97
7.	हरियाणा			2	50.00		10.00
8.	हिमाचल प्रदेश			1	35.00	1	15.00
9.	जम्मू और कश्मीर		40.00			1	73.50
10.	कर्नाटक	11	290.00	6	242.00	8	334.45
11.	केरल	4	118.50	3	171.09	2	44.75
12.	मध्य प्रदेश	12	253.50	7	279.50	7	116.35
13.	महाराष्ट्र	17	433.75	6	398.75	6	
14.	मणिपुर			1	10.00	1	49.50
15.	मेघालय						11.00
16.	मिजोरम	1	12.00		17.00	1	16.00
17.	नागालैंड		15.00	1	17.00	1	13.00
18.	उड़ीसा	9	181.00	3	84.00	2	25.00
19.	पंजाब	1	36.25	2	45.00	1	50.00
20.	राजस्थान	3	70.00	5	171.50	2	130.00
21.	सिक्किम		20.00				6.00
22.	तमिलनाडु	11	139.00	9	198.20	5	45.90
23.	त्रिपुरा				13.75	1	39.00
24.	उत्तर प्रदेश	5	159.00	11	353.00	12	398.00
25.	पश्चिम बंगाल	8	95.70	4	190.00	6	195.40

1	2	3	4	5	6	7	8
संघ प्रदेश							
1.	अंडमान और निकोबार						
2.	दादर व नगर हवेली			1	5.00		
3.	दमन व द्वीव			1	5.00		
4.	लक्षद्वीप						
5.	पाण्डिचेरी						
	जोड़	104	2289.70	79	2782.00	76	2592.01

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान मेगा शहरों की नोडॅल एजेंसियों को जारी धन

(रुपए करोड़ों में)

मेगा शहर	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
कलकत्ता	16.10	18.08	13.58
मुम्बई	16.10	18.08	13.08
चेन्नई	11.10	17.08	11.98
हैदराबाद	11.10	15.58	11.71
बंगलौर	20.10	15.08	10.55

मेगा सिटी स्कीम के तहत कोई भौतिक लक्ष्य नहीं रखे गए हैं क्योंकि स्कीम में मेगा शहरों में कई प्रकार की अवस्थापना विकास परियोजना का विचार है। तथापि मेगा सिटी स्कीम का प्रमुख लक्ष्य मेगा शहरों में वर्ष 2002 तक एक आवर्ती कोष बनाने का है ताकि वहां सतत आधार पर अवस्थापना कार्य शुरू किए जा सके।

विवरण-III

यूबीएसपी की स्थिति की रिपोर्ट—सभी राज्यों/संघ प्रदेशों की प्रगति 31.3.97 की स्थिति के अनुसार

राज्य/सं॰ प्रदेश का नाम	चुने गये शहरों की सं॰	शहर की कुल आबादी	चुने गये स्लम पाकेटों की सं॰	इन स्लम पाकेटों में शामिल किये गये लाभार्थियों की संख्या	चुने गये आर सी वी की सं॰	गठित परिवेश समितियां	बनाई गई समुदाय विकास समितियां	नियुक्त समुदाय संयोजक	तैयार की गई मिनी योजनायें	माह/वर्ष तक सूचित प्रगति	राज्य शहरी विकास एजेन्सी/राज्य मोनेटरिंग समिति गठित है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आंध्र प्रदेश	23	950	808	753	5888	647	56	40	545	08/96	एस यू डी ए
2. अरुणाचल प्रदेश	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	एस एम सी
3. असम	4	174	84	174	6786	60	60	7	40	11/96	एस यू डी ए
4. बिहार	18	4187	29	290	1656	166	11	22	27	07/96	—वही—
5. गोवा	6	31	7	31	—	—	3	1	15	08/96	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. गुजरात	27	1486	254	304	2573	245	35	73	254	03/97	एस एम सी
7. हरियाणा	3	887	12	70	833	70	2	8	62	01/97	एस यू डी ए
8. हिमाचल प्रदेश	3	31	21	13	29	9	—	3	8	02/97	एस एम सी
9. जम्मू और कश्मीर	2	12	8	5	—	14	—	1	—	03/96	—वही—
10. कर्नाटक	45	559	28	279	2103	200	—	25	200	06/96	—वही—
11. केरल	17	549	536	549	14945	2989	224	51	224	08/96	—वही—
12. मध्य प्रदेश	10	912	36	420	4737	542	64	53	457	03/97	एस यू डी ए
13. महाराष्ट्र	35	6657	557	981	6357	719	30	84	—	08/96	एस एम सी
14. मणिपुर	4	78	45	20	385	33	1	11	233	09/96	एस यू डी ए
15. मेघालय	2	111	16	15	196	14	—	2	4	10/95	—वही—
16. मिजोरम	1	107	50	100	624	52	1	4	52	09/96	—वही—
17. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. उड़ीसा	12	180	331	109	1329	137	—	25	328	08/96	एस यू डी ए
19. पंजाब	4	719	77	223	1737	173	19	14	152	09/96	—वही—
20. राजस्थान	21	1387	400	433	1732	117	2	13	80	02/97	एस एम सी
21. सिक्किम	14	150	16	10	16	16	16	4	14	02/97	एस यू डी ए
22. त्रिपुरा	9	49	32	15	261	26	—	6	23	12/96	—
23. तमिलनाडु	25	1219	717	723	7632	757	69	55	717	02/97	एस यू डी ए
24. उत्तर प्रदेश	25	2565	764	906	6708	618	64	25	543	12/96	—वही—
25. पश्चिम बंगाल	28	622	66	559	5190	560	5	56	100	06/96	—वही—
26. अण्डमान निकोबार	1	42	4	28	4	1	—	1	11	01/96	डी यू डी ए
27. चण्डीगढ़	1	100	11	60	—	5	—	—	—	01/97	एस यू डी ए
28. दादर व नगर हवेली	1	12	1	12	—	—	—	1	—	02/97	—वही—
29. दमन व द्वीव	2	15	—	1	—	—	—	—	—	12/96	डी यू डी ए
30. दिल्ली	1	1500	47	388	2158	126	18	9	36	12/96	—वही—
31. पांडिचेरी	4	226	80	101	772	58	—	2	24	11/96	एस एल एमसी
	353	25517	5037	7572	74151	8354	680	596	4149		

11 शहरों की प्रगति दी गई सूचना केवल 14 शहरों की है।

विवरण-IV

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं—31.3.97 को बताई गई वित्तीय प्रगति केन्द्रीय धन का इस्तेमाल

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	जारी किया गया संचयी केन्द्रीय अंश (1990-91 से 94-95)	प्राप्त किया गया इस्तेमाल प्रमाण पत्र 1990-91 से 1994-95	इस्तेमाल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	754.55	574.95	76.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	35.00	100.001
3.	असम	89.85	66.45	73.96
4.	बिहार	581.64	338.22	58.14
5.	गोवा	57.00	48.83	85.66
6.	गुजरात	342.10	313.76	91.72
7.	हरियाणा	101.80	87.24	85.69
8.	हिमाचल प्रदेश	57.00	53.00	92.98
9.	जम्मू और कश्मीर	46.00	7.50	16.30
10.	कर्नाटक	599.85	299.72	49.96
11.	केरल	285.78	285.78	100.00
12.	मध्य प्रदेश	672.00	495.98	73.80
13.	महाराष्ट्र	919.24	781.31	84.99
14.	मणिपुर	62.50	46.00	73.60
15.	मेघालय	61.00	56.45	92.54
16.	मिजोरम	62.50	62.50	100.00
17.	नागालैंड	35.00		
18.	उड़ीसा	199.30	116.70	58.55
19.	पंजाब	183.70	132.47	72.11
20.	राजस्थान	392.45	284.79	72.56
21.	सिक्किम	62.50	62.50	100.00
22.	तमिलनाडु	904.30	886.00	97.97
23.	त्रिपुरा	62.50	62.50	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	1418.63	1105.14	77.90
25.	पश्चिम बंगाल	629.58	498.09	79.11
26.	अण्डमान निकोबार	64.65	22.20	34.13

1	2	3	4	5
27.	चण्डीगढ़	49.35	47.89	97.70
28.	दादर व नगर हवेली	55.50	45.73	82.40
29.	दमन व द्वीव	37.20	34.60	93.01
30.	दिल्ली	120.85	113.28	93.73
31.	पांडिचेरी	54.20	35.24	65.01
	जोड़	8997.52	6999.82	77.80

और अधिक सूचना मांगी गई है।

विवरण-V

गरीबों के लिए सेवाएं-31.3.97 को बताई गई वित्तीय प्रगति राज्य अंश का प्रावधान (रू० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	अपेक्षित संचयी राज्य अंश (1992-93 से 1995-1996)	प्रगति संचयी राज्य अंश	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	448.73	335.10	74.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.66	8.50	88.00
3.	असम	36.50	27.83	76.25
4.	बिहार	256.11	256.11	100.00
5.	गोवा	31.66	27.99	88.40
6.	गुजरात	150.53	138.25	91.84
7.	हरियाणा	57.46	57.48	100.03
8.	हिमाचल प्रदेश	27.99	20.66	73.81
9.	जम्मू और कश्मीर	13.33	6.00	45.01
10.	कर्नाटक	269.71	249.25	92.41
11.	केरल	152.42	144.55	94.84
12.	मध्य प्रदेश	358.80	353.97	98.65
13.	महाराष्ट्र	379.95	—	—
14.	मणिपुर	35.33	34.10	96.51
15.	मेघालय	35.06	30.66	87.45
16.	मिजोरम	36.06	47.00	130.33
17.	नागालैंड	6.00	—	—

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	90.99	87.22	95.86
21.	सिक्किम	27.99	12.00	42.87
22.	तमिलनाडु	385.23	385.23	100.00
23.	त्रिपुरा	29.83	29.83	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	630.92	529.94	84.00
25.	पश्चिम बंगाल	283.66	223.00	78.61
26.	अण्डमान निकोबार	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	—	—	—
29.	दमन व द्वीव	—	—	—
30.	दिल्ली	7.33	—	
31.	पांडिचेरी	20.66	27.69	134.00
	जोड़	4070.64	3280.79	80.60

और अधिक सूचना मांगी गई है।

विवरण-VI

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं वर्ष वार जारी केन्द्रीय अंश को दर्शाने वाला विवरण (1994-95 से 1996-97 तक)

(रुपए लाखों में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	179.60	260.10	208.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	5.50	—
3.	असम	21.90	5.50	11.00
4.	बिहार	86.28	101.80	135.70
5.	गोवा	11.00	16.50	16.50
6.	गुजरात	63.45	48.15	96.35
7.	हरियाणा	26.55	29.30	26.85
8.	हिमाचल प्रदेश	11.00	11.00	11.00
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	110.50	94.95	63.30
11.	केरल	68.08	70.85	65.30
12.	मध्य प्रदेश	152.45	174.20	116.15
13.	महाराष्ट्र	133.54	133.00	44.35
14.	मणिपुर	16.50	16.50	11.00
15.	मेघालय	15.00	17.60	14.50
16.	मिजोरम	16.50	17.60	16.50
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	49.55	30.60	20.40
19.	पंजाब	34.05	16.45	16.45
20.	राजस्थान	96.00	107.10	71.40
21.	सिक्किम	16.50	5.50	5.50
22.	तमिलनाडु	167.60	108.45	216.90
23.	त्रिपुरा	16.50	8.25	16.50
24.	उत्तर प्रदेश	144.28	282.45	368.95
25.	पश्चिम बंगाल	65.57	136.45	178.95

1	2	3	4	5
26.	अण्डमान निकोबार	09.15	13.75	—
27.	चण्डीगढ़	09.15	—	18.30
28.	दादरा व नगर हवेली	18.30	27.45	09.15
29.	दमन व द्वीव	—	—	9.15
30.	दिल्ली	—	11.00	11.00
31.	पांडिचेरी	11.00	—	—
	जोड़	1550.00	1750.00	1780.00

विवरण-VII

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी धन

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	जारी किया गया केन्द्रीय अंश (1995-96)	जारी किया गया केन्द्रीय अंश (1996-97)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	980.50	866.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.11	85.8045
3.	असम	265.94	314.7863
4.	बिहार	819.37	443.0348
5.	गोवा	90.00	58.5615
6.	गुजरात	583.59	315.5450
7.	हरियाणा	183.03	103.6784
8.	हिमाचल प्रदेश	87.57	82.6388
9.	जम्मू कश्मीर	136.22	128.5492
10.	कर्नाटक	634.59	343.1226
11.	केरल	263.20	186.24
12.	मध्य प्रदेश	772.87	437.7788
13.	महाराष्ट्र	948.60	512.9095
14.	मणिपुर	48.65	68.4318
15.	मेघालय	38.92	42.6336
16.	मिजोरम	19.46	27.7938
17.	नागालैंड	108.65	123.1772
18.	उड़ीसा	269.17	145.5448
19.	पंजाब	306.30	270.55
20.	राजस्थान	506.27	447.18
21.	सिक्किम	38.92	36.7290
22.	तमिलनाडु	1046.37	647.00
23.	त्रिपुरा	19.45	27.37380
24.	उत्तर प्रदेश	1584.74	884.3184
25.	पश्चिम बंगाल	679.43	390.4892
26.	अंडमान निकोबार	50.00	30.00
27.	पांडिचेरी	30.00	30.00
	जोड़	10580.00	7060.00

विवरण-VIII

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

लक्ष्य :

5 वर्ष की कार्यान्वयन अवधि (1995-96 से 1999-2000) के दौरान कार्यक्रम के तहत 5 मिलियन शहरी गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया।

उपलब्धियां :

राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(क) 240 शहरों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा किया गया।

(ख) 229 शहरों के लिए शहर-वार परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।

(ग) स्व-रोजगार घटक के तहत 31286 आवेदन बैंकों को भेजे गए जिसमें से 4726 मामले मंजूर किए जा चुके हैं।

(घ) आश्रय सुधार घटक के तहत 14504 आवेदन बैंकों/हडको को भेजे गए हैं जिनमें से हडको द्वारा 7796 मामले मंजूर किए जा चुके हैं।

(ङ) 8382 परिवेश दल, 1280 परिवेश विकास समितियां और 81 समुदायी विकास समितियां बनाई गई हैं।

(च) 921 थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट समितियां और 151 सामुदायिक केन्द्र बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

(रुपए लाखों में)

क्र०	राज्य का नाम	शहरों की सं०	तैयार की गई शहर वार परि-योजना रिपोर्ट	घर-घर जाकर किया गया सर्वेक्षण (शहरों की सं०)	30.4.97 की स्थिति के अनुसार भौतिक उपलब्धियां				
					भेजे गये आवेदनों की सं०		अनुमोदित मामले		शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए या नहीं
					बैंक	बैंक/हडको	बैंक	बैंक/हडको	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	34	—	—	7012	3874	—	—	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	07	—	—	—	—	—	—	नहीं
3.	असम	19	—	—	—	—	—	—	हां
4.	बिहार	28	24	—	—	—	—	—	नहीं
5.	गोवा	03	—	—	—	—	—	—	हां
6.	गुजरात	27	—	27	—	—	—	—	हां
7.	हरियाणा	09	08	08	—	1090	—	1090	हां
8.	हिमाचल प्रदेश	09	—	—	—	—	—	—	हां
9.	जम्मू कश्मीर	14	—	—	—	—	—	—	#
10.	कर्नाटक	17	12	—	—	390	—	390	हां
11.	केरल	09	9	9	3088	1650	762	1650	हां
12.	मध्य प्रदेश	29	26	26	7150	1365	2397	300	हां
13.	महाराष्ट्र	28	28	28	3834	—	411	—	हां
14.	मणिपुर	05	—	—	—	—	—	—	नहीं
15.	मेघालय	04	—	—	—	—	—	—	#
16.	मिजोरम	02	02	1	—	—	—	—	#
17.	नागालैंड	07	—	—	—	—	—	—	#
18.	उड़ीसा	10	—	—	—	—	—	—	नहीं
19.	पंजाब	18	—	18	299	—	—	—	हां
20.	राजस्थान	20	20	20	2082	3343	455	3343	हां
21.	सिक्किम	04	—	—	—	—	—	—	नहीं
22.	तमिलनाडु	41	41	41	1389	1769	—	—	हां

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा	02	—	—	—	—	—	—	हां
24.	उत्तर प्रदेश	53	46	46	9564	—	689	—	हां
25.	पश्चिम बंगाल	18	13	16	702	1023	12	1023	हां
26.	अंडमान निकोबार	01	—	—	—	—	—	—	हां
27.	पांडीचेरी	01	—	—	—	—	—	—	नहीं
			229	240	31286	14504	4726	7796	

24वां संविधान संशोधन लागू नहीं

विवरण-IX

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	राज्य	जारी किया गया धन (केन्द्रीय अंश)					जारी किया गया राज्य अंश	बताया गया खर्च
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	83.29	83.29	—	0.00
2.	असम	0.00	26.06	0.00	168.05	194.11	26.05	62.00
3.	बिहार	0.00	0.00	94.50	0.00	94.50	45.00	MR
4.	गोवा	6.24	10.14	0.00	9.20	25.58	22.48	36.28
5.	गुजरात	71.08	87.24	27.30	70.00	255.62	146.00	90.25
6.	हरियाणा	30.25	34.00	77.65	86.20	228.10	142.00	235.33
7.	हिमाचल प्रदेश	8.79	9.88	82.83	16.60	118.10	52.84	146.80
8.	जम्मू कश्मीर	5.32	20.00	28.45	10.20	63.97	18.25	33.58
9.	कर्नाटक	85.15	105.12	0.00	47.58	237.85	—	190.27
10.	केरल	28.21	37.62	25.00	48.00	138.83	115.00	24.39
11.	मध्य प्रदेश	205.10	343.19	380.53	156.12	1084.94	714.27	995.25
12.	महाराष्ट्र	85.38	92.50	36.30	159.75	373.91	100.00	264.91
13.	मणिपुर	7.65	20.50	39.00	76.04	143.10	118.15	145.84
14.	मेघालय	0.00	0.00	48.90	10.00	58.90	18.01	24.00
15.	मिजोरम	4.26	0.00	7.10	11.88	23.24	20.00	34.40
16.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	52.33	52.33	—	—
17.	उड़ीसा	50.23	51.13	0.90	187.47	289.71	177.76	177.59
18.	पंजाब	26.73	35.64	77.76	44.00	184.13	—	247.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	राजस्थान	81.97	177.97	237.00	306.75	803.69	1012.55	1227.09
20.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
21.	तमिलनाडु	82.24	9.59	0.00	104.12	195.95	91.83	101.75
22.	त्रिपुरा	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	327.88	586.17	764.87	352.42	2031.34	1380.28	2116.00
24.	पश्चिम बंगाल	39.13	52.25	71.56	0.00	162.94	39.00	201.51
	जोड़	1150.75	1699.00	1999.65	2000.00	6849.40	4239.48	6354.95

विवरण-X

कम लागत की सफाई स्कीम

(रुपए लाखों में)

क्र॰ सं॰	राज्य	1994-95		1995-96		1996-97		कुल स्कीमों की सं॰	शामिल किए गए शहर
		ऋण राशि	सब्सिडी	ऋण राशि	सब्सिडी	ऋण राशि	सब्सिडी		
1.	आंध्र प्रदेश	402.10	190.58	1415.85	544.32	0.00	0.00	68	68
2.	असम	244.59	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27	27
3.	बिहार	1271.64	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9	42
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1
5.	हरियाणा	1038.32	934.32	460.91	414.78	0.00	0.00	85	78
6.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	514.94	0.00	312.28	9	30
7.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66	66
8.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	15
9.	मध्य प्रदेश	675.30	543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32	112
10.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	7.88	2.02	0.00	0.00	11	152
11.	मणिपुर	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2	4
12.	मेघालय	82.20	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2
13.	उड़ीसा	33.85	30.47	16.86	15.17	0.00	0.00	63	63
14.	पंजाब	1223.59	1069.52	112.72	100.69	31.39	16.46	78	75
15.	राजस्थान	102.86	861.75	0.00	1446.63	0.00	1048.65	117	117
16.	तमिलनाडु	220.57	66.98	313.73	90.34	853.74	177.63	85	87
17.	त्रिपुरा	436.38	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1	12
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	4918.11	4426.27	65	65
19.	पश्चिम बंगाल	652.39	579.25	4309.63	3622.32	0.00	17.42	12	112
20.	अंडमान निकोबार	99.48	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1
	सकल योग	6483.27	5892.09	6637.58	6751.21	6853.24	5998.71	736	1129

भारत-पाक वार्ता में चीन की मध्यस्थता

6106. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 02 दिसम्बर, 1996 को "द हिन्दू" में प्रकाशित समाचार के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को भारत के साथ कश्मीर मुद्दे पर वार्ता करने की सलाह दी है और

(ख) यदि हां, तो चीन की इस पहल तथा इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप): (क) सरकार ने 02 दिसम्बर, 1996 के "दि हिन्दू" में छपी खबर को देखा है।

(ख) चीन के राष्ट्रपति च्यांग जेमिन ने 02 दिसम्बर, 1996 को पाकिस्तान की सिनेट को संबोधन करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि:—

"एशिया की जनसंख्या के एक तिहाई लोगों का घर होने के कारण दक्षिण एशिया, एशिया का एक प्रमुख भाग है। इस भाग के स्थायित्व और विकास के बिना सम्पूर्ण एशिया में कहीं शांति तथा खुशहाली नहीं आ सकती है। हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थायित्व और सघन आर्थिक विकास होगा; दक्षिण एशियाई देश एक दूसरे के साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे और सौहार्दपूर्वक रहेंगे, और इस प्रकार व्यावहारिक तौर पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के अनुकरणकर्ता बनेंगे; और यह कि वे अपने मतभेद और मसले शांतिपूर्वक सुलझाएंगे तथा इन मसलों को हल करते समय आपसी समझ-बूझ तथा आपसी मेल-मिलाप के समान धरातल की भावना को ध्यान में रखेंगे। चीन हमेशा की तरह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है, दक्षिण एशिया नाभिकीय अस्त्र विहीन क्षेत्र और हिन्द महासागर शांति क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रस्तावों और पहल-कदमियों का समर्थन करता है, और वह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और विकास के लिय सभी प्रकार के प्रयत्नों का समर्थन करता है।"

चीनी राष्ट्रपति के वक्तव्य का पकिस्तान ने कोई औपचारिक सार्वजनिक उत्तर नहीं दिया है।

नशीले पदार्थों एवं वन्य जन्तुओं के तस्करों के बीच सांठ-गांठ

6107. श्री विजय हाण्डिक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमालय पर्वतमाला में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों और वन्य जन्तुओं के तस्करों के बीच जबरदस्त सांठ-गांठ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत महोत्सव

6108. श्री विजय पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एअर इंडिया की दो विमान परिचारिकाओं को कम्बोडिया की राजधानी लाओस में भारत महोत्सव में एअर इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारी तौर पर चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधित्व के बजाय इन दोनों परिचारिकाओं को एक विदेशी फैशन डिजाइनर के अत्यल्प वस्त्र से बने उत्तेजक वस्त्रों को पहनने और मॉडलिंग करने के लिए मजबूर किया गया था;

(ग) क्या उन्हें किसी कैफे में मॉडलिंग करने के लिए भी मजबूर किया गया था जहां उन्हें अपमानित होना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच कराने और इस अपमान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विमान परिचारिकाओं का यह आरोप है कि उन्हें एक निजी डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए अंग प्रदर्शित करने वाले परिधान पहनने और होटल कैफेटेरिया के मॉडलों की तरह काम करने के लिए विवश किया गया था। तथापि, लाओस में हमारे राजदूत ने बताया है कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है।

(घ) एयर इंडिया के प्रबंधकों ने इस मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिस पर नागर विमानन मंत्रालय विचार कर रहा है।

रसोई गैस एजेंसियां

6109. श्री सुखबीर सिंह बादल :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधानमंत्री** रसोई गैस एजेंसियों के बारे में 12 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3846 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में अब तक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा कुछ और सूचना का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

तिब्बत का मामला

6110. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में चीनी सरकार ने तिब्बत के मामले पर दलाई लामा से बातचीत की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बातचीत में कोई भूमिका अदा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप): (क) सरकार को दलाई लामा के साथ चीन सरकार द्वारा बातचीत करने की किसी भी नई पेशकश की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम का पुनर्गठन

6111. श्री सनत मेहता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम को पुनर्गठित करने के लिए अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सिफारिशों तथा अभ्यावेदनों के आलोक में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का पुनर्गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (च) ओ एन जी सी लि. ने कारपोरेशन की कार्यनीतिक आयोजना और संगठनात्मक पुनर्गठन के संबंध में एक अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1994 में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए एस सी आई), हैदराबाद को एक परामर्श कार्य सौंपा था। ए एस सी आई ने अगस्त, 1995 में अपनी रिपोर्ट ओ एन जी सी को सौंप दी थी। ओ एन जी सी के पुनर्गठन के लिए कोई प्रस्ताव ओ एन जी सी ने अब तक सरकार को नहीं भेजा है।

मध्य प्रदेश में बाल श्रम

6112. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 13 लाख है तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही बाल श्रम परियोजनाओं हेतु आबंटित धन पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं मध्य प्रदेश राज्य में 5 जिलों सहित देश के 76 जिलों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा पूरी निधि प्रदान की जाती है। यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त परियोजनाओं को स्वीकृत करने के प्रश्न पर चल रही परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् जिसे पहले ही शुरू किया जा चुका है, विचार किया जाएगा।

त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना

6113. डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी संसद सदस्य से ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि आंध्र प्रदेश में कोडप्पा जिले में कुछेक छोटे शहरों जो नगरपालिका बन गए हैं और जहां पानी की निरन्तर समस्या बनी रहती है पर सभी छोटे शहरों के लिए त्वरित जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में उन छोटे कस्बों के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाने पर विचार किया जा रहा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, नहीं। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता केवल शहरी निकायों को दी जाती है, 20,000 से कम आबादी वाले ऐसे छोटे कस्बों को नहीं, जो अभी शहरी निकायों/नगरपालिकाओं में परिवर्तित होने हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में 25,000 और अधिक आबादी वाले कस्बों के लिए नगरपालिकाओं का गठन किया जाता है और इससे कम आबादी वाले कस्बे पंचायत राज और ग्रामीण विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं। अतः आबादी मानदंड के कारण त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम जो 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए लागू है, के तहत सहायता के लिए कोई भी कस्बा पात्र नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एयूडब्लूएपी के तहत विचार किए जाने हेतु गुन्टूर जिले में भट्टीप्रोलू कस्बे के लिए नवम्बर, 1996 में परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं। यह मंत्रालय, राज्य सरकार को उसे कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के माध्यम से भेजने के लिए पहले ही अनुरोध कर चुका है।

कच्चा तेल

6114. **जस्टिस गुमान मल लोढा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुचित तकनीक के अभाव में देश में उत्पादित कच्चा तेल अन्य देशों को भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में कच्चा तेल अन्य देशों को भेजा गया;

(घ) क्या सरकार ने इस कच्चे तेल का देश में शोधन करने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नही उठते।

भारतीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र का प्रतिनिधित्व

6115. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र ने भारतीय व्यापार में अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) सरकार को आई बी एम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं॰ रा॰ अ॰ द्वारा विदेशी निवेश के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पहला प्रस्ताव कम्प्यूटर प्रणालियों के निर्माण के लिए टाटा इन्डस्ट्रीज लि॰ और इसके सहयोगियों तथा मै॰ आई बी एम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं॰ रा॰ अ॰ के बीच मौजूदा संयुक्त उद्यम की इक्विटी पूंजी में वृद्धि करने के लिए है। दूसरा प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में मै॰ आई बी एम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, न्यूयार्क तथा टाटा इन्फार्मेशन सिस्टम्स लि॰ के बीच संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना करने के लिए है।

(ग) सरकार को अभी प्रस्ताव पर विचार करना है।

करनाल में तेलशोधक कारखाना

6116. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल (हरियाणा) में अवस्थित प्रस्तावित तेल शोधक कारखाना कब तक चालू हो जाएगा;

(ख) इसे चालू करने के लिए पहले क्या तिथि निर्धारित की गई थी; और

(ग) इसमें होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्माण कार्य की गति तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (ग) अप्रैल, 1997 की यांत्रिक पूर्णता के मूल कार्यक्रम के मुकाबले पानीपत जिले में रिफाइनरी परियोजना के अब वर्तमान वर्ष के दौरान पूरा होने का अनुमान है। यह विलंब मुख्य रूप से विक्रेताओं द्वारा उपस्करों की आपूर्ति और कार्यनिष्पादन में देरी करने की वजह से हुआ है।

आई ओ सी आपूर्ति में शीघ्रता लाने के लिए नियमित आधार पर विक्रेताओं के कार्य की सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा है।

निलम्बलेखे के प्रति बकाया धनराशि

6117. **श्री एम॰ एस॰ वी॰ चित्यन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष तक रूस के पास निलम्बलेखे के प्रति कुल बकाया धनराशि कितनी है;

(ख) क्या अनेक निर्यातकर्ता सरकार से निर्यात संबंधी और लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक राशि की तुलना में बड़े पैमाने पर इस लेखे का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यातकों द्वारा इस लेखे में बड़े पैमाने के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) दिनांक 2 मई, 1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰), बम्बई के पास रशियन बैंक फार फॉरेन इक्नॉमिक रिलेशंस के केन्द्रीय लेखे में 1,866 करोड़ रुपए (एक हजार, आठ सौ छियासठ करोड़ रुपए) बकाया थे।

(ख) और (ग) निलम्ब लेखे के संदिग्ध दुरुपयोग के कुछ मामले प्रवर्त्तन निदेशालय के ध्यान में आए हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के 4.5 लाख अमरीकी डालर तक के कथित उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(घ) सरकार इस संबंध में कड़ी निगरानी रखती है तथा जब कभी भी ऐसे किसी मामले का पता चलता है विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

6118. **श्री एन॰ डेनिस :**

श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार :

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण को पुनः परिभाषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई अवधारणाओं पर विभिन्न राजनैतिक दलों और राज्य सरकारों से चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा किस हद तक इन प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा नए प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी) : (क) से (च) जी, हां। ग्राम विद्युतीकरण की विद्यमान परिभाषा के अनुसार यदि बिजली का किसी भी प्रयोजन में गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपयोग किया जाता है तो उस गांव को विद्युतीकृत समझ लिया जाएगा। इस परिभाषा के क्षेत्र में विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि गांव के आवासीय क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा सके। इस मामले में राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों से सलाह प्राप्त की गई है और विद्युत मंत्रालय के संबद्ध विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा भी इस मामले पर चर्चा की गई है।

चूंकि ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रस्तावित नई परिभाषा में गांवों के आवासीय क्षेत्र को शामिल किया जाना है इसलिए इससे और परिवारों को बिजली प्रदान करने का लाभ प्राप्त होगा और इसलिए इसे राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की संभावना है।

रियायती दरों पर भूमि

6119. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण कुछ संस्थाओं को रियायती दरों पर पट्टे पर भूमि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके मानदंड और पट्टा समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) दिल्ली में अभी तक किन-किन संस्थाओं को कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इन आबंटियों में कुछ को पट्टा समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन आबंटियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित संस्थागत दरों पर भारत सरकार/दिल्ली सरकार की सिफारिशों पर विचार करते हुए पंजीकृत समितियां/संस्थाओं को रियायती भूमि का आबंटन किया जाता है। पट्टे की शर्तें स्थायी पट्टाविलेख फार्म में उपलब्ध हैं।

(ग) डीडीए द्वारा दिल्ली में लगभग 1005 संस्थाओं को भूमि का आबंटन किया गया है। उन संस्थाओं के नाम तथा उन्हें गत पांच वर्षों में आबंटित भूमि की स्थिति संलग्न विवरण-I में उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) उन आबंटियों/संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है जिन्होंने पट्टे करार की शर्तों का उलंघन किया है। आबंटन की शर्तों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आबंटन पत्र और पट्टा बिलेख की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

दिल्ली के विभिन्न भागों में 1.1.92 से 31.12.96 तक सोसायटियों/संस्थाओं को किए गए आबंटन की सूची

क्रम सं॰	सोसायटी/संस्था का नाम	आबंटित क्षेत्र (वर्ग मी॰)	स्थान
1	2	3	4
1.	पल्लवी आर्ट	1315.00	वसंत कुंज
2.	एसोसिएशन फार एडवांस मेंट एंड रिहैबिलेटिशन आफ हैंडीकैप्ड	1000.00	वसंत कुंज सेक्टर-13
3.	किवानी क्लब आफ नई दिल्ली	1821.00	औद्योगिक क्षेत्र
4.	नेशनल ब्लाइन्ड यूथ एसोसिएशन	400.00	मंडावली
5.	कम्यूनिटी हाल, सर्वप्रिय विहार सीएचबीएस	1175.60	सर्वप्रिय बिहार, सी॰ बी॰ एस॰ लि॰
6.	कम्यूनिटी हाल, जनता, सीएचबीएस लि॰	0.414 एकड़	जनता, सीएचबीएस लि॰
7.	सामाजिक विज्ञान संस्थान	803.00 व॰ मी॰	वसंत कुंज
8.	आनंद लोक, सीएचबीएस लि॰	620.00 व॰ मी॰	आनंद लोक
9.	किवानी क्लब	0.45 एकड़	आर्टीफिशियल लिंब सेंटर साऊथ आफ आई॰ आई॰ टी॰

1	2	3	4
10.	नाग्याल इंस्टी॰ फार रिसर्च ऑन लद्दाखी आर्ट एंड कल्चर	1.32 एकड़	साऊथ आफ आई॰ आई॰ टी॰
11.	सेठ उग्रसेन, खिलानी देवी चेरिटेबिल ट्रस्ट	1000.00 व॰ मी॰	पीतमपुरा
12.	रोहताश, सीएचबीएस लि॰	611.53 व॰ मी॰	रोहित कुंज, पीतमपुरा
13.	कॉमन कॉज	560 व॰ मी॰	वसंत कुज
14.	लोहिया कर्पूरी इंस्टी॰ आफ टेक्नोलॉजी फार सोसल चेंज	513 व॰ मी॰	सरिता विहार
15.	सिंधी चेरिटेबिल हास्पिटल सो॰	1.162 व॰ मी॰	मयूर विहार फेज-I
16.	यू॰ पी॰ समाज सीएचबी सो॰	401.00 व॰ मी॰	दिपाली, पीतमपुरा
17.	नेशनल प्रेस इंडिया	513 व॰ मी॰	सरिता विहार
18.	वेरी स्पेशल आर्ट इंडिया	560 व॰ मी॰	वसंत कुंज सेक्टर-सी
19.	ग्रेट इंडिया एजुकेशंस सो॰	925 व॰ मी॰	पश्चिमी विहार, जनता सी॰ एच॰ बी॰ एस॰
20.	आई॰ एस॰ आई॰ सी॰ एच॰ बी॰ सो॰, मानक विहार	969 व॰ मी॰	मानक विहार
21.	इंस्टी॰ फार रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इकोनोमिक डेवलपमेंट	0.06 एकड़	कड़कड़डूमा, औद्योगिक क्षेत्र
22.	एस्कोट्स हार्ट इंस्टी॰ एंड रिसर्च सेंटर	0.643 एकड़	सराय जुलियाना, ओखला
23.	हेंडीकेप्ड चिल्ड्रन्स पेरेन्ट्स एसोसि॰	1.25 एकड़	द्वारका
24.	डायबिक सेल्फ केयर फाउंडेशन	427.50 व॰ मी॰	सरिता विहार
25.	जोइंट फोरम वसुंधरा इन्कलेव, सीबीएचएस एंड इंस्टी॰	1069.59 व॰ मी॰	वसुंधरा इन्कलेव, सीबीएचएस
26.	अग्रवाल प्रेम सभा	500 व॰ मी॰	जनकपुरी
27.	फोरम आफ फाइनेन्शियल राइटर्स फार इंस्टी॰ आफ इकोनोमिक	700 व॰ मी॰	सरिता विहार
28.	सपना	560 व॰ मी॰	वसंत कुंज
29.	प्लानिंग कमीशन, सीएचबीएस	841 व॰ मी॰	योजना विहार
30.	राष्ट्रीय शोसल परिषद्	500.28 व॰ मी॰	तुगलकाबाद
31.	इंडियन कैंसर सोसायटी	1.5 एकड़	रोहिणी
32.	निनजप्पा, महाबुध विहार	500 व॰ मी॰	धीरपुर, गांधी विहार
33.	जयसरकार स्मारक केंद्र	427.50 व॰ मी॰	सरिता विहार
34.	संत निरंकारी मंडल	10 एकड़ + 1000 व॰ मी॰	धीरपुर
35.	मुन्नीलाल, मंगोराम चेरिटेबल ट्रस्ट	1 हेक्टेयर	पश्चिमपुरी
36.	श्रीकृष्ण लीला समिति	411 व॰ मी॰	जनकपुरी

1	2	3	4
37.	मानव सेवार्थ को भूमि का आबंटन	1 हेक्टेयर	पश्चिमपुरी
38.	भारतीय योग संस्थान को भूमि का आबंटन	5000 व॰ मी॰	रोहिणी
39.	नेशनल आफ लेबर एनएफएलसी	575 व॰ मी॰	सरिता विहार
40.	जी॰ बी॰ पंत मेमोरियल ट्रस्ट	0.9 एकड़	साऊथ आफ आई॰ आई॰ टी॰
41.	इंडियन एक्सप्रेस सर्विस लीग	2000 व॰ मी॰	द्वारका
42.	महिला धकक्षता समिति को भूमि का आबंटन	400 व॰ मी॰	कड़कड़डूमा
43.	जयश्रीराम सेवा संघ (आर)	300 व॰ मी॰	पीतमपुरा
44.	मुस्कान-पेरेन्ट्स एसो॰ फार द वेलफेयर चिल्ड्रन विद मेंटल हैंडीकेप्ड	40990 व॰ मी॰	वसंत कुंज
45.	भारतीय ब्राह्मण चेरिटेबल ट्रस्ट	2.38 हैक्टेयर	पीतमपुरा
46.	चिल्ड्रन मैड॰ फाउन्डेशन	1.4 हैक्टेयर	साकेत
47.	मुल्तान शिया समिति को भूमि का आबंटन	1598 व॰ मी॰	पीतमपुरा
48.	सर्वेन्ट आफ द पीपल सो॰ के लिए भूमि का आबंटन	4000 व॰ मी॰	द्वारका
49.	नेशनल हर्ट इस्टी॰	901.6 व॰ मी॰	ईस्ट आफ कैलाश
50.	ह्यूमन केयर मेडि॰ चेरिटेबल ट्रस्ट	1 हैक्टेयर	द्वारका
51.	एशियन इंस्टी॰ आफ ट्रांसपोर्ट डेव॰ को भूमि का आबंटन	2 हैक्टेयर	द्वारका
52.	श्री वीरेन्द्र नाथ जमुनादत्त चेरिटे॰ ट्रस्ट	1 हैक्टेयर	द्वारका
53.	न्यू फ्रेंड्स क्लब को अतिरिक्त भूमि का आबंटन	583 व॰ मी॰	न्यू फ्रेंड्स कालोनी
54.	अर्पणा ट्रस्ट को भूमि का आबंटन	500 व॰ मी॰	वसंत विहार
55.	नरनारायण इंस्टी॰ आफ कल्चर को भूमि का आबंटन	1000 व॰ मी॰	तुगलकाबाद
56.	द्वीपयोग केन्द्र, भूमि का आबंटन	793 व॰ मी॰	वसंत कुंज
57.	बीरिला अकादमी-भूमि का आबंटन	317 व॰ मी॰	वसंत कुंज फेज-II
58.	सोसायटी फार इंपालयमेंट एंड केरियर काउसि॰	1000 व॰ मी॰	तुगलकाबाद
59.	देवकी देवी फाउंडेशन को भूमि का आबंटन	1.23 एकड़	साकेत
60.	श्रीराम भिट्ठल शिक्षण सेवा समिति को भूमि का आबंटन	1.5 एकड़	वसंत कुंज
61.	वी॰ आर॰ धवन स्मारक न्यास को भूमि का आबंटन	0.9 हैक्टेयर	द्वारका
62.	डालमिया फाउंडेशन फार मेडिकल रिसर्च के लिए भूमि का आबंटन	676.71 व॰ मी॰	श्रीफोर्ट
63.	इंटर नेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजलेशन को भूमि का आबंटन	3 एकड़	वसंत कुंज
64.	त्रिलोक सिंह भंडारी चेरिटेबिल ट्रस्ट	669.60 व॰ मी॰	शालीमार बाग

1	2	3	4
65.	डीएवी कालेज मैनेजिंग ट्रस्ट एवं मैनेजिंग सो॰ को भूमि का आबंटन	780.60 व॰ मी॰	वजीरपुर
66.	संजय क्लब, संसद विहार, सीजीएचएस	1 हैक्टेयर	द्वारका
67.	रिवर्स साइट एस्पोर्ट एंड रिक्रेशियन क्लब को भूमि का आबंटन	2000 व॰ मी॰	मयूर विहार फेज-I
68.	दीपालय शिक्षा समिति	900 व॰ मी॰	जनकपुरी
69.	डॉ॰ नारायण दत्त श्रीमाली फाउंडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट	3 हैक्टेयर	पीतमपुरा
70.	भारत विकास परिषद् को भूमि का आबंटन	900 व॰ मी॰	पीतमपुरा
71.	क्रास फार कल्चरल कम्यूनिकेशन को भूमि का आबं॰	427.50 व॰ मी॰	सरिता विहार
72.	टैगोर अकादमी को भूमि का आबंटन	908 व॰ मी॰	शालीमार बाग
73.	केदारनाथ मेडिकल चेरिटेबिल ट्रस्ट को भूमि का आबंटन	570 व॰ मी॰	सरिता बिहार
74.	नीरोगी चेरिटे॰ एंड मेडि॰ रिसर्च ट्रस्ट को भूमि का आबंटन	8.85 है॰	मंडावली फाजलपुर
75.	प्रयास जे॰ एस॰ सी॰ सो॰ को भूमि का आबंटन	1000 व॰ मी॰	तुगलकाबाद
76.	आशीर्वाद को भूमि का आबंटन	350 व॰ मी॰	कड़कड़डूमा
77.	वेलफेयर होम फार चिल्ड्रन	700 व॰ मी॰	सरिता बिहार
78.	उस्ताज मुस्ताक अलीखां फार कल्चरल	1000 व॰ मी॰	सरिता विहार
79.	गायत्री फाइन आर्ट	1000 व॰ मी॰	रोहिणी
80.	फेडरेशन आफ एजुकेशनल पब्लिशर इन इंडिया	420 व॰ मी॰	कड़कड़डूमा
81.	हरोरबंश सभा को भूमि का आबंटन	1200 —वही—	बोडेला
82.	इन्द्रप्रस्थ कैंसर सोसायटी और अनु॰ केन्द्र को भूमि का आबंटन	1610 व॰ मी॰	रोहिणी
83.	श्री अग्रसेन जन सेवा सभा	700 व॰ मी॰	पीतमपुरा
84.	सांस्कृतिक अनुसंधान केन्द्र	3.90 हे॰	—
85.	डीएवी कालेज प्रबंध समिति	4.00 एकड़	नरेला
86.	त्रिवेणी शिक्षा समिति	3 एकड़	बिकासपुरी
87.	ग्लोरियस शिक्षा समिति	1.5 एकड़	रोहिणी
88.	दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति	2 एकड़	हरगोविंद एन्कलेव
89.	भगवान महावीर विद्यापीठ	0.5 एकड़	अशोक विहार
90.	डीएवी कालेज प्रबंध समिति	6069.66 व॰ मी॰	—वही—
91.	जे॰ एन॰ शिक्षा समिति	14840 व॰ मी॰	पश्चिम विहार
92.	तमन्ना शिक्षा समिति	1174.92 व॰ मी॰	वसंत विहार
93.	लार्ड बशेश्वर शिक्षा समिति	4 एकड़	द्वारका

1	2	3	4
94.	आल सेंट शिक्षा समिति	6170.16 व॰ मी॰	पश्चिम विहार
95.	सर्वोदय शिक्षा संस्थान	4 एकड़	यमुनापार क्षेत्र
96.	शाहदरा एन्जल्स शिक्षा समिति	1.10 हे॰	चिल्ला-दल्लुपुरा
97.	पालम जैन शिक्षा समिति	4 एकड़	द्वारका
98.	लक्ष्मी शिक्षा समिति	1.15 हे॰	कड़कड़डूमा
99.	चाइल्ड एजुकेशन सोसायटी	4 एकड़	पीतमपुरा
100.	स्प्रिंग फील्ड्स शिक्षा समिति	790 व॰ मी॰	—वही—
101.	सेंट मेरी शिक्षा समिति	4 एकड़	द्वारका
102.	रॉक फील्ड शिक्षा समिति	1000 व॰ मी॰	रोहिणी
103.	सैंट्स मार्टिन शिक्षा समिति	2.5 एकड़	पश्चिम विहार
104.	सनातन धर्म आदर्श शिक्षा संस्थान	860 व॰ मी॰	मयूर विहार
105.	सुन्दर शिक्षा संस्थान	718 व॰ मी॰	यमुना विहार
106.	चाइल्ड एजुकेशन सोसायटी	338 एकड़	रोहिणी
107.	बी॰ आर॰ स्मारक शिक्षा समिति	1000 व॰ मी॰	विकासपुरी
108.	मदर इंडिया शिक्षा समिति	14890 व॰ मी॰	कोंडली-घरोली यमुना पार क्षेत्र
109.	सैंट्स जोसफ अकादमी	1.56 एकड़	सरिता विहार
110.	महर्षि दयानंद सरस्वती स्मा॰ समिति	795 व॰ मी॰	मंडसवली फाजलपुर
111.	एस॰ ओ॰ एस॰ चिल्ड्रन विलेज ऑफ इंडिया	560 व॰ मी॰	वसंतकुंज
112.	श्री अग्रवाल धर्मशाला	4 एकड़	पीतमपुरा
113.	दीपालय शिक्षा समिति	2 एकड़	गोविन्दपुरी
114.	विश्व भारती महिला कल्याण समिति	4 एकड़	द्वारका
115.	लार्ड कैरी बैपटिस्ट मिशन ऑफ इंडिया	1.5 हे॰	चिल्ला-दल्लुपुरा
116.	सरदार जगतसिंह धर्मार्थ न्यास	1026 व॰ मी॰	पश्चिम विहार
117.	समर्थ शिक्षा समिति	0.5 एकड़	मीराबाग
118.	केरल शिक्षा समिति	2.30 एकड़	कोंडली-घरोली
119.	बाल किशन शिक्षा समिति	1800 व॰ मी॰	वसंतकुंज
120.	शिक्षा समिति रानी बाग	2 एकड़	देहाती को॰ आ॰ हाउस बि॰ सो॰ (उत्तरी दिल्ली)
121.	सेंट टू जियर शिक्षा समिति	2 एकड़	शालीमार बाग
122.	जीसेस मेरी जोसेफ सो॰	1.5 एकड़	पश्चिम विहार
123.	शांताक्रुज शिक्षा समिति	900 व॰ मी॰	पीतमपुरा
124.	किट्स शिक्षा समिति	980 व॰ मी॰	सरिता विहार
125.	वैश्य अग्रवाल शिक्षा समिति	—	रोहिणी
126.	कौशल्या देवी स्मारक समिति	1.57 एकड़	जनकपुरी

1	2	3	4
127.	मयूर शिक्षा समिति	1.5 एकड़	यमुना पार क्षेत्र
128.	रोहिणी शिक्षा एवं संस्कृति संस्थान	800 व० मी०	रोहिणी
129.	ज्योतिर्मय बाल शिक्षा संस्थान	1.5 एकड़	यमुना पार क्षेत्र
130.	वैपटिस्ट शिक्षा समिति	0.37 हे०	मंडावली-फाजलपुर
131.	सुयश शिक्षा समिति	800 व० मी०	लारेंस रोड
132.	लक्ष्मीबाई फाउंडेशन	—	—
133.	मनोहर स्मारक शिक्षा समिति	—	वसंतकुंज
134.	रूपनगर शिक्षा समिति	800 व० मी०	शालीमार बाग
135.	मोहित शैक्षिक समिति	—	रोहिणी
136.	गुलशन. शिक्षा समिति	—	प्रीतमपुरा
137.	सरस्वती शिक्षा समिति	—	—वही—
138.	एस० लखपत शिक्षा समिति	0.4 हे०	यमुनापार क्षेत्र
139.	महाशय चुन्नीलाल धर्मार्थ न्यास	0.4 हे०	द्वारका
140.	गोस्वामी विद्यापीठ समिति	0.4 हे०	रोहिणी
141.	कमल शिक्षा समिति	1.43 एकड़	विकासपुरी
142.	माउंटआबू शिक्षा समिति	0.760 हे०	रोहिणी
143.	बाल सर्वभौमिक बाल शिक्षा समिति	—	—
144.	दिलशाद गार्डन अयप्पा पूजा समिति (पंजी०)	399.876 व० मी०	दिलशाद गार्डन
145.	अखिल भारतीय गोस्वामी शास्त्री लालजी सेवक समाज	434 व० मी०	पश्चिमपुरी
146.	श्री सद्गुरु कबीर मंदिर	400 व० मी०	मदनगीर
147.	जैन सभा निर्माण विहार	—वही—	निर्माण विहार
148.	दिल्ली अर्थोडेक्स डायोसेसन कौंशिल	—वही—	सै० 3, रोहिणी
149.	श्री गुरु सिंह सभा (पंजीकृत)	243 व० मी०	सै० 7, रोहिणी
150.	दिल्ली राधा स्वामी सत्संग ऐसो० पंजी०	243 व० मी०	कोंडली घरोली
151.	गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा	356.90 व० मी०	जंगपुरा एक्स.
152.	अखंड परमधाम (पंजी०)	400 व० मी०	दिलशाद गार्डन
153.	ब्राह्मण सभा, केशवपुरम	375.64 व० मी०	लारेंस रोड
154.	जयगिड कल्याण समिति (पंजी०)	320 व० मी०	यमुना विहार
155.	यू० पी० समाज को० हाउस बि० सो० पीतमपुरा	401 व० मी०	दीपाली, पीतमपुरा
156.	श्री सनातन धर्म सभा लोक विहार पीतमपुरा	445.3 व० मी०	लोक विहार, पीतमपुरा
157.	श्री सिद्धबाबा बालकनाथ मंदिर	400 व० मी०	किंग्सवे कैंप
158.	श्री आनंदपुर न्यास	405 व० मी०	मंडावली-फाजलपुर, सीजीएचएस
159.	श्री धर्मसंस्था सेवक समाज	391 व० मी०	सै० 7, रोहिणी

1	2	3	4
160.	जाट मित्र मंडल	500 व० मी०	लारेंस रोड औ० बस्ती
161.	श्री गुरु सिंह सभा	331.15 व० मी०	सरिता विहार
162.	—वही—	410 व० मी०	वसंत कुंज फेज
163.	—वही—	400 व० मी०	इन्दिरा विहार
164.	संत समाज	400 व० मी०	सेक्टर-9 रोहिणी
165.	श्री गणेश सेवा समाज	358 व० मी०	मयूर विहार
166.	श्री गुरु सिंह सभा (पंजी०)	417.52 व० मी०	सेक्टर-3 रोहिणी
167.	कमेटी मस्जिद-व-मदरसा	343 व० मी०	सेक्टर-I रोहिणी
168.	इंडियन पेंटाकोस्टल चर्च आफ गोवा नार्दन रीजन	400 व० मी०	सेक्टर-VIII रोहिणी
169.	साध संगत सैनिक विहार, पीतमपुरा	200 व० मी०	सैनिक विहार
170.	प्राचीन सनातन धर्म सैनिक विहार	200 व० मी०	—वही—
171.	आर्य समाज सैनिक विहार	200 व० मी०	—वही—
172.	दिल्ली मैराथन चर्च सोसायटी	400 व० मी०	मंडावली फाजलपुर
173.	दिल्ली कैथोलिक आर्कडिओकेस	400 व० मी०	गढ़ी झरिया मारिया
174.	राम जी राम राम संतसंगत	411 व० मी०	सी-2 ए जनकपुरी
175.	संत श्री नंद लाल शिक्षा सदन	409 व० मी०	रोहिणी
176.	महारानी धीर एम समिति	400 व० मी०	दल्लुपुरा
177.	दिल्ली रोहिणी पूजा समिति	271.40 व० मी०	सेक्टर-VII रोहिणी
178.	दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान	530 व० मी०	पीतमपुरा
179.	आर्य समाज, सरिता विहार	321.23 व० मी०	सरिता विहार
180.	दिलशाद गार्डन, पूजा समिति	385 व० मी०	दिलशाद गार्डन
181.	शेख आनंद शक्ति संस्थान धर्म सभा	418 व० मी०	शक्ति विहार, पीतमपुरा
182.	राजधानी इन्कलेव, शिव मंदिर	8.211 व० मी०	राजधानी इन्कलेव, सीजी एचएस
183.	श्री आदि शंकरा सेवा समागम	400 व० मी०	मयूर विहार फेस-3
184.	पूज्य सिन्धी पंचायत, पीतमपुरा	290 व० मी०	पीतमपुरा
185.	आर्य समाज सूरजमल विहार	450 व० मी०	सूरजमल विहार
186.	श्री गणेश मंदिर एसोसि०	146 व० मी०	दिलशाद गार्डन
187.	पश्चिम विहार, बंगाली एसो०	420 व० मी०	पश्चिम विहार
188.	आर्य समाज मयूर विहार फेस-2	397.50 व० मी०	मयूर विहार फेस-2
189.	श्री वर्धमान स्थानकवासी, जैन महासंघ दिल्ली प्रदेश	481 व० मी०	पीतमपुरा

विवरण-II

दुरुपयोग कर्ताओं की सूची

	संस्थान का नाम	स्थान	प्लॉट सं॰
1	2	3	4
1.	इंस्टीट्यूट आफ सोसिलिस्ट एजुकेशन	कुतब औद्योगिक क्षेत्र	ए-1
2.	फर्टीलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया	—वही—	ए-3
3.	ऑल इंडिया फैडे॰ ऑफ डिफ	—वही—	ए-4
4.	गुरुनाकि फाउंडडेशन	—वही—	ए-5
5.	संजीवनी सोसायटी	—वही—	ए-6
6.	वैतालिक कल्चरल एसोसि॰	—वही—	ए-8
7.	यूनाइटेड स्कूल आर्गेनाइजेशन	—वही—	ए-13
8.	नागरी प्रचारणी सभा	—वही—	ए-16
9.	इंडियन स्टेटिस्टीकल इंस्टी॰	—वही—	बी-1
10.	इन्टरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टी॰	—वही—	बी-10, 30 व 31
11.	फाउंडेशन फॉर आर्गेनाइजेशन रिसर्च	—वही—	बी-18
12.	फैमली प्लानिंग फाउंडेशन	—वही—	बी-28
13.	ऑटोमोबाइल एसो॰ आफ अपर इंडिया	—वही—	सी-8
14.	नृत्य कस्तूरबा कल्चरल सोसायटी	हौजखास	—
15.	गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा	यमुना विहार	सी-9
16.	श्री बाबा ज्ञान चंद महाराज भुजियावाली सोसायटी	शालीमार बाग	ब्लाक सी और डी
17.	श्री भैरोजी मंदिर समिति	प्रसाद नगर	प्लाट नं॰ 1
18.	श्री गुरु सिंह सभा	विवेक विहार	
19.	भारती नेशनल स्कूल	सीएचबीएस, प्रीत विहार	
20.	माता जयकौर चेरिटेबल ट्रस्ट	वजीरपुर फेस-3	
21.	रूप नगर पब्लिक स्कूल	शालीमार बाग	
22.	आनंद शिक्षा सामिति	रोहिणी	
23.	श्री लक्ष्मीदास सचदेवा स्मारक शिक्षा समिति	पीतमपुरा	
24.	रोहिणी शिक्षा समिति	रोहिणी सैक्टर-VII	
25.	भारती शिक्षा न्यास	सीएचबीएस, स्वास्थ्य मंत्रालय	

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाया जाना

6120. श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1997 के "द स्टेट्समैन" में "पाक हैज इनफ प्लूटोनियम फार 15 न्यूक्लिअर बाम्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार खतरे की आशंकाओं को देखते हुए देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड

6121. डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विद्युत परियोजनाओं के सुरक्षित रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा नियामक प्राधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी) : (क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निश्चित नियामक और सुरक्षा संबंधी कार्यों को करने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना पहले ही कर दी गई है। इस बोर्ड की संरचना, शक्तियों और कार्यों को सरकार ने 15 नवम्बर, 1983 को अधिसूचित किया था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड परमाणु ऊर्जा आयोग को रिपोर्ट करता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

बकाया राशि

6122. श्री प्रमोद महाजन : क्या **प्रधानमंत्री** बकाया राशि के बारे में 12 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2787 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1278.0 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 7361 अनधिकृत कब्जा-धारकों में से केवल ऐसे 457 कब्जा-धारकों से केवल 111.25 लाख रुपए ही वसूल हो पाने के क्या कारण है;

(ख) अनधिकृत कब्जा-धारकों से मकान खाली कराने और उनसे बकाया राशि की वसूली की वर्तमान स्थिति क्या है और यह राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकारी मकानों में अभी भी अनधिकृत रूप से रह रहे 159 व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक पर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी मकान खाली कराने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) अनधिकृत दखल के मामले में बकाया राशि वसूल करने के लिए समय-समय पर संशोधित लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत वसूली कार्यवाही शुरू की जाती है। ऐसे कई मामलों में, जिनमें अनधिकृत दखलकारों ने सरकारी मकान खाली कर दिए हैं तथा उनसे बकाया राशि वसूल की जानी है, उनके वर्तमान पते या तो ज्ञात नहीं हैं या संपदा निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं हैं। इन व्यक्तियों के मूल विभागों से तथा उन बैंकों से जहां से वे पेंशन आहरित कर रहे हैं, उनके वर्तमान पतों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शरद पवार समिति

6123. श्री जगमोहन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत संबंधी शरद पवार समिति द्वारा क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गई थी, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प के अनुसार की गई थी;

(ख) क्या इन सिफारिशों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त थी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों को क्या सुझाव किए गए हैं;

(घ) इन राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपर्युक्त समिति की सिफारिश तथा केन्द्र सरकार की सलाह को मान लिया है/पालन किया है; और

(ङ) उन राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को राजी करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक समिति द्वारा की गई सिफारिशों का पालन नहीं किया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) से (ङ) : विद्युत क्षेत्र के संबंध में शरद पवार समिति की सिफारिशें वर्तमान में योजना आयोग के जांचाधीन हैं। अर्थापत्तियों की पूर्णतः जांच किए जाने के पश्चात् योजना आयोग द्वारा रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद् को प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी

6124. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

श्रीमती कृष्णा बोस :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर में नई सरकार के बनने के बाद आतंकवादी पुनः सक्रिय हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राज्य में लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद कुल कितने बेकसूर व्यक्ति मारे गए हैं; और

(घ) सरकार के बनने से पहले और बाद में हिंसात्मक घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रमण्यन) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में निर्वाचित सरकार के गठन के बाद, कुल मिलाकर हिंसा के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है। तथापि, सीमापार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों द्वारा राज्य में वातावरण को दूषित करने तथा सामान्य जन-जीवन और राजनैतिक और जनतांत्रिक प्रणाली में बाधा उत्पन्न करने के प्रयास में आसान लक्ष्यों पर हमले करके, निर्दोष सिविलियनों की जान की परवाह न करते हुए विस्फोटक युक्तियों का अंधाधुंध प्रयोग करके तथा खासतौर से उग्रवादियों के मारे जाने पर जबरन "बंद" और "हड़ताल" कराने के प्रयास इत्यादि जारी रहे। सरकार को इस प्रकार के इरादों की पूरी जानकारी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की गतिविधियों की रोकथाम प्रभावी ढंग से हो, सभी संबंधितों द्वारा ठोस और समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 अक्तूबर, 1996 से 15 अप्रैल, 1997 तक की अवधि के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में 627 सिविलियन मारे गए थे।

(घ) 1 अप्रैल, 1996 से 30 सितम्बर, 1996 तक के 6 महीनों की अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा की लगभग 2700 घटनाओं की तुलना में 1 अक्तूबर, 1996 से 31 मार्च, 1997 तक के 6 महीनों की अवधि के दौरान हुई घटनाओं की संख्या 1986 है।

ऋण की वसूली

6125. श्री राम कृपाल यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1997 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के ऋणों की वसूली की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) क्या कृषि की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र को अधिक ऋण की धनराशि वितरित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कश्मीर के संबंध में अमरीकी दृष्टिकोण

6126. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 07 मार्च, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "यू॰ एस॰ रिमार्क्स आन कश्मीर डेंजरस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका में वाईट हाउस के प्रवक्ता द्वारा दिया गया वक्तव्य सरासर गलत है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) समाचारपत्र में छपी इस खबर की सरकार को जानकारी है। समाचारपत्र में प्रकाशित व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की यह टिप्पणी 5 मार्च, 1997 को व्हाइट हाउस में प्रेस को नियमित जानकारी देते समय एक प्रश्न के उत्तर में मौखिक रूप से दी गई थी।

(ख) और (ग) सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों से तुरंत स्पष्टीकरण मांगा। प्रवक्ता कार्यालय ने स्पष्ट किया था कि कश्मीर के लिए "रियासत" शब्द का उपयोग अनजाने में मौखिक उत्तर देते हुए हो गया था और यह कि इससे अमरीकी सरकार की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का कोई संकेत नहीं मिलता।

भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अमरीकी सरकार को इस स्थिति की पूरी जानकारी है।

तेल शोधक कारखाना

6127. डॉ॰ महादीपक सिंह शाक्य : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तेल शोधक कारखानों में विद्यमान प्रौद्योगिकी में बदलाव लाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उपयुक्त प्रौद्योगिकी सुझाने के लिए गांगुली समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति किस तिथि को गठित की गई थी;

(घ) इस समिति से सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था;

(ङ) क्या सरकार को इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(च) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) सरकार ने रिफाइनरियों की कार्य योजनाओं की समीक्षा करने, तकनीकी संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के साथ रिफाइनरियों के एकीकरण के लिए उपयुक्त कार्यविधि की सिफारिश करने, परिशोधन प्रचालनों आदि के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशलों के विकास हेतु कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए डॉ. एस. गांगुली की अध्यक्षता में 5.1.1995 को एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति को अंतरिम रिपोर्ट फरवरी, 1995 तक और अंतिम रिपोर्ट जून, 1995 तक पेश करनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

(च) समिति ने अपनी सिफारिशों में डिस्टीलेट उत्पादनों में सुधार के क्षेत्रों और उच्च मूल्य के उत्पादों के उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण उपायों, अनुसंधान और विकास के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, मानव संसाधन आदि के प्रबंधन को शामिल किया है।

इजराइल फिलीस्तीन स्थिति

6128. श्री जी. एम. बनात वाला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इजराइल फिलिस्तीन की स्थिति विशेषकर इजराइल समझौता नीति और इसके परिणामस्वरूप उनके बसाने की प्रक्रिया से संबंधी खतरे पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति पर कोई वक्तव्य जारी किया था और यदि हां, तो कब और इस वक्तव्य में क्या कहा गया था;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न अरब देशों द्वारा इजराइल के व्यापार का बहिष्कार करने संबंधी किसी कदम पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वी येरूसलम के दक्षिण में जबल अबू धनीम (हर होमा) में आवासी बस्ती के निर्माण के लिए इजराइली सरकार के अनुमोदन पर भारत सरकार ने अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है। भारत सरकार ने सभी संबद्ध पक्षों से अंतरिम करारों सहित सुरक्षा परिषद् के संकल्पों के आधार पर इस क्षेत्र में न्यायोचित, व्यापक और स्थायी शांति के लिए अपने प्रयत्न तेज करने का आह्वान किया है ताकि फिलीस्तीनी जनता अपने वैध अधिकार और इस क्षेत्र के सभी राज्य सुरक्षित एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्य सीमाओं के भीतर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राप्त कर सकें।

(ग) भारत सरकार ने इस संबंध में 5 मार्च, 1997 को एक वक्तव्य जारी किया था; वक्तव्य की प्रतिलिपि विवरण में रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने 31.03.97 को काहिरा में हुई अरब राज्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पास किए गए संकल्प पर गौर किया है, जिसमें इजराइल के प्राथमिक डिग्री अरब बहिष्कार की वचनबद्धता को जारी रखना तथा ऐसे बहिष्कार को और अधिक सक्रिय करने का सुझाव दिया गया था।

विवरण

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

सरकारी वक्तव्य

पूर्वी येरूसलम में बस्तियों के लिए इजराइल का अनुमोदन

पूर्वी येरूसलम के दक्षिण में जबल अबू धनीम (हर होमा) में बस्तियों के निर्माण हेतु इजरायली सरकार के वर्तमान अनुमोदन से भारत सरकार को गहरी चिन्ता है। भारत ने लगातार यह कहा है कि ऐसे एक पक्षीय कदमों से, जो करारों और समझबूझ के अनुरूप नहीं है, शांति प्रक्रिया को धक्का पहुंचेगा और शांति वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक आपसी विश्वास के निर्माण के लिए वातावरण को खराब करेगा।

हम हमेशा से ही इजराइल और फिलिस्तीन के पक्षों के बीच सभी मसलों पर अंतिम स्तर की वार्ता में प्रयोजन मूलक वार्ता की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त रहे हैं। हम पुनः सभी संबद्ध पक्षों से अंतरिम करारों सहित सुरक्षा परिषद् के संकल्पों के आधार पर इस इस क्षेत्र में न्यायोचित, व्यापक और स्थायी शांति को खोजने के लिए अपने सभी प्रयत्नों को सुदृढ़ करने का आह्वान करते हैं ताकि फिलिस्तीनी जनता अपने वैध अधिकार और इस क्षेत्र के सभी राज्य सुरक्षित एवं अन्तर्राष्ट्रीय मान्य सीमाओं के भीतर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राप्त कर सकें।

5 मार्च, 1997

आई. सी. सी. आर. द्वारा अनियमितताएं

6129. श्री एन. एन. कृष्णादास :

श्री फग्गान सिंह कुलस्ते :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री विजय अन्नाजी मुंडे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई. सी. सी. आर. ने 1996 के दौरान कोई निविदाएं आमंत्रित किए बिना तथा इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संपर्क किए बिना 2.62 लाख रुपए की लागत से आजाद भवन में सफेदी करवाई थी;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त बिल का भुगतान आई. सी. सी. आर. के अध्यक्ष की अनुमति के बिना दिया गया क्योंकि ऐसी प्रत्येक परियोजना जिसका व्यय 2.00 लाख रुपए से ज्यादा है उसके लिए यह अनिवार्य होता है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) जी नहीं। 1996 में आजाद भवन की सफेदी के काम के लिए परिषद् ने पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने लिखित रूप में यह कार्य करने से इंकार कर दिया था। उसके बाद अनेक फर्मों से मुहरबंद निविदाएं मांगी गई थी और कार्य उस फर्म को दिया गया था जिसकी दरें न्यूनतम थीं। सफेदी का यह कार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन और उनकी पहल पर आजाद भवन की 1995/1996 में शुरू की गई मरम्मंत से संबंधित कार्य का एक भाग था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वाईपिन द्वीप को पेयजल सुविधाएं

6130. श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोशी के वाईपिन द्वीप के निवासियों में पेय जल संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण असंतोष उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने द्वीप निवासियों को पेयजल प्रदान करने संबंधी मौजूदा व्यवस्था की कोई पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने वाईपिन द्वीप के लोगों को समुचित पेयजल प्रदान करने के लिए क्या नीति तैयार की है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) वाइपिन द्वीप के निवासियों में पेय-जल संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण असंतोष उत्पन्न होने के संबंध में कोई रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल खनन

6131. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल खनन कार्यकलापों को विनियमित करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी तेल कंपनियों को इस संबंध में क्या काम सौंपा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बोली लगाने की प्रक्रिया में भारतीय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड को गैर-सरकार कंपनियों के समान लाने का है; और

(घ) तेल उत्पादन पर वर्तमान उपकर और मौजूदा निर्धारित रायल्टी की दशा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति घोषित की है। इस नीति से संबंधित खास-खास बातें निम्न हैं :—

—विद्यमान बोली दरों के अलावा अन्वेषण रकबे की खुली उपलब्धता।

—ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड को अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अन्य निजी क्षेत्र को कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी है।

—आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. तथा आयल इंडिया लि. को वही राजकोषीय तथा संविदागत शर्तें उपलब्ध कराके, जो निजी कंपनियों के लिए उपलब्ध हैं, एक व्यवस्थित कार्य व्यापार क्षेत्र उपलब्ध कराना।

—गहन जल तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज।

—संविदाकारों को घरेलू बाजार में कच्चे तेल एवं गैस के विपणन के संबंध में स्वतंत्रता।

(घ) उपकर, जो कि पहले क्रूड उत्पादन पर उदग्रहीत किया जाता था, को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत प्रस्तावित ब्लाकों के लिए समाप्त कर दिया है तथा जमीनी क्षेत्रों एवं अपतटीय क्षेत्रों के संबंध में भुगतान की जाने वाली रायल्टी कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की क्रमशः 12.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत होगी। अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त रायल्टी के आधे भाग को कम अन्वेषित बेसिनों के संबंध में भू-वैज्ञानिक आंकड़ा अर्जन, अपस्ट्रीम क्षेत्र, संस्था निर्माण इत्यादि, के लिए निवेश अवसरों के प्रोन्नयन जैसे अन्वेषण से संबंधित क्रिया-कलापों को प्रोन्नत एवं वित्तपोषित करने के लिए, हाइड्रोकार्बन विकास निधि में जमा किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में विद्युत संकट

6132. श्री पी. वी. राजेश्वर राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कुछ नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में "डाभोल" संयंत्र की तरह निजी क्षेत्र में कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश में क्षमता अभिवृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)
1.	कोठागुण्डम (टी)	250
2.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (टी)	3 × 52.8
3.	गोदावरी जीटी	2 × 47

(ग) अब तक आंध्र प्रदेश का एक परियोजना प्रस्ताव अर्थात् 2 × 260 मे. वा. की रामागुण्डम विस्तार ताप विद्युत परियोजना (मै. बीपीएल पावर प्रोजेक्ट्स (एपी) लि.) तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन है।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश में मै. जीवीके इंडस्ट्रीज द्वारा जेगुरूपाडु सीसीजीटी (216 मे. वा.) तथा मै. हिन्दुजा नेशनल पॉवर कारपोरेशन लि. द्वारा विशाखापट्नम थर्मल प्लांट (1040 मे. वा.) को भारत सरकार की प्रति गारंटी के आधार पर तैयार किया गया है।

एनरॉन

6133. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकन कंपनी एनरॉन का कर्नाटक में विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित विद्युत परियोजना की अवस्थिति लागत, क्षमता और शेयर इक्विटी इत्यादि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए क्या निर्णय लिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भर्ती पर रोक

6134. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की नई भर्ती पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो यह रोक कब लगाई गई थी;

(ग) इस उपाय के कारण कुल कितने रुपयों की बचत हुई; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस तरह की रोक हटाने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) सरकार ने ऐसे कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किए हैं जिनके तहत सरकार नौकरियों में भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया हो।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन ओशियन रिम

6135. श्री मुख्तार अनीस :
श्री के. पी. सिंह देव :
श्रीमती वसुंधरा राजे :
श्री सुरेश कलमाड़ी :
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :
श्री दिलीप संघाणी :
श्री जी. ए. चरण रेड्डी :
श्री गोरधन भाई जावीया :
श्री आर. साम्बासिवाराव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंद महासागर के प्रमुख देशों ने एक संगठन बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इसके सदस्य कौन-कौन से हैं तथा संगठन का कार्यालय कहां पर है;

(घ) इस संगठन के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने में भारत की क्या भूमिका होगी;

(ङ) क्या सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों पर इंडियन ओशियन रिम बनाने का कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, और

(च) यदि नहीं, तो इंडियन ओशियन में शामिल होने के प्रश्न पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी हां, मार्च, 1997 में मारीशस में सम्पन्न मंत्रियों की परिषद् की पहली बैठक में चार्टर पारित किया गया और उसने औपचारिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महासागर रीम संघ की शुरुआत की।

(ख) क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महसागर रीम संघ के उद्देश्य और प्रयोजन इस प्रकार हैं :—

(i) इस क्षेत्र और सदस्य राज्यों का स्थायी विकास और सन्तुलित विकास संवर्धित करना, और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए साझा आधार सृजित करना;

(ii) आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान संकेन्द्रित करना जो साझे हितों को विकसित करने तथा पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं। इस दिशा में व्यापार को सुविधाजनक बनाने, संवर्धन और उदारीकरण, विदेशी निवेश के संवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, तथा पर्यटन, मूल व्यक्तियों और सेवा प्रदत्तों की अवाजाही तथा आधारभूत और मानव संसाधनों के विकास से सम्बद्ध आर्थिक सहयोग की परियोजनाएं तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना है;

(iii) व्यापार तथा उद्योग, शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षाविदों और सदस्य राज्यों के लोगों के बीच घनिष्ट बातचीत को प्रोत्साहित करना;

(iv) सार्वभौम आर्थिक मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में सदस्य राज्यों के बीच सहयोग और बातचीत सुदृढ़ करना;

(v) मानव संसाधनों विशेषकर सदस्य राज्यों के प्रशिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य विशिष्ट संस्थाओं के बीच और घनिष्ट संबंधों के जरिए सहयोग संबर्धित करना,

(ग) क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महासागर रीम संघ के चौदह सदस्य हैं अर्थात् आस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मारीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और यमन। नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन के समन्वय, सेवाएं प्रदान करने तथा निगरानी के साथ-साथ प्रशासनिक मामलों के लिए एक मार्गदर्शी तंत्र मारीशस में स्थापित किया जाना है।

(घ) भारत ने सफलतापूर्वक क्षेत्रीय सहयोग से संबद्ध हिन्द महासागर रीम संघ का चार्टर तैयार करने में समन्वय कार्य किया था। इस समय क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महासागर रीम संघ की कार्य योजना में शामिल चार आर्थिक सहयोग परियोजनाओं अर्थात्

(i) हिन्द महासागर रीम व्यापार केन्द्र और आईओ आरएनईटी,

(ii) व्यापार संवर्धन कार्यक्रम और भारत में आई ओ आर व्यापार मेला,

(iii) हिन्द महासागर अध्ययन आई ओ आर पीठ और सह फैलो, और

(iv) निवेश को सुविधाजनक बनाना और उनके संवर्धन के अनुपालन का समन्वय कर रहा है। इसी बीच भारत अन्य आई ओ आर-ए आरसी सदस्य देशों द्वारा समन्वित की जा रही आर्थिक सहयोग परियोजनाओं में भी भाग लेगा।

(ङ) और (च) जी नहीं। क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महासागर रीम संघ के भीतर सहयोग अन्य आर्थिक और व्यापारिक सहयोग प्रबंधों की रूपरेखा के भीतर सदस्य राज्यों द्वारा सम्पन्न अधिकारों और बाध्यताओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। इसके लिए यह कोई विकल्प नहीं है परन्तु इसे सुदृढ़ बनाने, सम्पूरक बनाने तथा यह सदस्य राज्यों के द्विपक्षीय, बहुवादी और बहुपक्षीय बाध्यताओं के अनुरूप है।

हाइड्रोकार्बन भंडार

6136. **डॉ॰ सी॰ सिल्वेरा :**

श्री ए॰ जी॰ एस॰ रामबाबू :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर भाग में हाल में किए गए कुछ सर्वेक्षणों से वहां भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन के भंडार पाए जाने का संकेत मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्र हित में सर्वेक्षण के वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (घ) संयुक्त उद्यम खोज सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने वेस्टर्न ज्योफि-जीकल कंपनी, यू एस ए के साथ अंडमान अपतट समेत भारत के पूर्वी अपतट के गहन जल क्षेत्रों के अंतर्गत घनत्व एवं चुंबकीय सर्वेक्षणों के साथ-साथ द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण किए हैं। आंकड़ा संसाधन फिलहाल प्रगति पर है तथा निर्वचन का कार्य प्रक्रिया के पूरा होने के तत्काल पश्चात् शीघ्र आरंभ होगा।

[हिन्दी]

बन्धकों की नियति

6137. **कुमारी उमा भारती :**

श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन विदेशी बंधकों, जिन्हें दो वर्ष पहले बंधक बनाया गया था, के रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों द्वारा जारी किए गए वक्तव्यों के बारे में जानकारी है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि पाकिस्तान को उनके निकट संबंधियों के अपहर्ताओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी बंधकों को मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रमण्यन) : (क) इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों की सरकार को जानकारी है।

(ख) और (ग) सरकार राजनयिक चैनल के माध्यम से पाकिस्तानी प्राधिकारियों से लगातार आग्रह करती रही है कि बंधकों को छुड़ाने में मदद करें क्योंकि विदेशी नागरिकों के अपहरण और उन्हें बंधक बनाए रखने के लिए जिम्मेवार ग्रुप का अड्डा उस देश में है और वह उस देश से कार्य करता है तथा जम्मू और कश्मीर में अपनी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी एजेन्सियों से सक्रिय सहायता प्राप्त कर रहा है।

[अनुवाद]

भारत और पाकिस्तान में धार्मिक स्थल

6138. **श्री तारीक अनवर :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने उन धार्मिक स्थलों की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया है जिनका भारत में आने वाले पाकिस्तानी तीर्थयात्री भ्रमण कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार भी ऐसी व्यवस्था करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) से (घ) सरकार ने उन धार्मिक स्थानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है जहां पाकिस्तानी तीर्थयात्री भ्रमण कर सकते हैं। भारत/पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों का भ्रमण 1974 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित "धार्मिक स्थलों का भ्रमण" संबंधी द्विपक्षीय प्रोतोकाल द्वारा नियंत्रित है। द्विपक्षीय प्रोतोकाल के अंतर्गत धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार पाकिस्तान के साथ मामला उठाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी

6139. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1997 के "द पाईनियर" में "एपेथेटिक टु फार्म लेबरर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर के सात प्रतिशत से ऊपर बढ़ जाने के बावजूद इन वर्षों में ग्रामीण मजदूरी में क्रमशः कमी आई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या मुनाफा है; और

(घ) ग्रामीण मजदूरी के संबंध में वर्ष 1996-97 में सरकार द्वारा क्या आंकलन किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97 के अनुसार सकुशल कृषि श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी 1992-93 में 5.21% और 1993-94 में 5.61% की नियमित रूप से वृद्धि हुई है यद्यपि इसमें 1994-95 और 1995-96 में क्रमशः 0.50% और (0.69%) की मामूली गिरावट आई।

(घ) 1996-97 के दौरान कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी का अनुमान अब तक नहीं लगाया गया है तथापि अकुशल श्रेणी के कृषि श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की विद्यमान दरों के बारे में उपलब्ध सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम दरें (01.10.1996 को)।

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30.00 रु॰ से 36.50 रु॰ प्रतिदिन (जोनों के अनुसार) (12.2.96)
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु॰ से 23.00 रु॰ प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)
3.	असम	1134.00* रु॰ प्रति माह या 984.00 रु॰ प्रतिमाह जमा भोजन, आवास तथा कपड़े (1.8.89)
4.	बिहार	27.30 रु॰ प्रतिदिन (21.12.95)
5.	गोवा	46.00 रु॰ प्रतिदिन (8.5.95)
6.	गुजरात	34.00 रु॰ प्रतिदिन (1.4.96)
7.	हरियाणा	51.52* रु॰ प्रतिदिन भोजन के साथ
		55.52 रु॰ प्रतिदिन भोजन के बिना (1.1.96)
8.	हिमाचल प्रदेश	45.75 रु॰ प्रतिदिन (1.3.96)
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00 रु॰ प्रतिदिन (13.3.95)
10.	कर्नाटक	26.00 रु॰ से 35.35 रु॰ प्रतिदिन (28.3.94)
11.	केरल	30.00 रु॰ प्रतिदिन हलका कार्य
		40.20 रु॰ प्रतिदिन कठिन कार्य (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	38.50* रु॰ प्रतिदिन (1.4.96)

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	20.00 रु० से 29.00 रु० प्रतिदिन (जोनों के अनुसार) (26.6.94)
14.	मणिपुर	47.65* रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए
		44.65 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर (8.7.95)
15.	मेघालय	35.00 रु० प्रतिदिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	35.00 रु० प्रतिदिन (11.6.93)
17.	नागालैंड	25.00 रु० प्रतिदिन (1.7.92)
18.	उड़ीसा	30.00 रु० प्रतिदिन (15.8.96)
19.	पंजाब	51.67* रु० प्रतिदिन भोजन सहित
		58.28 रु० प्रतिदिन भोजन बिना (1.7.95)
20.	राजस्थान	32.00 रु० प्रतिदिन (जनवरी, 1995)
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार अभी करना बाकी है।
22.	तमिलनाडु	20.00 रु० प्रतिदिन (8.4.93)
23.	त्रिपुरा	26.65 रु० प्रतिदिन (15.5.95)
24.	उत्तर प्रदेश	33.00 रु० से 35.00 रु० प्रतिदिन (7.1.92)
25.	पश्चिम बंगाल	40.00* रु० प्रतिदिन (31.12.95)
26.	अंडमान और निकोबार	37.00 रु० प्रतिदिन (अंडमान)
	द्वीप समूह	40.00 रु० प्रतिदिन (निकोबार) (15.8.94)
27.	चण्डीगढ़	52.00* रु० प्रतिदिन (भोजन सहति) या
		58.64 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के (4.11.95)
28.	दादरा व नगर हवेली	40.00 रु० प्रतिदिन (18.5.95)
29.	दिल्ली	64.50* रु० प्रतिदिन (1.2.94)
30.	दमन और दीव	35.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)
31.	लक्ष्य द्वीप	30.00 रु० प्रतिदिन (1.1.93)
32.	पांडिचेरी	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	20.00 रु० से 22.00 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
	(ii) माहे क्षेत्र	30.00 रु० प्रतिदिन हलका कार्य
		40.20 रु० प्रतिदिन कठिन कार्य (24.7.95)
	(iii) यनम क्षेत्र	19.25 रु० से 26.25 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
	(iv) कराइकल	20.00 रु० से 22.00 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र	56.09* रु० से 63.09 रु० प्रतिदिन (1.10.96)

नोट (1) न्यूनतम मजदूरी में जहां भी प्रावधान हो परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी शामिल है।

(2) कॉलम (3) के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मूल मजदूरी के अंतिम संशोधन की तिथि सूचित करते हैं।

(3)* मजदूरी की न्यूनतम दर के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान सूचित करते हैं।

[अनुवाद]

एल॰ आई॰ जी॰ प्लाटों का आबंटन

6140. कर्नल राव राम सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981 के दौरान "एल॰ आई॰ जी॰ स्कीम" के अंतर्गत एल॰ आई॰ जी॰ मकानों के निर्माण हेतु प्लाटों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्लाटों हेतु आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को उक्त स्कीम के अंतर्गत आबंटित किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जिन आवेदनकर्ताओं को 16 वर्षों की अवधि के बाद भी प्लाट आबंटित नहीं किए गए उनके नाम आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष आवेदकों को प्लाट आबंटित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि कम आय वर्ग श्रेणी के अंतर्गत रोहिणी में लगभग 38,108 पंजीकृत व्यक्तियों में से 18,085 को आबंटन मुहैया करा दिया गया है। रोहिणी रिहायशी स्कीम 1981 के अंतर्गत कम आय वर्ग के तहत भू-खंडों का आबंटन हेतु प्रतीक्षारत 20,015 पंजीकृत हैं। पुराना बकाया होने का मुख्य कारण विकसित भूमि का उपलब्ध न होना है। रोहिणी चरण-III और IV में भूमि विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रतीक्षारत पंजीकृतों को भू-खण्ड मुहैया कराए जा सकें।

तिब्बत से पशमीना और शहतूश की तस्करी

6141. श्री मंगत राम शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत से भारत में विभिन्न मार्गों से पशमीना और शहतूश की बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत में इन प्रतिबंधित उत्पादों की अवैध तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

6142. श्री राजाभाऊ ठाकरे :

श्री संदीपान थोरात :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों में त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो 1996-97 के दौरान राज्यों के आबंटित राशि और जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा 1997-98 के दौरान कितनी राशि की व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग की गई धनराशि, पूरी की गई परियोजनाएं, निर्माणाधीन परियोजनाएं तथा उनके स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अधूरी परियोजनाओं, निर्माणाधीन योजनाओं और 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरम्भ की जाने वाली योजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा किन-किन योजनाओं को स्वीकृति मिलनी बाकी है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान धनराशि के आबंटन व अदायगी राशि का ब्यौरा विवरण-I में है। इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1997-98 हेतु 28 करोड़ रु॰ का प्रावधान है।

(ग) और (घ) मार्च, 1994 में योजना के प्रारंभ होने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही 10 अनुमोदित योजनाओं पर 2.64 करोड़ रु॰ व्यय किए हैं। इसका ब्यौरा विवरण-II में है।

महाराष्ट्र सरकार ने अन्य 18 योजनाओं का प्रस्ताव किया है, जिनका अनुमोदन धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर है। ब्यौरा विवरण-III में है।

विवरण-I

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम का धन का आबंटन

क्रम सं॰	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश आबंटित राशि 1996-97	अदा की गई राशि 1996-97
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.66	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.83
3.	असम	0.43	1.68

1	2	3	4
4.	बिहार	1.01	—
5.	गोवा	0.12	0.09
6.	गुजरात	1.09	0.70
7.	हरियाणा	0.42	0.86
8.	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.16
9.	जम्मू और कश्मीर	0.09	0.10
10.	कर्नाटक	1.31	0.47
11.	केरल	0.47	0.48
12.	मध्य प्रदेश	3.05	1.56
13.	महाराष्ट्र	1.29	1.73
14.	मणीपुर	0.13	0.76
15.	मेघालय	0.02	0.10
16.	मिजोरम	0.07	0.11
17.	नागालैंड	0.03	0.52
18.	उड़ीसा	0.81	1.87
19.	पंजाब	0.44	0.44
20.	राजस्थान	1.25	3.06
21.	सिक्किम	0.01	—
22.	तमिलनाडु	1.24	1.04
23.	त्रिपुरा	0.09	—
24.	उत्तर प्रदेश	4.93	3.52
25.	पश्चिम बंगाल	0.65	—
	योग	20.00	20.13

विवरण-II

राज्य : महाराष्ट्र

मंजूर परियोजनाएं

(रु॰ लाखों में)

क्रम सं॰	शहर का नाम	जिला	मंजूरी तिथि माह/वर्ष	परियोजना लागत	दिसम्बर, 96 तक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	पातूर	अंकोला	मार्च, 94	51.03	3.94
2.	देवलगांव राजा	बुलधाना	—वही—	160.22	131.32
3.	लोनार	बुलधाना	—वही—	98.18	68.96
4.	मेन दारगी	शोलापुर	—वही—	42.21	41.02

1	2	3	4	5	6
5.	सिलहाटा	अंकोला	—वही—	18.37	19.67
6.	कुन्दलवाड़ी	नानन्डिड	दिसम्बर, 95	145.10	—
7.	सैन्दुरजनघाट	अमारावती	अगस्त, 96	117.78	—
8.	ससबाद	पुणे	अक्टूबर, 96	213.55	—
9.	इन्दापुर	पुणे	अक्टूबर, 96	324.47	—
10.	दुधानी	शोलापुर	नवम्बर, 96	200.19	—
	योग			1371.10	264.91

विवरण-III

राज्य : महाराष्ट्र

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	शहर का नाम	जिला	परियोजना लागत
1.	राहतापिम्पलास	अहमदनगर	396.76
2.	सिन्धी	वर्धा	366.57
3.	मूल	चन्द्रपुर	462.81
4.	कलाम	उस्मानाबाद	808.85
5.	बड़गांव	कोल्हापुर	284.96
6.	कमलेश्वर	नागपुर	177.53
7.	सबादा	जलगांव	470.79
8.	भागुर	नासिक	263.50
9.	सोनेपेट	परभनी	169.57
10.	परेन्धा	उस्मानाबाद	286.28
11.	बिलोली	नान्देड़	272.65
12.	हडगांव	नान्देड़	332.77
13.	भूम	उस्मानाबाद	357.49
14.	नलदुर्गा	औरंगाबाद	208.84
15.	सावनेर	नागपुर	467.88
16.	मुखेड़	नान्देड़	714.18
17.	देवली	वर्धा	190.42
18.	खापा	नागपुर	65.85
	कुल		6297.70

पैकेज का कार्यान्वयन

6143. श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगामी :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर के विकास और प्रगति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कब-कब पैकेज घोषित किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पैकेज-वार कितनी राशि व्यय की गई है और उपरोक्त राशि को किन संसाधनों से जुटाया गया है;

(ग) क्या जम्मू कश्मीर के लिए घोषित पैकेजों में शामिल विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो परियोजनाओं को निर्धारित समय में कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या जम्मू-कश्मीर के आर्थिक पैकेज में राज्य के हस्तशिल्प/कालीन निर्यातकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है जिससे अशांति की अवधि के प्री-शिपमेंट निर्यात ऋण में माफी/ब्याज से छूट दी जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। जम्मू एवं कश्मीर में विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 23.7.96 और 2.8.96 को संसद के दोनों सदनों में कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने और चल रही कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की घोषणा की थी। इन उपायों की स्थिति इस प्रकार है :—

परियोजनाएं

(i) एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में ऊधमपुर से बारामूला तक 290 कि॰ मी॰ लम्बी रेलवे लाइन का निर्माण 2500 करोड़ रुपए की लागत से सात वर्षों में पूरा होने की संभावना है। 1996-97 में मुख्यत: भूमि अधिग्रहण के लिए 20 करोड़ रु॰ उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री द्वारा 15.3.1997 को ऊधमपुर में इस लाइन के निर्माण का शिलान्यास किया गया।

(ii) जम्मू एवं कश्मीर के बीच एक विश्वसनीय वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग के रूप में मुगल रोड़ का निर्माण। राज्य सरकार को परियोजना का निर्माण शुरू करना है और विस्तृत लागत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। परियोजना के लागत केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाएगी। यह काम 150 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की संभावना है।

(iii) बिजली की कमी से ग्रस्त राज्य को अति आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए दुलहस्ती और उड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना। 13.2.1997 को प्रधानमंत्री द्वारा उड़ी की पहली यूनिट राष्ट्र को समर्पित की गई। अन्य यूनिटों पर काम जारी है और मई 1997 के अंत तक इसके पूरा हो जाने की आशा है। प्रारम्भ में दुलहस्ती पर कुछ सिविल निर्माण कार्य राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा विभागीय रूप से शुरू किया गया था। शेष सिविल कार्य का ठेका 3.3.1997 को दे दिया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए निम्नलिखित उपायों की भी घोषणा की गई थी :—

— उग्रवाद से प्रभावित छोटे धंधों को ऋण राहत

पर्यटन, लघु उद्योग, परिवहन और व्यापार आदि जैसे व्यवसायों में लगे लोगों को जो कि पिछले 6-7 वर्षों के दौरान उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, तुरन्त राहत पहुंचाने की दृष्टि से एक योजना अनुमोदित की गई है कि ऋण लेने वाले उन सभी व्यक्तियों के बकाया ऋण और ब्याज माफ कर दिया जाए जिन्होंने मूलत: 50,000 रु॰ तक या इससे कम ऋण लिया हो ताकि अपना कारोबार पुन: शुरू करने के लिए वे बैंकिंग क्षेत्र से पुन: ऋण मांग सकें। 50,000 रु॰ से अधिक ऋण लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में, उन्हें दी जा सकने वाली विभिन्न राहतों के सुझाव देने के लिए एक अन्तरमंत्रालयी समिति गठित की गई है।

— 1996-97 के लिए जम्मू एवं कश्मीर को विशेष केन्द्रीय योजनागत सहायता

1996-97 के योजनागत परिव्यय को बाद में बढ़ाकर 1,250 करोड़ रु॰ कर दिया गया और इसका वित्त पोषण पूर्णत: केन्द्र द्वारा किया गया। गैर योजना अन्तराल को पूरा करने के लिए 1996-97 में 663 करोड़ रु॰ की विशेष केन्द्रीय योजनागत सहायता और 100 करोड़ रु॰ का विशेष योजनागत ऋण प्रदान किया गया।

— लेह जिले में पर्यटन के लिए मूलभूत ढांचे का विकास

लेह क्षेत्र में पर्यटन की और प्रोत्साहन देने के लिए लेह में संगोष्ठी/सम्मेलन केन्द्र स्थापित करने के लिए 2.40 करोड़ रु॰ की राशि आबंटित की जा रही है। संभाव्यता अध्ययन कराने के लिए पर्यटन विभाग एक विशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ले रहा है।

— कारगिल में हवाई अड्डे का विकास

25 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से कारगिल हवाई अड्डे के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पिछली सर्दियों में सरकार ने कारगिल के लिए पहले की व्यवस्था, पाक्षिक सेवा के स्थान पर साप्ताहिक हेलीकॉप्टर सेवा प्रारम्भ की थी। आवश्यक सब्सिडी सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

चालू वर्ष के दौरान उड़ी जलविद्युत परियोजना के लिए 199 करोड़ रु॰, दुलहस्ती परियोजना के लिए 450 करोड़ रु॰, ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लाइन के लिए 75 करोड़ रु॰ और मुगल रोड़ के निर्माण के लिए 8 करोड़ रु॰ की राशि, इन चालू परियोजनाओं के लिए तेजी से क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जुलाई/अगस्त, 1996 में प्रधानमंत्री द्वारा संसद में घोषित आर्थिक पैकेज के कार्यान्वयन

के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई का प्रबोधन नियमित आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब न हो।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में रोजगार

6144. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989 से कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन एस एस) के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार की त्वरित वृद्धि दर 1983-88 में 0.94 से बढ़ाकर 1988-94 में 1.88 हो गई।

(ग) सरकार कृषि क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर में और सुधार करने के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार करके, कौशल सुधार कार्यक्रमों, भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके और जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए), रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस) आदि को चलाकर बहुआयामी कार्रवाई कर रही है।

विस्तारणीय आवास योजना

6145. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार द्वारका उपनगर में विस्तारणीय आवास योजना, 1996 के अंतर्गत उन आबंटियों को कुल लागत पर 15 प्रतिशत रियायत देने का है जो पूरा भुगतान करते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) डीडीए ने बताया है कि विस्तारणीय आवास योजना, 1996 की आबंटन शर्तों के अनुसार उन आबंटियों को, जो कब्जा लेने से पहले शत प्रतिशत भुगतान कर देते हैं, निम्नलिखित के अनुसार छूट दी जाएगी :—

क्रम सं॰	स्थान	छूट
1.	नरेला	विक्रय मूल्य पर 15%
2.	रोहिणी	—वही—
3.	कोंडली घरौली	—वही—
4.	द्वारका	विक्रय मूल्य पर 5%

रोहिणी, नरेला तथा कोंडली घरौली के मामले में 15% छूट दी गई थी क्योंकि ये क्षेत्र द्वारका उप-नगर की तुलना में कम लोक प्रिय हैं।

फिलहाल द्वारका उप-नगर के फ्लैटों के विक्रय मूल्य पर 15% छूट प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ द्वारा तेल की खोज

6146. श्री ललित उरांव :

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूर्णिया, अरड़िया और किशनगंज क्षेत्र भारत-नेपाल के सीमा क्षेत्र हैं;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰) ने अपने सर्वेक्षण में इन क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार होने की भारी संभावना व्यक्त की है;

(ग) क्या ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ का विचार पूर्णिया, अरड़िया और किशनगंज में तेल की खोज संबंधी खुदाई करने का है; और.

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ उक्त क्षेत्र में अभी भूकंपीय आंकड़े अर्जित कर रही है और आंकड़े मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ ने पहले ही पूर्णिया में एक कूप का वेधन किया है जो शुष्क हो गया है। इस क्षेत्र में भविष्य में वेधन, अर्जित किए जा रहे भूकंपीय आंकड़ों और इसके मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

हरियाणा में विद्युत स्टेशनों का आधुनिकीकरण

6147. डॉ॰ अरविंद शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितने विद्युत स्टेशन/उप-केन्द्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार प्रत्येक स्टेशन/उप-केन्द्र द्वारा कुल कितने विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार उन विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी) : (क) और (ख) हरियाणा में विद्युत स्टेशनों तथा सब-स्टेशनों की कुल संख्या क्रमशः 3 और 25 (220 केवी और अधिक) है। पिछले तीन

वर्षों के दौरान हरियाणा के प्रत्येक विद्युत स्टेशन में विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(आंकड़े मि॰ यू॰ में)

विद्युत स्टेशन	1994-95	1995-96	1996-97
1. फरीदाबाद टीपीएस	783.04	799.340	649.247
2. पानीपत टीपीएस	2408.177	2266.502	2753.631
3. डब्ल्यू वाई सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	299.436	234.306	267.754
हरियाणा में समग्र रूप में कुल	3420.653	3300.148	3670.632

(ग) और (घ) पानीपत की प्रत्येक 110 मे॰ वा॰ वाली यूनिट 1 से 4 के संयत्र भार घटक में वृद्धि करने के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन यूनिटों की विद्युत उत्पादन क्षमताओं में अभिवृद्धि होगी।

[अनुवाद]

पन बिजली परियोजनाएं

6148. श्री पंकज चौधरी :

श्री राजकेसर सिंह :

श्री केतकी देवी सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन बिजली परियोजनाओं की प्रगति धीमी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पन बिजली परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी) : (क) और (ख) कुछ जल-विद्युत परियोजनाओं की प्रगति परिनिधियों संबंधी समस्याओं, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना संबंधी समस्याओं, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं तथा भौगोलिक समस्याओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) जल-विद्युत परियोजनाओं की गति को तीव्र करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के॰ वि॰ प्रा॰) और विद्युत मंत्रालय के स्तर पर गहन मानिटरिंग की जा रही है। के॰ वि॰ प्रा॰ और विद्युत मंत्रालय के अधिकारी परियोजना प्राधिकारियों, प्रमुख उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं तथा निर्माताओं के साथ नियमित रूप से प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहे हैं ताकि कठिनाइयों का सामना किया जा सके और उपचारात्मक उपायों को अभिजात किया जा सके।

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र निगमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए निबल बजटीय सहायता (एनबीएस) की पर्याप्त रूप से वर्ष 1996-97 के 533 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 1997-98 में 866 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र जल-विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 1997-98 के बजट में 617 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं।

(iii) सरकार ने जनवरी 1995 में 1/1/97 को अथवा उसके पश्चात् चालू की गई परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहनों के एक पैकेज की भी घोषणा की है ताकि जल-विद्युत परियोजनाओं में अधिकाधिक निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

(iv) विद्युत परियोजनाओं सहित विकासात्मक परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है।

(v) विद्युत-मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास का सुझाव देने के लिए 26 अगस्त, 1996 को श्री एम॰ के॰ संबामूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने 27 मार्च 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को जल-विद्युत विकास संबंधी राष्ट्रीय नीति का गठन करते समय शामिल किया जाएगा।

श्रीलंका की सेना द्वारा नजरबंद भारतीय मछुआरे

6149. श्री एन॰ डेनिस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की सेना तथा नौसेना द्वारा गत कुछ महीनों के दौरान कई भारतीय मछुआरों को नजरबंद किया गया है;

(ख) उनको छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भविष्य में नजरबंदी की इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) सितम्बर, 1996 से जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान अलग-अलग घटनाओं में श्रीलंका के जलक्षेत्र में श्रीलंका के प्राधिकारियों ने कुल 45 भारतीय मछुआरों को नजरबंद किया था। 3 मार्च, 1997

को भारतीय जलयान के कर्मी दल के आठ सदस्यों को श्रीलंका की नौसेना ने श्रीलंका के तट के निकट बीच में रोक कर उस समय नजरबंद किया था जब वे शरणार्थियों और सामग्री को श्रीलंका से भारत ला रहे थे।

(ख) और (ग) राजनयिक माध्यमों के जरिए श्रीलंका के प्राधिकारियों से नजरबंद मछुआरों की रिहाई के लिए प्रस्ताव किया गया है। जनवरी, 1997 में हमारे विदेश मंत्री की कोलम्बो की यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वे दोनों देशों के मछुवारों के समक्ष आ रही समस्याओं को सहानुभूति-पूर्वक और समझ-बूझ से हल करेंगे। बाद में श्रीलंका की सरकार ने उन 25 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है जिनके खिलाफ सुरक्षा अथवा शरणार्थियों की घुसपैठ से संबंधित आरोप नहीं थे। शेष मछुआरों को रिहा करने के लिए श्रीलंका प्राधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है, श्रीलंका में चल रही युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के जलक्षेत्र में प्रवेश करने के विरुद्ध उन्हें सचेत रहने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

आई॰ सी॰ सी॰ आर॰ द्वारा खरीद

6150. श्री प्रमथेस मुखर्जी :

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :

श्री विजय अन्नाजी मुंडे :

श्री देवेन्द्र बहादुर राय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई॰ सी॰ सी॰ आर॰ द्वारा निविदाएं आमंत्रित किए बिना बहुत कीमती सरकारी सामान खरीदा गया है;

(ख) क्या आई॰ सी॰ सी॰ आर॰ नगरपालिका के नियमों का उल्लंघन करते हुए कमरों का भी निर्माण कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) सामान्यतया खरीद सरकारी दुकानों से की जाती है। सरकारी दुकानों पर उपलब्ध न होने वाली वस्तुओं को अधिकृत डीलरों से अथवा प्रसिद्ध फर्मों से सीलबंद दरसूची मंगवा कर खरीदा जाता है।

(ख) लोक हित में स्टाफ सदस्यों को बसाने के लिए 1994-95 में तीन अस्थाई अहाते खड़े किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जबलपुर में विद्युत परियोजना

6151. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के जबलपुर मंडल में 3000 मे॰ वा॰ क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी दल ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह संयंत्र कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) मध्य प्रदेश के जबलपुर प्रभाग में 300 मे॰ वा॰ का विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने हेतु कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् पुस्तकालय

6152. डॉ॰ हरि सिंह :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के पुस्तकालय से मौलाना अबुल कलाम आजाद से संबंधित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता की कई दुर्लभ पाण्डुलिपियां और अन्य मूल्यवान दस्तावेज गायब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दुर्लभ दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) और (ख) मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभी व्यक्तिगत कागजात और पाण्डुलिपियां भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। तथापि, 1996 में किए गए आरंभिक निरीक्षण में यह पाया गया था कि संकलन से अन्य लेखकों की कृतियों की 5 पाण्डुलिपियां उनके लिए निर्धारित अनुभागों में नहीं पाई गई थीं।

इसके बाद पुस्तकालय में पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन आरंभ किया गया और गुम हुई पाण्डुलिपियों में से चार पाण्डुलिपियों का पता लगा लिया गया है। सादी मुशीहुद्दीन की कुलागाते-ए-सादी नामक पाण्डुलिपि अभी भी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पुस्तकालय में पुस्तकों के स्टाक की जांच और वास्तविक सत्यापन का दूसरा दौरा इस समय चल रहा है।

अम्बेडकर आवास योजना

6153. श्री पी॰ नामग्याल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजना "अम्बेडकर आवास योजना"। नवम्बर 1989 को आरम्भ की गई और 29 दिसम्बर, 1989 के बंद कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो एमआईजी, एलआईजी और जनता कोटि के अंतर्गत

पृथक-पृथक कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए और कोटिवार पंजीकरण जमा राशि के रूप में कुल कितनी धनराशि जमा हुई;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कोटिवार कितने व्यक्तियों को मकान आबंटित किए गए और प्रत्येक योजना के अंतर्गत पृथक-पृथक शेष व्यक्तियों को अब तक आबंटन न किए जाने, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक योजना के अंतर्गत कुल आबंटन कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या पंजीकरण जमा राशि पर किसी ब्याज का भुगतान किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस योजना के तहत निम्न ब्यौरे के अनुसार कुल 20 हजार लोगों ने पंजीकरण कराया।

जनता फ्लैट	3000
एल आई जी	10000
एम आई जी	7000

विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण राशि के रूप में प्राप्त राशि इस प्रकार है :—

जनता	3000 × 4000	=	1,20,00,000/- रुपए
एल॰ आई॰ जी॰	10000 × 8000	=	8,00,00,000/- रुपए
एम॰ आई॰ जी॰	7000 × 12000	=	8,40,00,000/- रुपए
		रू॰	17,60,00,000/- रू॰

(ग) और (घ) प्राधिकरण ने बताया है कि अम्बेडकर आवास योजना 1989 के पंजीकृत व्यक्तियों को 31.3.97 तक निम्नलिखित आबंटन किए जाएंगे :—

जनता	—	2,988 (शेष रद्द/वापस किए गए)
एल॰ आई॰ जी॰	—	3,105
एम॰ आई॰ जी॰	—	1,934

अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा बिजली-पानी जैसी सेवाओं संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए अभी कोई समय अनुसूची बनाना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) जी, हां। ब्राशर के शर्तों के अनुसार पंजीकरण राशि पर 7% की सालाना दर से ब्याज मिलेगा। ब्याज राशि हर साल पंजीकृत व्यक्तियों के खाते में जमा कर दी जाएगी और उसमें से मिलने वाले ब्याज को फ्लैट की लागत के भुगतान में समायोजित कर लिया जाएगा। ब्याज राशि 36 ड्रा की तारीख तक ही देय होगी जिसमें पंजीकृत व्यक्ति आबंटन पाने में सफल होता है। यदि जमा राशि जमा तारीख से एक वर्ष के भीतर वापस ले ली जाती है तो उस स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कंपनियों को पुनः चालू करना

6154. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मंजूर की गई 675 कंपनियों के पुनरुद्धार संबंधी योजनाओं में से दिसम्बर, 1995 तक केवल 307 कंपनियां खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्णय पर अमल न करने वाली चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ तथा रुग्ण कंपनियों को चालू करवाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 31.12.1995 तक बोर्ड के पास पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुज्जीवन के लिए 515 पुनरुद्धार योजना (जिसमें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई 27 योजनाएं सम्मिलित हैं) को मंजूर किया गया था। उपर्युक्त में से, 60 कंपनियों को 31.12.1995 तक, अब रुग्ण नहीं घोषित किया गया है और पुनरुज्जीवन योजनाओं के सफलतापूर्वक् कार्यान्वयन के कारण एस आई सी ए की सीमा से निकाल दिया गया है। शेष पुनरुद्धार योजनाएं, संबंधित कंपनियों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

बाइफर ने आगे सूचित किया है कि पुनरुज्जीवन योजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि में सामान्यतः 5 से 7 वर्ष का अंतर रहता है। इसलिए, मुख्य रूप से ऐसी पुनरुज्जीवन योजनाएं, जिन्हें 1988-89 तक मंजूरी दी गई थी, उनके दिसम्बर 1995 तक पूरा हो जाने की आशा की गई थी। 1990 और उसके बाद मंजूर की गई अधिकांश योजनाओं को दिसम्बर 1995 के बाद अंतिम रूप से कार्यान्वित किया जाना था।

(ग) और (घ) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुज्जीवन के लिए मंजूर की गई योजनाओं के कार्यान्वयन की पदनामित जांच एजेंसी (जो सामान्यतः परिचालन एजेंसियां हैं) और बाइफर द्वारा जांच की जाती है। योजना के कार्यान्वयन के स्तर पर यदि किसी पार्टी द्वारा उपबंधों की अनुपालना/गैर-अनुपालना में देर के कारण, यदि कोई कठिनाई होती है तो उसमें अंतर्ग्रस्त सभी पार्टियों को बुलाकर उसका समाधान किया जाता है। बोर्ड को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 33 के अंतर्गत बोर्ड के उपबंधों/आदेशों की जान-बूझकर अनुपालना न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध, दण्डात्मक उपबंध लगाने की शक्ति भी है।

कमीशन में संशोधन

6155. श्री पी. सी. चाक्को : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल पेट्रोलियम व्यापारी फेडरेशन ने केन्द्र सरकार से देश भर में खुदरा व्यापारियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कमीशन में वृद्धि करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो कमीशन में अन्तिम संशोधन कब किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार खुदरा व्यापारियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कमीशन में संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) कमीशन की दरों में संशोधन करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तद्नुसार कमीशन में संशोधन के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा की गई मांगों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

डीलरों के कमीशन की वर्तमान दरें एम एस के मामले में 3.7.1996 से और एच एस डी के मामले में 7.7.1996 से प्रभावी हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

6156. श्री सोहन वीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) यह विद्युत संयंत्र कहां-कहां हैं और इनकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये संयंत्र विद्युत का अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं और सरकार ने उनमें विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी) : (क) से (ग) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—विद्यमान क्षमता से विद्युत उत्पादन अधिकतम करना, नई विद्युत उत्पादन क्षमता का शीघ्र चालू करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेक्षण एवं वितरण (टी एंड डी) हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन तथा ऊर्जा संवर्धन उपाय करना तथा पड़ोसी राज्यों/प्रणाली से सहायता प्राप्त करना आदि।

विवरण

उत्तर प्रदेश में विद्युत स्टेशनों तथा वर्ष 1996-97 के दौरान इनके विद्युत उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

स्टेशन का नाम	स्थल	विद्युत उत्पादन क्षमता (मि. वा.)		विद्युत उत्पादन-1996-97	
				लक्ष्य (मि. यू.)	उपलब्धियां (मि. यू.)
1	2	3	4	5	6
उ. प्र. रा. वि. बोर्ड					
ताप					
ओबरा 1-13	(सोनभद्र)	1482.0	5800	3634	62.7
पन्की	(कानपुर)	274.0	800	846	105.7
हरदौगंज	अलीगढ़	425.0	900	607	67.4
परिचा	झांसी	220.0	830	543	65.4
अनपारा	मिर्जापुर	1630.0	10500	11696	111.4
टाण्डा	फैजाबाद	330.0	1200	1088	90.7
जल					
रिहन्द	मिर्जापुर	300.0	800	925	115.6
ओबरा	सोनभद्र	99.0	280	363	129.6
रामगंगा		198.0	250	338	135.2

1	2	3	4	5	6
मटीटीला		30.0	120	120	100.0
खटीमा		41.4	230	210	91.3
गंगा कमल		45.2	170	176	103.5
चीला		144.0	725	612	84.4
खद्री		120.0	455	432	94.9
मनेरी भाली	उत्तरकाशी	90.0	430	253	58.8
खारा		72.0	400	376	94.0
यमुना 1-4		114.8	540	546	101.1
यमुना-द्वितीय		240.0	950	899	94.6
एनटीपीसी					
सिंगरौली	सोनभद्र	2000.0	14500	15381	106.1
रिहंद	मिर्जापुर	1000.0	7000	6634	94.8
दादरी	गाजियाबाद	840.0	5850	6054	103.5
अंचाहार	अंच	420.0	2700	2949	109.2
औरैया		652.0	3000	3841	128.0
दादरी	गाजियाबाद	817.0	3000	3981	132.7
एनपीसी					
नरौरा एपीएस	बुलंदशहर	440.0	2427	2823	116.3
एनएचपीसी					
टनकपुर	नैनीताल	120.0	500	384	76.8

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

6157. श्री बादल चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने बेरोजगार युवकों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था और ऐसे कितने युवकों को ऋण दिए गए;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) राज्यवार लक्ष्यों और उन बेरोजगार युवकों की संख्या को दशनि वाला विवरण, जिन्हें वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत ऋण मंजूर किया गया है विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) पी एम आर वाई के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित ध्यान दिया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पी एम आर वाई के अंतर्गत 18.8% के निम्न वसूली दर के बावजूद, बैंकों ने 1996-97 के कार्यक्रम वर्ष के अंतर्गत मार्च, 1997 तक 9613 मामलों (43.6% का लक्ष्य) को मंजूरी दी है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाए किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, योजना की आवधिक पुनरीक्षा करना और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति को सलाह देना शामिल है।

विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1995-96		1996-97	
		लक्ष्य	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की सं॰	लक्ष्य	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की सं॰	लक्ष्य	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की सं॰ (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	25000	19851	31900	32556	31900	22239
2.	असम	6600	6404	9900	9852	15000	5939
3.	बिहार	22150	11705	22150	17924	22150	13580
4.	रा॰ रा॰ क्षेत्र दिल्ली	4540	1763	4550	4143	4550	581
5.	गोवा	520	285	550	499	550	224
6.	गुजरात	8500	5707	8500	10190	8500	7830
7.	हरियाणा	4100	4600	7200	9353	7200	8420
8.	हिमाचल प्रदेश	2100	2306	2100	2578	2100	1936
9.	जम्मू व कश्मीर	2000	1995	3100	2586	3500	995
10.	कर्नाटक	15000	13759	17700	17000	17700	14709
11.	केरल	15000	11123	15000	14135	15000	12501
12.	मध्य प्रदेश	20000	21840	27050	31566	27050	28970
13.	महाराष्ट्र	20500	26551	35900	40392	35900	28399
14.	मणिपुर	2000	2026	4000	1753	3000	2072
15.	मिजोरम	250	226	250	242	375	226
16.	उड़ीसा	6570	5551	8250	8267	8250	3968
17.	पंजाब	4900	5357	15000	15531	8600	6743
18.	राजस्थान	8300	7666	10400	10273	10400	8578
19.	तमिलनाडु	17400	14519	21800	19304	21800	19386
20.	त्रिपुरा	1000	796	1300	1238	1950	865
21.	उत्तर प्रदेश	27400	23060	35813	37324	35813	31830
22.	पश्चिम बंगाल	22900	9441	22900	10184	22900	4783
23.	अंडमान व निकोबार	250	54	100	101	100	51
24.	अरुणाचल प्रदेश	250	183	300	287	450	117
25.	चंडीगढ़	150	165	150	174	150	69
26.	दादरा व नागर हवेली	250	112	150	156	150	75
27.	दमन व दीव	250	79	100	116	100	49
28.	नागालैंड	250	216	300	267	450	Nil
29.	लक्षद्वीप	75	19	50	26	50	29
30.	मेघालय	300	314	550	566	825	394
31.	पांडिचेरी	460	476	500	513	500	353
32.	सिक्किम	250	84	200	169	200	110
	कुल		198233		299265		226021

टिप्पणी : उपर्युक्त सूचना मूल रूप से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई है।

कम्प्यूटरों का निर्माण

6158. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्प्यूटर निर्माण में लगी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई विदेशी कंपनी भी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी सेवा शर्तें क्या हैं; और

(घ) संयुक्त परियोजना हेतु निर्धारित सेवा शर्तें क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी) : (क) देश में कम्प्यूटर का विनिर्माण करने वाली जो कम्पनियां अपने उत्पादन के ब्यौरे इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को भेज रही हैं उनकी सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ख) से (घ) जी, हां। कम्प्यूटर के विनिर्माण के लिए जिन विदेशी तथा प्रवासी भारतीय स्वामित्वाधीन कम्पनियों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 तथा उसके बाद अनुमोदित किए गए, उनकी सूची संलग्न विवरण-II में है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक शर्तें एवं निबंधन इनके मामलों में लागू होते हैं।

विवरण-I

कम्प्यूटर निर्माताओं की सूची

क. मेन फ्रेम कम्प्यूटर

1. डिजिटल इक्यूपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, बंगलौर
2. फुजित्सु इकिम लिमिटेड, पुणे

ख. मिनी/माइक्रो कम्प्यूटर

1. एसीआई इंफोटेक लिमिटेड, सिकन्दराबाद
2. ऑर्लेक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स, कोट्टकुप्पम
3. बाइट सिस्टम्स प्रा॰ लिमिटेड, कलकत्ता
4. कैडीट्रोनिक्स प्रा॰ लिमिटेड, अहमदाबाद
5. सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसड कम्प्यूटिंग, बंगलौर
6. कॉनसेप्ट कम्प्यूटर्स (प्रा॰), गांधी नगर
7. सीएमएस कम्प्यूटर्स लिमिटेड, मुम्बई
8. डेटाप्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा॰ लिमिटेड, पुणे
9. डेटामैक्स बिजनेस कम्प्यूटर सिस्टम्स, मुम्बई
10. डीसीएम डेटा प्रोडक्टस, नई दिल्ली
11. डीओई डीआरजी सिस्टम्स लिमिटेड, बड़ौदा
12. इलेक्ट्रॉ सिस्टम्स एसोसिएट्स प्रा॰ लिमिटेड, बंगलौर
13. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद
14. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स एण्ड सिस्टम्स, मुम्बई
15. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पंजाब लिमिटेड, चंडीगढ़
16. इंजीनियरिंग इन्नोवेशंस लिमिटेड, परवानू
17. फुजीनोवा डेटा सिस्टम्स प्रा॰ लिमिटेड, बंगलौर
18. फुजित्सु इकिम लिमिटेड, पुणे
19. गोदरेज एण्ड बॉयस मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, पुणे
20. एचसीएल हेवलेट पैकर्ड लिमिटेड, नोएडा
21. इन्फोमेटिक्स सर्विसेज़ प्रा॰ लिमिटेड
22. इन्टीग्रेटेड डेटा सिस्टम्स प्रा॰ लिमिटेड
23. इन्डकेम ज़ाईकॉम लिमिटेड, चेन्नई
24. इन्फोटेक लिमिटेड, चेन्नई
25. जय इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड सिस्टम्स प्रा॰ लिमिटेड, मुम्बई
26. जुपिटर सिस्टम्स प्रा॰ लिमिटेड, मुम्बई
27. केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तिरुअनन्तपुरम
28. कुरूगन्ती कम्प्यूटर्स प्रा॰ लिमिटेड, चेन्नई
29. मानाटेक, पांडिचेरी
30. महेन्द्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा॰ लिमिटेड, नई दिल्ली
31. मैक्सोआइट कम्प्यूटर्स प्रा॰ लिमिटेड, मुम्बई
32. माइक्रोटेक्स इंटरनेशनल (प्रा॰) लिमिटेड, दिल्ली
33. मिनीकॉम्प लिमिटेड, शोलापुर
34. मार्डन इंजीनियरिंग एण्ड मार्केटिंग इन्टरप्राइसेज, मुम्बई
35. मोदी ऑलवेट्टी लिमिटेड, नई दिल्ली
36. नैमटेक सिस्टम्स (प्रा॰) लिमिटेड, बंगलौर
37. नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई
38. ऑएसिस इंस्ट्रूमेंट्स कम्पनी, कलकत्ता
39. ओएमसी कम्प्यूटर्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद
40. ऑप्ट्रोनिक्स सर्विसेज़ (प्रा0) लिमिटेड, कलकत्ता
41. पॉस्कल कम्प्यूटर्स (प्रा॰) लिमिटेड, कलकत्ता
42. प्राइम होम कम्प्यूटर्स प्रा॰ लिमिटेड, नई दिल्ली
43. प्रोसेसर सिस्टम्स इंडिया (प्रा॰) लिमिटेड, बंगलौर
44. पीएसआई डेटा सिस्टम्स लिमिटेड, बंगलौर
45. क्वासर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा॰ लिमिटेड, मुम्बई
46. रोल्टा इंडिया लिमिटेड, मुम्बई
47. शैवम कम्प्यूटर्स प्रा॰ लिमिटेड, अहमदाबाद
48. साउथ एशियन कम्प्यूटर्स लिमिटेड, बंगलौर
49. समित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा॰ लिमिटेड, गांधीनगर
50. सन रे कम्प्यूटर्स (प्रा॰) लिमिटेड, बंगलौर

51 सन रे इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलौर

52. टाटा यूनिसिस लिमिटेड, नई दिल्ली

53. यूनीकॉर्प इंडीस्ट्रीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली

54. वीएचएस कम्प्यूटर्स इंजीनियरिंग के॰ प्रा॰ लिमिटेड, मुम्बई

55. वर्साबाइट डेढ़ा सिस्टम्स (प्रा॰) लिमिटेड, बंगलौर

56. विमिको सिस्टम्स (प्रा॰) लिमिटेड, चेन्नई

57. विप्रो इन्फोटेक ग्रुप, बंगलौर

58. जेनिथ कम्प्यूटर्स लिमिटेड, मुम्बई

59. अजिअक्या इलैक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स, सतारा

60. एप्टेक्स डिवाइसेज़ प्रा॰ लिमिटेड, नई दिल्ली

61. एप्लाइड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटस, ठाणे

विवरण-II

कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के लिए स्वीकृत इकाइयों का सूची

क्रम सं॰	इकाई का नाम
1.	मेसर्स माईलेक्स कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रा॰ लिमिटेड
2.	मेसर्स सीमॉस कम्प्यूनिकेशन प्रा॰ लिमिटेड
3.	मेसर्स हेवलेट पैकर्ड (आई) लिमिटेड
4.	मेसर्स लोटेक्स मैनेजमेंट इन्कार्पोरेटेड
5.	मेसर्स स्पेक्ट्रा इन्नोवेशन (इंडिया) लिमिटेड

हिन्दी का प्रयोग

6159. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1996 के गृह मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ अधिकारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करके अन्य अधिकारियों को भी अपने कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना चाहिए; और

(ख) क्या वह अपने विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को इसका अनुपालन करने का निर्देश देंगे और स्वतंत्रता के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में इस पर निगरानी भी रखेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सभी अधिकारियों को अनुपालनार्थ यथावश्यक अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्हें अपने रोजमर्रा के सरकारी काम-काज में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग करने की सलाह भी दी गई है। इस बारे में हुई प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

कायमकुलम विद्युत परियोजनाएं

6160. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल स्थित कायमकुलम में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन और एनटीपीसी की सहायता से पृथक् विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं से कुल कितने विद्युत उत्पादन होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, एनटीपीसी द्वारा कायमकुलम परियोजना (350 मे॰ वा॰) का अपने स्रोतों से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय हज समिति को लाभ/घाटा

6161. श्री इलियास आजमी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हज समिति द्वारा हज यात्रियों के लिए मक्का में किराए पर आवास उपलब्ध कराने की शुरुआत करने के बाद से प्राप्त किए गए लाभ और उठाए गए घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : हज समिति सांविधिक निकाय है जो लाभ-हानि रहित आधार पर कार्य कर रही है। मक्का में तीर्थ यात्रियों से आवासीय किराया वास्तविक आधार पर एकत्र किया जाता है। अत: हज यात्रियों के लिए आवास किराए पर लेने की प्रक्रिया में हज समिति को हानि या लाभ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक

6162. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषरूप से लुब्रिकेंट (स्नेहक) निर्माण एककों को एच पी सी की माहुल रिफाइनरी से नियमित निर्माण संबंधी आवश्यकता के लिए कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो एच पी सी द्वारा प्रत्येक माह कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक का कितना उत्पादन किया जाता है तथा रक्षित (कैप्टिव) उपयोग कितना है और गैर सरकारी निर्माताओं को विशेषरूप से लुब्रिकेंट (स्नेहक) के निर्माताओं को विपणन हेतु कितना स्टाक उपलब्ध है और 1996-97 के दौरान कितनी आपूर्ति की गई है;

(ग) इस उत्पाद हेतु विपणन संबंधी मार्ग निर्देश क्या है और माहुल स्थित एच पी सी रिफाइनरी में 1997-98 के दौरान कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक का कितना उत्पादन होने की आशा है गैर सरकारी एककों के विपणन के लिए कितना अतिरिक्त माल उपलब्ध है; और

(घ) लुब्रिकेंट (स्नेहक) निर्माण एककों के लिए नियमित रूप से कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक संबंधी वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) महाराष्ट्र में विशुद्ध विशेषता वाले स्नेहक का निर्माण कर रही इकाइयों को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की माहुल रिफाइनरी से कार्बन ब्लैक फीड स्टाक (सी बी एफ एस) की आपूर्तियों के संबंध में कोई समस्या नहीं रही है।

(ख) माहुल रिफाइनरी पर सी बी एफ एस का उत्पादन लगभग 70-80 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है जो कार्बन ब्लैक साथ ही विशेषता वाले स्नेहकों के निर्माताओं की मांग को पूरा करता है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सी बी एफ एस की कोई घरेलू खपत नहीं है। वर्ष 1996-97 के दौरान सी बी एफ एस की 15000 मीट्रिक टन से अधिक की मात्रा की आपूर्ति विशेषता वाले स्नेहक निर्माताओं को की गई है।

(ग) चूंकि सी बी एफ एस एक मुक्त व्यापार उत्पाद है, इसलिए यह वास्तविक उपभोक्ताओं को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। अनुमान है कि वर्ष 1997-98 के दौरान सी बी एफ एस का उत्पादन लगभग 70-80 हजार मीट्रिक टन होगा।

(घ) उपर्युक्त के विचार से प्रश्न नहीं उठता।

मेगासिटी योजना

6163. कुमारी ममता बनर्जी :

डॉ. असीम बाला :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेगासिटी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं में नगरवार कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) योजना के अंतर्गत नगरवार आज तक की प्रगति क्या है;

(ग) 1993 से विभिन्न नगरों में ऐसी परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है और राज्य सरकारों द्वारा उस राशि का अब तक कितना प्रयोग किया गया है; और

(ङ) कलकत्ता की महानगर परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं में किए गए निवेश तथा उसके अंतर्गत की गई प्रगति के नगर-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत 1996-97 तक मेगा शहरों को केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज की गई 289.80 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में राज्य स्तरीय नोडल अभिकरणों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर 465.04 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(ङ) कलकत्ता मेगासिटी परियोजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

(रु. करोड़ में)

मेगा सिटी का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल लागत (रु. करोड़ में)	31.3.1997. तक किया गया व्यय
मुम्बई	22	266.00	117.96
कलकत्ता	56	334.50	130.84
चेन्नई	52	327.66	62.60
हैदराबाद	14	251.17	57.88
बंगलौर	20	260.23	35.76
योग	164	1439.56	465.04

विवरण-II

मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1993 से विभिन्न नगरों को रिलीज की गई धनराशि

	1993-94*	1994-95	1995-96	1996-97
मुम्बई	20.10	16.10	18.08	13.08
कलकत्ता	20.10	16.10	18.08	13.58
चेन्नई	15.10	11.10	17.08	11.98
हैदराबाद	15.10	11.10	15.58	11.71
बंगलौर	0.10	20.10	15.08	10.55

*वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां रिलीज की गई जिन्हें केन्द्रीय अंश माना गया। 1994-95 के बाद से शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा धनराशि रिलीज की गई।

विवरण-III

कलकत्ता मेगा सिटी परियोजना की मुख्य विशेषताएं :—

(i) कुल परियोजना लागत	1600.00 करोड़ रुपए
(ii) अनुमोदित परियोजनाओं की लागत	334.50 करोड़ रुपए
(iii) अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	56
(iv) परियोजनाओं पर किया गया व्यय (31.3.97 तक)	130.86 करोड़ रुपए
(v) 1993-97 के दौरान रिलीज किया गया केन्द्रीय अंश	67.86 करोड़ रुपए
(vi) 1993-97 के दौरान रिलीज किया गया राज्य अंश	161.05 करोड़ रुपए
(vii) परियोजना घटक	जल आपूर्ति, सीवरेज तथा जल निकासी, कूड़ा-कचरा निपटान, यातायात तथा परिवहन, बस्ती सुधार, आवास तथा क्षेत्र विकास, समुदाय विकास तथा पर्यावरणीय सुधार।

बीड़ी मजदूरों के लिए आवास

6164. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बीड़ी मजदूरों के लिए बनाए गए मकानों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्रों में अस्पतालों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बीड़ी कर्मकारों के लिए बनाए गए मकानों की राज्य-वार संख्या दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार ने धुलियां (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी कर्मकारों के लिए एक 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया है। वर्तमान में, सागर (मध्य प्रदेश) और मुक्कदल (तमिलनाडु) में 30 बिस्तर वाला अस्पताल बनाए जाने, और आंध्र प्रदेश में स्थित पिपरो (निजामाबाद), दामराचारूवु (मेडक) तथा लिंगारेड्डीपल्ली (मेडक) में आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग आवास, कालोनियों में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किए जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कर्मकारों के लिए बनाए गए मकानों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	86	1016	—
2.	आंध्र प्रदेश	6355	4834	546
3.	कर्नाटक	2	—	—
4.	केरल	457	155	—

1	2	3	4	5
5.	राजस्थान	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—
7.	महाराष्ट्र	116	13	20
8.	बिहार	—	—	—
9.	उत्तर प्रदेश	20	13	37
10.	मध्य प्रदेश	—	—	51
11.	उड़ीसा	66	153	129
12.	त्रिपुरा	—	—	—
13.	असम	109	—	—
14.	पश्चिम बंगाल	43	30	—

[हिन्दी]

काउन्टर मैगनेट सिटीज

6165. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत चुनिन्दा काउन्टर मैगनेट सिटीज के विकास के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राशि को किस तरह खर्च किया जाएगा; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत शहर-वार कितनी राशि व्यय की गई/व्यय की जा रही है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत चुनिंदा सानी (काउंटर मैग्नेट) शहरों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। संबंधित राज्य सरकारें एकीकृत योजना तैयार करती हैं, जिनके तहत विस्तृत परियोजना योजनाएं बनाई और चलाई जाती हैं। कुछ परियोजनाओं के लिए विकास कोष के जरिए वित्त व्यवस्था की जाती है जिसका वित्त पोषण सामान्यतया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अन्य परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया अपने संसाधनों से की जाती है।

(ख) स्कीम के तहत खर्च की गई/की जा रही राज्यवार राशि इस प्रकार है :—

बरेली (उ॰ प्र॰)	—	7 करोड़ रुपए
कोटा (राजस्थान)	—	2 करोड़
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	—	1 करोड़
पटियाला (पंजाब)	—	1 करोड़
हिसार (हरियाणा)	—	शून्य

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

6166. श्री के॰ पी॰ सिंह देव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए बिजली संयंत्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए 4 ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु एनटीपीसी को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उपर्युक्त योजना के दौरान एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ द्वारा जिन वर्तमान संयंत्रों का विस्तार किया जाना है उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस॰ वेणुगोपालचारी): (क), (ख) और (घ) जी, हां। नौवीं योजना अवधि (1997-98 से 2001-02) के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा स्थापित/विस्तार किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई नई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :—

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे॰ वा॰)
1	2	3
निर्माणाधीन		
1. विन्ध्याचल चरण-2	मध्य प्रदेश	1000
2. ऊंचाहार चरण-2	उत्तर प्रदेश	420
3. कायमकुलम सीसीजीटी	केरल	350

1	2	3
नई परियोजनाएं		
4. फरीदाबाद सीसीजीटी	हरियाणा	400
5. कवास चरण-2 सीसीजीटी	गुजरात	650
6. अन्ता चरण-2	राजस्थान	650
7. औरैया चरण-2	उत्तर प्रदेश	650
8. हैदराबाद मैट्रो सीसीजीटी	आंध्र प्रदेश	650
9. सिम्हाद्री टीपीएस	आंध्र प्रदेश	1000
10. तलचेर-2 चरण-2*	उड़ीसा	500
	जोड़	6270

*(प्रत्येक 500 मे. वा. की 4 यूनिटों में से केवल एक यूनिट द्वारा नौवीं योजना के दौरान लाभ कमाने की परिकल्पना की गई है)

नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है। योजना आयोग नौवीं योजना को अंतिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त परियोजना प्रस्तावों पर विचार करेगा।

(ग) 10वीं योजना अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने के लिए परिकल्पित की गई परियोजनाओं पर अग्रिम कार्रवाई आरंभ करने तथा 6270 मे. वा. की एक क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी ने नौवीं योजना के लिए 19841.91 करोड़ रुपए का परिव्यय किया है।

उत्प्रवास के लिए मंजूरी

6167. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार की तलाश में विदेश जा रहे श्रमिकों के लिए अपेक्षित उत्प्रवास मंजूरी विशेषरूप से गोवा में अर्द्धशिक्षित श्रमिकों के लिए काफी कठिनाई पैदा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे श्रमिकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

6168. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में नई मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानों के चयन हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थल की पहचान की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्य के कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी) : (क) जी, हां।

(ख) निजी क्षेत्र में मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों को अभिज्ञात करने के लिए सदस्य (थर्मल) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक स्थल चयन समिति का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) समिति द्वारा रिपोर्ट फरवरी, 1997 तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। तथापि, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा दी गई और अब इसे जून, 1997 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की प्रत्याशा है।

(ङ) किसी भी परियोजना पर कार्य का आरंभ होना स्थल चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् परियोजना को प्राथमिकता प्रदान किए जाने के बाद उसकी तैयारी और विकास पर निर्भर करेगा।

गैस आधारित विद्युत केन्द्र

6169. श्री अंचल दास : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेषकर उड़ीसा में गैस आधारित बिजली केन्द्रों के लिए गैस की प्रतिदिन आवश्यकता क्या है;

(ख) इस आवश्यकता की तुलना में सरकार ने कितनी गैस मंजूर की है; और

(ग) उड़ीसा को भविष्य में गैस की मात्रा में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) गैस की लगभग 25 एम एम एस सी एम डी मात्रा गैस आधारित विद्युत स्टेशनों को आबंटित की गई है जिसके प्रति गैस अपूर्ति लगभग 18 एम एम एस सी एम डी है। उड़ीसा में किसी विद्युत स्टेशन के लिए गैस का कोई आबंटन नहीं किया गया है। उड़ीसा में परियोजनाओं के लिए गैस आबंटित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस पूर्णतया आबंटित है।

बंगलादेश के रास्ते वस्तुओं की ढुलाई

6170. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1997 के दौरान दिल्ली में आयोजित दो देशों की संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक में बंगलादेश के रास्ते भारतीय वस्तुओं की ढुलाई के प्रश्न पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सैद्धांतिक रूप में कोई प्रारंभिक समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उस बैठक में व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में अधिक सहयोग हेतु सीमा व्यापार के विस्तार पर आम सहमति हुई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) से (ङ) भारत-बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की 5वीं बैठक 10-12 मार्च, 1997 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। ढुलाई क्षेत्र में सहयोग के सम्बन्ध में आयोग ने 1980 में बंगलादेश और भारत के बीच सम्पन्न व्यापार करार के अनुच्छेद 8 को स्मरण कराया, "जिसमें दोनों देशों के बीच वाणिज्य के लिए अपने-अपने समुद्री मार्गों, सड़क मार्गों और रेल मार्गों का उपयोग करने और एक-दूसरे के क्षेत्र में से होकर एक ही देश के दो स्थानों के बीच माल के लाने ले जाने की परस्पर लाभप्रद व्यवस्थाओं का प्रावधान है।" आयोग ने 1993 में सम्पन्न साप्टा करार की धारा 12 का भी अनुस्मरण कराया है जिसमें "क्षेत्र के भीतर व्यापार की उन्नति की गति तेज करने के लिए संचार प्रणाली, परिवहन की आधारभूत संरचना और उनमें सुधार करने का प्रावधान है।" दोनों पक्षों ने उपरोक्त करारों के प्रति अपनी पूर्व वचनबद्धता फिर से दोहराई और दोनों पक्ष इन करारों को पूरा करने की दिशा में उपयुक्त कार्रवाई करने पर सहमत हुए।

सीमा व्यापार के सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीमा से लगे चुनिंदा स्थानों पर भारत और बंगलादेश के बीच के क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों के व्यापार के प्रश्न पर चर्चा की। इस बात पर सहमति हुई कि सीमा व्यापार की रूपरेखा पर सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी

6171. श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इनके कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया गया है कि पांचवे वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों के बीच आय में असमानता बढ़ेगी;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इनके कर्मचारियों को निर्धारित मजदूरी/वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (घ) सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला वेतन समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को देय वेतन संबंधित नियोजकों और कर्मचारियों के बीच विचार-विमर्श करके तय किया जाता है। समुचित सरकार गैर सरकारी क्षेत्र में अधिसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले कतिपय श्रेणियों के कर्मकारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है। सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन के बीच समानता नहीं है और न ही इसके रखने का प्रयास किया जाता है।

सिक्कों की ढलाई

6172. श्री अशोक प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने सिक्कों का आयात किया गया और कितने भारतीय टकसालों में ढाले गए;

(ख) अनगढ़े सिक्कों को आयात करने का क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा आयात पर वर्षवार कितना व्यय किया गया;

(घ) भारतीय टकसालों में इन सिक्कों की ढलाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान बड़ी मात्रा में सिक्कों का आयात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सिक्के आयात नहीं किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी टकसालों में ढाले गए सिक्के निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	मिलियन अदद में (लगभग)
1994-95	1707
1995-96	1450
1996-97	1566

(ख) सिक्कों के ब्लैंकों का आयात हमारी टकसालों में निर्मित ब्लैंकों और सिक्के बनाने के लिए ब्लैंकों की आवश्यकता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्कों के ब्लैंको को आयात करने के लिए खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	करोड़ रुपए में (लगभग)
1994-95	39.65
1995-96	66.91
1996-97	76.10

(घ) मुम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में सरकारी टकसालों को ब्लैंक और सिक्के बनाने हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक बनाया जा रहा है।

(ङ) और (च) चालू वर्ष में सरकार ने 1 रु॰ के 700 मिलियन सिक्के और 2/- रु॰ के 300 मिलियन सिक्के आयात करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

राज्य बिजली बोर्ड

6173. श्री लक्ष्मन सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों पर बकाया विद्युत शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि माफ किए जाने की संभावना है; और

(ग) उन प्राधिकरण, राज्य बिजली बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस राशि को माफ किए जाने की सिफारिश की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

6174. श्री विशेश्वर भगत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है;

(ख) लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर लिया गया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मूल ढांचे के निर्माण पर खर्च की गई राशि को अखिल भारत के पंजीकृत व्यक्तियों को बेचे गए फ्लैटों की कीमतों में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को फ्लैटों के निर्माण के दायित्व से मुक्त कराने और इस प्रयोजनार्थ एक पृथक् आवास निगम स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के अंतर्गत की गई थी। अधिनियम के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

"प्राधिकरण का उद्देश्य प्लान के अनुसार दिल्ली के विकास को प्रोन्नत करना था और इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को भूमि और अन्य सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने, अपने पास रखने, व्यवस्था करने तथा निपटान करने, निर्माण कार्य करने इंजीनियरिंग, खनन और अन्य प्रचालन, विद्युत और जल आपूर्ति सम्बन्धी कार्य निष्पादन, मल-जल निपटान और अन्य सेवाएं तथा सुविधाएं व सामान्य रूप से किए जाने वाले कोई भी कार्य अथवा ऐसे विकास प्रयोजनार्थ समयोचित कार्य करने तथा उससे सम्बन्धित प्रासंगिक प्रयोजनों के लिए अधिकार होंगे।"

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान 1962 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था और उसे संशोधित किया गया है तथा 2001 तक के परिप्रेश्य हेतु नया मास्टर प्लान भी बनाया गया है। दिल्ली में सभी विकास कार्य मास्टर प्लान के अनुसार किए जाते हैं जैसा कि इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों में विचार किया गया है। वाणिज्यिक, मनोरंजनात्मक, बागवानी, सांस्थानिक और औद्योगिक आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि विकसित करने के अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवासीय कार्य कलापों को भी अपने हाथ में लिया है। इसने सहकारी समितियों को भूमि मुहैया कराते हुए 10 लाख से अधिक रिहायशी मकानों का निर्माण किया है तथा निर्माण में सहायता की है जिससे दिल्ली की अधिकांश आधी जनता को आश्रय मुहैया हुआ है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि उनके द्वारा निर्मित फ्लैटों की कीमत "लाभ-हानि राहत" आधार पर तय की जाती है और आवासीय परियोजनाओं में व्यय धनराशि आबंटी से वसूल की जाती है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण सरकार से किसी प्रकार का अनुदान अथवा सब्सिडी प्राप्त नहीं करता।

(ङ) राष्ट्रीय आवास नीति और इस दृष्टिकोण के संदर्भ में कि आवासों के निर्माण में निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाय, अब यह विचार किया गया है कि अलग से कोई आवास बोर्ड की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष पद का रिक्त रहना

6175. श्री मुनिलाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट गांधी समाधि समिति के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने के बाद यह पद पिछले दो वर्षों से रिक्त है;

(ख) अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने समाधि स्थल पर किए गए कदाचारों के संबंध में शिकायतों के समाधान हेतु क्या उपाय किए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष का पद पिछले 2 वर्षों से खाली पड़ा है। राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष श्री सादिक अली ने 9.7.96 को अपने पद से त्यागपत्र दिया था। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के प्रश्न पर सरकार द्वारा सक्रियरूप से विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

[अनुवाद]

महावाणिज्य दूतावास

6176. डॉ॰ अरूण कुमार शर्मा :

श्री केशव महंत :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व युगोस्लाविया के मेसेडोनिया गणराज्य का भारत में मानद महावाणिज्य दूतावास खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) से (ग) पूर्व यूगोस्लाव मकदूनिया गणराज्य से भारत में एक मानद प्रधान कोंसलावास खोलने का प्रस्ताव है। तथापि, अभी कतिपय राजनयिक मसले हैं जिन्हें भारत में मानद प्रधान कोंसलावास खोलने के संबंध में पूर्व यूगोस्लाव मकदूनिया गणराज्य को अनुमति देने पर विचार करने से पूर्व भारत सरकार को सुलझाने की आवश्यकता है।

लघु औद्योगिक एकक

6177. श्री अनंत गुढे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक एककों की समस्याओं पर चर्चा की गई है तथा क्या दिल्ली में हुई राज्य मंत्रियों/सचिवों की हाल ही की बैठक में इस क्षेत्र के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में लघु उद्योग क्षेत्र के कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए विचार तथा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रोत्साहन के क्या-क्या पैकेज बनाए गए हैं तथा रुग्ण एककों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को क्या ताजा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) देश में लघु उद्योग क्षेत्र की समृद्धि हेतु वर्ष 1997-98 के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण सम्पत्ति का आबंटन

6178. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 1997 के हिन्दी दैनिक "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "डीडीए निर्मित मकानों पर भू माफिया का कब्जा" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने करोड़ों रुपए मूल्य की डीडीए सम्पत्ति को भूमि माफिया की सांठ-गांठ से बहुत कम कीमत पर अपने रिश्तेदारों के नाम आबंटित कर दिया है;

(ग) क्या सरकार का डी॰ डी॰ ए॰ के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जो अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनकी चल अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन करके उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि व्यापक प्रचार और बैंकों, डाक प्राधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीजीएचएस) (मुख्यालय के साथ लगातार पत्राचार के बावजूद नारायणा विहार के शॉपिंग परिसर में डाकघर और डिसपेंसरी हेतु बैंक यूनिट 1 और 2 की जगह का निपटान नहीं किया जा सका था। डीडीए इन यूनिटों को अनिश्चित काल तक बिना निपटान के नहीं रख सकता था इसलिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उनका उपयोग बैंक से डाकघर व सामान्य दुकान का अनुमोदन लेकर उन यूनिटों का नीलामी द्वारा निपटान किया गया।

एक विवरण संलग्न है, कथित शॉपिंग परिसर में दुकान नंबर 33 एवं 34 एक नीलामी खरीददार द्वारा 28.5.81 को हुई नीलामी में खरीदी गई। नीलामी खरीददार इन दोनों दुकानों का लाटरी पटल के रूप में उपयोग कर रहा है, जबकि वे सामान्य दुकान के रूप में बेची गई थी। नीलामी खरीददार को करार उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि उल्लंघन को दूर नहीं करने के लिए उन यूनिटों का उसके नाम आबंटन क्यों न रद्द कर दिया जाए। मामले पर आबंटन की शर्तों और निबंधनों के अनुसार कार्रवाई हेतु विचार किया जा रहा है। चूंकि नीलामी की शर्तों और निबंधनों के उल्लंघन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नारायणा में स्थानीय विपणन केन्द्र में नीलाम की गई यूनिटों का विवरण

यूनिट सं॰	सुरक्षित मूल्य	बोली की धनराशि	नीलामी की तिथि
बैंक यूनिट-I	2092100 रुपए	2136000 रुपए	23.11.93
बैंक यूनिट-II	2781100 रुपए	2826000 रुपए	23.11.93
डाकघर	562000 रुपए	600000 रुपए	22.2.94
डिसपेंसरी	418900 रुपए	502000 रुपए	17.12.92

[अनुवाद]

सोने तथा चांदी का मूल्य

6179. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में देश में सोने और चांदी की कीमतों को स्थिर करने और सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : मार्च, 1992 में सोने के आयात के लिए उदारीकृत स्कीम लागू करके सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में देश में सोने और चांदी की कीमतों को स्थिर करने के लिए कार्रवाई की थी। इस स्कीम के अंतर्गत छः मास के बाद भारत वापिस आने वाले भारतीय मूल के किसी भी यात्री को सीमा शुल्क की अदायगी करने के पश्चात् 5 किलो ग्राम सोना आयात करने की अनुमति प्राप्त थी। इसके पश्चात् अप्रैल, 1994 में विशेष आयात इालसेंसों के तहत भी सीमा शुल्क अदा करके सोने के आयात की अनुमति प्रदान की गई थी।

उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत दिनांक 1.1.97 से भारतीय मूल के प्रत्येक यात्री द्वारा सोना आयात करने की अनुमत्य मात्रा बढ़ा कर 10 किलोग्राम कर दी गई है।

इसी प्रकार फरवरी, 1993 से छः मास के पश्चात् भारत वापिस आने वाले भारतीय मूल के किसी यात्री को सीमा शुल्क की अदायगी के बाद 100 कि॰ ग्रा॰ चांदी का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी और अप्रैल, 1994 से विशेष आयात लाइसेंसों के तहत भी आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

उपर्युक्त के अलावा तस्करी रोधी एजेंसियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखकर आसूचना को ध्यान में रखकर और पत्तनों और हवाई पत्तनों पर मेटल डिटेक्टर रंगीन असबाव एक्सरे मशीनों आदि जैसे परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके देश में होने वाली तस्करी का पता लगाने एवं उसे रोकने के लिए निरंतर अत्यंत सतर्कता रखी जाती है।

होजेनकल और मेकेदातू में बिजलीघर

6180. श्री ए॰ सिद्धराजु : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होजेनकल और मेकेदातू में बिजली उत्पन्न करने वाले स्टेशनों को केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि मांगी गई थी तथा कितनी धनराशि दी गई ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल मल शोधन

6181. श्री सुन्दर लाल पटवा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में बहुत से शहरों में जल मल निकासी की कोई सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अशोधित जल मल को नदियों में डाला जा रहा है और इस प्रकार उन्हें प्रदूषित किया जा रहा है;

(घ) जल मल शोधन संयंत्र स्थापित करने तथा प्रत्येक राज्य के सभी शहरों में यह सुविधा प्रदान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जल आपूर्ति, जल सृजन, एकत्रीकरण शोधन तथा निपटान की स्थिति से संबंधित प्रारूप रिपोर्ट, 1994-95 के अनुसार देश में श्रेणी-I के 299 नगरों में से लगभग 150 नगरों में किसी न किसी प्रकार की सीवरेज प्रणाली है जिसका लाभ इन नगरों में लगभग 70 प्रतिशत आबादी को मिलता है। इन नगरों में लगभग 15,775 एम एल डी गन्दा पानी उत्पन्न होता है जिसमें से केवल 3740 एम एल डी (24 प्रतिशत) पानी प्रारंभिक अथवा परवर्ती सीवरेज शोधन सुविधाओं के माध्यम से साफ किया जाता है।

(ग) और (घ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी

संरक्षण निदेशालय ने बताया है कि गंगा कार्य योजना तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश में 23 नदियों को शामिल करते हुए 125 नगरों में सीवेज शोधन संयंत्र बनाने का प्रस्ताव है।

यह भी बताया गया है कि फिलहाल इन नगरों में से अधिकांश में असंसाधित गंदा पानी वहां की नदियों में चला जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने बताया है कि सीवरेज योजनाओं, सीवरेज शोधन संयंत्रों तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए 19.12 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।

जहां तक शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय का संबंध है शहरी क्षेत्रों में सीवेज, सीवरेज शोधन तथा जल निकासी सुविधाओं के प्रावधान के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिए गए हैं।

गैर लाइसेंस प्राप्त सोने की रिफाइनरियां

6182. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुछ भागों में कई गैर-लाइसेंस प्राप्त सोने की रिफाइनरियां तस्करी किए गए सोने को शोधित करने के कार्य में जुटी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा एकत्र की गई सूचना से ऐसी कुछ लाइसेंस रहित रिफाइनरियों का पता चलता है जो दिल्ली में विभिन्न व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में सोने का परिष्करण करती हैं। विशिष्ट सूचना के अनुसार केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर दिनांक 16-2-97 को करोल बाग में दो लाइसेंस रहित रिफाइनरियों का पता लगाया गया और विदेशी मुद्रा तथा सोना बरामद किया गया। चूंकि ये रिफाइनरियां बहुमंजिले व्यावसायिक भवनों में स्थित होते हुए स्पिरिट, तेजाब एवं अन्य रसायनों जैसे खतरनाक पदार्थों का प्रयोग कर रही थी, इसलिए समुचित कार्रवाई करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय तथा दिल्ली नगर निगम को इन तथ्यों से अवगत करा दिया गया था।

प्रस्तावों की स्वीकृति

6183. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर मुम्बई और शहर के दूसरे भागों में जलापूर्ति के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) ग्रेटर मुम्बई में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए बम्बई IV मिडिल वैतरणा जल आपूर्ति परियोजना नाम से एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ख) यह प्रस्ताव विश्व बैंक से सहायता पाने की संभावना का पता लगाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया है। महाराष्ट्र सरकार से भी जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों, योजना आयोग और केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन की स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उद्योगों का निजीकरण

6184. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बड़ी संख्या में निजीकरण किए जा रहे उद्योगों में कार्य कर रहे श्रम वर्ग के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन पर किस प्रकार नियंत्रण करने का विचार है;

(ख) बिहार में अब तक कितने उद्योग/निगमों का निजीकरण किया गया है; और

(ग) निजीकरण द्वारा देश की श्रम शक्ति किस प्रकार लाभान्वित होगी ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, आदि जैसे विद्यमान श्रम कानूनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निजीकरण किए जा रहे उद्योगों सहित, उद्योगों में श्रम बल के हितों की रखा के लिए उपायों की व्यवस्था है। ऐसे निजीकृत उद्योगों पर गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्य समान उद्योगों पर लागू नियम और विनियम ही लागू होते हैं।

(ख) बिहार में, अब तक, निजीकृत उद्योगों निगमों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलबध नहीं है।

(ग) श्रम बल के लिए निजीकरण के लाभ उस तरीके पर निर्भर करेंगे जिसमें यह अलग-अलग मामलों में किया जाता है और देश में श्रम बल पर पड़ने वाले प्रभाव का सामान्य निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं है।

व्यय प्रबंधन आयोग

6185. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग आठ माह पूर्व व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) बजट भाषण 1996-97 में प्रस्तावित व्यय प्रबंधन और सुधार आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है। चूंकि इसका गठन उपयुक्त सदस्यों की सहमति प्राप्त होने पर निर्भर है, अतः इसके

गठन के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया है।

शेयर प्रमाण पत्रों में नामांकन सुविधाएं

6186. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शेयर प्रमाण-पत्रों में नामांकन करने की कोई सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या शेयरधारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारियों को बड़ी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शेयरधारकों को डाकघर जमा योजनाओं के समान नामांकन सुविधा प्रदान करने अथवा बैंकिंग पैटर्न के समान अन्य अथवा उत्तरजीवी प्रावधान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) नए कम्पनी अधिनियम का प्रारूप दोबारा लिखने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने कम्पनियों के शेयर/डिबेंचर धारकों को नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। इस आशय का एक प्रावधान कार्यदल द्वारा प्रस्तुत और सार्वजनिक चर्चा के लिए पहले ही प्रकाशित कंपनी विधेयक (धारा 74 देखें) के कार्य प्रारूप में है। सरकार का विचार इस प्रस्ताव से कार्यान्वित करने का है जैसा कि वित्त मंत्री के 1997 के बजट भाषण में घोषित किया गया है।

न्यायालय शुल्क टिकटों की कमी

6187. श्री भीमराव विष्णुजी बड़ाडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई राज्यों में सरकारी प्रयोग में आने वाले न्यायालय शुल्क टिकटों के अभाव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में न्यायालय शुल्क टिकटों की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

पदोन्नति में आरक्षण

6188. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी सेवा में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ जिसकी अवधि नवम्बर, 1997 में समाप्त होने जा रही है, को प्रदान करने हेतु यथास्थिति बनाए रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए संविधान में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में पहले ही संशोधन किया जा चुका है तथा अनुच्छेद 16(4क) संविधान में समाविष्ट किया गया है। इस अनुच्छेद से राज्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, राज्याधीन सेवाओं के पदों की किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हेतु उपबंध बना सकते हैं, जिनका राज्य के मतानुसार राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

[अनुवाद]

कश्मीर मसला

6189. कुंवर सर्वराज सिंह :

श्री बृज भूषण तिवारी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 03 अप्रैल, 1997 के "राष्ट्रीय सहारा" में "कश्मीर मुद्दे पर भारत-पाक में युद्ध संभव—चीन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी खलप) : (क) जी हां।

(ख) वास्तव में रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है।

जंतर मंतर को खतरा

6190. लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जंतर मंतर के पास ऊंची इमारतों के निर्माण से जंतर मंतर को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जंतर मंतर के निकट ऊंची इमारतों के निर्माण संबंधी योजनाओं को स्वीकृति न प्रदान करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ग) सरकार को जंतर-मंतर के निकट 50 फुट से अधिक की ऊंचाई वाली बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के संबंध में कितनी योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और उक्त योजनाओं पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जंतर-मंतर के आसपास की ऊंची इमारतों के नक्शे दिल्ली की मास्टर प्लान के प्रावधान, भवन उपनियमों तथा इस विषय पर भारत के पुरातत्व

सर्वेक्षण के दिशा-निर्देशों के अनुसार मंजूर किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नई दिल्ली नगर परिषद् ने बताया है कि इस समय उनके पास ऐसे कोई नक्शे लंबित नहीं हैं।

भारत-पाक व्यापार सम्बन्ध

6191. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के वास्ते पाकिस्तान की नई सरकार के साथ बातचीत करने का प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) सरकार पाकिस्तान के साथ आपसी हित के वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने की अपनी रुचि निरन्तर रूप से व्यक्त करती रही है। सरकार ने पाकिस्तान को उत्पन्न अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया है। व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की महत्ता के बारे में अपने दृष्टिकोण से पाकिस्तान को कई अवसरों पर अवगत कराया गया है। सरकार को आशा है कि पाकिस्तान वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध सुधारने के लिए किए गए हमारे प्रयासों का सकारात्मक उत्तर देगा।

पासपोर्ट आवेदन-पत्र

6192. श्री छतर सिंह दरबार : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन-पत्र पासपोर्ट कार्यालयवार प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन-पत्र निपटाए गए हैं;

(ग) इनमें से कितने आवेदन-पत्र विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिए गए हैं; और

(घ) कुल कितनी संख्या में पासपोर्ट जारी किए गए हैं तथा कब तक बाकी बचे पासपोर्ट जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क), (ख) और (घ) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या और इन वर्षों के दौरान जारी पासपोर्टों की संख्या, पासपोर्ट कार्यालय-वार, दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

1995 के अंत तक लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों को 1996 में निपटाया जाता रहा है। इसी प्रकार जो आवेदन-पत्र 1996 के अंत तक लम्बित पड़े थे उन्हें 1997 के दौरान निपटाया गया। यह बताना संभव नहीं है कि इन आवेदनपत्रों में से किस आवेदन-पत्र को किस तारीख को निपटाया गया क्योंकि आवेदन-पत्रों का निपटान एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) पासपोर्ट कार्यालय द्वारा एक बार प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों को रद्द नहीं किया जाता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र और पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं। कुछ आवेदन-पत्र पासपोर्ट आवेदन फार्मों के कालम में अधूरी जानकारी देने, संलग्न दस्तावेजों में कमी होने अथवा अधूरी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा अन्य पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों से किए गए अनुरोधों का प्रत्युत्तर न होने के कारण लम्बित पड़े रहते हैं। इसीलिए, लम्बित मामलों को तभी निपटाया जाता है जब उनमें पाई गई कमियां पूरी हो जाती हैं। बार-बार अनस्मारक भेजने पर भी यदि कोई आवेदक प्रत्युत्तर नहीं देता है तो उस आवेदन-पत्र को बंद कर दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या और जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या

क्र० सं०	कार्यालय	1995		1996	
		प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	105955	99089	126536	127760
2.	बंगलौर	97741	95672	102248	105905
3.	बरेली	36863	35880	36341	33394
4.	भोपाल	20297	20148	19697	18979
5.	भुवनेश्वर	6995	5309	7683	7029

1	2	3	4	5	6
6.	मुम्बई	223397	218043	222007	209835
7.	कलकत्ता	50045	47601	63883	62367
8.	चण्डीगढ़	84608	103257	99379	98946
9.	कोचीन	80686	80009	81710	83107
10.	दिल्ली	121389	106607	142804	140904
11.	गोवा	15329	14220	15875	14279
12.	गुवाहाटी	7486	6739	8335	8169
13.	हैदराबाद	149422	142770	190722	176649
14.	जयपुर	52942	51893	48372	47441
15.	जालंधर	69384	100743	95861	95667
16.	कोजीकोड	133067	135892	140574	126400
17.	लखनऊ	91266	99127	103197	90156
18.	मद्रास	117333	112475	140512	134158
19.	नागपुर	9541	9037	12107	11792
20.	पटना	41156	38498	17159	44001
21.	त्रिची	164577	139332	189516	191752
22.	त्रिवेन्द्रम	90432	83461	770106	73600
23.	जम्मू	11457	8713	12531	10195
	योग	1781368	1754515	1987355	1912785

विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएं

6193. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के आधारित और अधिक आधारभूत सेवाओं का सृजन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के प्रमुख क्षेत्र में लगभग 300 मि. डालर का निवेश आकर्षित करने के विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सरकार की विकास रणनीति में कार्य कुशल आधारभूत ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है और वह इस तथ्य को मान्यता देती है कि उचित लागत पर समुचित आधारभूत ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका अनुसरण सतत् रूप से तीव्र आर्थिक अभिवृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है।

सरकार के पास उपलब्ध समिति संसाधनों पर प्रतिस्पर्द्धी मांगों के चलते गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचे में सृजन के लिए विदेशी निवेशों सहित निजी पूंजी के लगाए जाने की आवश्यकता होगी। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में विदेशी निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को और उदार बनाया गया है। दिसम्बर, 1996 से सरकार ने बिजली उत्पादन और संप्रेषण, अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण तथा सड़क, पुल, रेल की पटरियों, पत्तन और बंदरगाहों के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों जैसे प्रमुख आधारभूत ढांचे के उद्योगों में 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी के लिए स्वत: अनुमोदन की अनुमति दी है।

आधारभूत ढांचे के निवेश, अपनी मूल प्रकृति से ही, दीर्घावधिक क्रिया-कलापों के लिए होते है। इसका अर्थ है कि वांछित ऋण परिपक्वताओं और निधियों की उपलब्धता के बीच हमेशा बेमेल बना रहता है। एशियाई विकास बैंक में निजी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराया है ताकि दीर्घावधिक ऋण बाजार के विकास के माध्यम से निजी क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं की सहायता की जा सके।

जीवन बीमा निगम, उड़ीसा द्वारा एकत्रित प्रीमियम

6194. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में पालिसी धारकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि का प्रीमियम एकत्र किया गया; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा विकास कार्यों पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

बैंक में गणक मशीनें

6195. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री 6 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4510 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना प्राप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। उन स्थानों (दिल्ली में) को दशनि वाला विवरण जिनमें स्वचालित टेलर मशीनें (ए टी एम) लगाई जा चुकी हैं और जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ए टी एम लगाना प्रस्तावित है संलग्न विवरण में दिया गया है। अधिकांश मामलों में, एक ए टी एम को लगाने का खर्च, प्रति ए टी एम 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच आने की उम्मीद होती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्रम सं॰	बैंक का नाम	दिल्ली में लगाई गई ए टी एम	दिल्ली में ए टी एम लगाने के लिए प्रस्तावित स्थान
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली, मेन ब्रांच, संसद मार्ग	1. संसदीय सौध, नई दिल्ली। 2. केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली। 3. साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II नई दिल्ली।
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	—शून्य—	स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	—शून्य—	ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली।
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	—शून्य—	एक ए टी एम, नई दिल्ली में।
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	—
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—शून्य—	निम्नलिखित शाखाओं में से एक अथवा दो में :— 1. कनाट प्लेस, नई दिल्ली। 2. पटपड़गंज, नई दिल्ली। 3. नेहरू प्लेस काम्प्लेक्स, नई दिल्ली। 4. चांदनी चौक, दिल्ली। 5. लोधी रोड, नई दिल्ली।
7.	बैंक आफ बड़ौदा	—शून्य—	1. शकरपुर शाखा, पुरानी दिल्ली, यमुना पार क्षेत्र। 2. विशाखा एंकलेव शाखा, पीतमपुरा, नई दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र
8.	बैंक आफ इंडिया	—शून्य—	(5 ए टी एम) दिल्ली में पांच स्थानों पर

1	2	3	4
9.	केनरा बैंक	5. एटीएम प्रक्रिया में हैं 1. पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा, नई दिल्ली। 2. नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। 3. आर के पुरम, नई दिल्ली। 4. करोल बाग, नई दिल्ली। 5. हौज-खास, नई दिल्ली।	—शून्य—
10.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	—शून्य—	1. साउथ एक्सटेंशन शाखा, दिल्ली। 2. अशोका होटल शाखा, दिल्ली। 3. जनकपुरी शाखा, दिल्ली।
11.	कारपोरेशन बैंक	—शून्य	दो एटीएम दिल्ली में।
12.	देना बैंक	—शून्य—	दरियागंज, दिल्ली।
13.	इंडियन बैंक	1. शांतिनिकेतन शाखा डीडीए मार्केट, नई दिल्ली 2. जनकपुरी शाखा, नई दिल्ली	—शून्य
14.	विजया बैंक	1. ग्रेटर कैलाश-II, दिल्ली	—शून्य

वित्तीय संस्थानों द्वारा असम को वित्तीय सहायता

6196. **डॉ॰ प्रवीण चन्द्र शर्मा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान एल आई सी, नाबार्ड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडिस्ट्रयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा असम को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या यह सहायता अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

6197. **लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित पासपोर्ट संबंधी आवेदनों की कार्यालय-वार संख्या कितनी है;

(ख) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु क्या कदम उठाये गये है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो कार्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने के लिए क्या कदम उठाये गये है; अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप): (क) 30 अप्रैल, 1997 की स्थिति के अनुसार भोपाल स्थित पासपोर्ट कार्यालय, जो मध्य प्रदेश में एकमात्र पासपोर्ट कार्यालय है, में लम्बित पड़े पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या 2990 थी। इसमें से केवल 601 आवेदन-पत्र एक माह से अधिक समय से लम्बित पड़े थे, जो कि पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्धारित अवधि के लिए सामान्य अवधि है।

(ख) और (ग) आवेदन-पत्रों के एक माह से अधिक समय तक लम्बित रहने के कारण नीचे दिए गए है:—

(i) अधूरे आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में आवेदकों से उत्तर प्राप्त न होना,

(ii) पुलिस प्राधिकारियों से अधूरी और अस्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त होना,

(iii) जिन मामलों में नियमों के अपेक्षानुसार दूसरे पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है, उनमें उत्तर प्राप्त न होना।

भोपाल स्थित पासपोर्ट कार्यालय सभी सम्बन्धित पक्षों को अवधिक अनुस्मारक भेज रहा है ताकि लम्बित पड़े इन आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाया जा सके।

(घ) से (च) भोपाल स्थित पासपोर्ट कार्यालय के कार्यबोझ को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट कार्यालय के कुशलतापूर्वक कार्यकरण के लिए स्टाफ की मौजूदा संख्या पर्याप्त है।

साधारण बीमा निगम में सफाई कर्मचारी

6198. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और साधारण बीमा निगम की अन्य सहायक कंपनियों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाएं कई वर्षों से नियमित नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसमें निवारण कारण और औचित्य क्या हैं;

(घ) साधारण बीमा निगम की प्रत्येक सहायक कंपनी में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने और इन्हें साधारण बीमा निगम में समान पदों पर कार्यरत अन्य स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलाप

6199. श्री हाराधन राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, कार्य-कलापों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ पारगमन संधि

6200. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सन्धि कब से प्रभावी होगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी हां, 22 फरवरी, 1997 को तेहरान में भारत, ईरान और तेहरान ने विदेश मंत्री स्तर पर माल के अन्तर्राष्ट्रीय पारगमन पर एक त्रिपक्षीय करार सम्पन्न किया था।

(ख) 26 फरवरी, 1997 को लोक सभा विदेश मंत्री ने अपनी ओर से एक वक्तव्य दिया था जिसमें संगत जानकारी शामिल है।

(ग) करार अनुसमर्थन दस्तावेजों के हस्तान्तरण की तारीख को प्रवृत्त होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उल्लंघन

6201. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमनों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के संबंध में संबंधित गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि बैंकों की निर्धारित प्रक्रिया या आर बी आई के अनुदेशों के विपरीत (निधियों के दुर्विनियोजन सहित) अनियमितताओं का पता मुख्यत: बैंकों के आवधिक निरीक्षण के दौरान चलता है। आर. बी. आई. ने आगे यह भी सूचित किया है कि कुछ उपचारी त्रुटियों के अतिरिक्त, कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों और डिबेंचरों के बदले जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन देखने में आया है।

जमाराशियों पर ब्याज दरें देने के बारे में आर. बी. आई. के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए दो निजी क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी क्षेत्र के संस्थानों/अन्य संस्थानों के एक समान परिपक्वता वाली घरेलू आवधिक जमाराशियों पर, अलग-अलग दरें प्रदान की हैं। आर. बी. आई. ने जनवरी/नवम्बर, 1996 के दौरान संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर अपना असंतोष व्यक्त किया है।

आर. बी. आई. के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों पर यह रोक लगाई गई है कि वे साझेदारी/स्वामित्व वाले निकायों के शेयरों और डिबेंचरों की प्रारंभिक प्रतिभूति के बदले अग्रिम स्वीकृत न करें। आर. बी. आई. के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए निजी क्षेत्र के सात बैंकों ने साझेदारी/स्वामित्व वाले निकायों के शेयरों और डिबेंचरों के बदले अग्रिम स्वीकृत किए हैं। आर. बी. आई. ने 1995-96 के दौरान इन बैंकों को पत्र लिखकर असंतोष व्यक्त किया था।

[हिन्दी]

कश्मीर मुद्दा

6202. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जम्मू और कश्मीर के संबंध में ब्रिटेन का क्या रूख है;

(ख) जम्मू और कश्मीर के संबंध में अमरीका का क्या रूख है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में दोनों सरकारों के साथ जम्मू और कश्मीर के बारे में हमारे देश की स्थिति दर्शाने के लिए सम्पर्क किया है; और

(घ) इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की पूर्ण बहाली का ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका ने स्वागत किया है। दोनों देशों ने राज्य में आतंकवादी हिंसा की निन्दा भी की है। जम्मू और कश्मीर, जो अप्रत्यक्ष युद्ध और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद का शिकार रहा है, के बारे में हमारे देश की स्थिति की ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी दे दी गई है। देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्प है।

कृषि भूमि पर भवन बनाना

6203. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या प्रधानमंत्री कृषि भूमि पर भवन निर्माण के बारे में 21 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 2161 और 11 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे 2714 मामलों में भूमि को पुनः कृषि योग्य बना दिया गया है जिनमें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है अथवा भूमि ग्राम सभा को प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) 1 जनवरी, 1994 से कृषि भूमि पर किए गए अनधिकृत निर्माण के मामलों का ब्यौरा क्या है, राजस्व अधिकारियों द्वारा उन भवनों के निर्माण को न रोक पाने के क्या कारण हैं और उन राजस्व अधिकारियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है जो अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर उचित निगरानी रखने में विफल रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि का आबंटन

6204. श्री राम सागर : क्या प्रधानमंत्री भूमि आबंटन के बारे में 24 जुलाई, 1996 तथा 18 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 1704 तथा 3748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) सूचना अभी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत गृह

6205. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत गृह का 1996-97 के वित्तीय वर्ष के दौरान "प्लांट लोड फैक्टर" 78.2 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा प्रत्येक स्टेशन द्वारा विद्युत का कितना उत्पादन किया गया;

(ग) क्या विजयवाड़ा ताप विद्युत गृह का "प्लांट लोड फैक्टर" 93.12 प्रतिशत है जो देश में 1996-97 के दौरान उच्चतम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1997-98 के दौरान किस हद तक इसके बढ़ने की उम्मीद है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी): (क) 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) 78.3% था।

(ख) 1996-97 के दौरान ऊर्जा उत्पादन और पीएलएफ का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :—

केन्द्र का नाम	ऊर्जा लक्ष्य	विद्युत उत्पादन (मि. यू.) वास्तविक	लक्ष्य	संयंत्र भार (%) अनुपात वास्तविक
1	2	3	4	5
कोठागुडम	3961	3624	50.8	60.0
विजयवाड़ा	9450	10286	85.6	93.2
रामागुंडम बी	400	379	73.1	69.2
निल्लौर	120	110	45.7	41.9
रॉयलसीमा	2800	2454	78.1	66.7
एपीएसईबी	16731	16753	75.5	78.3
एनटीपीसी				
रामागुंडम	14500	15644	78.8	85.0

(ग) और (घ) जी हां, 1996-97 के दौरान विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 95.6% के निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा 93.2% था जो कि उच्चतम था।

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान विद्युत उत्पादन का एक संभावित मात्रा तक और सुधारने के लिए प्रयास किए जायेंगें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

6206. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऋण-जमा अनुपात चालीस प्रतिशत से भी कम हो गया है; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) जैसाकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, (नाबार्ड) ने सूचित किया है, ऐसे 78 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जहां 31.3.96 की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

		दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार 40 प्रतिशत से नीचे के ऋण जमा अनुपात वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (अनंतिम)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1
2.	असम	2
3.	बिहार	17
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू व कश्मीर	3
8.	मध्य प्रदेश	14
9.	महाराष्ट्र	2
10.	मेघालय	1
11.	मिजोरम	1
12.	नागालैंड	1
13.	पंजाब	1
14.	राजस्थान	7
15.	उत्तर प्रदेश	21
16.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	78

(ख) नाबार्ड ने सूचित किया है कि निम्न ऋण जमा अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं :—

(i) क्षेत्र के पिछड़ेपन, कारोबार/औद्योगिक क्रिया-कलापों के निम्न स्तर और आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता जैसे कारणों से निम्न ऋण खपत क्षमता; और

(ii) ऋण संवितरणों में वृद्धि की तुलना में जमाराशियों में तेजी से वृद्धि।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों के ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) और जिला परामर्शदात्री समिति (डी सी सी) जैसे मंचों पर नियमित रूप से की जाती है जहां निम्न ऋण जमा अनुपात के कारणों पर विचार किया जाता है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय या तो किए जाते हैं या सुझाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने अनुसरणात्मक उपायों के माध्यम से अपने सी डी अनुपात में सुधार लाने के लिए इन बैंकों पर बार-बार जोर डाला है।

भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट

6207. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या पासपोर्ट जारी करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में स्थान-वार कुल कितने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करना पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और इस अधिनियम की धारा-24 के अंतर्गत तैयार, समय-समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट नियम 1980 के अधीन प्रशासित होता है।

(ख) और (ग) यथाशीघ्र पासपोर्ट जारी करने के लिए क्रियाविधियों को सरल तथा कारगर बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कई उपाय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(i) कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन जिसमें कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है जिससे आवेदनों की जांच करने और उनमें कार्यवाही करने में तेजी आएगी,

(ii) पासपोर्ट और विविध सेवा फर्मों को सरल बनाना,

(iii) उन मामलों में पुलिस अनुमति प्रदान करने की प्रतीक्षा किए बिना पासपोर्ट जारी करना जिनमें चार सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है,

(iv) इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए कि आवेदन-पत्र

सभी प्रकार से पूरी तरह गए हैं। सही-सही भरे गए हैं, उन्हें स्वीकार करते समय ही पूरी जांच की व्यवस्था,

(v) लम्बित आवेदनों को कम करने तथा निबटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि,

(vi) आक्सनिक/तात्कालिक मामलों में किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र के आधार पर बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने का प्रावधान,

(vii) साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए जिस प्राधिकृत अधिकारियों की सूची में विस्तार करना,

(viii) 20 वर्ष की वैधता अवधि वाला पासपोर्ट लागू करना, और

(ix) नए सिरे से पुलिस साक्ष्यांकन के बगैर पासपोर्ट स्वतः पुनः जारी करना,

(घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

	राज्य	अवस्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
		विशाखापट्टनम
2.	असम	गुवाहटी
3.	बिहार	पटना
4.	गोवा	पणजी
5.	गुजरात	अहमदाबाद
6.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
7.	कर्नाटक	बंगलौर
8.	केरल	कोचीन
		कोज्किकोड
		तिरुवनन्तपुरम
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल
10.	महाराष्ट्र	मुम्बई
		नागपुर
		थाणे
11.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
12.	पंजाब	जालंधर
13.	राजस्थान	जयपुर
14.	तमिलनाडु	मद्रास
		त्रिची
15.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
16.	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, गुड़गांव जिला हरियाणा में फरीदाबाद रोहतक और सोनीपत	नई दिल्ली
17.	उत्तर प्रदेश	बरेली
		गाजियाबाद
		लखनऊ
18.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

विद्युत उत्पादन हेतु गैस

6208. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए गैस आबंटन हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन अन्य राज्यों ने ऐसे अनुरोध किए हैं; और

(घ) सरकार ने उन अनुरोधों पर क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) और (ख) दक्षिणी गैस ग्रिड के उड़ीसा तक विस्तार के लिए उड़ीसा सरकार से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) विद्युत परियोजनाओं को गैस के आबंटन के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि सहित अनेक राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों में विद्युत परियोजनाओं को लगभग 35 एम एम एस सी एम डी गैस का आबंटन किया गया है।

आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी

6209. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस महिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय तथा विद्युत निगम और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने यह बताया है कि 100 मेगावाट की कोयला आधारित सिम्हाद्री परियोजना और 650 मेगावाट वाली नैप्था कम्बाइंड साइकिल प्लांट, दोनों एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ द्वारा प्रस्तावित, को वर्तमान नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साकार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी को सुधारने में कितनी सहायक होंगी; और

(घ) कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी): (क) विगत के 10 महीनों (जून, 96 से मार्च, 97 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में विद्युत सप्लाई स्थिति का ब्यौरा निम्नवत है :—

आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
33735 मि॰ यू॰	26360 मि॰ यू॰	7283 मि॰ यू॰

आंध्र प्रदेश राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में ये शामिल हैं :—

1. पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी के तीन केन्द्रों में 15% केन्द्रीय हिस्से की अनाबंटित विद्युत में से निम्नवत 150 मे॰ वा॰ की विद्युत आबंटित की गई है :—

(i) तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र की अनाबंटित विद्युत में से 50% बशर्ते यह मात्रा ईष्टतम 75 मे॰ वा॰ होगी।

(ii) कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र की अनाबंटित विद्युत में से 30% बशर्ते यह मात्रा ईष्टतम 45 मे॰ वा॰ होगी।

(iii) फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र की अनाबंटित विद्युत में से 20% बशर्ते यह मात्रा ईष्टतम 30 मे॰ वा॰ होगी।

2. एनटीपीसी की 2100 मे॰ वा॰ की क्षमता वाली रामागुण्डम एसटीपीएस के विद्युत उत्पादन में विद्यमान 580 मे॰ वा॰ के अतिरिक्त दक्षिणी क्षेत्र में सभी केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों, यथा रामागुण्डम एसटीपीएस एनएलसी परियोजनाएं और एमएपीएस से 25.3.97 से 30 से 35% बढ़ाकर 15% की अनाबंटित विद्युत से वृद्धि की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। एनटीपीसी की इन यूनिटों को नौवीं योजना अवधि के दौरान चालू करने की योजना है, बशर्ते निधियों समेत निवेश समयानुसार सुनिश्चित कर दिए जाएं।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :—

राज्य क्षेत्र	क्षमता (मे॰ वा॰)	चालू करने का कार्यक्रम
परियोजना का नाम		
कोठागुण्डम टीपीएस चरण-5	500	यूनिट-9-3/97 को समकालिक
जिला खम्माम (2 × 250)		यूनिट-10-3/98
निजी क्षेत्र		
1. गोदावरी जीटीपीएस	208	
(मै॰ स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि॰)		यूनिट-1 1/97 को समकालिक
जीटी यूनिट-1—47 मे॰ वा॰		यूनिट-2 2/97 को समकालिक
जी टी यूनिट-2—47 मे॰ वा॰		यूनिट-3 5/97
जी टी यूनिट-3—47 मे॰ वा॰		एसटी टरबाईन-11/97
एसटी यूनिट 67 मे॰ वा॰		
2. जेगरूपाडु सीसीजीटी को	235.4	
(जीवीके इंडस्ट्रिज, हैदराबाद)		यूनिट-1 7/96 को समकालिक
जीटी-1 52.8 मे॰ वा॰		यूनिट-2 10/96 को समकालिक
जीटी-2 52.8 मे॰ वा॰		यूनिट-3 12/96 को समकालिक
जीटी 3 52.8 मे॰ वा॰		एसटी टरबाईन-6/97
एसटी 77 मे॰ वा॰		

[हिन्दी]

गुजरात में विद्युत का उत्पादन

6210. श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के प्रत्येक विद्युत स्टेशनों में वर्ष-वार विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के इन विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) नए स्टेशनों को चालू करके वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान नई यूनिटों को जोड़े जाने से गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं॰	गुजरात अवस्थित स्टेशनों का नाम और क्रियान्वयन एजेंसी	जोड़ी गई यूनिट की यूनिट सं॰	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने की तिथि (माह/वर्ष)	
I.	1994-95				
	गंधार सीसीजीटी-एनटीपीसी	जीटी-3	131	जीटी-3	5/94
		एसटी	255	एसटी	3/95
			386		
II.	1995-96				
	हजीरा सीसीजीटी	जीटी-1, 2	3 × 110	जीटी-1	8/95
	मै॰ एस्सार गुजरात प्रा॰ लि॰	और 3	= 330	जीटी-2	8/95
				जीटी-3	11/95
III.	1996-97				
	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	यूनिट-3	75	31.3.97	

(ख) और (ग) गुजरात स्थित उन स्टेशनों का ब्यौरा जिनकी क्षमता अभिवृद्धि कार्य वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन है नीचे दिया गया है :—

क्र॰ सं॰	परियोजना	क्षमता (मे॰ वा॰)	चालू करने का कार्यक्रम (वास्तविक/संशोधित)
निर्माणाधीन परियोजनाएं			
1.	कदाना पीएसएस	60	1985-86/1997-98
2.	सरदार सरोवर (बहुराज्यीय)	1450	1994-96/1998-2002
3.	गांधी नगर टीपीएस यूनिट-5	210	1997-98/—
4.	हजीरा सीसीजीटी	515	1997/98/—
5.	पगुथन सीसीजीटी	655	9वीं योजना/—

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि

6211. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कन्नानौर और कासरगौड जिले में उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान कर रहे हैं;

(ख) इन जिलों में अब तक कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना से कितने कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त हुई है;

(ग) क्या कालीकट स्थित भविष्य निधि कार्यालय को पेंशन संबंधी आवेदन-पत्रों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) केरल के कन्नानौर और कासरगौड जिलों में क्रमशः 77,745 और 53,711 क॰ भ॰ नि॰ अंशदाता हैं।

(ख) अब तक कन्नानौर के 535 क॰ भ॰ नि॰ अंशदाताओं और कासरगौड जिले के 33 को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) सब तरह से पूर्ण पेंशन आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जाती है और उनका निपटान तुरंत किया जाता है। तथापि, कभी-कभी तेजी से निपटान में तब मुश्किलें आती हैं जब आवेदन-पत्र अपूर्ण होते हैं अथवा लाभानुभोगियों द्वारा उचित रूप से भरे नहीं होते हैं। अंशदाताओं की कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, आवेदन-पत्रों को ठीक ढंग से तैयार करने के लिए सदस्यों को शिक्षित करने हेतु क्षेत्र में व्याख्यात्मक बैठकें सेमिनार, और कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। पेंशन आवेदन-पत्रों में आपत्तियों/विसंगतियों को स्थान पर ही ठीक करने के लिए पेंशन अदालतें भी लगाई गई हैं।

लंबित उत्तर

6212. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधानमंत्री 4 सितंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4416 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना अब तक एकत्रित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से पूरे ब्यौरों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। जम्मू व कश्मीर सरकार को नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है।

ऋण ब्याज के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश

6213. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण न लेने का निर्देश दिया है जिसके भुगतान से वित्तीय नीतियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य बैंकों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का हवाला दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं वाली अपनी अग्रिम राशियों पर अपनी स्वयं की उधार संबंधी ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। बैंकों से उच्चतर ब्याज दर (पी एल आर) की घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है, जो बैंकों द्वारा 2 लाख रू॰ से अधिक की ऋण की सीमा पर प्रभारित न्यूनतम दर होगी। बैंकों से उपभोक्ता ऋण को छोड़कर सभी अग्रिम राशियों के लिए पी एल आर के अधिकतम विस्तार की घोषणा करने की भी अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1997 में बैंकों को स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्हें संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से ऋण संघटक एवं नकद ऋण संघटक के लिए निर्धारित पी एल आर और पी एल आर विस्तार अलग-अलग निर्धारित करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

शहरों का विकास

6214. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने शहरों का विकास किया गया;

(ख) इस वर्ष राजस्थान के विभिन्न शहरों के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है;

(ङ) क्या विश्व बैंक इस कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता दे रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में परियोजना-वार कितनी धनराशि दी जा रही है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ) 5 लाख तक की आबादी वाले चुनिन्दा शहरों/कस्बों में एकीकृत अवस्थापना विकास परियोजनाओं को छोटे व मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत सहायता दी जाती है। गत 5 वर्षों के दौरान राजस्थान के 19 कस्बों/शहरों (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है) को छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास के तहत शामिल किया गया था तथा राज्य सरकार को 504.04 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई। राज्य सरकार ने इन शहरों में अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर दिसंबर, 1996 तक 280.04 लाख रुपए के कुल व्यय की सूचना दी है। चालू वित्त वर्ष 1997-98 के लिए राज्यवार राशि निर्धारित नहीं की गई है तथा इस वर्ष आई डी एस एम टी के तहत नई परियोजनाओं को शामिल करने के बारे में संशोधित स्कीम के तहत पहले से शामिल परियोजनाओं की जरूरत को पूरा करने के बाद ही विचार किया जाएगा। 1997-98 के लिए राजस्थान सरकार से आई डी एस एम टी के तहत कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान आई डी एस एम टी स्कीम के तहत शामिल राजस्थान के कस्बे/शहर।

क्रम सं॰	नगर का नाम
1	2
1.	निम्बाहेड़ा
2.	राजसमंद
3.	झुन्झुनु
4.	रतनगढ़
5.	देवली
6.	विजयनगर
7.	चकसू
8.	देवगढ़
9.	फतेहनगर
10.	सरदार शहर

1	2
11.	बून्दी
12.	ब्यावर
13.	नोखा
14.	प्रतापगढ़
15.	शाहपुरा
16.	कपसान
17.	जैसलमेर
18.	उदयपुर
19.	बीकानेर

[अनुवाद]

उदयपुर में विद्युत परियोजना स्थापित किया जाना

6215. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड से उदयपुर में एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्राथमिकता के आधार पर आबंटन

6216. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विगत में कई व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आबंटन किया गया है, ऐसे आबंटन करने का स्पष्ट आधार क्या है और जनवरी, 1994 से 31 मार्च, 1997 के बीच वर्ष-वार आबंटित मकानों की श्रेणी बताते हुए बताएं कि किन-किन क्षेत्रों में आबंटन किया गया है;

(ग) किन लोगों ने आबंटन किए थे;

(घ) इस अवधि में कितने अनुरोध नामंजूर किए गए तथा इन आवेदनों को अस्वीकृत करने के क्या कारण थे; और

(ङ) आबंटन के लिए अस्वीकृत आवेदन, स्वीकृत आवेदनों से किस प्रकार भिन्न थे ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी हां। डी॰ डी॰ ए॰ ने बताया है कि भारत सरकार के नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता आबंटन/बिना बारी के आबंटन किए जाते हैं।

(ख) जिन व्यक्तियों को एम आई जी/एल आई जी/जनता तथा एस एफ एस श्रेणी के तहत आबंटन किया गया है उनके नाम और बिना बारी आबंटन के आधार की सूची सभा पटल पर रख दी जाएगी। वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

आबंटन वर्ष	आबंटनों की संख्या
1994	54
1995	19
1996	01
1997 (31.3.97 तक)	183
	257

(ग) ये आबंटन शहरी कार्य और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता वाली अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा किए गए हैं।

(घ) इस अवधि के दौरान बिना बारी आबंटन बावत करीब 1000 अनुरोध रद्द कर दिए गए क्योंकि या तो वे अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा अनुमोदित नहीं हैं या वे बिना बारी आबंटन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार कवर नहीं थे।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों, विधवाओं तथा अन्य व्यक्तियों को अनुकम्पा आधारों पर बिना बारी आबंटित करने का प्रावधान है। दिशा-निर्देशों में प्रसिद्ध खिलाड़ियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों तथा संस्कृत, पारसी और अरबी भाषा के विद्वानों को भी पुरस्कार स्वरूप फ्लैटों के बिना बारी आबंटन करने का प्रावधान है। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा बिना बारी आबंटन के मामलों का अनुमोदन किया जाता है तथा शेष मामलों को रद्द कर दिया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

6217. डॉ॰ असीम बाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं और किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधकीय तथा वित्तीय पुनर्संरचनात्मक मामलों के संबंध में नीतिगत तथ्यों पर, निरंतर, भारतीय रिजर्व बैंक को परामर्श देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ॰ एन के थिंगालया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।

(ख) यह दल समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिशें करता रहा है। दल द्वारा की गई कुछ सिफारिशें, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों को उपलब्ध विस्तृत निवेश अवसरों में छूट, शाखा लाइसेंसिंग नीति ढांचे में छूट, तथा प्रचालनात्मक मामले जैसे संघीय सहायता ऋण देना, आवासीय ऋण में छूट, लागत को कवर करने के लिए ब्याज दरों का निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण को लागू करना, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी मानदण्डों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

इनसैट-2ए

6218. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनसेट-2बी के माध्यम से कार्य कर रहा इन्टर-इंस्टीट्यूट कम्यूनीकेशन नेटवर्क बंद कर दिया गया है और यह कार्य इनसेट-2ए उपग्रह को अंतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अनुसंधान संस्थान और वैज्ञानिक संचार को गभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और अनुसंधान कार्य प्रभावित नहीं होगा;

(ग) क्या इनसेट-2सी केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी क्षेत्रों के लिए ही कार्य करेगा;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रहित में इनसेट-2सी के माध्यम से इन्टर-इंस्टीट्यूट कम्यूनीकेशन की अनुमति देगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालचारी): (क) इनसैट-2बी के माध्यम से कार्यरत शिक्षा तथा अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) सम्पर्क को प्रचालनात्मक कारणों से इनसैट-2ए उपग्रह को अंतरित कर दिया गया है, क्योंकि इस सम्पर्क का संचालन करने वाला निर्दिष्ट प्रेषानुकर असफल हो गया है।

(ख) प्रचालन कार्य के स्थानान्तरण के कारण अल्पावधि तक बाहर रहने के अलावा इस नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) दूरसंचार विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा इनसैट-2सी उपग्रह का उपयोग किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने विस्तृत सी-बैण्ड में दो प्रेषानुकरों के माध्यम से प्रचालन करने के लिए निजी अत्यन्त लघु द्वारक टर्मिनल (वीसैट) सेवा प्रदान करने वालों को लाइसेंस दिया है।

(घ) और (ङ) इनसैट प्रणाली में चार उपग्रह कार्यरत हैं तथा अलग-अलग नेटवर्क कार्यों को, तकनीकी आवश्यकताओं, प्रचालनात्मक योजनाओं और उपग्रह की सहभागिता वाले नेटवर्कों के बीच तकनीकी सुसाध्यता के आधार पर विशेष उपग्रहों को सौंपा जाता है। इनसैट-2सी और इनसैट-2ए संचार प्रेषानुकरों के तकनीकी अभिलक्षण समान है। अत: इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि अर्नेट प्रचालन कार्य इनसैट-2सी अथवा इनसैट-2ए से किए जाते हैं।

अनुकम्पा आधार पर रोजगार

6219. श्री टी. गोविन्दन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार की सेवा काल में ही मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों को एक निर्धारित समय अवधि में रोजगार प्रदान करने हेतु कोई मानदंड तैयार किया है;

(ख) गत पांच वर्षों में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें एक वर्ष के अन्दर रोजगार नहीं दिया गया है तथा ऐसे कुल कितने मामले हैं जहां पांच वर्ष के बाद भी रोगार प्रदान नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस विलम्ब को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) विद्यमान योजना के अंतर्गत ऐसे सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, अन्य बातों के अलावा उस प्रयोजन के लिए उपलब्ध रिक्ति पर भी निर्भर करती है। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम बनाम श्री दिनेश कुमार दिनांक 7.5.96 (जे. टी. 1996) 5 (एस. सी. 319) तथा हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लि. बनाम श्रीमती ए. राधिका थिरूमालई दिनांक 9.10.96 (जे. टी. 1996 (9) एस. सी. 197) के मामले में दिए अपने निर्णय में सरकार के इस रूख का समर्थन किया है। अत: अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने की शक्ति विकेन्द्रीकृत कर दी गई है तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के पास है। इसलिए इस संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

तेल खनन

6220. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस का खनन किया जाता है;

(ख) क्या बिहार में सर्वेक्षण कार्य 1986 से भू-सर्वेक्षण दल पी. जी. आई. द्वारा किया जा रहा है;

(ग) क्या बिहार में पश्चिमी चम्पारन में कथित कार्य के लिए रिंग ड्रिलिंग मशीन को शिव सागर (असम) में स्थानान्तरित कर दिया गया है जिससे सर्वेक्षण कार्य रुक गया है;

(घ) क्या सरकार बिहार को रिंग ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध करा रही है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) ओ एन जी सी और ओ आई एल दोनों ने ही बिहार में सर्वेक्षण कर लिया है। ओ आई एल ने भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

की सहायता से पश्चिमी बिहार में एक दूर संवेदी अध्ययन और एक उच्च विभेदन वायुचुंबकीय अध्ययन आरंभ किया है।

(ग) ओ एन जी सी की वेधन रिग बिहार से हटा ली गई है क्योंकि ओ एन जी सी द्वारा बिहार में वेधित सभी छह कूप सूख चुके हैं।

(घ) से (च) जैसे ही किसी वेधन योग्य संभावना का पता लगाया जाता है, तब एक रिग कार्य के लिए लाई जा सकती है।

सिविल चुनाव

6221. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवैधानिक संशोधन के अधीन देश के प्रत्येक राज्य में सिविल चुनाव कराए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या संवैधानिक संशोधन लागू होने के बाद मेघालय राज्य में शिलौंग के शहरी क्षेत्रों में सिविल चुनाव हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) शिलौंग में पिछली बार सिविल चुनाव कब हुए थे;

(ङ) क्या आगामी महीनों में चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में कराए जाने अपेक्षित हैं बशर्ते कि तत्काल प्रचलित किसी कानून द्वारा नगरपालिका पहले ही भंग न की जाए। देश में शहरी स्थानीय निधियों के चुनाव की स्थिति का विवरण संलग्न है।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव

क्र॰	राज्य/संघशासित प्रदेश	शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव संबंधी स्थिति
1	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	14 नगरपालिकाओं तथा हैदराबाद और राजामुन्दरी के 2 निगमों के अलावा सभी पालिका निकायों में चुनाव हो चुके हैं। इन स्थानीय निकायों के चुनाव मई, 1997 के अन्त तक कराए जाने की संभावना है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	—कोई नगरपालिका नहीं है।
3.	असम	राज्य सरकार ने 62 पालिका बोर्डों तथा नगर समितियों के चुनाव मई, 1997 में कराने का निर्णय किया है। गोलपाड़ा पालिका वार्ड तथा बिहपुरिया नगर समिति के चुनाव नहीं कराए जाएंगे क्योंकि उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक शहरी स्थानीय निकाय नामतः तेजपुर पालिका वार्ड के चुनाव सितम्बर, 1996 में कराए गए हैं।
4.	बिहार	—संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य के पालिका कानूनों तथा पंचायती राज्य कानूनों में सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किए गए थे। तथापि, पटना उच्च न्यायालय ने पंचायती राज संस्थानों में सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान रद्द कर दिए हैं। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। राज्य के महा अधिवक्ता ने उपर्युक्त विशेष अनुमति याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया है इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तत्काल बाद ही राज्य सरकार द्वारा चुनाव कराए जाएंगे।
5.	गोआ	—चुनाव हो चुके हैं।
6.	गुजरात	—चुनाव हो चुके हैं।
7.	हरियाणा	—चुनाव हो चुके हैं।
8.	हिमाचल प्रदेश	—शिमला नगर निगम, जहां चुनाव जून, 97 को होंगे, के अलावा अन्य सभी में नगरपालिकाओं में चुनाव हो चुके हैं।
9.	कर्नाटक	—चुनाव हो चुके हैं।
10.	केरल	—चुनाव हो चुके हैं।
11.	मध्य प्रदेश	—एक (1) नगर निगम, 9 नगरपालिकाओं तथा 22 नगर पंचायतों, जिनमें वार्डों का सीमांकन पूरा होने के बाद चुनाव होंगे, के अलावा अन्य सभी नगरपालिकाओं में चुनाव हो चुके हैं।
12.	महाराष्ट्र	—9 नगर निगमों तथा 203 नगर परिषदों के चुनाव फरवरी, 1997 में कराए गए।
13.	मणिपुर	—चुनाव हो चुके हैं।
14.	उड़ीसा	—राज्य सरकार ने भंग नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए कार्रवाई की है। वार्डों

1	2	3
		का सीमांकन तथा नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण जून, 1996 में पूरा किया गया। उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1950 में हाल ही में एक अध्यादेश द्वारा किए गए संशोधन के कारण अध्यक्ष पद की सीटों के आरक्षण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यह कार्य पूरा होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी।
15.	पंजाब	—चुनाव हो चुके हैं।
16.	राजस्थान	—चुनाव हो चुके हैं।
17.	सिक्किम	—अब तक सिक्किम में कोई नगर पालिका नहीं है। सिक्किम नगर पालिका अधिनियम, 1995 प्रख्यापित किया गया है तथा चुनाव अक्तूबर, 1997 में कराए जाने की संभावना है।
18.	तमिलनाडु	—चुनाव हो चुके हैं।
19.	त्रिपुरा	—चुनाव हो चुके हैं।
20.	उत्तर प्रदेश	—चुनाव हो चुके हैं।
21.	पश्चिम बंगाल	—चुनाव हो चुके हैं।
22.	जम्मू तथा कश्मीर	—अधिनियम लागू नहीं है।
23.	मेघालय	—राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।
24.	मिज़ोरम	—कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।
25.	नागालैंड	—कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।
	संघ शासित प्रदेश	
1.	दिल्ली	—दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं।
2.	चण्डीगढ़	—चुनाव हो चुके हैं।
3.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—चुनाव हो चुके हैं।
4.	दमन तथा दीव—	
I.	दमन	—चुनाव पहले ही हो चुके हैं।
II.	दीव	—चुनाव 16-7-97 को कराए जाने हैं।
5.	पाण्डिचेरी	—चुनाव अक्तूबर, 1996 के लिए नियत थे किन्तु मुकदमों के कारण नहीं कराए जा सके। आगे की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	दादरा तथा नगर हवेली	—कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है, सम्पूर्ण
7.	लक्षद्वीप	क्षेत्र ग्रामीण है।

विदेशी चिकित्सा स्नातकों का प्रशिक्षण

6222. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने अपने देश में विदेशी चिकित्सा स्नातकों के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबंध से कितने भारतीय चिकित्सा स्नातक प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में भारतीय चिकित्सा स्नातकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) से (ग) अमरीका में भारतीय चिकित्सा छात्रों को प्रशिक्षण के लिए सरकार से सरकार के बीच कोई निधि प्रबंधन नहीं है। यह ज्ञात हुआ है कि अमरीकी सरकार अपने मेडिकल संस्थानों की निधियों को कम करेगी। इस कदम से अमरीका में भारतीय चिकित्सा स्नातकों पर पड़ने वाले किसी प्रभाव के बारे में सरकार को उनसे कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

6223. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिल्ली संस्करण में "आई टी लिस्ट्स इंडिया नाइन्थ करप्ट्स नैशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा उल्लिखित निष्कर्षों का आधार क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस गंभीर स्थिति के निवारणार्थ क्या कारगर कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) दिनांक 7 जनवरी, 1997 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार वॉल स्ट्रीट जर्नल (सं॰ रा॰ अ॰) में छपी एक रिपोर्ट का संदर्भ है जिसका स्रोत बर्लिन स्थित "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टी॰ आई॰)" नामक संस्था की रिपोर्ट है जिसमें 60 से अधिक देशों के संबंध में अध्याय छपे हैं। समाचार में बताया गया है कि टी.आई राष्ट्रों के लिए भ्रष्टाचार में वार्षिक रैंकिंग तैयार करती है। ये रैंकिंग बहुराष्ट्रीय फर्मों और संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा अवलोकित भ्रष्टाचार के स्तर पर आधारित हैं।

भ्रष्टाचार से संबंधित सभी मामले इस देश के स्थापित कानून के अनुसार निपटाए जाते हैं।

केन्द्रीय सहायता

6224. श्री बी॰ धर्म भिक्षम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद की पेयजल और सीवर समस्या के समाधन हेतु कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, नहीं। तथापि, महानगरों में आधारिक संरचना विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, योजना को मुख्य एजेंसी-हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने, राज्य स्तरीय परियोजना से संस्वीकृति समिति से 100 करोड़ रु॰ राशि की जल आपूर्ति एवं मल-व्ययन योजना अनुमोदित कराई है। महानगर योजना के अंतर्गत हैदराबाद विकास प्राधिकरण को 53.49 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने 1488.40 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत पर प्रस्तावित हैदराबाद जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए दिसंबर, 96 में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। परियोजना में कृष्णा नदी के पानी का शोधन तथा ट्रांसमीशन, मौजूदा जल-आपूर्ति वितरण एवं मल-जल व्ययन प्रणालियों के पुनः सुधार एवं उन्हें सुदृढ़ करना, कम लागत पर सफाई आदि शामिल है। केन्द्र प्रस्ताव की सिफारिश केन्द्र सरकार ने जनवरी, 1997 में विश्व बैंक को की थी। विश्व बैंक ने राज्य सरकार को परियोजना तैयार करने संबंधी विभिन्न मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया करने की सलाह दी है।

कम्पनियों में शेयर धारकों को निदेशक के रूप में शामिल करने का अधिकार

6225. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति में शेयर धारकों को अधिकार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन से निदेशकों की नियुक्ति का कंपनी अधिनियम, 1956 में पहले ही प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 257 यह अनुबद्ध करती है कि जो व्यक्ति निदेशक नहीं है और क्रमानुवर्तन से सेवानिवृत होता है वह साधारण बैठक में निदेशक के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा यदि वह या कोई सदस्य जो उसके नाम का प्रस्ताव रखना चाहता है तो वह उस आशय का नोटिस बैठक होने से पूर्व 14 दिन से कम अवधि में देता है।

(ग) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 को दोबारा लिखने हेतु सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने हाल ही में सरकार को प्रस्तुत कंपनी विधेयक, 1997 के अपने कार्य प्रारूप (धारा 215 देखें) में सुझाव दिया है कि कोई व्यक्ति इस आशय का नोटिस देते समय निदेशक के पद के लिए स्वयं के लिए प्रस्ताव करता है तो वह 50,000 रु॰ भी जमा करेगा और यदि वह बैठक में उपस्थित शेयर धारकों तथा वोटिंग का एक प्रतिशत भी वोट नहीं प्राप्त करता है तो वह राशि जब्त कर दी जाएगी। कंपनी विधेयक, 1997 का कार्य प्रारूप सार्वजनिक चर्चा के लिए पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है। कार्य प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियों व अभ्यावेदनों पर संसद को प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मोटर बीमा

6226. श्री एल॰ रमना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "थर्ड पार्टी" मोटर बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) मोटर टेरिफ के दो संघटक हैं, जिनमें "स्वयं के हरजाने" और "तीसरे पक्ष की देयता" की जोखिमें कवर होती हैं। मोटर टेरिफ में पिछली बार वर्ष 1990 में संशोधन किया गया था। उसके बाद में बीमा उद्योग मोटर पोर्टफोलियो के तीसरें पक्ष के संघटक पर भारी नुकसान उठा रहा है। वर्ष 1995-96 में निवल हामीदारी पर हानि 1423 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1996-97 में अनुमानित हानि 1667 करोड़ रुपए आंकी गई है। बीमा उद्योग को इसके द्वारा उठाई जा रही भारी हानि से बचाने के उद्देश्य से टेरिफ सलाहकार समिति ने एक विख्यात अनुसंधान संगठन यथा ओपरेशन रिसर्च ग्रुप, अहमदाबाद की संस्तुतियां प्राप्त करने के पश्चात् संलग्न विवरण में यथा उल्लिखित मोटर टेरिफ दरों में संशोधन करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति, 1996-97 लोक सभा ने टिप्पणी की थी कि "दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मोटर बीमा पर मुआवजे के भुगतान के लिए बढ़ी हुई देयता और इस पर न्यायालय द्वारा उच्चतम राशि के मुआवजे के अधिनिर्णय के कारण जोखिम को कवर करने के लिए प्रीमियम की राशि में संशोधन किए जाने का मामला बनता है। इसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए।" स्वयं के नुकसान की दरों में संशोधन का कोई सुझाव नहीं दिया गया। वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में तीसरे पक्ष की प्रीमियम दरों में तेजी से वृद्धि हुई है। उनके लिए टैरिफ सलाहकार समिति ने वृद्धि को तीन चरणों में और शेष के लिए दो चरणों में कार्यान्वित करने की सिफारिश की है जो दि॰ 1.4.1997 से आरम्भ की गई है। तथापि, सरकार की भावनाओं में विरोधाभास होने के कारण टैरिफ सलाहकार समिति ने मुम्बई

कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई के ट्रांसपोर्टरों की एसोसिएशनों को अपने मामले अलग-अलग प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिए जाने तक प्रीमियम की दरों को आस्थगित रखने का निर्णय लिया है। एक बार फिर से ट्रांसपोर्टरों की एसोसिएशनों को सुनने के पश्चात् ही टेरिफ सलाहकार समिति मोटर पोर्टफोलियो के बारे में संशोधित टेरिफ ढांचे की घोषणा करेगी।

विवरण

संशोधित वाहन तृतीय-पक्षीय प्रीमियम सार्वजनिक माल वाहक, निजी माल वाहक (श्रेणी-क) और यात्री वाहक (श्रेणी-ग) वाहन

वाहन का प्रकार	वर्तमान तृतीय-पक्षीय प्रीमियम (रुपए)	1.4.97 की स्थिति के अनुसार संशोधित तृतीय-पक्षीय प्रीमियम (रुपए)	1.4.98 की स्थिति के अनुसार संशोधित तृतीय-पक्षीय प्रीमियम (रुपए)	1.4.99 से आगे की स्थिति के अनुसार संशोधित तृतीय-पक्षीय प्रीमियम (रुपए)
1	2	3	4	5
माल वाहक वाहन (सार्वजनिक वाहन)				
2000 कि॰ ग्रा॰ तक सकल वाहन भार	805	2127	4772	6094
2000 कि॰ ग्रा॰ से अधिक सकल वाहन भार	1245	3290	7300	9425
तिपहिया आटो-रिक्शा/साईकिल रिक्शा (केवल माल ढोने वाले)				
1200 कि॰ ग्रा॰ तक सकल वाहन भार	माल वाहनों (2000 कि॰ ग्रा॰ तक सकल वाहन भार वाले सार्वजनिक वाहन) पर लागू दर का 25 प्रतिशत			
माल वाहक वाहन (निजी वाहन)				
2000 कि॰ ग्रा॰ तक सकल वाहन भार	644	1930	4503	5790
2000 कि॰ ग्रा॰ से अधिक पर सकल भार वाहन	996	2986	6965	8954
तिपहिया आटो-रिक्शा/साईकिल रिक्शा (केवल निजी माल ढोने वाले)				
1200 कि॰ ग्रा॰ तक सकल वाहन भार	माल वाहनों (2000 कि॰ ग्रा॰ तक सकल वाहन भार वाले निजी वाहन (पर लागू दर का 25 प्रतिशत)			

1	2	3	4	5
आटो-रिक्शा (6 यात्रियों तक की क्षमता वाले तिपहिया वाहन)				
तृतीय पक्षीय प्रीमियम दर	30	67	140	176
50 सी॰ सी॰ से अधिक नहीं				
यात्री देयता प्रीमियम प्रतियात्री	100	222	466	588
तृतीय पक्षीय प्रीमियम दर	30	67	140	176
75 सी॰ सी॰ से अधिक नहीं				
यात्री देयता प्रीमियम प्रतियात्री	100	222	466	588
तृतीय पक्षीय प्रीमियम दर	40	89	186	235
35 सीसी से अधिक नहीं				
यात्री देयता प्रीमियम प्रतियात्री	100	222	466	588
तृतीय पक्षीय प्रीमियम दर	60	133	280	353
750 सीसी से अधिक नहीं				
यात्री देयता प्रीमियम प्रतियात्री	100	222	466	588
तृतीय पक्षीय प्रीमियम दर	60	133	280	353
750 सीसी से अधिक				
यात्री देयता प्रीमियम प्रतियात्री	100	222	466	588
7 से 18 यात्रियों की क्षमता वाले तिपहिया वाहन				
तृतीय पक्षीय प्रीमियम दर	300	666	1398	1764
यात्री देयता प्रीमियम प्रतियात्री	100	222	466	588
6 यात्रियों से अधिक की क्षमता वाले अन्य वाहन				
तृतीय पक्षीय प्रीमियम दर	650	1443	3029	322
यात्री देयता प्रीमियम प्रतियात्री	110	244	513	647

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम

6227. श्री राम नाईक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी भूमि अधिनियमों और भूमि उपयोग विनियमों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) भारत सरकार ने अधिनियम से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच और अधिनियम को संशोधित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए दिसंबर, 1996 में सचिव (श॰ वि॰) की अध्यक्षता में एक अन्तर सरकारी समिति का गठन किया है।

(ख) और (ग) अन्तर सरकारी समिति ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन बावत अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर शहरी भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने के लिए प्रस्तावों पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इस अवस्था में पुनरीक्षा के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

तेल शोधक कारखाने

6228. श्री एन. जे. राठवा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेषरूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों का तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने के लिए पता लगाया गया है अथवा लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी;

(घ) इन तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सरकार ने गुजरात में रिफाइनरियां खोलने के लिए निम्नलिखित तीन निजी कंपनियों को आशय पत्र जारी किए हैं :

(i) मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लि. को जामनगर में 15 एम एम टी पी ए रिफाइनरी के लिए,

(ii) मैसर्स एस्सार आयल लि. को वाडीनार में 9 एम एम टी पी ए रिफाइनरी के लिए, और

(iii) मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम को गुजरात के पश्चिमी तट पर 5 एम एम टी पी ए ई ओ यू रिफाइनरी के लिए।

(घ) और (ङ) आशय पत्रों के अनुसार मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लि. और मैसर्स एस्सार आयल लि. द्वारा क्रमशः जून, 1998 और जनवरी, 1998 तक रिफाइनरियां खोली जानी हैं। आशय पत्र के अनुसार मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम की रिफाइनरी अगस्त, 1995 तक स्थापित की जानी थी परन्तु इस कंपनी ने समयवृद्धि मांगी है।

[अनुवाद]

अतिक्रमण

6229. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अप्रैल, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एल. जी. डारेक्ट्स डीसीजी टू लिस्ट एनक्रोचमेंट" के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या शिक्षा भारती स्कूल, पालम गांव, दिल्ली के नजदीक नई दिल्ली नगर निगम की 60 फुट चौड़ी सड़क भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों द्वारा आंशिक रूप से अतिक्रमण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली की सभी कालोनियां सरकारी भूमि पर बसी हुई पाई गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मलिन क्षेत्रों का विकास

6230. डॉ. प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गुवाहाटी में मलिन क्षेत्रों के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार द्वारा नालों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) असम सरकार से स्लम निवासियों के उत्थान के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसकी इस मंत्रालय में जांच की गई। यह निर्णय लिया गया कि हाल ही में शुरू किए गए "राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम" में स्लम के आधारभूत विकास के उन सभी पक्षों को शामिल किया जाएगा, जिनका प्रस्ताव में उल्लेख है। तद्नुसार आसाम राज्य सरकार को सलाह दी गई कि वह इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का गुवाहाटी के स्लम इलाकों के विकास में भी इस्तेमाल करें। योजना आयोग ने असम सरकार को राज्य में स्लम सुधार स्कीम हेतु 1996-97 में 2.22 करोड़ रुपए की राशि और दी है, जो सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा है।

(ग) और (घ) जी हां।

गुवाहाटी महानगर क्षेत्र बरसाती नालों के सुधार कार्यक्रम का 153.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक परियोजना प्रस्ताव आसाम सरकार से फरवरी, 1997 में प्राप्त हुआ है, जिसमें 1997-98 के दौरान ओवर सीज इकोनोमिक को-ओपरेशन फन्ड (ओ ई सी एफ) से वित्तीय सहायता मांगी गई है। इस प्रस्ताव की, ऋण पैकेज 1997-98 के अंतर्गत ओ. ई. पी. एफ. को भेजने के प्रसंग में जांच की जा रही है।

रोजगार योजनाएं

6231. श्री बी. एल. शंकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही रोजगार योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) राज्य के शहरी क्षेत्रों में 31 मार्च, 1997 तक जिला-वार सूचित किए गए कुल श्रम दिवसों की संख्या कितनी है; और

(ग) राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों तथा 31 मार्च, 1997 तक कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) इस मंत्रालय द्वारा नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) तथा प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) नामक दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन दोनों में ही रोजगार सृजन घटक है।

एन आर वाई कर्नाटक सहित सम्पूर्ण देश में अक्तूबर, 1989 से कार्यान्वित की जा रही है जिसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी निर्धनों को स्वरोजगार तथा वेतन रोजगार उपलबध कराना है।

पी एम आई यू पी ई पी नवंबर 1995 में आरम्भ किया गया था जिसका एक घटक लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार मुहैया कराना है।

(ख) एन आर वाई-कर्नाटक में शहरी वेतन रोजगार योजना के अंतर्गत 31-3-97 तक 35.76 लाख क्षेत्र दिवस सृजित किए गए। इस विभाग द्वारा राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।

पी एम आई यू पी ई पी इस योजना के अंतर्गत श्रम दिवस सृजित नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें वेतन रोजगार घटक नहीं हैं।

(ग) एन आर वाई-शहरी वेतन रोजगार योजना के अंतर्गत कर्नाटक को पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपए लाख में)
1994-95	164.40
1995-96	82.63
1996-97	89.02

पी एम आई यू पी ई पी-कर्नाटक को जारी किया गया केन्द्रीय अंश इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपए लाख में)
1995-96	634.59
1996-97	343.12260

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों का आबंटन

6232. श्रीमती शीला गौतम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय द्वारा ऐसे सरकारी क्वार्टरों का आबंटन न करने के कतिपय मामले प्रकाश में आए हैं जो दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में तीन महीनों से भी अधिक समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों से भी अधिक समय से ऐसे कुल कितने क्वार्टर खाली पड़े है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनमें कतिपय क्वार्टर ऐसे भी हैं जो एक वर्ष से भी अधिक समय से खाली पड़े हैं और सम्पदा निदेशालय द्वारा उन्हें आबंटित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टर आबंटित न करने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार विभाग का क्या नाम है;

(ङ) क्या दिल्ली की सरकारी कालोनियों में कतिपय क्वार्टर क्षतिग्रस्त घोषित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है;

(छ) क्या उक्त क्षतिग्रस्त क्वार्टरों का रहने के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या है जिसने ऐसे क्षतिग्रस्न क्वार्टर आबंटित किए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ) मकानों का खाली होना और आबंटन एक संतत् प्रक्रिया है। जब कभी किसी क्वार्टर के खाली होने की सूचना मिलती है उसे तत्काल आबंटित कर दिया जाता है। तथापि, कभी-कभी मरम्मत, आबंटित वास को स्वीकार न करने, किए गए आबंटन को केवल तकनीकी रूप से स्वीकार किए जाने आदि के कारण किसी फ्लैट का कुछ समय के लिए बास्तविक कब्जा नहीं हो पाता और इससे यह लगता है कि आबंटन नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, साधारण पूल में खाली क्वार्टरों को संपदा निदेशालय द्वारा अविलम्ब आबंटित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) से (ज) संपदा निदेशालय के प्रशासनिक अधिकार वाले सरकारी वासों का रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जो क्वार्टर खाली होने की रिपोर्ट संपदा निदेशालय को भेजते समय यह सुनिश्चित करता है कि खाली हुआ क्वार्टर कब्जे योग्य है। यदि किसी क्वार्टर में विशेष मरम्मत की आवश्यकता होती है तो उसे रहने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और यदि यह क्वार्टर कब्जे में होता है तो उसके आबंटी को वैकल्पिक क्वार्टर की पेशकश की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसे क्वार्टरों को कब्जे के लिए उपयुक्त बनाने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

अवैध निर्माण

6233. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधानमंत्री** अवैध निर्माण के बारे में 11 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 2749 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग) सूचना अभी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ में मकानों का गिराया जाना

6234. श्री सत्य पाल जैन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जून, 1996 में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के मणि माजरा-राजा क्षेत्र शास्त्री नगर कालोनी में अधिकारियों द्वारा मकान गिराए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने मकान गिराए गए तथा इसे गिराने में कितना खर्च हुआ;

(ग) यह किन प्रावधानों के अंतर्गत किया गया तथा क्या प्रभावित व्यक्तियों को इस कार्य के पहले अपनी बात रखने का अवसर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) सभी 69 कमरों में से, 13 मवेशी घर और एक दुकान गिरा दिए गए थे। गिराई गई संपत्ति के मूल्य का आकलन नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) गिराने की प्रक्रिया पंजाब न्यू कैपिटल (पेरीफेरी) कंट्रोल एक्ट, 1952 के तहत की गई। गिराने की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले प्रभावित व्यक्तियों को कुछ अवसर दिया गया। इसके अलावा एक पब्लिक नोटिस भी जारी की गई थी।

दुकानों का आबंटन

6235. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सी॰ एस॰ सी॰ ब्लॉक ए एवं बी में और पश्चिमपुरी जनता फ्लैट पॉकेट-एक, दो, तीन तथा पश्चिम विहार के बीजी-एक से सात आदि में स्थित 356 एस॰ एफ॰ एस॰ फ्लैट्स के शॉपिंग सेंटर में खाली पड़ी अन्य दुकानों का ब्यौरा क्या है तथा 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार दुकान का पूर्वनिर्धारित मूल्य क्या था;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पड़ी इन दुकानों को किराया अथवा क्रय के आधार पर आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रकार की दुकानों का पूर्व निर्धारित मूल्य उनके बाजार मूल्य की तुलना में अत्यधिक है; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में अभी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आबंटित की जाने वाली दुकानों का विवरण इस प्रकार है :

स्थान	दुकानों की संख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आबंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या
क		
×जनता मकान	11	2 (5 और 10)
ब्लाक-बी	31	6 (7, 8, 11, 14, 15 और 17)
(पाकेट-बीजी-6)		
मादीपुर में 356		
स्ववित्त पोषित		
(पश्चिम विहार)	24	शून्य
पश्चिम विहार		
पाकेट-बी॰ जी-3/बीजी-5	15	शून्य

प्रत्येक दुकान के पूर्व निर्धारित मूल्य आबंटन के समय तय किए जाते हैं। यूनिटों का आबंटन चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जाना प्रस्तावित है और इन दुकानों की लागत उसी समय तय की जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/जन-जातियों से आवेदन सितंबर/अक्तूबर, 1997 में आमंत्रित किए जाएंगे और पात्र आवेदकों को आबंटन कम्प्यूटीकृत ड्रा द्वारा किया जाएगा।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

आतंकवाद का गुणगान

6236. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में पिछले सात वर्षों के आतंकवाद के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जमायत-ए-इस्लामी के 1,100 कट्टर कार्यकर्ताओं को शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या ये शिक्षक आतंकवाद के गुणगान में सहायक रहे हैं और बच्चों के भविष्य पर गलत प्रभाव डालते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के इस मामले में असमर्थता के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन

6237. श्री विजय हांडिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसोचैम) द्वारा "चैलेन्जेज इन बैंकिंग 2000 ए॰ डी॰" शीर्षक से बनाई गई अध्ययन रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) "चैलेन्जेज इन बैंकिंग 2000" विषय पर दि एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) ने बम्बई चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडयन मर्चेन्ट्स चैम्बर के साथ संयुक्त रूप से 23 अप्रैल, 1997 को मुम्बई में एक सेमिनार आयोजित किया था। पृष्ठभूमि पत्र की एक प्रति यद्यपि प्राप्त हुई है परन्तु सरकार को कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) पृष्ठभूमि पत्र में बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कुछ सुझाव दिए गए हैं। बैंकिंग उद्योग में सुधार लाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों को सभी संगत तथ्यों के आलोक में, ध्यान में रखा गया है।

विद्युत प्रशुल्क

6238. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विद्युत प्रशुल्क में व्यापक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्ड बिना किसी मानदण्ड अथवा दिशा-निर्देश का उल्लेख किए बिना विद्युत प्रशुल्क मनमाने ढंग से बढ़ा रहे हैं और इसे निर्धारित कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें व्यापक असमानता हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली विद्युत बोर्ड ने विद्युत प्रशुल्क में भारी वृद्धि की है;

(च) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की है;

(छ) क्या सरकार ने विद्युत बोर्डों/उपक्रमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति में वृद्धि विनियमित करने हेतु कुछ नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी): (क) और (ख) विभिन्न बिजली बोर्डों द्वारा घरेलू कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु बिक्री की जा रही विद्युत की टैरिफ की औसत दर संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में निहित प्रावधान के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 63 के अनुसार राज्य सरकारों की आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री के लिए रिटेल टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। सभी प्रकार के प्रचालन व्यय, ऋण पर ब्याज का भुगतान गैर मूल्यह्रास प्रावधानों की पूर्ति करने के पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफों में संसोधन का उद्देश्य 3% लाभ की दर (आरडीआर) प्राप्त करना है।

(ङ) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल, 1997 से बिल बनाने की प्रक्रिया में दिल्ली विद्युत बोर्ड ने टैरिफ में संशोधन किया है।

(च) संशोधन पूर्व टैरिफ की अपेक्षा विभिन्न श्रेणियों के लिए वास्तविक संशोधन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) और (ज) 16, अक्टूबर, 1996 तथा 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित विद्युत के बारे में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत के लिए न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना (सीएमएनएपीपी) को अंतिम रूप देते समय अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य के लिए टैरिफ का निर्धारण करने हेतु राज्य बिजली नियामक आयोग (एसईआरसी) की स्थापना किए जाने, कोई भी क्षेत्र विद्युत सप्लाई की औसत लागत का 50% से कम का भुगतान नहीं करेगा। कृषि टैरिफ, जो कि 50 पैसे/कि॰ वा॰ घं॰ से कम नहीं है, इसे भी तीन वर्ष की अवधि में औसत लागत का 50% किया जाना शामिल किया गया है एसईआरसी की सिफारिशें और इसके द्वारा सिफारिश की गई टैरिफ में किसी प्रकार की भिन्नता अनिवार्य होगी, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बजट में इस प्रकार की भिन्नता के लिए वित्तीय आपत्ति हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र समाधान के लिए प्रावधान करेंगे तथा राज्यों द्वारा युक्तिसंगत टैरिफ के क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन संबंधी पैकेज को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

विवरण-I

11.12.97 की स्थिति के अनुसार विद्युत की अनुमानित औसत दर को दर्शाने वाला विवरण (औसत दर पैसे/कि॰ वा॰ घं॰)

क्र॰ सं॰	यूटिलिटी का नाम	टैरिफ लागू होने होने तिथि	घरेलू 100 कि॰ वा॰ घं॰ माह तक	घरेलू 100 कि॰ वा॰ घं॰ माह से अधिक	कृषि उद्योग	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	उ. वृहद उद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1.8.96	136.00	248.50	20.05	293.43	318.54	340.90
2.	असम	8.9.94	105.00	230.00	150.00	178.60	227.10	214.10
3.	बिहार	1.7.93	137.00 यू	148.75	29.09	155.09	138.54	209.99
			44.00 आर	307.72				
4.	गुजरात	22.10.96	186.25 यू	277.27	161.22	239.69	268.26	356.21
5.	हरियाणा	1.7.96	170.69 आर	246.00	50.00	329.00	329.00	329.00
			224.00					
6.	हिमाचल प्रदेश	1.11.95	61.00	71.00	65.00	105.00	145.00	165.00
7.	कर्नाटक	1.7.96	185.00	203.75	7.65	206.02	221.48	370.37
8.	केरल	1.10.94	77.00	148.50	14.21	119.04	115.65	116.57
9.	जम्मू और कश्मीर	1.4.88	54.90	54.90	12.20	48.80	48.80	48.80
10.	मध्य प्रदेश	1.7.96	90.00	163.25	45.91	125.00	292.51	342.77
11.	महाराष्ट्र	1.7.96	122.50	249.00	38.26	208.30	407.12	373.61
12.	मेघालय	1.9.96	85.00	103.75	56.00	149.49	168.43	156.07
13.	उड़ीसा	21.5.96	98.75	155.94	70.00	85.00	150.00	306.58
14.	पंजाब	11.7.96	135.25	168.06	52.75	195.00	210.00	233.00
15.	राजस्थान	1.10.96	132.50	158.88	41.86	214.00	254.00	275.00
16.	तमिलनाडु	1.2.95	90.00	152.50	0.00	206.30		
	मद्रास मैट्रो क्षेत्र						292.07	288.53
	नॉन मैट्रो क्षेत्र						281.57	278.03
17.	उत्तर प्रदेश	3.1.97	145.00	186.25	47.29	295.11		
			38.50					
	गैर सतत प्रक्रिया वाले उद्योग						340.90	331.53
	सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग						322.49	357.73
18.	पश्चिम बंगाल	7.1.95	104.43	267.10	87.00	235.93	291.06	274.40

यू—शहरी आर—ग्रामीण

विवरण-II

दिल्ली विद्युत बोर्ड के संशोधन से पूर्व और बिजली की संशोधित दरें

अक्टूबर, 1993 से लागू संशोधन से पूर्व की दरें			अप्रैल, 1997 से लागू बिल बनाने की प्रक्रिया की संशोधित दरें		
यूनिट/माह		पैसे/यूनिट	यूनिट/माह		पैसे/यूनिट
1. घरेलू					
(i)	0-100	—60	(i)	0-100	—100
(ii)	101-200	—100	(ii)	101-200	—175
(iii)	201-300	—180	(iii)	201-400	—250
(iv)	300 से आगे	—240	(iv)	400 से आगे	—300
2. गैर-घरेलू					
उपभोक्ताओं के लिए 240 (न्यूनतम प्रभार 200 यूनिट/कि॰ वा॰ माह)			(i)	एकल फेस उपभोक्ताओं हेतु	—300
			(ii)	3 फेस के उपभोक्ताओं हेतु	—400
			(iii)	फर्म/मकान तथा अन्य उपभोक्ता	500
3. 100 कि॰ वा॰ विद्युत वाले लघु उद्योग :					
(i)	15 कि॰ वा॰/20 एचपी तक के भार—200		(i)	100 कि॰ वा॰ तक	300
(ii)	15 कि॰वा॰/20 एचपी से अधिक—220 भार		(ii)	गैर-लाइसेंस वाले अन्य उपभोक्ता	400
4. 100 कि॰ वा॰ से अधिक विद्युत वाले वृहद् उद्योग :					
(i)	11 कि॰ वा॰ पर सप्लाई मांग प्रभार (डीसी-रु॰ 120/केवीए ऊर्जा प्रभार (ईसी)-पैसे 240/किवाघं न्यूनतम प्रभार (एमसी) रु॰ 120/केवीए		(i)	**11 कि॰ वा॰ पर सप्लाई** डीसी—रु॰ 150/केवीए ईसी—300 पैसे/कि॰वा॰ घं॰ एमसी—रु॰ 150/केवीए	
			(ii)	**400 वोल्ट पर सप्लाई** डीसी—रु॰ 200/केवीए ईसी—पैसे 400/किवाघं एमसी—रु॰ 200/केवीए	
5. कृषि टैरिफ					
सभी उपभोक्ता-50 पैसे/किवाघं				सभी उपभोक्ता 50 पैसे/कि॰ वा॰ घं॰	

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

6239. **श्री सनत मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निवेशकों का क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में पुनः विश्वास बनाने का प्रयास कर रही है;

(ख) क्या सरकार एक स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों तथा स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एजेंसी के लिए समान दिशा-निर्देश बनाए गए हैं या बनाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारत में कार्यरत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण अन्य बातों के अलावा, कंपनियों को ऋण देयताओं की रेटिंग निवेशकों को बताते हैं ताकि वे जानकारी-पूर्ण निवेश संबंधी निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। इस प्रकार ये अभिकरण प्रतिभूति बाजार में निवेशक के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करते हैं।

(ख) इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों के कार्य-कलाप को विनियमित करने की शक्तियां दी गई हैं। सेबी ने सूचित किया है कि वह क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों के लिए नियम और विनियम बनाने की प्रक्रिया में लगा है जो जब भी अधिसूचित किए जाएंगे, ऐसे सभी अभिकरणों पर समान रूप से लागू होंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1997-98 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1997-98 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2008/97]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 जो 23 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.-आई.आर.-एस.ए.एच.-706 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2009/97]

(दो) दिनांक 23 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या पी.-आई.आर.-एस.ए.एच.-740 जिसमें दिनांक 22 जुलाई, 1995 की अधिसूचना संख्या पी.-आई.आर.-एस.ए.एच.-191 का शुद्धि-पत्र प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2010/97]

(तीन) कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 7 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.ए.डी.आई.आर.: 3664:96:सी.बी.ओ.एस.आर. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2011/97]

(चार) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम 1996 जो 30 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.आर./संशो.-3/96 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2012/97]

(पांच) पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 27 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एस.बी./स्टाफ/ओ.एस.आर./1997 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2013/97]

(छह) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 22 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./लीगल/0938 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2014/97]

(सात) बैंक आफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 22 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच. ओ. : ओ. एस. आर. एण्ड/आई.आर. : ए. : 06 : 09 : 2828 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2015/97]

(आठ) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 22 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 542 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2016/97]

(नौ) बैंक ऑफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 23 नवंबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.एल. 96-97 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2017/97]

(दस) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 25 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ. एस. आर./1/96 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 2018/97]

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 37

की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1996 जो 4 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2019/97]

आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों वायदों और वरिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दशनि वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

आठवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या इकतीस सातवां सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2020/97]

नौवीं लोक सभा

(दो) विवरण संख्या बाईस पहला सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2021/97]

(तीन) विवरण संख्या बारह दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2022/97]

(चार) विवरण संख्या छत्तीस तीसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2023/97]

(पांच) विवरण संख्या तीस सातवां सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2024/97]

दसवीं लोक सभा

(छह) विवरण संख्या तैंतीस तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2025/97]

(सात) विवरण संख्या तीस चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2026/97]

(आठ) विवरण संख्या सताईस छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2027/97]

(नौ) विवरण संख्या तेईस सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2028/97]

(दस) विवरण संख्या बाईस आठवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2029/97]

(ग्यारह) विवरण संख्या बीस नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2030/97]

(बारह) विवरण संख्या पन्द्रह ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2031/97]

(तेरह) विवरण संख्या तेरह बारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2032/97]

(चौदह) विवरण संख्या ग्यारह तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2033/97]

(पन्द्रह) विवरण संख्या आठ चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2034/97]

(सोलह) विवरण संख्या छह पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2035/97]

(सत्रह) विवरण संख्या पांच सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2036/97]

ग्यारहवीं लोक सभा

(अट्ठारह) विवरण संख्या तीन दूसरा सत्र, 1996

(खंड एक और दो)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2037/97]

(उन्नीस) विवरण संख्या दो तीसरा सत्र, 1996

(खंड एक और दो)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2038/97]

(बीस) विवरण संख्या एक चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2039/97]

ऑयल इंडिया लिमिटेड डिब्रूगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2040/97]

(3) पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन नियम, 1997 जो 26 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2041/97]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2042/97]

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2043/97]

(तीन) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2044/97]

(चार) बोगांईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2045/97]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 184(अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा शुल्क से, जितना मूल्य के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है और उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 185(अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कतिपय माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल्य और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 186(अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त सहित अग्रिम अनुज्ञप्ति के अंतर्गत भारत में आयातित माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 187(अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 अप्रैल, 1997 को अथवा उसके पश्चात् जारी अग्रिम अनुज्ञप्ति के अंतर्गत भारत में आयातित माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰ का॰ नि॰ 188(अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत में आयातित कतिपय माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰ का॰ नि॰ 197(अ) जो 7 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत में आयातित कतिपय विनिर्दिष्ट माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰ का॰ नि॰ 216(अ) जो 11 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अन्तिम माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰ आ॰ 148(अ) जो 25 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में सम्परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰ आ॰ 149(अ) जो 25 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में सम्परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰ का॰ नि॰ 150(अ) जो 14 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97 सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰ का॰ नि॰ 212(अ) जो 10 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च,

1997 की अधिसूचना संख्या 11/97 सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰ आ॰ 239(अ) जो 25 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में सम्परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰ आ॰ 240(अ) जो 25 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में सम्परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰ का॰ नि॰ 81(अ) जो 17 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अक्तूबर, 1991 की अधिसूचना संख्या 140/91 सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰ का॰ नि॰ 192(अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र से प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन किए गए हैं ताकि निर्यात आयात नीति के नए उपबंधों को शामिल किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰ का॰ नि॰ 237(अ) जो 30 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अग्रिम अनुज्ञप्ति के आधार पर आयात की गई वस्तुओं पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन उन पर उद्‌ग्रहणीय संपूर्ण प्रति-पाटन शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2046/97]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का॰ आ॰ 328, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रामकृष्ण मिशन, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का॰ आ॰ 329, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "डिवाइन लाइट ट्रस्ट फार दि ब्लाइंड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का॰ आ॰ 330, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का॰ आ॰ 332, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का॰ आ॰ 333, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंगर्गत "दि नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्माण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छः) का॰ आ॰ 334, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "पिरोजशा गोदरेज फाउंडेशन, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का॰ आ॰ 335, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का॰ आ॰ 336, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "तमिलनाडु एक्स सर्विसिज पर्सोनल बेनेवलेंट फंड, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का॰ आ॰ 337, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री रामकृष्ण आश्रम, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का॰ आ॰ 338, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन नेशनल थियेटर, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है

(ग्यारह) का० आ० 339, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महिला समख्या, अहमदाबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 340, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री सद्गुरू सेवा संघ न्यास, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 341, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हरिजन सेवक संघ, दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 342, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री सिद्धगंगा मठ, तुमकुर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का० आ० 343, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडस्ट्री फार हेरिटेज-प्रजर्विंग दि पोस्ट फार दि फ्यूचर, भोपाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 344, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 345, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में।

(अठारह) का० आ० 346, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि जे० आर० डी० टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ० 347, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आचार्यकुल, वर्धा" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का० आ० 348, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि एनी बेसेंट ट्रस्ट, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का० आ० 349, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंस्टिट्यूट आफ मार्किटिंग एण्ड मैनेजमेंट नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का० आ० 350, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत 'रेल मंत्री कल्याण और राहत कोष, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का० आ० 351, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ज्ञान प्रबोधिनी (जेपी), पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का० आ० 352, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "युसुफ मेहेराली सेंटर, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96

से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का० आ० 353, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "विवेकानन्द रॉक मेमोरियल एण्ड विवेकानन्द केन्द्र, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का० आ० 354, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मैसूर रिसैट्टलमेंट एण्ड डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का० आ० 355, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मिशनरीज आफ चेरिटी, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का० आ० 356, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "स्वामी रामानन्द तीर्थ मैमोरियल कमेटी, हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का० आ० 357, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बोचासनवासी श्री अक्षर पुरूषोत्तम संस्था, अहमदाबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का० आ० 358, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि मुस्लिम एजुकेशनल सोसाईटी (रजि०), कालीकट" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट के बारे में है।

(इकतीस) का० आ० 359, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारत भवन ट्रस्ट, भोपाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का० आ० 360, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेवा संघ समिति, हावड़ा" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का० आ० 361, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "अडल्ट ट्रेनिंग सेंटर फार दि ब्लाइंड, अहमदाबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का० आ० 362, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "अडल्ट ट्रेनिंग सेंटर फार दि ब्लाइंड, अहमदाबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का० आ० 363, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि मुंचेरजी नौरोजी बानाजी इंडस्ट्रियल होम फार दि ब्लाइंड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का० आ० 364, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सोसाइटी फार प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड्स डिवलेपमेंट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का० आ० 365, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का० आ० 366, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "होमी भाभा फैलोशिप काउंसिल, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का॰ आ॰ 367, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री कन्याकुमारी गुरूकुल आश्रम, कन्याकुमारी, तमिलनाडु" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का॰ आ॰ 368, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री कन्याकुमारी गुरूकुल आश्रम, कन्याकुमारी, तमिलनाडु" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1990-91 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का॰ आ॰ 369, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दहेज निवारण एवं समाज कल्याण परिषद, इटावा (उ॰प्र॰)" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का॰ आ॰ 370, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰ आ॰ 371, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "केरिटास इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का॰ आ॰ 372, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कैरिटास इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰ आ॰ 373, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हमदर्द दवाखाना (वक्फ), नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का॰ आ॰ 374, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रामाकृष्ण मठ, बेलूर, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰ आ॰ 375, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टीट्यूट ऑफ मार्किटिंग एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰ आ॰ 376, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दक्षिणेश्वर रामाकृष्ण संघ आद्यपीठ, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का॰ आ॰ 377, जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) का॰ आ॰ 331 जो 15 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो "दि अमलगमेटेड तमिलनाडु शेयर्स आफ पोस्टवार सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन फंड एण्ड स्पेशल फंड फार रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन आफ एक्स सर्विसमेन, मद्रास" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2047/97]

(3) केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का॰ आ॰ 158(अ) जो 1 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 1 मार्च, 1997 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करना है जिस तारीख से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के संशोधन लागू होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1997 जो 12 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 145(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 166(अ) जो 21 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 4/97-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 172(अ) जो 25 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 4/97-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰ का॰ नि॰ 191(अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद शुल्क योग्य माल को, घरेलू खपत के लिए, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निकासी को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जितना ऐसी निकासियों से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, छूट देती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰ का॰ नि॰ 204(अ) जो 9 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लाख को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰ का॰ नि॰ 211(अ) जो 10 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2048/97]

(4) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' पद) भर्ती, नियम, 1997 जो 18 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 31 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2049/97]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति संशोधन) नियम, 1997, जो 19 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 155(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2050/97]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महा सचिव : महोदय, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1997 तथा वित्त विधेयक, 1997 के संबंध में राज्य सभा से प्राप्त दो संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1997 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 6 मई, 1997 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 1997 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मई, 1997 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.03¼ बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.00½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[हिन्दी]

कार्यवाही सारांश

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (1996-97) की प्रक्रिया संबंधी और प्रकीर्ण मामलों से संबंधित बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03¾ बजे

याचिका समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : मैं याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (1996-97) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) और संबंधित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04¼ बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

इक्यावनवां और बावनवां प्रतिवेदन

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थाई समिति की जैव प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी क्रमशः इक्यावनवां और बावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा 13 मई, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा 13 मई, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदया, संसदीय कार्य मंत्री ने अगली कार्य-सूची का विवरण दिया है। विवरण को देखने के बाद पता लगता है कि जैसे सरकार के पास कोई लेजिस्लेटिव बिज़नेस नहीं है। सरकार अपना भी समय बर्बाद कर रही है और संसद के सदस्यों का समय भी बर्बाद कर रही है।

सभापति महोदया, खेल नीति के बारे में चर्चा करना अच्छा है, मगर इस सदन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जब सत्र आरम्भ हुआ तब यह कहा गया था कि महिलाओं के आरक्षण संबंधी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकपाल विधेयक को पास कराने की कोशिश की जाएगी। चुनाव में संशोधन के बारे में विधेयक तैयार करके सदन के सामने लाया जाएगा।

इनमें से कोई कार्यक्रम सदन के सामने नहीं आया है। दो दिनों में सत्र समाप्त हो जाएगा। बजट के अलावा सत्र में हमने क्या किया है, इसका लेखा-जोखा लिया जाएगा तो बड़ी निराशा होगी। ऐसा लगता है कि सरकार सदन की कार्यवाही का ठीक तरह से निरूपण नहीं कर पा रही है। आप महोदया, जानती हैं कि पृथक् उत्तरांचल की मांग 1991 से चल रही है। उसके संबंध में उत्तर प्रदेश की विधान सभा कई बार प्रस्ताव पास कर चुकी है। पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, विधान सभा का गठन नहीं हुआ है। इसलिए पृथक् उत्तरांचल के लिए केन्द्र कोई कदम नहीं उठा सकता है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा काम कर रही है। उसने हाल ही में प्रस्ताव पास कर दिया है। वह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। अब संविधान की धारा तीन के अंतर्गत केन्द्र को विधेयक लाना है। हमारे उत्तरांचल के एक सदस्य बच्ची सिंह रावत जी ने 6 मई को एक प्रश्न पूछा था और गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को जान-बूझकर लटका रही है। उत्तर गृह मंत्री का इस प्रकार है।

[अनुवाद]

"उत्तर प्रदेश विधान सभा को एक पृथक् राज्य उत्तराखंड, उत्तरांचल बनाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विचारों को व्यक्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। चूंकि इस मामले में अनेक कानूनी तथा संवैधानिक औपचारिकताएं शामिल हैं, इसलिए 16 तारीख को समाप्त होने वाले, चालू सत्र के दौरान संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा।"

[हिन्दी]

महोदया, उत्तरांचल के लोग आशा लगाए बैठे हैं, उनका भविष्य अधर में है, विकास के काम ठप्प हैं और यह सरकार इस संबंध में विभाग बनाकर विधेयक तैयार नहीं कर सकती है तो आज देश की उलझी हुई समस्याओं को कैसे हल करेगी। उत्तरांचल के निर्माण पर फैसला हो गया है। उत्तर प्रदेश की नवगठित विधान सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया है और केन्द्र को विधेयक बनाना है। गृह मंत्री सदन

में नहीं हैं। वे कहते हैं कि हमें वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए? 1991 से उत्तरांचल की मांग हो रही है और जनता के लोग हमसे पूछते हैं कि आप संसद में क्या कर रहे हैं ? हम तो एक ही जवाब दे सकते हैं कि हम तो जैना साहब का मुंह देख रहे हैं।

सभापति महोदया, यह गंभीर मामला है और हमारे बिहार के मित्र भी इससे सहमत होंगे कि सदन किस तरह से चले, सदन में लेजिस्लेटिव बिजनेस का किस तरह से निरूपण किया जाए। जैसा मैंने आपसे कहा कि खेल नीति पर बहस करना अच्छा है और टैक्सटाइल क्षेत्र में जो संकट है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए लेकिन विधेयकों का क्या हुआ ? लोकपाल विधेयक पास करने का प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, हम विधेयक पास करने के लिए तैयार हैं। लगभग सर्वसम्मति बन गई है लेकिन विधेयक कहां है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभी प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह हमारे लिए गंभीर मामला है। आप इस समय आसन पर बैठी हुई हैं। यह सदन इस तरह से नहीं चल सकता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : तेरह दिन काफी नहीं होते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बार-बार तेरह दिन की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

महोदया, आप इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। अगर आवश्यकता हो तो सदन की बैठक एक-दो दिन बढ़ाई जा सकती है। हम चाहते हैं कि यहां से कुछ उपलब्धि लेकर जाएं, खाली हाथ न जाएं। बजट के अलावा इस सत्र में कोई कार्यवाही नहीं होगी, ऐसा मानकर चला जाए। प्रधानमंत्री जी शायद शाम को आ जाएंगे। आप देखिए महोदया, महिलाओं के आरक्षण के बारे में पासवान जी ने कहा कि एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक बुलाई जाएगी। आपके ही नए मंत्री जो बने हैं उन्होंने कल राज्य सभा में कहा कि इस सत्र में विधेयक आने वाला है, पेश किया जाएगा। मंत्रिगण परस्पर विरोधी बातें बोल रहे हैं। सरकार ने दिमाग बनाया है या नहीं बनाया है। सदन को विश्वास में लेना चाहिए और इन बातों की सफाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ चाक्को (मुकुंदपुरम) : सभापति महोदया, मैं उत्तराखंड के मुद्दे पर विपक्ष के माननीय नेता द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से पूर्णतः सहमत हूं। उत्तराखंड राज्य का प्रश्न अभी भी बहुत दूर है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार को इस सभा में उत्तराखंड राज्य के प्रश्न पर विधेयक प्रस्तुत करने का समय नहीं मिल रहा है। जब हम प्रतिदिन कुछ मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं तो हमें इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकता है। राज्य विधान सभा ने तीन बार संकल्प पारित किया—1991 में 1993 में और 1996 में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य विधानसभा ने पृथक् राज्य की मांग करते हुए तीन बार संकल्प पारित किया हो। सरकार भी इससे सहमत है।

जैसा कि एक दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि यहां कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सर्वसम्मति नहीं है लेकिन यहां एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पहले से ही सर्वसम्मति है। उत्तर प्रदेश में सभी दलों, विपक्षी दलों तथा सत्तारूढ़ दलों ने उत्तराखंड राज्य के लिए सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर दिया है। यहां तक कि कांग्रेस दल ने भी पिछले विधान सभा के चुनावों में इस मुद्दे को अपने घोषणा-पत्र में शामिल कर लिया है।

अतः संवैधानिक कर्त्तव्य यह है कि सरकार संसद के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करे और इसे सभा की राय के लिए राज्य विधान सभा को भेजा जाए। अतः, ऐसा होना चाहिए। हम जानना चहाते हैं कि इस पर कौन आपत्ति कर रहा है और कौन रुकावटें डाल रहा है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इस सत्र के समाप्त होने से पहले विधेयक के साथ सभा के समक्ष आए ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों का सपना अर्थात् उत्तराखंड वास्तविकता में बदल जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, केवल दो दिन पहले ही हमने महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को उठाया। हमें बताया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री के अपने दौरे से वापस आते ही शीघ्र एक अन्य बैठक बुलाई जाएगी। अब इस सत्र के समाप्त होने में केवल दो दिन रह गए हैं और हम नहीं जानते कि यह बैठक कब बुलाई जाएगी और उस मुद्दे पर किस तरह से सर्वसम्मति होगी। संयुक्त मोर्चा सरकार इस विधेयक को पेश करने तथा पारित करने के लिए वचनबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह बताया गया था कि वे न केवल इस विधेयक को पेश करेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि यह इस बजट सत्र में पारित हो जाए। अब, केवल दो दिन रह गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। हमें अंधेरे में रखा गया है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप जवाब देना चाहेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मुझे एक अन्य निवेदन करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : शून्यकाल चल रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह शून्यकाल नहीं है। शून्यकाल में भी मुझे कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना है ...*(व्यवधान)* हमें अंधेरे में रखा गया है। यहां तक कि कार्य सूची में भी इस विधेयक को शामिल नहीं किया गया है। संयुक्त चयन समिति ने इस संबंध में विचार-विमर्श किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सभापति महोदय : यह ठीक है। मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए कह रही हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है ? सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं ? यदि सर्वसम्मति भी हो, तो क्या यह विधेयक पेश किया जाएगा और क्या सरकार इसे पारित करने की कोशिश करेगी।

महोदया, सरकार द्वारा यह बताया गया था कि वे इस सत्र में कृषि श्रमिकों पर एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसे अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारे देश में लाखों कृषि श्रमिक हैं जिनका हमारे समाज में सबसे अधिक शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे माननीय मित्र, कॉमरेड हन्नान मोल्लाह के नेतृत्व में सभी कृषि श्रमिक संघों का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम मंत्री से मिला। माननीय श्रम मंत्री ने उन्हें बताया था कि विधेयक तैयार है।

अतः, यदि विधेयक तैयार है तो उसे सभा के समक्ष क्यों नहीं लाया जा रहा है ? जब प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री से मिला, उन्होंने भी उन्हें बताया कि सरकार का भी कृषि श्रमिकों के संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा था जो कि काफी समय से लम्बित है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया उत्तर देने के लिए मंत्री जी को अनुमति दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : जैसा कि सभा के सभी वर्गों से मांग की जा रही है कि लाखों कृषि श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए, हम संसदीय कार्य मंत्री से यह पूछना चाहेंगे कि वह विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया बताइए कि क्या इन दो दिनों के अन्दर इसे प्रस्तुत किया जाएगा अथवा नहीं।

सभापति महोदय : क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब देना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : (पंसकुरा) : महिला विधेयक के इस मुद्दे के संबंध में, मैं भी यही चाहती हूं कि सरकार को इस विधेयक को इसी सत्र में पेश करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह शून्यकाल नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह ज़ीरो ऑवर नहीं है। पहले यह बिज़नैस तो खत्म होने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जैना साहब, क्या आप जवाब देंगे ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जैना साहब आप जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना सहयोग दीजिए। कृपया इस तरह शोर नहीं करिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : दो महत्वपूर्ण विधेयकों के संबंध में उल्लेख किया गया है, एक महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में है और दूसरा कृषि श्रमिकों के संबंध में है। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की है और सभी जानते हैं कि सभी दल, सभी संगठन संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए वचनबद्ध हैं। उसके विरोध में जाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि विधेयक पेश करने के रास्ते में क्या रुकावटें हैं ? यदि कुछ लोग आपत्ति करते हैं तो उन्हें करने दीजिए ? लेकिन महिलाओं के विधेयक पर देश को अपनी राय देने का अधिकार है।

जहां तक कि कृषि श्रमिकों का संबंध है, मुझे यह सुझाव देने की सूचना मिली है कि जो विधेयक तैयार किया गया है वह कृषि श्रमिकों की सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। विधेयक प्रस्तुत करने तथा पारित करने में देर करने का कोई कारण नहीं हो सकता है।

यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस सभा से लोगों को गलत संकेत मिलेंगे और मेरे विचार में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। मैं श्री जैना से अनुरोध करता हूं कि जब वे इसका उत्तर दें, तो इस बात को नजर अन्दाज न किया जाए और देश को उपयुक्त संकेत दें।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, कार्य मंत्रणा समिति का जो प्रतिवेदन आया है, उसे देखकर आश्चर्य होता है। आज देश में कई जगह सूखा पड़ा हुआ है। उड़ीसा में कालाहांडी जिला में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। देश में कई जगह महामारी फैली हुई है लेकिन यहां इसके लिए कोई चर्चा नहीं रखी गई। सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस विषय पर चर्चा की जाएगी लेकिन अकाल पीड़ित क्षेत्रों के बारे में चर्चा हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है। चुनाव सुधारों के बारे में आश्वासन दिया था कि सरकार एक बिल लेकर आएगी लेकिन उस बिल के दर्शन नहीं हुए। लोकपाल बिल, महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक, उत्तरांचल और वनांचल राज्यों के सृजन के लिए सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन उस बारे में कोई बिल नहीं लाया गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार के पास इस सदन को चलाने के लिए महत्त्वपूर्ण विषयों की उपेक्षा करने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले जवाब देने दीजिए। यह ज़ीरो ऑवर नहीं है। आप लोग बैठिए। पहले यह बिज़नैस तो खत्म होने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : क्या आप चर्चा करना चाहते हैं ? सभा में क्या हो रहा है ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस तरह से सभा नहीं चल सकती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है ? जिन्होंने नोटिस दिया है, पहले उनको बोलने का मौका मिल रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जवाब देने से पहले आप अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। अत: मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए।

सभापति महोदय : मैं उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रही हूं जिन्होंने अपने मुद्दों का उल्लेख करने के लिए सूचना दी है।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या यह आप उत्तर देंगे ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोगों ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, उनका जवाब तो सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग मंत्री जी का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह ज़ीरो ऑवर नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस तरह का व्यवहार नहीं करिए।

[हिन्दी]

आप लोग मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोगों ने इतने महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। आप लोग मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब मैं खड़ी हूं तो आपको बैठना चाहिए। यह नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह क्या तरीका है ? आप लोग चुपचाप बैठिए और मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हमें भी अपनी बात कहनी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। आपने नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग शांति से बैठिए। आपने किसी ने नोटिस नहीं दिया है। जिसने भी नोटिस दिया है, मैंने उनको ही बोलने का मौका दिया है। आप लोग चुपचाप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस तरह से सभा नहीं चल सकती। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। कृपया मेरे धैर्य की परीक्षा न लें।

[हिन्दी]

मंत्री जी, आप अपने मैम्बर्स को चुप कराइए।

(व्यवधान)

श्री कमरूल इस्लाम (गुलबर्गा) : जब भी महिलाओं के रिज़र्वेशन का बिल आए, उसमें ओ॰ बी॰ सी॰ को भी रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने को नहीं कहा है। आपने नोटिस नहीं दिया है। जिन्होंने नोटिस दिया है, मैंने उनको ही बोलने का मौका दिया है। जेना साहब, आप जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : इस मैटर को बंद कर दीजिए। इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : महोदया, विपक्ष के नेता तथा अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे चुनाव सुधार, महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक और कृषि श्रमिकों संबंधी विधेयक, लोक पाल विधेयक तथा उत्तराखंड विधेयक की तरह बड़ा मुद्दा है। यह सभी बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक हैं और सरकार इन सभी विधेयकों के प्रति गंभीर है। हमें बहुत कम समय दिया गया है।

जहां तक कि महिला आरक्षण विधेयक का संबंध है, सरकार ने हाल ही में सर्वदलीय बैठक आयोजित की है। बैठक अनिर्णयात्मक थी और उस बैठक में कोई सर्वसम्मति नहीं हुई। सरकार इस विधेयक के संबंध में कल एक और बैठक बुलाना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर मतैक्य बनाने के प्रति ईमानदार है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह मतैक्य है अथवा सर्वसम्मति? कृपया स्पष्ट कीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : हम मतैक्य की कोशिश करेंगे। यदि सर्वसम्मति होती तो सरकार ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : उस समिति के कुछ सुझाव थे। ओ॰ बी॰ सी॰ के रिज़र्वेशन का भी मामला था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या तरीका है ? आप अपने मंत्री को जवाब नहीं देने दे रहे हैं ? उन्हें नहीं बोलने देकर आप अपने मंत्री के प्रति अनादर दिखा रहे हैं। आप उनको बोलने तो दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : हमने देखा है कि जब इस सभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो न केवल इस ओर से बल्कि सभी वर्गों से राय व्यक्त की जा रही थी। हम सर्वसम्मति चाहते हैं।

विधेयक सभा में प्रस्तुत हो चुका है। विधेयक इस चयन समिति को भेजा गया है। दुर्भाग्यवश, चयन समिति में सर्वसम्मति नहीं थी। इसलिए, सरकार यह देखना चाहती है कि यह संदेश न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में पहुंचे कि महिलाओं की भागीदारी के संबंध में इस संसद में सर्वसम्मति है।

इस मुद्दे को उस स्तर पर लाने के लिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम एक और बैठक बुलाने जा रहे हैं।

जहां तक कि कृषि श्रमिकों के विधेयक का संबंध है....

सभापति महोदय : श्री जेना, मुझे उम्मीद है, आप बैठकें करने के सिवाय भी और कुछ करेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं आपकी तथा अन्य माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूं। तद्नुसार, हम सर्वसम्मति बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कल की बैठक में सर्वसम्मति हो जाएगी।

जहां तक कृषि श्रमिकों संबंधी विधेयक का संबंध है, इससे पहले सरकार का इरादा बिलकुल स्पष्ट था और माननीय श्रम मंत्री ने पहले ही यह कह दिया है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों ने आपत्तियां प्रकट की हैं। सरकार यह देखने की कोशिश कर रही है कि अन्य राज्य सरकार इस विधेयक का विरोध न करें और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि सर्वसम्मति हो जाए।

चुनाव सुधार एक बड़ा मुद्दा है। जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने हाल ही में एक बैठक बुलाई है और सरकार भी इससे पहले इस संबंध में तीन बैठकें आयोजित कर चुकी है। वह भी अनिर्णायक रही हैं।

उत्तराखंड के मामले में सरकार का निर्णय स्पष्ट है। यह बात पहले भी कही जा चुकी है। हमें इस मामले में भी सर्वसम्मति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस मुद्दे के संबंध में बैठक बुलाएंगे और इसे अन्तिम रूप देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी : मैंने विशेषधिकार की सूचना दे दी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह मामला खत्म होने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, उन्होंने लोकपाल विधेयक के बारे में उत्तर नहीं दिया है ...*(व्यवधान)* मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय अब लोकपाल विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उसे स्थायी समिति को भेजा गया था और स्थायी समिति की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उसे चार दिन पहले प्रस्तुत किया गया है।

श्री श्रीकान्त जेना : सरकार द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है और जांच के बाद सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाएगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : आपने लोकपाल बिल के बारे में कुछ नहीं बताया। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या आप इसको स्पेशल सेशन में लाओगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जीरो ऑवर में यह मामला उठाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : सत्र के समाप्त होने के बाद एक बैठक बुलाएंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 13 मई, 1997 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.29 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, शून्यकाल। श्री विजय पटेल।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया हाउस में शांति बनाए रखें ताकि सबको बोलने का मौका मिले।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदया, मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी है ...*(व्यवधान)* मैंने आज सुबह विशेषाधिकार की सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी विशेषाधिकार सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय के पास है।

(व्यवधान)

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : इसका क्या अर्थ है ? ...*(व्यवधान)* विशेषाधिकर सूचना को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। मेरी विशेषाधिकार सूचना एक बहुत महत्वपूर्ण मामले के बारे में है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, आपकी विशेषाधिकार सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय के पास है और वे उस पर विचार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : यह बहुत गंभीर बात है। कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय को यह निर्णय लेने दीजिए कि इसे स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं। लेकिन मुझे यह कहने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए कि मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए पूर्वसूचना क्यों दी। यह एक गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : स्पीकर साहब की अनुमति मिलने पर, आप अपने प्रिविलेज मैटर को रेज कर लीजिए।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : फिर कब मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

महोदया, सभा में यह परम्परा चली आ रही है कि विशेषाधिकार सूचना को प्राथमिकता दी जाती है। मैं नहीं समझता किसी अन्य कार्य को करना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। आप अपना अनुरोध प्रस्तुत करिए।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : महोदया, मैंने आज विशेषाधिकार सूचना दी है। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने अन्त तक बोफोर्स मुद्दे पर अनेक बार एक स्पष्ट घोषणा की है—जहां तक जांच के संबंध में सभा को जानकारी देने की बात है यह घोषणा इस सरकार, श्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में पिछली सरकार और श्री नरसिम्हाराव की सरकार ने भी की है। अब यह सभा आरम्भ हुई है।

मैंने आज सूचना दी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक सरकार की एक उपयुक्त एजेंसी के रूप में जो कि सभा को अपने विश्वास में ले सकते थे, 'अति गोपनीय' समाचारों को भी संसद को नजर-अन्दाज करके और सभा को विश्वास में लिए बिना समाचार पत्रों को लीक कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की टिप्पणी के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा जिन्होंने 26 फरवरी को निर्णय दिया है। अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय से पूछा कि क्या नाम लीक कर दिए हैं अथवा नहीं। तब मंत्री महोदय ने कहा :

"काफी खबरें उड़ाई जा रही थी। समाचार-पत्रों में अनेक बातें प्रकाशित की जा रही थीं ...

इसलिए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने देश को यह सूचित करना उचित समझा कि यही नाम उन्हें प्राप्त हुए हैं।"

जब उन नामों को विनिर्दिष्ट करने के लिए कहा गया, तो मंत्री महोदय ने कहा :

"वे सबको मालूम हैं।"

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की टिप्पणी थी :

"यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इतना अनुपयुक्त निर्णय क्यों लिया है और नामों को प्रकट करना ठीक क्यों समझा, जो कि अब कहा जा रहा है, संसद भी उन्हें जानने की हकदार नहीं है। इसलिए यह एक गंभीर मामला है, जिस पर सरकार को ध्यान देने और सभा को सूचित कर उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।"

इस सभा में श्री जसवंत सिंह द्वारा नियम 184 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव की सूचना की स्वीकार्यता के मुद्दे पर 26 फरवरी को दी गई यह अध्यक्ष की टिप्पणी थी।

अब, श्री नरसिंह राव द्वारा दिए गए वचन का श्री जसवंत सिंह द्वारा फिर उल्लेख किया गया है। वचनबद्धता यह थी कि उसके द्वारा मामले की जांच की जाएगी और सभा को सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात् श्री वी॰ पी॰ सिंह द्वारा एक वचन दिया गया था, जिसे मैंने 25 फरवरी के अपने भाषण में उद्धृत किया है :

"मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि संसद तथा जनता को इस मामले के बारे में हो रही प्रगति की जानकारी देते हुए इस मामले के संबंध में तर्कशील निष्कर्ष निकाला जाएगा।

जब श्री देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे तो चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विधि मंत्री श्री रमाकांत खलप ने भी आश्वासन दिया था। अध्यक्ष महोदय ने एक तीखा प्रश्न पूछा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नाम क्यों बताए। तब श्री रमाकांत खलप ने बताया :

"कृपया हमें जांच पूरी करने दीजिए। कृपया देखिए कि जो वचन हमने दिया है उसे देश के विदेशी प्राधिकरण को दिया है, उसका पालन हो और केवल तभी, हम आएं।"

विधि मंत्री ने इस सभा में ऐसा कहा।

अब, यदि जांच पूरी हो गई हो तो सभा को इस बारे में जानने का हक है और सभा को सूचित करना मंत्री जी का कर्त्तव्य है। यदि जांच अभी होनी है और उसे 'अति गोपनीय' रखा गया है तो यह कैसे हो सकता है कि उसका एक भाग समाचार-पत्रों को लीक कर दिया जाए ? क्या श्री जोगिन्दर सिंह संसद से ऊपर हैं ? क्या निदेशक का कार्यालय प्रधानमंत्री के कार्यालय से ऊपर है ? अब, मैं किसी को गलत उद्धरित नहीं करना चाहता हूं। आज 'इण्डियन एक्सप्रैस' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। उसका शीर्षक था—'राजीव नेम्ड एज, एक्यूज्ड इन सी बी आई बोफोर्स चार्जशीट'—एक आदमी जो आज ज़िंदा नहीं है।

उसमें कहा गया है कि 300 पेज का अति गोपनीय आरोप-पत्र सरकार की औपचारिक स्वीकृति के इन्तज़ार में है।

"मंत्रिमंडल सचिवालय के उच्चतम सूत्रों ने आज कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, जोगिन्दर सिंह ने "अति गोपनीय बोफोर्स आरोप-पत्र सरकार की औपचारिक स्वीकृति के लिए भेज दिया है।"

सभापति महोदय : क्या आप समाचार पत्र को उद्धरित रहे हैं ?

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : जी हां, महोदया, सभी समाचार पत्रों से ही उद्धरित करते हैं। कल भी किसी ने समाचार पत्र को उद्धरित किया था।

"जबकि राजीव गांधी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है चूंकि उनकी मई, 1991 में हत्या कर दी गई थी, फिर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आरोप-पत्र में उन पर राज्य के राजकोष में जानबूझ कर नुकसान करवाने का षड्यंत्र रचने और—क्वाटारोची, विनचड्ढा और अनजान व्यक्तियों को बिचौलियों के रूप में पैसा कमाने की अनुमति देने के लिए अपराधी ठहराया गया है।"

चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की 330 पृष्ठ की रिपोर्ट के प्रस्तावित आरोप पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि वे इस बात को साबित करने में असफल रहे हैं कि तोप सौदे में राजीव गांधी ने अपने आपको वित्तीय लाभ पहुंचाया है। अन्तिम भाग बहुत रोचक है।

"वास्तव में यह एल रेवेनासिद्धिय्या थे, जिनको बोफोर्स पर विशेष जांच दल (एस आई टी) के अध्यक्ष के रूप में गांधी परिवार तक क्वाटारोची की पहुंच को साबित करने के लिए कुछ फोटोग्राफ और सम्बंधित सबूत मिले। रेवेनासिद्धिय्या पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच॰ डी॰ देवेगौड़ा के विश्वसनीय लैफ्टिनेंट थे, ने केन्द्र में बदलाव से पहले उनका तबादला बैंगलोर में करने की मांग की।"

मैं सभा से जानना चाहूंगा कि क्या अति गोपनीय मामलों को निपटाने का यही तरीका है। मैं किसी व्यक्ति की नेकनीयती पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रेवेनसिद्धय्या क्यों आए। हम सब जानते हैं कि दो विशेष जांच दल हैं। एक जांच दल ने इस मामले की जांच करनी थी कि श्री राजीव गांधी की हत्या किस तरह की गई और उनकी हत्या किसने की। आज तक, राष्ट्र यह नहीं जा सका है कि उनकी हत्या किस तरह की गई। विशेष जांच दल की क्या भूमिका है ? विशेष जांच दल को देश में राजीव गांधी की उपस्थिति का लाभ नहीं मिल सका क्योंकि उनकी हत्या हो चुकी थी लेकिन उन्हें कुछ फोटोग्राफ मिले। मैं अनेक माननीय सदस्यों को जानता हूं, जो कि यहां बैठे हैं जिनकी फोटोग्राफ अनेक अन्य व्यक्तियों के साथ दिखाई दी गई है। मैं अनेक व्यक्तियों को जानता हूं, बोफोर्स तोप सौदे में जिनका नाम है और जो कुछ महीने पहले लंदन और डाबोस के बड़े-बड़े नेताओं के साथ पाए गए हैं। इसका पता भी श्रीमती चित्रा सुब्रह्मण्यम् ने लगाया है, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं।

मैं उन मुद्दों को यहां उठाना नहीं चाहूंगा। लेकिन क्या यह तरीका सही है ? एक ओर आप कहते हैं 'अपनी असफलताओं को स्वीकार करो।' और दूसरी ओर आप कहते हैं कि यह अति गोपनीय है। अभी वे वहां हैं। मैं इसे संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करना कहूंगा इस पूरे मुद्दे को बदनाम करने और अधिकार बनाने के लिए ही जानबूझकर यह कदम उठाया गया है। आप किसी को भी फांसी पर चढ़ा सकते हैं, हम यहां किसी को बचाने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, इटली से यहां तक, चाहे वह क्वाटारोची हो, राम अथवा रहीम हो। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक इस तरह से अपनी जिम्मेवारी को निपटाते रहे हैं, सब कुछ अपने हाथ में लेकर और संसद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को नज़र अन्दाज़ करते हुए और इस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगा। मीडिया को चेतावनी देने का अधिकार है। कोई भी मीडिया से सूचना के स्रोतों के बारे में प्रश्न नहीं कर सकता है कि उन्हें सूचना कहां से मिली है। मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक से पूछता हूं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

यह विधि मंत्री का प्रभावशाली आश्वासन था। यह माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यहां दी गई टिप्पणी थी। अतः महोदया, यह विशेषाधिकार का सही मामला है। जैसा कि मैंने कार्यवाही वृतान्त से उद्धरित किया है, क्या यह तरीका है किसी व्यक्ति से व्यवहार करने का जो इस समय जीवित नहीं है। आप षड्यंत्र द्वारा किसी व्यक्ति को मारने से अधिक क्या कर सकते हैं जिसका अभी पता चलना है ? यह बातें इस देश में चलती रहेंगी। किसी की किसी अन्य के साथ फोटोग्राफ ली जाएगी। मैं जानना चहूंगा कि इस देश में कितने लोग हैं जिनकी अनेक लोगों के साथ फोटोग्राफ ली गई है तथा उन पर आरोप लगाया गया है और मुकदमा दायर किया गया है। क्या पूरी प्रणाली को समाप्त करने का यही तरीका है ? इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के महा-निदेशक श्री जोगिन्दर सिंह ने जानबूझकर सभा की सम्मति का उल्लंघन किया है।

विधि मंत्री ने बोफोर्स के मुद्दे पर 25 फरवरी को जवाब दिया था। रिपोर्ट में बहुत ही खतरनाक संकेत दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि "केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक सभी फाइलों को निपटाने की जल्दी में हैं।" यह बहुत खतरनाक बात है। मैं जानना चाहूंगा कि वे कितने लोगों के पीछे हैं और किस आधार पर। यह बातें जानने की आवश्यकता है। मैं संस्थान की नेकनीयत पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं किसी अधिकारी की नेकनीययती पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल औचित्य की बात कर रहा हूं। विधि मंत्री तथा मंत्रिमंडल दोनों सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। कोई भी दस्तावेज चाहे वह दो राष्ट्रों के बीच समझौता ज्ञापन हो उसे सभापटल पर नहीं रखा जा सकता।

जांच रिपोर्ट को सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तीन क्रमागत प्रधानमंत्रियों ने सभा को यह सूचित किया। जब सभा का सत्र चल रहा हो, यदि किसी अति गोपनीय बात को इस तरह से लीक किया जाता है, तो मेरे विचार में यह पूरी सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसलिए, मैंने यह पूर्वसूचना दी है।

सभापति महोदय : श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी का विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और विचाराधीन है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदया, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिनका मेरे विख्यात मित्र श्री पी० आर० दासमुंशी ने उल्लेख किया है। चूंकि यहां तीन अथवा चार बातें चिन्ताजनक हैं, जिसके कारण मैं मांग से आरम्भ कर रहा हूं और जिसमें मैं अपने मित्र की बात से भी सहमत हूं।

मेरे विचार में, इससे पहले शुक्रवार को सभा समाप्त हो जाए, सरकार जांच की प्रगति पर एक व्यापक भाषण दे सकती है। मैं चिन्ता के कारण ऐसा कह रहा हूं। पहला, मैं अपने मित्र माननीय प्रिय रंजन दासमुंशी के विचारों से सहमत हूं कि किसी भी जानकारी के प्रचार की जिम्मेदारी चाहे वह किसी के द्वारा हो, मैं किसी एजेंसी अथवा किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से सरकार की होती है। मैं ऐसा क्यों कहूं ? स्विस न्यायालय के निर्णय के बाद जब बोफोर्स के कागज़ प्रकाश में आए तो मुझे याद आ रहा है कि उस समय के प्रधानमंत्री ने सभा में आते हुए सर्वप्रथम इस बात की घोषणा की थी कि वे सारी जानकारी को सभा के साथ बांटेंगे, उसके बाद सभा में आते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उस रात देर से उन्हें जिनेवा में अपने अधिकारियों से फैक्स पर एक बात की पुष्टि हुई थी कि जिनेवा के कैंटोनल कोर्ट ने अनुमति देने से इंकार कर दिया है। मुझे तब तक भी इस बात का पता नहीं था कि वास्तव में यह स्थिति थी। मैं इस बात को नहीं मान रहा था कि ऐसी स्थिति क्यों थी। तत्पश्चात् मुझे स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया था और सोमनाथ जी ने बहस की थी, लेकिन फिर भी वह स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत क्यों नहीं हुआ। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इन महीनों के दौरान उन्होंने अपनी राय बदल ली है।

दूसरा कारण यह है कि हमें स्विटज़रलैंड की सरकार द्वारा यह बताया गया कि हम यह जानकारी किसी को नहीं दे सकते। मुझे शंका थी। तत्पश्चात् सरकार ने कहा कि वे जांच करेंगे और फिर जानकारी देंगे।

जिस तीसरे आश्वासन का उल्लेख किया गया है वह सरकार द्वारा दिया गया था कि वे उस सूचना की जांच करेंगे जो उस समय तात्कालिक सरकार या सरकार की एजेंसियों द्वारा की जा रही थी, मामले की जांच करेंगे और वापस सदन में आएंगे। मैं समझता हूं कि माननीय प्रिय रंजन दासमुंशी ने मंत्री जी के उस विशेष आश्वासन का उल्लेख किया है। सरकार ने उसका कुछ भी नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इसकी जांच की है या नहीं। अगर उन्होंने इसकी जांच की है तो वे हमारे पास आने के लिए और हमारे साथ इसे बांटने के लिए तथा जो कुछ हुआ है, जो कुछ गलती उस समय हुई बताने के लिए बाध्य हैं बल्कि मुझे संदेह है कि उन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की और चूंकि उन्होंने परवाह नहीं की है इसलिए यह गलती दोहराई गई है।

मेरी तीसरी चिन्ता यह है कि अब सरकार ने जो विशेष जांच दल नियुक्त किया है उस विशेष जांच दल ने अपना काम पूरा कर लिया है; उस विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और उस विशेष जांच दल की रिपोर्ट भारतीय कानून के अधीन है। आखिर यह एक रिपोर्ट ही है जिसका जन्म इस संसद में हुआ है, अगर संसद ने पिछले दस वर्षों तक लगातार इस मुद्दे पर न बोला होता तो इस विशेष जांच दल के इस चरण तक नहीं पहुंचते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार का परिवर्तन भी न होता।

श्री जसवंत सिंह : वे ठीक कह रहे हैं। इस बात के संबंध में कहना दुख की बात है परंतु बहुमत वाली सरकार ने, वास्तव में, इस कारण बहुत दुख झेला है।

तथापि, विशेष जांच दल का जन्म इसी सदन में हुआ था इसलिए, विशेष जांच दल के संबंध सूचना को सही-सही देने के लिए सरकार की एजेंसी है, इसलिए सरकार का कोई भी व्यक्ति सदन में आकर यह नहीं कह सकता, "नहीं-नहीं, यह तथ्यात्मक स्थिति है। हमने यह कार्रवाई की है। हम नेताओं की बैठक बुलाएंगे। अगर सदन में नहीं तो वे विशेष जांच दल की रिपोर्ट की अपनी बैठक में जांच करेंगे। यह विचारणीय बात है। फिर जब मैंने यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो मैंने कहा था कि सूचना का एक भाग ही सामने आया है। दो मामले अभी भी अपली के अधीन हैं। हमें जिनेवा या बर्न के संघीय न्यायालय में उन दो मामलों के सही निपटान के रास्ते में अड़चनें डालने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ वृद्धि की गई है। मुझे यह सूचित किया गया है कि इन दो अपीलों के अतिरिक्त, अंतिम क्षण में बर्न में संघीय न्यायालय में एक और व्यक्ति ने बाद में अपील की है। इसलिए इस सदन को तथ्यात्मक स्थिति जानने का अधिकार है कि जहां तक स्विटजरलैंड के अपील कोर्ट का संबंध है अब बाकी के मामलों की विधायी स्थिति क्या है और सबसे आखिर में अपील करने वाला कौन है ? सबसे आखिर में अपील करने वाले की पहचान क्या है? महोदया, इसीलिए मैं यह बात दोहराता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने सबसे पहले यह स्पष्टीकरण दिया कि उस प्रथम आश्वासन के कारण वे सदन को अब तक संतुष्ट करने में विफल क्यों रहे कि हम जांच करेंगे और वापस आएंगे तथा सदन को सूचिंत करेंगे ? वह कमी कैसे हुई थी ?

दूसरा यह कि यह सरकार हमें अब तक की गई जांच की प्रगति, विशेषकर विशेष जांच दल के संबंध में, का पूरी व्यापक ब्यौरा देने के लिए उत्तरदायी है। यह बहुत बड़ी बात है कि सरकार कम-से-कम सदन के नेताओं को बुलाती है कि वे आपस में बैठकर विशेष जांच दल के संबंध में चर्चा करें।

अंत में बर्न में अपील कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति क्या है और सबसे आखिर में अपील करने वाला कौन है ? यह बहुत ही कम है। मुझे इस मामले में कोई रुचि नहीं थी परंतु मैंने इसमें इसलिए रुचि ली क्योंकि यह मामला महत्त्वपर्णू है। मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं प्रियरंजन दासमुंशी जी द्वारा यहां प्रिवलेज का जो सवाल रखा गया, मैं उनकी बात और उनका जो तर्क है, उससे पूरी तरह सहमत हूं।

श्री जसवन्त सिंह जी ने इस व्यापक बहस को फैक्ट्स के साथ

रखा। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन 90 करोड़ लोगों से चुना हुआ सदन है और इस सदन के साथ और इस सदन का जिस तरह से अवमूल्यन हुआ है, हमारे आपस में बहुत डिफरेंसेज़ हो सकते हैं, मैं सोचता हूं कि व्यवस्था को चलाने के जो तीन अंग हैं, उनमें सबसे ज्यादा एकाउंटेबल यह सदन है। हर पांच वर्ष में इसके लोगों को जनता के सामने जाना पड़ता है। इससे बड़ी सत्ता और इससे बड़ी शक्ति या मेंडेट, किसी दूसरे को नहीं है। मैं दूसरों के अधिकार की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस सदन के साथ जिस तरह का पिछले चार-पांच वर्ष में व्यवहार हुआ है, जिस तरह से इस सदन का अवमूल्यन हुआ है, और जिस तरह से इसकी गरिमा को कम किया जा रहा है, यह लोकशाही और लोकतंत्र के लिए बहुत घातक चीज है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज यूनाइटिड फ्रंट की सरकार है। मुझे कभी-कभी महसूस होता है कि जैसे राष्ट्रपति जी हैं, इसी तरह से यह कैबिनेट हो गई है और प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, यह लगता है कि सैरीमोनियल पोस्ट हो गई है ...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह : शरद जी, क्या कह रहे हैं ?

श्री शरद यादव : मैं ठीक कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई किसी के कहने में नहीं है, कोई एकाउंटेबल ही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, प्रेसीडेंट को क्या बोला ?

श्री शरद यादव : चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, यहीं बन्द करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या बन्द करते हो ?

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : नहीं, जसवन्त जी ने कहा कि इसको यही रोक दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन लोगों ने तो अनएथीकल प्रेसीडेंट बोला है।

श्री शरद यादव : मैंने कोई ऐसी बेजा बात नहीं कही, महामहिम जी की जगह और गरिमा अपनी जगह है। लेकिन एक्जीक्यूटिव इस पार्लियामेंट से ताकत लेती है।

उसके हाथ में जो भी एक्जीक्यूटिव की ताकत है, एक तरह से मरने के बाद स्वर्ग और नर्क होगा, लेकिन इस आधार पर आज आलमाइटी का राज है। यह राज है, यह सरकार है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायपालिका के अधीन है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। लेकिन यह सदन की और इस सदन से निकली हुई शक्ति की जो ग्रिप होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए, वह नहीं है। मैं किसी का असम्मान नहीं कर रहा हूं, न किसी पार्टी के तहत बोल रहा हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते, इस सदन में कई बार चुने जाने के नाते अपनी बात रख रहा हूं। रूल आफ लॉ, मेरी समझ में नहीं आता कि कानून का राज है, वह मरे हुए लोगों पर कैसे लागू होगा ? यह मेरा कठिन सवाल है। यहां स्वामी जी बैठे हुए हैं। स्वर्ग और नर्क की चाबी इनके पास है। यह रूल आफ लॉ ...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किस रूल के तहत है ?

श्री शरद यादव : उमा जी, मैंने आपसे नहीं कहा। यहां जो बैठे हुए ...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस तरह से सदन में किसी सदस्य का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। शरद जी को चाहिए कि वह उनसे माफी मांगें। इस तरह की व्यंग्योक्ति या कटोक्ति से सदन में किसी भी सदस्य के बारे में नही बोला जा सकता। ये या तो अपने शब्दों को वापस लें या माफी मांगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। शांति से बात सुनें। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि शब्दों का चयन सावधानी से करें।

श्री सनत मेहता : संत जी तो निरंतर निराकार होते हैं, उनको कुछ नहीं लगता।

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री शरद यादव : उमा जी, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं स्वामी जी से माफी मांगता हूं। मैंने आपसे नहीं कहा था। मैं माफी मांगता हूं कि स्वर्ग और नर्क की चाबी इनके पास नहीं है। लेकिन किसी के पास तो है, 56 कोटि भगवान् के पास है, मैं नहीं जानता। लेकिन रूल आफ लॉ का क्या होगा ? जो मरा हुआ आदमी है उसे कौन गिरफ्तार करके लाएगा ? जो दासमुंशी जी ने बात उठाई है वह गम्भीर बात है। हम बोफोर्स के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। हम भी यह मांग करना चाहते हैं। मैं जवसंत सिंह जी के साथ पूरी तरह से 100 क्या 200 फीसदी तक सहमत हूं। ..*(व्यवधान)* आपको छोड़कर, आप हमें छोड़ रहे हैं, हम आपको छोड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*.

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह बहुत ही गंभीर चर्चा है। क्या मैं सदस्य से इस मामले पर गंभीर रहने का अनुरोध कर सकती हूं ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैंने एक गम्भीर बात कही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति से सुनें।

श्री शरद यादव : वेदना और तकलीफ के साथ मैं यही कहता हूं ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरी बड़ी आफत मची हुई है। ये भी तंग कर रहे हैं और वे भी तंग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस समूचे सदन से पार्टी से ऊपर उठकर कहना चाहता हूं कि हमें यह लोकशाही बड़ी कुर्बानी के बाद मिली, लम्बे समय के बाद मिली।

[श्री शरद यादव]

यह वोट का राज्य गरीब का राज्य है। आज नहीं तो कल वोट का राज्य और बढ़ जाएगा तथा इसी के साथ ही इस सदन की गरिमा, इसकी शक्ति और ताकत घट जाएगी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, विवाद खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं और यहां बहुत सीनियर मेम्बर बैठे हैं कि इस सदन की शक्ति, ताकत और इसकी गरिमा में निरंतर ह्रास हो रहा है, इसमें गिरावट आई है।

एक माननीय सदस्य : क्या करेंगे ? ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : उपाए करेंगे। करना चाहिए। यह जो कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं, आप हम कभी जंगल में थे। प्रयास किया है, तभी हम लोग यहां पहुंचे हैं। मैं उपाए बताने थोड़े ही खड़ा हुआ हूं। मैंने बात रखी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शरद जी, आप बोलिए। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मेरी बात रैलेवेंट है। सदन की गरिमा का जो अवमूल्यन हुआ है, यह मेरी चिन्ता है। यहां सारे सदन से मेरी विनती है कि इस देश की जनता जिसने हमको वोट देकर यहां पहुंचाया है, उसकी चिन्ता मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार को भी इस पार्लियामेंट ने शक्ति दी है, 370 सांसद सरकार को समर्थन कर रहे हैं और आप शक्तिहीन हों और पार्लियामेंट में जो बात कहें, उसको पूरी न करें, मुकम्मल तरीके से आप यदि नहीं चलें तो इससे लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि कभी कोई आदमी किसी तरह का फैसला दे दे, यह सदन ज्यों का त्यों बैठा रहे और आप सब लोग इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद जो लोकतंत्र प्राप्त किया है, उसको बचाने के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : यह प्रीविलेज मोशन पर है या कौन-सा विषय है ? यह क्या कहना चाहते हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : मेरी विनती है कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, पहले फिल्म वाले टी० वी० पर आते थे, लेकिन आजकल मुश्किल यह हो गई कि राजनीतिज्ञ लोग और सबसे ज्यादा अदालत के जरिए टी० वी० पर आने लगे हैं। यह सारा काम व्यवस्थित होना चाहिए। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। लेकिन जो सी० बी० आई० है, चाहे और एक्जीक्यूटिव के हिस्से हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इस सदन को जितनी स्वायत्तता है, शायद देश में किसी को नहीं है। यह यदि खड़े होकर एक साथ हिट-बैक कर देती है तो हर चीज ठिकाने लग जाएगी। हमने अपनी बात तो नहीं कही। हम यदि आपस में एक-दूसरे को धक्का-मुकका लगाते रहेंगे, धक्के-मुक्के की मर्यादा बनी रहेगी। हम सबकी कोशिश यह होनी चाहिए कि वह सदन नीचे न चला जाए।

श्री दास मुंशी ने जो सवाल उठाया है, उसके बावत मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी तरह का कोई समझौता राष्ट्र के साथ घात है। इसलिए उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से जो आदमी आज यहां सदन में नहीं है, न ही वह डिफेंड कर सकता है और हम सब लोगों ने उनकी मौत को अपने सामने गुजरते हुए देखा है, इसलिए मैं अपनी भावना को उनकी भावना से मिलाकर सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रीविलेज आपके हाथ का मामला है। स्पीकर साहब करेंगे। मुश्किल है कि वह नहीं हैं। आपसे कोई-न-कोई बात करनी पड़ेगी। आप सुन रही हैं तो उनको बता दें कि इसमें क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं अपनी चिन्ता को इनकी चिन्ता के साथ मिलाकर अपनी बात यही समाप्त करता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदया, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है कि बोफोर्स मामले को अंतिम रूप दिया जाए। हम इसके बारे में वर्षों से मांग कर रहे थे। श्री जसवंत सिंह ने ठीक ही याद दिलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी मांग कर रहा था और यह मामला दस वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पड़ा है। स्विस कोर्ट के निर्णय के बाद यही सही समय है कि इससे संबंधित सभी आवश्यक जांच पूरी कर ली जाए और सदन को विश्वास में लिया जाए। इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। यह मामला बहुत अधिक राष्ट्रीय महत्त्व का है और यह जिस भी रूप में हो इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

परंतु, महोदया आज हम यहां विशेषाधिकार प्रस्ताव से संबंधित नोटिस पर चर्चा कर रहे हैं जो मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी द्वारा नियम 222 के अधीन दिया गया है। मैंने देखा है कि उनकी शिकायत सी० बी० आई० के वर्तमान निदेशक की कुछ घोषणाओं के विरुद्ध है जिन्होंने जैसा कि श्री जसवंत सिंह कहते हैं कुछ नाम बताए और थोड़ी-थोड़ी सूचनाएं दीं।

जैसा कि विशेषाधिकार मुद्दे का संबंध है किसी भी चर्चा से पहले इस पर माननीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति जरूरी है। परंतु यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और हमने बहुत कार्य किया है। मैंने देखा है कि कम-से-कम आज श्री जसवंत सिंह ने श्री दासमुंशी के सी० बी० आई० के निदेशक के विरुद्ध आरोपों का दिल से समर्थन किया है और सी० बी० आई० के निदेशक ने, श्री जसवंत सिंह के अनुसार, सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। कम-से-कम आज उन्होंने यह बात स्वीकार की।

जहां तक बोफोर्स मामले के महत्त्व और उसको अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता का संबंध है इसमें और इंतज़ार नहीं हो सकता, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो इस मामले में सुस्ती नहीं दिखा सकते। और अधिक जांच करने के नाम पर अधिक समय बरबाद नहीं किया जा सकता। सभी प्रकार के अनुमान लगाए जाएंगे। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है। बातें उलझ रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है उससे नई-नई राजनीतिक घटनाएं जुड़ रही हैं—मैं इनके बारे में नहीं जानता—और ये सभी समाचार पत्रों के अनुमान हैं। इसलिए इस देश की राजनीति के लिए तथा इस देश में सही राजनैतिक गतिविधियों के लिए इस मामले

को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। जितनी जल्दी यह हो जाए उतना अच्छा है। आज श्री शरद यादव ने अचानक ही यह पाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस मामले पर अपनी दृढ़ता नहीं दिखा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : दादा ने जो बात कही है, वह मेरी बात नहीं है। मतलब मेरा नहीं है। इस जगह पर अटल जी बैठ जाएं या दादा बैठ जाएं। जो हालत है, उस सच को छिपाया नहीं जा सकता है। यानि, जिस तरह से बेलगाम होकर जिसके जो मन में आ रहा है, वह कह रहा है। यह मैं कह रहा हूं। सरकार सदन की औलाद है। इस सदन को ताकतवर करने के लिए औलाद को ताकतवर होना चाहिए। यह मेरा मतलब है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदया, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैंने यह कहा है कि जनता दल के नेता यह सोचते हैं कि आज प्रधानमंत्री का कार्यालय अपने अधिकारों और प्रभुत्व की दृढ़ता नहीं दिखा पा रहा है। जैसा कि यह करता है। उन्होंने यह गुण या गुण की कमी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी में भी पाई है।

इसलिए जब मैंने यह कहा था मेरी दाईं ओर बैठे हुए मेरे मित्र के बदले हुए रवैए को देखते हुए तथा चित्तौड़गढ़ के मेरे अच्छे मित्र के कुछ बदले हुए रवैए को देखते हुए प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए कि पूरा सदन उनके साथ है। अगर पूरा सदन यह चाहता है तो यह प्रधानमंत्री जी की शक्ति है। जैसा कि हमें पहले ही श्री शरद यादव ने स्मरण दिलाया है मुझे आशा है कि वे संचालन समिति की बैठक में भी ऐसा करेंगे।

महोदया, इसलिए इस संबंध में डरने की कोई बात नहीं है। श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को यह जानना चाहिए कि पूरा देश उनका समर्थन करेगा अगर वे सही स्थिति का पता लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं और इसे सभी को पता लग जाना चाहिए वैसे आजकल हर कार्य में न्यायिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप इस बारे में बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदया, मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको मौका मिल जाएगा, आप पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम लोग अच्छी तरह हाउस का बिज़नेस कंडक्ट करें तो सभी को मौका मिलेगा। मैं एक बात क्लियर कर देती हूं कि अगर आप आउट आर्फ टर्न बोलेंगे तो किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। आप शांति से बैठिए।

(व्यवधान)

श्री बृज भूषण तिवारी : मैंने सबसे पहले नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : हमें मौका नहीं मिलता, इसलिए कि हम हुल्लड़बाजी नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप शांति से बैठिए, मौका मिल रहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी आप बैठिए, इसके बाद आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : श्री दासमुंशी ने जो प्रिविलेज का नोटिस दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)* आप मुझे मौका क्यों नहीं देंगी ?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभी को मौका नहीं मिलेगा। यह रेगुलर बिज़नेस नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी : सभी को नहीं, मैं पार्टी की तरफ से हूं। हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कि हम लोग हुल्लड़ नहीं करते। हम लोग भी 11 हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब यह खत्म हो गया है, कितनी देर और चलेगा। लोग जीरो ऑवर में बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी : देखिए, अगर डिस्टर्ब करना चाहे तो हम 11 लोग काफी हैं, कम नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : देखिए, यह भाषा नहीं चलेगी।

श्री इलियास आजमी : भाषा की बात नहीं है, हम लोगों को क्यों नजर-अंदाज किया जाता है ?

सभापति महोदय : नजर-अंदाज नहीं किया जा रहा है, लोग जीरोऑवर के लिए व्यग्र हो रहे हैं उनको बोलना है।

श्री इलियास आजमी : जब आपने तीन-तीन माननीय सदस्यों को आधा-आधा घंटा बुलाया तब जीरो ऑवर नहीं आ रहा था। क्या हम सदस्य नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* बोफोर्स के मामले में या मोशन के बारे में हमारी कोई राय नहीं है ? अगर कोई सीनियर मेम्बर खड़ा हो जाए तो चेयर की तरफ से बिलकुल इजाजत हो जाती है कि वह जितना चाहे बोले। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आज़मी साहब, आप बैठिए, मैं आपको मौका दूंगी।

श्री इलियास आजमी : आप कब मौका देंगी ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी आप छोड़ दीजिए, मैंने नाम पुकार दिया है।

श्री इलियास आजमी : आपने नाम पुकार दिया है लेकिन उस

[श्री इलियास आजमी]

वक्त आपने कहा था कि दादा के बाद आपको बुलाऊंगी।

सभापति महोदय : देखिए, रेगुलर डिसकशन नहीं चल रहा है। ऐसे तो हर पार्टी के लोग खड़े होंगे, फिर जीरो ऑवर नहीं होगा। अगर हाउस की मर्जी है कि जीरो ऑवर न हो और इसी पर सब लोग बोलें, ऐसे नहीं चल सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, आप पहले सरकार से कहें कि इस पर अपना वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)* वरना यह मामला टॉक आउट हो जाएगा। आखिरकार 20-25 मिनट इस पर इतना सीरियस डिसकशन हुआ है इसलिए आप सरकार को निर्देश करें कि वह इस पर वक्तव्य दे।

सभापति महोदय : यह तो वैसे भी प्रिविलेज का मामला है और माननीय स्पीकर साहब के पास गया हुआ है। मैं श्रीकांत जेना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह इस पर रिएक्ट करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस पर सरकार वक्तव्य दे, स्टेटमेंट दे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब जीरो ऑवर शुरू होता है। आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री विजय पटेल (गांधी नगर) : मैं इस माननीय सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह न केवल गुजरात से बल्कि पूरे देश से संबंधित है। ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ ने केंद्र सरकार के परामर्श से गुजरात में गंधार तेल क्षेत्र में अपना तेल का उत्पादन बंद कर दिया है। यह समाचार गुजरात के गुजराती दैनिक समाचार पत्र 'गुजरात समाचार' में छपा है। राज्य सरकार ने ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान नहीं किया है तथा इसीलिए तेल का उत्पादन बंद हो गया है।

हम विदेशों से तेल का आयात करते हैं और इसके लिए बहुत सारी विदेशी मुद्रा का भुगतान करते हैं। जब हम अपने देश से तेल प्राप्त करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि ऐसी संस्थाओं को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

यह भी प्रकाशित हुआ है कि गुजरात में तेल उत्पादन के उस क्षेत्र के खेतीहरों ने ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ के लोगों के विरुद्ध विरोध किया है क्योंकि उनकी अधिग्रहित भूमि की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। एक तरफ ओ॰ एन॰ जी॰ सी, ने अपना तेल उत्पादन बंद कर दिया है और हमारे देश के हित में नहीं है दूसरी तरफ गरीब किसानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जबर्दस्ती उनकी भूमि हथियाए जाने के बाद उन्हें उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की गई है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि गरीब किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए तथा गंधार तेल क्षेत्र में तेल का उत्पादन फिर शीघ्र ही शुरू किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : सरकार इसके बारे में गंभीर विचार करे और गांधार प्रोजेक्ट को चालू करे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक मिनट बात सुनिए।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : सरकार इसके बारे में निर्देश देकर जल्दी से जल्दी इसे चालू करे।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : मैं इनकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप लोग शोर न कीजिए। आप सारे एक दम बोलेंगे तो सपोर्ट करेंगे, दूसरों को भी करने दीजिए। बृज भूषण तिवारी प्लीज।

श्री बृज भूषण तिवारी : सभापति महोदया, मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर में कुछ हथियारबंद हमलावरों ने फल और सब्जी के दुकानदारों की मंडी पर जबरदस्त हमला किया जिसमें 30 पुरानी मंडी की दुकानें और 7 नई सब्जी मंडी की दुकानें जल गईं। इसमें दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हुए। तीस के करीब साइकिलें टूट गईं, मोटरें जल गईं और लाखों रुपया लूट लिया गया। यह घटना इस कारण घटी ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : इसकी यहां कोई बात नहीं है।

श्री बृज भूषण तिवारी : इस घटना के घटने का कारण यह था कि वहां एक समूह जबरदस्ती दुकानदारों से पैसा वसूल करता था। आज तक उन दुकानदारों की कोई रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की है। जबकि वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद थे। हमलावरों का नेतृत्व जिला भाजपा के अध्यक्ष कर रहे थे। वे दुकानें अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों की थीं। वहां पर यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। उन गुंडों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त था। अगर जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठाएगी और इस पर दिल्ली की सरकार समुचित निर्देश नहीं देगी तो इसका असर सारे जिले तक ही नहीं पूरे प्रदेश में जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल इसकी रिपोर्ट मंगा करके सदन के सामने रखे और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कुंवर सर्वराज सिंह : हमें बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है, आप लोग असोसिएट कर रहे हैं।

अपराह्न 1.12 बजे

इस समय कुंवर सर्वराज सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

सभापति महोदय : आप पहले वापस जाइए। वैल से कोई बात नहीं सुनूंगी। तिवारी जी आप अपने दल के लोगों को समझाइए। बाकी लोगों को असोसिएट करना है। आप पहले अपनी सीट पर जाइए। यहां

से कोई बात मैं नहीं सुनूंगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आपने नोटिस दिया है तो आप सीट पर जाकर इंतजार कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस विषय को उठा चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसे उठा चुके हैं। अब क्या प्राबलम है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन॰ के॰ प्रेमचंद्रन (क्विलोन) : महोदया, मुझे केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल के आबंटन के संबंध में एक आवश्यक मामले पर बात करनी है। कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह शोरगुल कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : पहले सब सीट पर जाइए। मैं ऐसे किसी की बात नहीं सुनूंगी। यह मेरे साथ नहीं चलेगा। आप सीट पर वापस जाइए।

अपराह्न 1.18 बजे

इस समय कुंवर सर्वराज सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : विनय जी, आप एक मिनट बैठिए। आपको एक मिनट बोलने का समय मिलता है। आपके बोलने के बाद विनय जी बोलेंगे।

कुंवर सर्वराज सिंह : यह मामला बहुत गम्भीर है। उत्तर प्रदेश में निरन्तर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैंने पिछले सप्ताह भी इस मामले को उठाया था। मैनपुरी में कुछ लोग मस्जिद पर कब्जा करने के लिए गए। वहां हमारी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं को बुरे तरीके से मारा गया। इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब कोर्ट ने आदेश दिया, तब रिपोर्ट लिखी गई। उसके बाद यह घटना घटी। वहां अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगाई गई। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : यह बिल्कुल गलत बात है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह : वहां दुकानें लूटी गईं। यह सारा का सारा एक पार्टी के संरक्षण में किया गया। प्रशासन मौन है। मैं चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात हो गई है। अब आप बैठिए।

कुंवर सर्वराज सिंह : यह मामला बहुत गम्भीर है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जीरो आवर में अगर मंत्री जी की इच्छा होगी तो वह इस पर कुछ बोलेंगे। आप बोल चुके हैं। अब आप चुपचाप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके दो आदमी बोल चुके हैं। आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोल चुके हैं। अब आपको बोलने का समय नहीं मिलेगा। एक ही विषय पर बार-बार चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह कोई बात हुई ? क्या आप ही बोलते रहेंगे ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदया, मैंने इस बात को नोट कर लिया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : यह विषय सदन में उठ गया है। यह राज्य सरकार का मामला था। यह प्रदेश में उठना चाहिए था लेकिन यह मामला यहां उठ गया है। मैं इसके जवाब में यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने इस विषय में गलत बयानी की है। उन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग शांति से बैठिए। आपने नाम लिया है।

[अनुवाद]

उन्हें उत्तर देने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरे-आम-गोली से उड़ा दिया गया। उसके कारण वहां तनाव पैदा हुआ। पिछले दिनों वहां ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने नाम लिया है।

[सभापति मोहदय]

[अनुवाद]

उन्हें उत्तर देने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : किसान जब मंडी में अपना सामान लेकर आते हैं और सामान जब बेचते हैं तो उन्हें उसका पैसा न दिया जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पप्पू जी, आप एक बार रूल बुक पढ़िए। आपने नाम लिया है, उन्हें उसका जवाब देने का अधिकार है। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार : सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स० पा० के लोगों ने ऐसा काम किया है। आज भी फिरोज़ाबाद, भरकाना, मैनपुरी में इन लोगों का आतंक है। पूरी मंडियों में ये लोग पैसे की वसूली कर रहे हैं और जो पैसा नहीं देता उसे गोली मार देते हैं। मैनपुरी में इस प्रकार की घटना घटित हुई। स० पा० के लोगों ने एक ठाकुर की हत्या करवा दी। 25 साल के एक नौजवान लड़के का यह दोष था कि उसने पैसा देने से मना कर दिया तो उसे गोली मार दी गई। इसलिए, जब तक स० पा० के लोग हैं, वे नहीं चाहते कि एक दलित महिला प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे ...*(व्यवधान)* अब इस कारण से ये लोग गलतबयानी कर रहे हैं ... *(व्यवधान)* सभापति महोदया, यह राज्य का विषय था और वहां पर उठना चाहिए था, इसे यहां उठाने की आवश्यकता नहीं थी। इन लोगों ने जो गलतबयानी की है, उसकी निन्दा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं संतोष कुमार गंगवार।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदया, मैं अपने क्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण समस्या ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जैना साहब, क्या आप जवाब देना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : मुझे केवल इतना कहने दीजिए कि मैं यह मामला गृह मंत्री के ध्यान में लाऊंगा जिससे वे तुरंत उचित कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति महोदया, मैंने सुरक्षा की बात की है।

सभापति महोदय : ठीक है, मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक समस्या सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में कैंट का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है जहां पर काफी संख्या में सिविल लोग भी रहते हैं। कई गांव भी कैंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं लेकिन अफसोस की बात है कि कैंट के प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना या पूर्व जानकारी के रास्तों को बंद कर देते हैं। मेरे सहयोगी जो मेरे सामने खड़े हैं, स० पा० से हैं, इससे जुड़े हुए हैं और मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। अभी जल्दी ही एक ऐसा रास्ता बंद कर दिया जो भरतौल गांव के पास है। वहां की आबादी 5000 है, कई सौ एकड़ जमीन पर खेती करते है जिसपर रबी की फसल नहीं कर पाए और उनको आज यह समस्या आ रही है। यह काम वहां के कमांडिंग आफिसर मैडिकल फील्ड यूनिट एम्बुलेंस बटालियन के रवैए के कारण हुआ है। मैंने इस संदर्भ में लिखा भी है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आवश्यक हो तो रास्ता बंद करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं लेकिन उस क्षेत्र के रहने वाले नगरीय लोगों का आना-जाना पड़ता है, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। इसके लिए कैंट के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि ग्रामवासियों के हित में जो सही कदम उठाया जा सकता हो, आवागमन का मार्ग खोलने का काम करें।

[अनुवाद]

डॉ० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) सभापति महोदया, मैं महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा मुख्य अभियंता के भुवनेश्वर स्थित कार्यालय को इलाहाबाद स्थानांतरित करने के अभूतपूर्व तथा लापरवाही भरे कदम के संबंध में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह कदम न केवल पूरा अवैध है बल्कि इसमें स्वार्थ विहित है।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जल संसाधन मंत्रालय के अधीन एक स्वाचल संस्था है और इसकी स्थापना 1982 में तात्कालिक प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई थी। विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किए जाने के बाद, व्यवहार्यता रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुख्य अभियंता का कार्यालय भुवनेश्वर में ही स्थित रहे तथा इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ राजनैतिक कारणों तथा अन्य वजह से महानिदेशक ने इसे इलाहाबाद स्थानांतरित करने का निदेश दे दिया है।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री तथा श्री जनेश्वर मिश्र को यह बताते हुए एक पत्र लिखा कि राज्य सरकार इस समाचार से काफी चिंतित है।

इस समय मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, भुवनेश्वर मानसा-संकोशनिस्ता-गंगा तथा गंगा-सुवर्ण रेखा-महानदी-गोदावरी लिंक नहरों का सर्वेक्षण तथा जांच कार्य कर रहा है। उपर्युक्त कार्यों के पूरा होने में काफी समय लगेगा तथा इन कार्यों की संतोषजनक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, भुवनेश्वर में ही बना रहे। इसके अलावा इससे लोगों में रोष पैदा हो सकता है अगर कई वर्षों से भुवनेश्वर में कार्य कर रहे कार्यालय को बिना ठोस कारणों के अन्य जगह ले जाया जाए।

इसी बीच, भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक ने भी श्री जनेश्वर मिश्र को एक पत्र लिखा था। मैं उनके पत्र का उद्धरण देता हूं : इसमें कहा गया है :

"मैं मुख्य अभियंता (उत्तर) नेशनल वाटर डेलवमेंट एजेंसी का भुवनेश्वर से स्थानांतरण के बारे में 12 मार्च, 1997 के नोटिस की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं।

यद्यपि आपने मुझे 17.2.97 को दूरभाष से व्यक्तिगत रूप से यह आश्वासन दिया था कि स्थानांतरण का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है मैं आपका आभारी होऊंगा अगर आप इस संबंध में कोई कार्रवाई करते जैसा कि आपने दूरभाष से फिर 17.3.97 को आश्वासन दिया गया था।"

इस संबंध में माननीय जल संसाधन मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र को माननीय संसद सदस्यों, राज्य विधायकों, मुख्यमंत्री तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वर्गीय नेता श्री बीजू पटनायक से कम-से-कम 25 पत्र मिले थे। परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने अभी तक वर्तमान मंत्री श्री श्रीकांत जेना के पत्र का उत्तर भी नहीं दिया है।

महोदया, उड़ीसा में हमेशा सूखा, बाढ़ और चक्रवात इत्यादि का प्रकोप रहता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : भोई साहब, यदि एक व्यक्ति पांच-दस मिनट बोलेगा तो बाकी सदस्यों को मौका नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

डॉ॰ कृपासिन्धु भोई : महोदया, मुख्य अभियंता (उत्तर), नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, भुवनेश्वर का पद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्वीकृत किया गया था। अगर मुख्य अभियंता के कार्यालय के मुख्यालय को स्थानांनतरित किया जाता है तो वहां विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे लगभग 150 मजदूर प्रभावित होंगे। उसके अतिरिक्त न केवल उड़ीसा बल्कि पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के जलग्रहण क्षेत्र का ध्यान भी नहीं रखा जा सकेगा।

सभापति महोदय : डॉ॰ भोई कृपया पांच सेकेंड में अपनी बात समाप्त करें। अन्यथा कुछ भी कार्रवाई वृतांत में नहीं जाएगा।

डॉ॰ कृपासिन्धु भोई : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।

इसलिए, मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार तथा मंत्री जी तुरंत इस सदन में स्पष्ट आश्वासन दें कि मुख्य अभियंता के कार्यालय के भुवनेश्वर से इलाहाबाद स्थानांतरित करने के आदेश को रद्द कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों से करबद्ध अनुरोध कर रही हूं कि दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ताकि सबको मौका मिले। यदि एक आदमी दस मिनट बोलेगा तो किसी को मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : मैं पांच मिनट बोलूंगा।

सभापति महोदय: दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। उसके बाद रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुशवाहा जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री सुख लाल कुशवाहा : हम दूसरों की बात में दखल नहीं देते हैं, फिर ऐसे में हम कैसे बोल सकते हैं ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ॰ कृपासिन्धु भोई : महोदया, मैं सरकार से एक आश्वासन चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और वे इसका उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय: जी नहीं, उन्हें प्रत्येक मामले पर प्रक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे उत्तर देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री श्रीकांत जेना : सभापति महोदया, मैं इस मामले से जल संसाधन मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र को जरूर अवगत करवाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सुख लाल कुशवाहा : महोदया, 3 तारीख को सदन के बाद मैं अपने क्षेत्र सतना के आदिवासी अंचलों में गया था। वहां कानून और व्यवस्था गड़बड़ा गई है। परसमनिया पठार 90,000 आदिवासियों की बैल्ट है।

वहां पर शासन, सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर प्रशासन के माध्यम से यह जंगल राज चलाया जा रहा है। मैं उस तरफ केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। क्योंकि वहां जंगल में जो भूखे-नंगे आदिवासी हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको बंद कर दिया जाता है और जब वे बंद होते हैं तो उनके बच्चे भूखे मरते हैं। वे प्रशासन और नेताओं के पास चिल्लाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनता है। वहां के जंगल की जो वनोपज है उस पर आदिवासियों का अधिकार है। वही उनका और उनके बच्चों की जीविकोपार्जन का साधन है। जंगल में महुआ, चार आदि दबंग किस्म के आदमियों को ठेका दे दिया जाता है। जबकि इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और गैरकानूनी तरीके से उनको ठेका देकर उनसे उत्पीड़न और शोषण कराया जाता है। जब आदिवासी उसका विरोध करते हैं तो प्रशासनिक अमले और ताकत का दुरुपयोग करके वहां पर पुलिस जाती है, रेड करती है, उनको बंद करती है और उनको मारती है। उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। उनकी श्मशान घाट की भूमि और कृषि योग्य भूमि पर उन्होंने कब्जा किया है और उनको नेक्सेलाइट कहा जाता है। आज उस इलाके में मैं सात दिन दौरा करके आया हूं। उनके पास पानी नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है और उनको नेक्सेलाइट कहकर परेशान किया जाता है। तो जो व्यवस्था, शासन तंत्र है वह गड़बड़ाया हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना

[श्री सुख लाल कुशवाह]

चाहूंगा कि जो उन पर उत्पीड़न हो रहा है उस पर एक जांचदल बैठाया जाए। पुलिस के उत्पीड़न के कारण वहां से आदिवासियों का पलायन हो रहा है और वहां पर जो दबंग और आतंकवादी सामंत हैं जो उस इलाके में जंगल राज कायम किए हुए हैं, वहां की जो वनोपज है जो आदिवासियों के जीविकोपार्जन का साधन है, वे उनसे छीन रहें हैं, वहां पर जो खदान है उस पर भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इन सब कारणों से वहां पर आदिवासियों का जीवन भयावह हो गया है।

सभापति महोदय : इस तरह नहीं चलेगा, अब आप बैठिए।

श्री सुख लाल कुशवाहा : इसलिए मैं माननीय सदन से चाहूंगा कि इसके लिए एक जांचदल बैठाया जाए और जो आदिवासियों पर झूठे मुकदमे हैं, वे वापस लिए जाएं और फर्जी मुकदमों में उनको जो फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा डी॰ एम॰ और एस॰ पी॰ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी मिलीभगत से यह सब काम होता है, उनका वहां से ट्रांसफर कराया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं एक-एक करके सबको मौका दूंगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पुरुष पहले महिला को उसका हिस्सा तो दे तभी तो आरक्षण मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : डॉक्टर साहब मैं आप तक भी आऊंगी।

श्री मेजर सिंह उबोक (तरनतारन) : मैडम चेयरपरसन, मैं रेल मंत्री जी का ध्यान एक भयानक रेल हादसे की ओर दिलाने तथा उनसे इस पर एक वक्तव्य देने की प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तरी रेलवे में अमृतसर-जालंधर-दिल्ली मुख्य लाइन पर 22 मार्च, 1997 को दोपहर के सवा बारह बजे के करीब एक रेल दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना रेलवे स्टेशन के करीब बाबा बकाला रेलवे फाटक पर घटी। रेलवे फाटक बिलकुल खुला था। किसी को रेल के आने का पता नहीं था। ट्रैक्टर और ट्राली पर बहुत से लोग सवार होकर आनन्दपुर साहब होला मौहल्ला के लिए जा रहे थे। ज्यों ही ट्रैक्टर ट्राली बाबा बकाला की ओर से रेलवे फाटक पर पहुंची, अचानक अमृतसर की ओर से आ रही रेल ने ट्रैक्टर समेत पांच नौजवानों—श्री अजीत सिंह, श्री कंवलप्रीत सिंह, श्री जोगिन्दर सिंह, श्री रंजीत सिंह और बलकार सिंह को मौके पर ही कुचल दिया। छटा नौजवान श्री स्वर्ण सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। ट्राली का हुक टूट जाने से ट्राली पर सवार 40-50 व्यक्ति किस्मत से बच गए। लेकिन जो पांच व्यक्ति मारे गए और जो ट्रैक्टर नुकसान हुआ, उसके लिए रेल के महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री मेजर सिंह उबोक : जिन रेलवे अधिकारियों की गलती की वजह से यह दुर्घटना हुई उनको कोई सजा नहीं दी गई इस दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं तथा जो ट्रैक्टर नष्ट हुआ है, किसी को न तो आज तक कोई मुआवजा मिला और न कोई राहत-राशि दी गई। मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में रेलवे कर्मचारियों की गलती से जितने हादसे होते हैं, उनमें हताहतों के आश्रितों को राहत प्रदान करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है। मेरा निवेदन है कि ऐसे हादसों के शिकार लोगों को ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि रेलवे के बारे में आम लोगों की पहले जो अच्छी राय थी, अब वह बुरी राय में बदलती जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस दुर्घटना पर सदन में बयान आना चाहिए और जो लोग मारे गए हैं, उन्हें शीघ्र ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए तथा जो ट्रैक्टर नष्ट हुआ है, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए । इसके साथ-साथ रेलवे का जो कर्मचारी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति जी, अभी सदन में जो विषय उठाया गया है, वह बहुत गम्भीर है। आप सरकार को निर्देश दें कि रेल मंत्री इस घटना पर सदन में वक्तव्य दें। सरकार की तरफ से कुछ तो कहा जाए।

सभापति महोदय : जीरो ऑवर में मंत्री अगर चाहें तो जवाब दे सकते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : इतना गम्भीर विषय है, सरकार की तरफ से यहां कुछ तो कहा जाना चाहिए वरना यहां ईस्यू को रेज करने का क्या लाभ है जब कोई सुनने वाला ही नहीं है।

सभापति महोदय : आप बैठिए।

***श्री तिरूची शिवा (पुडुक्कोट्टई)** : सभापति महोदया, बड़े दुख के साथ मुझे इस सदन के समक्ष, सरकार से उचित कार्यवाई की आशा करते हुए, तमिलनाडु के समुद्र तटीय लोगों के दुखों की लंबी कहानी, जिसमें वे जी रहे हैं, का उल्लेख करना है।

इस महीने की 11 तारीख को तीन मछुआरे चंद्रन, तिरूग्नानम और कुटियंडी, जो मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के पुडुकोट्टई के तटीय गांव से निकले थे, को उच्चे समुद्र में सिंघली सशस्त्र सेनाओं ने मार दिया। इन तीन मछुआरों को श्री लंका की नौसेना के लोगों ने बिना किसी कारण के मार दिया था। इसी प्रकार कुछ अन्य मछुआरे भी जो, मछली पकड़ने के लिए इस महीने की 2 तारीख को निकले थे, अब तक घर वापस नहीं आए हैं। यह नहीं पता चला है कि उनका क्या हुआ। वे अब भी गुम हैं। चूंकि इसमें अन्य देश भी शामिल है इसलिए तमिलनाडु सरकार इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। वे केन्द्रीय सरकार से और उनके माध्यम से श्रीलंका उच्चायुक्त से औपचारिक रूप

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

से संपर्क करते रहे हैं। यह काफी महत्त्वपूर्ण है कि यह कोई एकमात्र घटना या आकस्मिक घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं काफी लम्बे समय से होती आ रही हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र के लोग इस समस्या को काफी दिनों से झेलते आ रहे हैं। कई मछुआरे मछलियां पकड़ते हुए मारे जा रहे हैं। कई मछुआरे खो गए हैं। उनमें से कई घर वापस नहीं आए। यद्यपि समुद्री जल की सीमाओं में आसानी से पहचान नहीं की जा सकती फिर भी सिंघली सशस्त्र सेनाएं हमारे मछुआरों को इस बात पर मार रही हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जलसीमा का उल्लंघन किया है। जहां मछुआरों का समुदाय काफी परेशान है। वहां के लोग काफी हताश हैं। मैं इस सदन के उनकी दुर्दशा से अवगत कराना चाहता हूं। इस हिंसा का अब अंत होना चाहिए।

महोदया, कृपया इस समस्या की छिपी भावनाओं को समझिए जिन्हें मैं बताना चाहता हूं। प्रतिदिन, उन मछुआरों, जो मछली पकड़ने जाते हैं, की स्त्रियां और बच्चे तट पर उनका इन्तजार करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वे जिन्दा वापस आएंगे या उनके मृत शरीर वापस आएंगे।

अब यह रोजमर्रा की बात हो गई है। हमारे मछुआरों का इस तरह से मारा जाना बिना रोक-टोक चल रहा है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस प्रकार की हत्याओं को समाप्त करे। हमें एक स्थाई समाधान ढूंढना चाहिए । केन्द्रीय सरकार को हमारे आंसू पोंछने, दुख, दर्द, निराशा दूर करने के लिए तुरंत कार्यवाई करनी चाहिए। अब तक जो कुछ हुआ है उसके लिए कोई कार्यवाई नहीं हुई है। भारत सरकार को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए और इसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से संकोच नहीं होना चाहिए। सरकार लापरवाह नहीं हो सकती और ऐसी हत्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती । तमिलनाडु सरकार तथा वहां के लोगों की तरफ से, अपना कर्त्तव्य समझते हुए, मैं यह बात इस माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दुखी लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जाए तथा खोए हुए मछुआरों का पता लगाया जाए। सरकार को इस संबंध में तुरंत कार्यवाई करनी चाहिए क्योंकि मैं इस मामले पर तमिलनाडु के लोगों की ओर से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

यह तमिलनाडु के लोगों की तरफ से सरकार को चेतावनी भी है कि वह इस संदर्भ में यथाशीघ्र तथा उचित कार्यवाई करे।

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्रन जी, अगर आप इस विषय पर अपने आपको इससे संबद्ध करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री पी. वी. राजेन्द्रन (मइलादुतुराई) : धन्यवाद महोदया; आपने मुझे इस विषय के साथ जोड़ने की अनुमति दी है। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं।

यह एक सीरियल की कहानी की तरह है। हमारे मछुआरे लगातार मारे जा रहे हैं। आप तमिलनाडु के समुद्र तट पर कम से कम सैकड़ों विधवाओं तथा सैकड़ों अपंग मछुआरों को देख सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री शिवा ने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है। आप केवल अपने आप को उनके साथ जोड़ सकते हैं।

श्री पी. वी. राजेन्द्रन : इससे पहले जब श्री वाजपेई जी विदेश मंत्री थे तो उनका एक सुझाव था जो उन्होंने प्रेस को भी बताया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था कि हम अपने मछुआरों को श्री लंका के जल में जाकर मछली पकड़ने की अनुमति दे सकते हैं तथा हम उन्हें हमारे देश के जलक्षेत्र में जाने की भी अनुमति दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। समुद्री जल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई विभाजन नहीं है। जब भी श्री लंका के नौ-सैनिक हमारे मछुआरों को देखते हैं वे उन्हें मार देते हैं। हम पाकिस्तानी मछुआरों को नहीं मारते। वे हमारे गुजराती मछुआरों को नहीं मारते। यहां तक कि बंगलादेशी नौ-सैनिक भी हमारे बंगाली मछुआरों को नहीं मारते। हमारे कई मछुआरे श्री लंका के नौ-सैनिकों द्वारा मारे गए हैं।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को इस बात से अवगत कराएं जिससे वह इस समस्या के समाधान के लिए उचित कार्यवाई कर सके।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी. वी. राजेन्द्रन : हमारी अपनी कुछ भावनाएं हैं जिन्हें हम व्यक्त करना चाहते हैं।

सभापति महोदय: प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं हैं। कृपया सहयोग करें। आपकी अपनी भावनाएं हैं। अन्य माननीय सदस्यों को अपनी भावनाएं हैं।

श्री पी. वी. राजेन्द्रन : दक्षेश देशों के प्रमुख माले में मिल रहे हैं। परन्तु इन देशों में दक्षेश की भावना नहीं है।

श्री तिरूची शिवा : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं को पूरे तमिलनाडु के लोगों की भावना समझा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति जी, उत्तरांचल में पिछले काफी समय से भारतीय खाद्य निगम द्वारा बफर स्टाक बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी केवल हिल स्टेट के लिए है लेकिन उत्तरांचल को अभी तक हिल स्टेट घोषित नहीं किया गया है। उसमें तमाम व्यवधान चल रहे हैं। वहां ट्रांसपोर्ट सबसिडी न होने से रेल हैड बफर स्टॉक तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा रहा है। इस कारण वहां इस समय सारे गोदाम खाली पड़े है। वहां का जन-जीवन गोदामों के खाद्यान्न भंडार और सरकार के सस्ते गल्ले पर आश्रित है। यहां पर यह विषय लिया गया है। परन्तु आप स्टेट के मामले में विलंब कर रहे हैं। मेरा अपना प्राइवेट मैम्बर बिल है लेकिन कल मुझे इंटीमेशन मिली कि अगले सैशन में बिल पेश करने हेतु आर्टिकल तीन के अन्तर्गत सारी सहमति ली जा चुकी है। आज केन्द्र सरकार इस मामले में उसको गुमराह कर रही है। माननीय अटल जी के द्वारा भी यह विषय आज उठाया गया था। आज तक यह कहा जाता रहा है कि वहां राष्ट्रपति शासन है और आज यह कहा गया कि इसमें कांसेनसस लिया जाएगा। यह सारे स्टेज क्रॉस करने के बाद कैबिनेट का डिसीजन हो चुका है। जब तक आप राज्य की घोषणा नहीं करते या विधेयक लेकर नहीं आते, पूरे देश के अंदर हिली स्टेट्स में खाद्यान्न को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिल रही है,

[श्री बची सिंह रावत (बचदा)]

वही सब्सिडी वहां उत्तरांचल में देने के निर्देश दिए जाएं और वहां खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : भूख हड़ताल चल रही है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (बक्सर) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जो राशि सुनिश्चित रोजगार योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत दी जाती है, उसके बारे में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बिहार से आता हूं और बिहार में इस राशि का भयंकर रूप से दुरुपयोग हो रहा है। मेरे क्षेत्र के जिलाधिकारी सांसद की राय नहीं लेते हैं। बिचौलियों के माध्यम से उस राशि का आबंटन किया जा रहा है। सांसद की राय जानने की इच्छा भी जिलाधिकारी नहीं रखते। वहां सारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। राशि की बंदरबाट की जा रही है।

मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वहां ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इंदिरा आवास तथा सुनिश्चित रोजगार योजना में संबंधित सांसद से अनुशंसा ली जाये।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : यह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : सभापति जी, वहां सांसद की राय ली जानी चाहिए।... *(व्यवधान)* वहां के ब्यूरोक्रेट्स बहुत मनमानी करते हैं। ..*(व्यवधान)* इंदिरा आवास योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना आदि जितनी योजनाएं हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार से जितना पैसा जाता है उसमें जन-प्रतिनिधियों की राय ली जाये। उनके अनुसार ही वह पैसा खर्च किया जाए।... *(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आप लोगों की भावनाएं माननीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचा दूंगी।

[अनुवाद]

डॉ. एम. जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : सभापति महोदया, मैं 77वें संविधान संशोधन के संबंध में शून्य काल में निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

यद्यपि 77वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित हुए लगभग दो वर्ष पूरे होने वाले हैं फिर भी इसके कार्यान्वयन के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 16 में, खंड IV के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े गए हैं :

"खंड 4 (क) : इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के पक्ष में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पदों के किसी वर्ग या वर्गों की पदोन्नतियों के मामले में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

यह बहुत ही हैरानी की बात है कि भारत सरकार ने संविधान (सत्तहतरवां) संशोधन के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यालय ज्ञापन भी जारी नहीं किया है जिसका कारण उन्हें ही पता है। अनुच्छेद 16 (4)(क) में संविधान संशोधन की भाषा से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सभी वर्गों के लिए पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है परन्तु पदोन्नतियों में आरक्षण कुछ स्तरों तक प्रदान करने में प्रतिबंध लगा दिये गए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में सरकार एक वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय सभापति महोदया, मैं एक अत्यन्त राष्ट्रीय महत्त्व का प्रस्ताव आपकी अनुमति से उठाना चाहता हूं। भारत में राजस्थान बैंक में 2 अरब रुपये का स्कैम घोटाला हुआ है जिसमें कलकत्ता की चौरंगी ब्रांच से वहां के बैंक के मालिक बांगत परिवार के लोगों ने विभिन्न प्रकार के गलत ऐकाअंट्स बनाकर और गलत कम्पनियां खोलकर सारी रकम डाईवर्ट कर ली है। जैसे मद्रास में इंडियन बैंक का घोटाला हुआ था, उसी प्रकार से यह बड़ा घोटाला है। मैं चाहता हूं कि फाईनैंस मिनिस्टर इसके बारे में पूरी जांच करके सी॰बी॰आई॰ को केस सौंपें ताकि जो गरीब इनवैस्टर्स हैं, जो अपने सारे जीवन का पैसा वहां रखते हैं, वे बर्बाद न हों, डूबें नहीं। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में फाइनैंस मिनिस्टर सी॰बी॰आई॰ के माध्यम से कार्यवाही करवाएं और बैंक ऑफ राजस्थान को टेक ओवर करें। रिज़र्व बैंक अब तक सो रहा है और उसने कोई कार्यवाही नहीं की है। वह अपनी कर्त्तव्यहीनता के द्वारा जनता का पैसा लुटा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि इसकी सी॰बी॰आई॰ द्वारा जांच की जाए, दोषी लोगों को सज़ा दी जाए और रिज़र्व बैंक इसे टेक ओवर करे।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : माननीय सभापति महोदया, यूनियन टैरीटरी, चंडीगढ़ में प्राईवेट संस्थाओं में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सेवाओं के बारे में पंजाब का एक्ट लागू होता है। अब तक 1969 का ऐक्ट लागू था जिसके अनुसार प्राईवेट स्कूल के कर्मचारियों को पैंशन नहीं मिलती थी। पंजाब ने वह ऐक्ट समाप्त कर दिया है, उसे रिपील कर दिया है। लेकिन यूनियन टैरीटरी, चंडीगढ़ में अभी भी पंजाब का जो एक्ट रिपील हो चुका है, उसी एक्ट को लागू किया जा रहा है जबकि पंजाब ने 1979 में एक नया एक्ट बनाया और आज पंजाब में जो प्राइवेट संस्थाओं के कर्मचारी हैं, उनको पैंशन दी जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी मांग करना चाहता हूं कि जब पंजाब में वह पुराना एक्ट समाप्त हो गया, नया एक्ट आ गया तो चंडीगढ़ में पुराने एक्ट को जारी रखने का कोई कारण नहीं है। चंडीगढ़ में भी नया एक्ट लागू किया जाए चाहे दिल्ली ऐजुकेशन कोड लागू हो चाहे पंजाब का नया एक्ट लागू हो और उन सारी संस्थाओं के प्राइवेट स्कूल के कर्मचारियों को पेंशन मिले। सरकार को इस संबंध में लिखा

जा चुका है, चंडीगढ़ प्रशासन ने भी लिखा है। मेरी मांग है कि सरकार एक बैठक बुलाए, इसके संबंध में जल्दी निर्णय ले और उनको पैंशन जारी की जाए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : मैं सरकार का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो केरल के लिए काफी चिन्ता का विषय है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विधायी राशन प्रणाली चल रही है। हाल ही में सरकार के एक आदेश के द्वारा, नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू होने से राशन का आबंटन 24 लाख टन से कम करके 17 लाख टन कर दिया गया है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो महीने पहले हुई खाद्य मंत्रियों की संगोष्ठी में यह आश्वासन दिया गया था कि खाद्य की कमी वाले केरल जैसे राज्य का संरक्षण किया जाएगा और सदन में यह ए.पी.एल. और बी.पी.एल. प्रस्तुत होने पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। परन्तु हमें हैरानी है कि ऐसा देखा गया है कि राशन के आबंटन में काफी कटौती की गई है। मैं सरकार से अपना वचन पूरा करने तथा गेहूं और चावल के राशन के आबंटन को बढ़ाने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (श्री गंगानगर) : भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या जो किसान है, गांवों में निवास करती है। राजस्थान भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों की उपज और कृषि उत्पादन गेहूं का मूल्य सरकार ने 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से घोषित किया है। किसानों का बिजाई से लेकर कटाई तक का खर्चा 5000 रुपये के करीब होता है। 450 रुपये के हिसाब से तो कीटनाशक दवाइयों का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। इससे किसान दुखी हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कृषि उत्पादन गेहूं का मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रखा जाये या किसानों की लागत का 15 प्रतिशत मुनाफा देकर मूल्य तय करे ताकि किसान खुशहाल हो सकें।...*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति जी, मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है। मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। कल मेरा नम्बर आया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये, मैं बुलाऊंगी।

श्री राम नगीना मिश्र: आज भी नम्बर है, मेरी क्यों उपेक्षा हो रही है ? क्यों मैं यहां बैठा हूं ?... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभी का नम्बर एक साथ नहीं आ सकता है।

श्री राम नगीना मिश्र : इसलिए मैं आपके व्यवहार से असंतुष्ट होकर सदन से वाक आउट कर रहा हूं। मेरा आठवां नम्बर होते हुए भी आपने किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बुलवा रही हूं, आप बैठिये तो सही। मैं सब को एक साथ कैसे बुला सकती हूं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोलिये। आप चुपचाप बैठिये, सदन मैं चला रही हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप गुस्सा कर रही हैं, हमने क्या किया है ? हम क्यों बैठेंगे ? आप क्या बात बोल रही हैं?

श्रीमती सुभावती देवी (बांसगांव) : सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश में एक बस्ती जिला है, वहां आमी नदी बहती है। उसमें हमारा बांसगांव क्षेत्र पड़ता है। आमी नदी में कई जगह कटान है, उसमें प्रदूषण भी काफी हो रहा है । वहां पेपर मिल भी है, गन्ना मिल और जूट मिल भी है, इनका सारा गंदा पानी उसमें बहता है, उससे पूरा पानी गंदा और जहरीला हो गया है। हजारों जानवर उसका पानी पीकर मारे गये हैं और सैकड़ों जानवर उससे बीमार हैं।

सभापति महोदय : अन्त में सरकार से मांग कर दीजिए, आप क्या चाहती हैं ?

श्रीमती सुभावती देवी : हम सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि प्रदूषण जल्दी से रोका जाये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राम नगीना जी, बोलिये।

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति जी, हमें अफसोस है कि जब सदन में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हर किसी का नम्बर एक साथ नहीं आ सकता। राम नगीना जी, एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं एक मिनट में नहीं बोल पाऊंगा।

सभापति महोदय : तो फिर छोड़ दीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : हां, तो मैं छोड़ रहा हूं।

सभापति महोदय : एक मिनट में समाप्त करना है। रासा सिंह जी, एक मिनट में बोलिये।

श्री राम नगीना मिश्र : मेरा कल नम्बर आया था, कल भी उसमें अड़चन हो गई। एक मिनट में कैसे बोल पाएंगे? ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय : रासा सिंह जी, आप बोलिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नो पाइंट ऑफ आर्डर।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर सभापति महोदया, पिछले कुछ समय से तमिलनाडु के अन्दर कई दक्षिणी जिलों में जातीय संघर्ष, जातीय विद्वेष की आग फैली हुई है और वहां 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तमिलनाडु में दक्षिणी जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है और वहां पर जातीय दंगों के कारण दो जातियों में आपस में लूटमार, झगड़े और जानलेवा हमले हो रहे हैं। वे केवल

[प्रो. रासा सिंह रावत]

जिलों के नामकरण के कारण और यातायात निगम के नामकरण के कारण हो रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि समाज के कमजोर वर्ग, जो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए समुचित कदम उठाये जाएं और वहां पर दलितों को जो मारे गये हैं, उनके परिवारजनों को राहत प्रदान की जाये। धन्यवाद।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : मेरा पॉइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है, मैंनें बार-बार अपना नाम दिया है और मेरा नोटिस में नाम भी आ गया, लेकिन दूसरे लोगों को बुलाया जा रहा है। मेरा पहले पेज पर ही नाम है। मैं लाटरी की समस्या उठाना चाहता हूं। पूरे देश में लाटरी का धन्धा रोज हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अगर मुझे ठीक याद है तो मेरी सूचना यह है कि मान्यवर अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की सहमति से यह स्पष्ट निर्देश और मान्यता है कि प्रत्येक सप्ताह में एक माननीय सांसद केवल एक ही बार शून्य काल में अवसर पा सकेंगे। अगर रिकार्ड देखा जाये तो इसी सदन में एक से अधिक बार लोगों को बोलने का मौका दिया गया है। यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदया, माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि ऐसी लिस्ट तैयार की जाये, जिससे पता लग सके कि कौन-कौन मैम्बर इस हफ्ते में बोल चुके हैं। मैं आपकी भावना वहां तक पहुंचा दूंगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अब सभा अपराह्न 2.55 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.55 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.04 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 3.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री चित्त बसु *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(हिन्दी)

(एक) दिल्ली और हरिद्वार के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने तथा उसका विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री सोहनवीर (मुजफ्फरनगर) : महोदय, राजधानी दिल्ली से धर्मनगरी हरिद्वार की दूरी लगभग 215 किलोमीटर है। यह सड़क बहुत कम चौड़ी है। यह स्टेट हाई-वे है। इसके ऊपर लगभग पचास लाख कावड़िये प्रति वर्ष चलते हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर भिन्न-भिन्न धार्मिक स्थानों पर चढ़ाते हैं। इसको नेशनल हाई-वे में बदल कर चार लेन की हीट मिक्स पद्धति से बनाया जाए। अन्य धर्मों के यात्रियों को यात्रा पर जाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है और उन पर बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च किया जाता है। उसी प्रकार से हिन्दू जनमानस की धार्मिक भावनाओं का भी आदर सरकार को करना चाहिए। साथ ही साथ गंगा नहर की पटरी पर हरिद्वार से मुरादनगर तक हीट मिक्स पद्धति से सड़क बनाई जाए ताकि कावड़ के समय ट्रैफिक नगर की पटरी से पास हो सके और ताकि कावड़ियों की एक्सीडेंट से होने वाली जान माल की हानि को रोका जा सके। वर्ष 1998 में कुंभ का मेला भी हरिद्वार में लगने जा रहा है और इस अवसर पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली से हरिद्वार जो स्टेट हाई-वे है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग में बदल कर चार लेन का हीट-मिक्स पद्धति से बनाया जाए ताकि ट्रैफिक जाम एवं प्रतिदिन की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

(दो) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की भूमि, जिसे राजस्व भू-अभिलेखों में "झुड़पी जंगल" के रूप में दर्ज किया गया है, को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर, वर्धा, गढ़चिरोली, भंडारा और चन्द्रपुर जिलों में कुछ क्षेत्र को राजस्व अभिलेखों में "झुड़पी जंगल" के रूप में दर्ज किया गया है। झुड़पी का अभिप्राय छोटी-छोटी झाड़ियां, अकृष्य अथवा बंजर भूमि है, जिसका उपयोग किसी भी कृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। जहां छोटी-छोटी झाड़ियां होती हैं, उसे मराठी में बोलचाल की भाषा में "झुड़पी जंगल" कहते हैं। झुड़पी भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों को लागू किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र राज्य और केन्द्र सरकार का अलग-अलग मत था। राज्य सरकार इस झुड़पी भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम की परिधि से बाहर रखे जाने का समय-समय पर प्रयास करती रही है, क्योंकि इस भूमि के किसी भी तरह से वन नहीं कहा जा सकता।

26 अगस्त, 1996 को नई दिल्ली में हुए वन मंत्रियों के सम्मेलन में महाराष्ट्र के राज्य मंत्री (वन) ने यह बात दोहराई कि इस झुड़पी भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम की परिधि के बाहर रखा जाना चाहिए

और अंतिम निर्णय होने तक गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही तथा वनरोपण के लिए उपयुक्त भूमि को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए परिवर्तित वन भूमि के बदले दोगुनी झुड़पी भूमि क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनरोपण की वर्तमान शर्त में ढील देकर उससे बराबर झुड़पी भूमि क्षेत्र किया जाए।

चूंकि भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध इस भूमि पर लागू किए हैं, इसलिए उनके उपयोग पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। परिणामस्वरूप सड़क, खान, छोटे बांध, छोटे जलाशय जैसी कई परियोजनाओं और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर, 1996 को नई दिल्ली में हुई अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैठक में यह मुद्दा उठाया था।

अत: मेरी मांग है कि भारत सरकार झुड़पी जंगल के अन्तर्गत आने वाली भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों से अविलम्ब छूट दे।

(तीन) उड़ीसा में रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा में कुछ रेलवे परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक विलम्ब होता रहा है। इनमें से प्रमुख तलचर-सम्भलपुर और देतारी-बांसपानी रेल लाइन हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य दो दशक पूर्व आरम्भ हुआ था परन्तु अभी तक इसमें कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। विशेषकर, देतारी-बांसपानी रेल-लाइन पर जिस गति से कार्य चल रहा है उससे यह लाइन इस शताब्दी के अंत तक भी पूरी नहीं होगी।

इसी प्रकार, तलचर-संभलपुर बड़ी रेल लाइन इस समय निर्माणाधीन है। परन्तु इस लाइन के लिए किया गया निधि का आबंटन काफी अपर्याप्त है। यह लाइन 1984-85 से निर्माणाधीन है। इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब का कारण रेलवे संसाधनों की कमी बताया गया है। अनुमानित 352 करोड़ रुपये में से अब तक 188 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। 10 वर्षों में अनुमानित लागत का आधे से कुछ अधिक खर्च किया गया है। इस गति से इस परियोजना का निकट भविष्य में पूरा होना संभव नहीं है।

उपर्युक्त को देखते हुए, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 1997-98 में इन लाइनों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं ताकि ये परियोजनाएं शीघ्र पूरी हो सकें।

(चार) पुपरी (सीतामढ़ी) बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) महोदय, बिहार के सीतामढ़ी जिले के अन्तर्गत पुपरी में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा 30 वर्षों से कार्यरत है। पुपरी में एक मात्र भारतीय स्टेट बैंक ही व्यावसायिक बैंक है। पांच वर्ष पूर्व पुपरी प्रखण्ड मुख्यालय से अनुमण्डल मुख्यालय हो गया है। इस अनुमंडल में पांच प्रखण्ड-सुरसण्ड, बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा, चोरौत हैं। सरकारी एवं व्यावसायिक कार्यों से बैंक पर और अधिक कार्यों का बोझ बढ़ गया है। उपर्युक्त शाखा में काम के अनुपात में कर्मचारियों की भारी कमी होने के कारण कार्यों का संपादन समय पर नहीं हो पाता है जिससे उपभोक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक की पुपरी शाखा में स्टांग एवं लॉकर रूम की सुविधा अभी तक उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं है जबकि स्टांग एवं लॉकर रूप का निर्माण कराने के लिए 1984 में ही प्रस्ताव पारित हो चुका है जो महाप्रबंधक के पास लंबित पड़ा है। शहर का एक मात्र व्यावसायिक बैंक होने के कारण लोगों की भीड़ अधिक रहती है। कैश लिमिटेड रहने के कारण भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता है जिसके कारण उपभोक्ताओं को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुपरी बाजार समिति के प्रांगण में एक भी राष्ट्रीकृत बैंक नहीं है जिसके कारण व्यवसायिकों को प्रतिदिन भारी कठिनाई होती है।

अत: माननीय वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि पुपरी में स्टेट बैंक को अनुमण्डलीय स्तर का दर्जा देकर बैंक की कार्यक्षमता का विस्तार करेंगे, साथ ही पुपरी बाजार समिति में एक बैंक की नयी शाखा खुलवाकर जनआंकाक्षाओं को पूरा करेंगे।

(पांच) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की भूमि पर रहने वाले झुग्गी-वासियों को नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मुम्बई में पिछले कई वर्षों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर लगभग 65,000 झुग्गियां बनी हुई हैं। चूंकि उन्हें बिजली, शौचालय, पानी, पक्के रास्ते इत्यादि जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं इसलिए इन झुग्गियों में रहने वाले लोगें का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया है। इस मामले पर कई अवसरों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी परन्तु अब तक इसका समाधान नहीं हो सका है। महाराष्ट्र सरकार मुम्बई नगर में आरम्भ की गई आवास योजना में इन्हें शामिल करने की इच्छुक हैं।

केन्द्रीय सरकार को पहल करके इस आवास योजना को महाराष्ट्र सरकार के साथ अंतिम रूप देना चाहिए अथवा झुग्गी में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जल्द से जल्द देना चाहिए।

(छ:) केन्द्रीय सिविल सेवाओं में पंजाब के शिक्षित युवकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो॰ प्रेमसिंह चंदूमाजरा (पटियाला) : महोदय, मैं केन्द्रीय सिविल

[प्रो॰ प्रेमसिंह चंदूमाजरा]

सेवाओं में पंजाब के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए आयु सीमा में छूट के बारे में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। गत अनेक वर्षों से आंतरिक और बाहरी अशांति के कारण पंजाब बर्बाद हो गया है। संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रभावित वर्गों को सहायता और छूट दी है। तद्नुसार, जम्मू-कश्मीर, तथा असम के शिक्षित युवाओं को केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं में आयु सीमा में क्रमशः नौ और छः वर्षों की छूट दी गई है। परन्तु पंजाब के संबंध में, जो कि अधिक अशांत रहा, यह छूट नहीं दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अशांति के दौरान शिक्षा संस्थाएं बंद रहीं और सशस्त्र सैनिकों को भी शिक्षा संस्थाओं में रखा गया था। 1982 से 1992 तक छात्र काफी प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं के मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की घोषणा की थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने ऐसी किसी छूट की घोषणा नहीं की है। इस संबंध में राज्य सरकार और शिक्षित युवाओं द्वारा केन्द्रीय सरकार को कई प्रतिवेदन भेजे गए हैं।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा अन्य सभी परीक्षाओं में पंजाब के शिक्षित युवाओं को 'पांच वर्ष की छूट' देने का आदेश जारी करे।

(सात) देश में इन्डोसल्फान तथा अन्य विषैले पदार्थों के निर्माण तथा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

डॉ॰ कृपासिन्धु भोई (सम्भलपुर) : महोदय, यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है कि देश में बड़ी संख्या में लोग विषैली कीटनाशी दवाओं के विभिन्न प्रभावों से मर जाते हैं तथा परेशानी उठाते हैं। कीटनाशी दवाओं के प्रभाव से लोगों की परेशानी के कारणों का पता लगाना कठिन नहीं है। इन्डोसल्फान जो एक विषैली कीटनाशी दवाई है तथा जिस पर अनेक देशों में पाबन्दी लगा रखी है या कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है, भारत में खुले आम मिल रही है। दुर्भाग्यवश, इसका नाम भी 48 ब्रांड नामों के तहत आता है। कृषि मजदूर, अधिकांशतः ऐसे बागान मजदूर जो चाय बागानों में काम करते हैं वे इन कीटनाशी दवाओं के मुख्य शिकार होते हैं। यह त्वचा, फेफड़े और पेट में बहुत जल्दी चली जाती है। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार व्यापक चिकित्सा प्रमाण यह बताते हैं कि इन्डोसल्फान और अन्य ओर्गानोक्लोरिन हार्मोन्स का काम करते हैं और वीर्य के किस्म में कमी, पुरुषों में नपुंसकता, प्रोस्ट्रेट के बढ़ने तथा टेस्टिकुलर कैंसर, स्तन कैंसर तथा अनुवांशिकीय परिवर्तन आदि का कारण बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह मछलियों, मधुमक्खियों तथा पक्षियों के लिए काफी विषैली है।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इंडोसल्फान तथा अन्य ऐसे विषैले पदार्थों, जो मानव, पक्षियों, प्राकृतिक वन्य जीव तथा मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, के विनिर्माण तथा उपयोग पर पाबंदी लगाए। भारत सरकार इस संबंध में शीघ्र कार्यवाई करे।

अपराह्न 3.15 बजे

उप-राष्ट्रपति पेंशन विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य पर चर्चा करेंगे। मंत्री जी को विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाने से पहले मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के प्रस्तुत तथा पारित कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सर, मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : हम विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान) कृपया उनकी बात सुनिए।

सभापति महोदय : कोई प्रस्ताव नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : कार्य-संचालन नियम 76 के अन्तर्गत मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।

सभापति महोदय : क्या है ?

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय सभापति महोदय, नियम 76 स्पष्ट कहता है कि विधेयक के भारित सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य के द्वारा यह प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। यह विधेयक सर्कुलेट हुआ है तथा इसके भारित सदस्य हैं इन्द्रजीत गुप्त और वे इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। इसलिए या तो आसन्दी नियमों को शिथिल करके और सदन की सहमति लेकर अनुमति दें अन्यथा नियम स्पष्ट कहता है कि भारित सदस्य के अतिरिक्त कोई भी इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता है। नियम 76 अपने आप में स्पष्ट है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनको अनुमति नहीं दी जाए। इन्द्रजीत गुप्त को बुलाया जाए या फिर सदन की सहमति लें और नियमों के शिथिल करके इसको प्रस्तुत करें। मैं विधेयक का विरोध नहीं करता हूं, यह बहुत अच्छा है और इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। नियम बिल्कुल स्पष्ट है, आप कहें तो मैं इसे पढ़ दूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : कैसे नहीं है साहब। इसमें लिखा है

---

* दिनांक 14.5.97 भारत के राजपत्र असाधारण भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

कि विधेयक के भारित सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। विधेयक के भारित सदस्य हैं इन्द्रजीत गुप्त। यह मेरे पास सर्कुलेट की गयी कॉपी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या इस समय माननीय मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्त को इस सभा में उपस्थित होने में कोई कठिनाई है ?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : सदन से ही पूछा जाएगा।

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : महोदय, आप सदन की सलाह लेकर उन्हें इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं।

श्री के॰ पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, माननीय मंत्री गृह राज्य मंत्री हैं। मुझे याद है कि जब मैं रक्षा विभाग में उप मंत्री था, मैंने अपने मंत्री श्री आर॰ वेंकटरमण द्वारा यहां केंटोनमेंट विधेयक प्रस्तुत किया था। उस समय कोई कठिनाई नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मकबूल डार : महोदय, यह विधेयक कुछ समय पूर्व गृह राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का परिणाम है।

सभापति महोदय : क्या श्री इंद्रजीत गुप्त ने आपसे इस विधेयक को पेश करने के लिए इस सदन में उपस्थित होने के लिए कहा था ?

श्री मोहम्मद मकबूल डार : जी, हां।

सभापति महोदय : जब माननीय गृह मंत्री जी ने उन्हें इस विधेयक को पेश करने के लिए प्राधिकृत कर ही दिया है तथा मंत्रिमंडल के वरिष्ठ होने के नाते सरकार की तरफ से यह विधेयक प्रस्तुत करने का उन्हें पूरा अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय गृह मंत्री की अनुमति सर्वोपरि नहीं है। अध्यक्ष की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और भारित सदस्य के अलावा कोई भी प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने रूलिंग दे दी है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति जी, मेरे पाइंट ऑफ आर्डर पर आप निर्णय दे दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मैं प्रस्ताव करता हूं** :

"कि सेवानिवृत होने वाले उपराष्ट्रपतियों को पेंशन और अन्य सुविधाओं का भुगतान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1953, के अंतर्गत

[हिन्दी]

सिर्फ वाइस प्रेसीडेंट इस सहूलियत से महरूम रखे गए हैं।

[अनुवाद]

उपराष्ट्रपति जो राज्य-सभा के पदेन सभापति भी होते हैं।

[हिन्दी]

वह भी बहुत ही अहम स्टेटस रखते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है।

[हिन्दी]

यह इंसानियत के तकाजों के खिलाफ है और फिर यह अपने देश की परम्परा के भी खिलाफ है। इतनी बड़ी पोस्ट पर जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्हें खास सुविधाओं से महरूम रखना इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं है। जब कि यहां पर जो हमारी पार्लियामेंट के हिस्से हैं, चाहे वे ऑनरेबल एम॰ पी॰ हैं, चाहे वह मिनिस्टर साहेबान हैं, चाहे वह वाइस प्रेसीडेंट है, उनको पेंशन की, अकोमोडेशन की, मेडिकल फैसिलिटीज की, टेलीफोन की और फिर सफर करने की सहूलियतें मिलती हैं। यह चर्चा आज ही नहीं उठाई गई है।

[अनुवाद]

परन्तु इस पर काफी पहले 1953 में चर्चा की गई थी।

[हिन्दी]

हमारे एक ऑनरेबल मैम्बर श्री पी॰ उपेन्द्र जी ने यह 1953 में उठाया है और उस वक्त भी तमाम मैम्बरान ने बिलाइम्तियाज पार्टी रियासत इसको अप्रूव किया है इन लैटर एंड स्पिरिट। लेकिन उस वक्त हुकूमत की तरफ से एक एश्योरेंश दी गई थी कि जितनी जल्दी हो सके इस बारे में बिल लाया जाएगा। लिहाजा मैं नहीं समझता हूं कि किसी मोअज्जिज मैम्बर को इस बिल पर कोई एतराज हो। क्योंकि इस पर बहुत बहस हुई है और कन्सेंसज के साथ यह जरूरत महसूस की गई है कि वाइस प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया को जो राज्य सभा के एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं, उन्हें रिटायर होने के बाद वे तमाम फैसिलिटीज होनी चाहिए जो पार्लियामैंट के मैम्बरों को है, जो प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया को हैं और उस हिसाब से यह बिल पेश किया जाता है।

[अनुवाद]

मैं आपके माध्यम से इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री मोहम्मद मकबूल डार]

हैं कि वे इसे अनुमोदित कर दें और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत है :

"सेवानिवृत्त होने वाले उप राष्ट्रपतियों को पेंशन और अन्य सुविधाओं का भुगतान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

कार्य मंत्रणा समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया जाए। तथापि, मेरे पास भाजपा के दो सदस्यों के नाम हैं।

श्री थावरचंद गेहलोत जी।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में इस प्रकार का विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति जी जब रिटायर होते हैं या भूतपूर्व बनते हैं तो उनको इस प्रकार की सुख-सुविधा देने का प्रावधान 1953 से है। किंतु योग-संयोग से उपराष्ट्रपति जी जब भूतपूर्व होते हैं तो उनको इस प्रकार की सुविधा देने के लिए कोई प्रावधान इसके पूर्व नहीं था। यह बहुत अच्छी बात है कि यह विधेयक लाया गया है। मैं इसका समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में हिंदुस्तान में उच्च पदों पर जो आसीन होते हैं, वे अनेक वर्षों के त्याग, तपस्या और बलिदानी कार्यों को करते-करते यहां तक पहुंचते हैं और अनेक वर्षों तक काम करने के बाद वे इस स्तर के पद पर पहुंचते हैं और जब वे इन पदों पर नहीं रहते हैं तो उनको समाज में अनेक प्रकार की कठिनाइयां और मानसिक रूप से तकलीफ महसूस होती है। इस वजह से भी उनकी जिन सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, वे इस विधेयक में हैं।

किन्तु मैं इस बिल के सैक्शन 2, सब-सैक्शन 2 के भाग 'सी' की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

सचिवालीय स्टाफ और कार्यालय का व्यय प्रति वर्ष छह हजार रुपये से अधिक नहीं है।"

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कर्मचारी-वृन्द और कार्यालय खर्च के लिए जो 6,000 रुपए साल या 500 रुपए प्रति माह का प्रावधान किया गया है, इतनी कम राशि से आप कर्मचारी-वृन्द और कार्यालय खर्च को कैसे चला पाएंगे, वे कृपया स्पष्ट रूप से बताएं। मेरे कहने का आशय है कि इस प्रावधान में वृद्धि की जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय को रिटायरमेंट के बाद 6,250 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिले, यह अच्छी बात है, वैसे अगर ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाली पेंशन से इसकी तुलना करें तो यह राशि बहुत कम है, फिर भी इसे यदि सहन कर लिया जाए तो भी कर्मचारी-वृन्द और कार्यालय खर्च के लिए किया गया प्रावधान बहुत ही अपर्याप्त है, इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति महोदय के लिए पेंशन और दूसरी सुविधाएं देने से संबंधित जो अधिनियम पहले से बना है, उसी के साथ इसे भी एफीलिएट कर देना चाहिए, उसी में आंकड़ों के साथ एक सब-सैक्शन जोड़ने की जरूरत थी। फिर भी जब मंत्री जी इस विधेयक को सदन में लाए हैं तो कर्मचारी-वृन्द तथा कार्यालय खर्च के प्रावधान में वृद्धि की जानी चाहिए, इस प्रावधान को बढ़ाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

इसी के साथ, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं जो इस विषय से विषयान्तर होगा कि हम सांसद् प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और बदनामी सहन कर रहे हैं क्योंकि रोज कोई एडिटोरियल आता है । या फ्रंट पेज पर समाचार आता है सांसदों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो रही है जिसके कारण हमें रोज नीचा देखना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि या तो इस सब्जेक्ट को इसी सत्र में निपटा दिया जाए अन्यथा कह दिया जाए कि हम कुछ करने वाले नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सदन में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, मैं विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक के उद्देश्यों या विधेयक की विषय वस्तु के बारे में भिन्न-भिन्न मत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। वस्तुतः भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के कार्यालय हमेशा से ही किसी विवाद से अलग रहे हैं। सौभाग्यवश, देश में इन उच्च पदों को धारण करने वाले सभी व्यक्तियों ने ऐसे विवादों से अपने आप को अलग ही रखा है।

महोदय, मैं, विधेयक के दो प्रावधानों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। विधेयक के खंड 1 में प्रावधान है कि उन्हें पेंशन के रूप में 6,250/- रुपए दिए जाएंगे। मेरे विचार से यह राशि. प्रर्याप्त नहीं है। यह एक छोटी रकम है और ऐसे व्यक्ति के लिए जो उप-राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर आसीन रहा है, यह राशि ज्यादा नहीं है। इसलिए यदि सरकार इस राशि को नियम में शामिल करती जिससे कि जब उसे इसकी आवश्यकता महसूस हो तो सरकार को इस राशि में वृद्धि करने में किसी समस्या का सामना करना न पड़े और अधिनियम में संशोधन की भी आवश्यकता न पड़े।

दूसरी बात यह है कि मैं श्री गेहलोत के इस कथन से सहमत हूं कि खंड 2 (ग) में उल्लिखित सचिवालीय सहायता हेतु प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि बहुत ही कम है। हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व मुख्य मंत्री को भी एक निजी सहायक, एक आशुलिपिक और शायद एक चालक भी मिलता है। यदि एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री को ये तीनों चीजें मिल सकती हैं तो उन्हें 500/—रुपए प्रति माह दिया जाना मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है। सरकार को उन्हें एक निजी सहायक और एक आशुलिपिक उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि उनका कार्य चल सके।

तीसरी बात यह है कि सरकार को इस मुद्दे पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए था। अब, आपने निर्देश दे दिया है। लेकिन अच्छा

होता कि गृह मंत्री यहां उपस्थित होते जिससे कि वह इन सभी मुद्दों का जवाब दे सकते।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मैं दोनों माननीय सदस्यों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पूरे जजबात के साथ महसूस किया कि इस विधेयक को पास करने की अशद जरूरत है ताकि वाइस प्रजीडेंट साहब को पेंशन मिल सके। दोनों ऑनरेबल मैम्बर्स ने यह भी कहा कि उनके सैक्रेटेरियल स्टाफ के लिए जो प्रोवीजन किया गया है, उसे बढ़ाया जाए लेकिन मैं उनकी मिस-अंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता हूं कि सैक्रेटेरियल स्टाफ के लिए जो 6,000 रुपए का प्रोवीजन किया गया है, वह केवल स्टेशनरी एक्सपैंसेज हैं, मगर जो स्टाफ की तनख्वाह है, एक स्टैनो और एक पीयन उन्हें मिलेगा, वह इसके अलावा है, इसमें जमा नहीं है।

बाकी जो आप फरमा रहे हैं कि 6500 रुपये ज्यादा नहीं है, कम है तो मैं इससे सहमत हूं लेकिन कुछ नार्म्स होते हैं और प्रैसीडैंट ऑफ इंडिया की जो तनख्वाह होती है, सेलरी होती है उसको केलकुलेट किया जाता है। उनकी जो पेंशन मुकर्रर की गयी है वह उसका 50% और हम जो वाइस प्रैसीडैंट की सेलरी केलकुलेट करते हैं यह भी 50% के बराबर है उस नार्म्स के तहत यह बिल इस तरह का तजवीज़ किया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अवकाश प्राप्त करने वाले उप-राष्ट्रपतियों को पेंशन का संदाय और अन्य सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड—1 संक्षिप्त नाम

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"1996" के स्थान पर "1997" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)
(श्री मोहम्मद मकबूल डार)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"सैंतालीसवां" **के स्थान पर**

"अड़तालीसवां" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (1)

(श्री मोहम्मद मकबूल डार)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.35 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

कपड़ा उद्योग की समस्याएं

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। मैं श्री सनत मेहता से अनुरोध करता हूं कि वह चर्चा प्रारम्भ करें।

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदय, मैं यहां अपनी आर्थिक आयोजना के एक अत्यंत दुखद अध्याय पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। इस आपदा से देश के करीब 10 लाख लोग प्रभावित हैं। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है अपितु मानव-निर्मित आपदा है जिसे हमारे आर्थिक विकास ने पैदा किया है।

देश में कपड़ा उद्योग एक अग्रणी उद्योगों में रहा है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी यह उद्योग कुशल श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा था। इस उद्योग की रुग्णता आज ही सामने नहीं आयी अपितु एक दशक से पहले ही यह दिखने लगी थी। इस

[श्री सनत मेहता]

उद्योग की रुग्णता वर्ष 1982 से दिख रही थी।

जब कपड़ा सचिव ने उद्योग संबंधी स्थाई समिति के समक्ष अपनी स्थिति प्रस्तुत की तब उन्होंने बताया था कि इस समय बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ में 301 कम्पनियां या मिलें पंजीकृत हैं। 30 नवम्बर, 1996 तक बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ को सुपुर्द किए गए कपड़ा मिलों की संख्या 189 थीं। कपड़ा सचिव ने एक अत्यंत रोचक टिप्पणी करते हुए कहा था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत कोई भी उद्योग बंद नहीं किया गया है। यह एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 का उद्देश्य बंद औद्योगिक इकाइयों को विनियमित और नियमित करना है। जब बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ को 301 मिलों को सौंपा गया तो इसका आशय था कि या तो वे रुग्ण उद्योग हैं या बंद पड़े हैं। उन मिलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बन्द नहीं किया गया था क्योंकि यदि आप औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत किसी इकाई को बंद करना चाहते हैं तो आपको विभिन्न राज्यों के श्रम प्राधिकारियों की अनुमति लेनी होगी।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि जब ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है तब संघ सरकार के श्रम मंत्री अनुपस्थित हैं । यदि वह सदन में उपस्थित होते तो अच्छा होता।

कपड़ा उद्योग की टिप्पणियां इस बात को दर्शाती हैं कि चाहे भले ही कितनी ही संख्या में कपड़ा उद्योगों को बंद किया गया हो, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ही बंद कर दिया गया है। इसके क्या परिणाम हुए ? यदि इकाइयों को अनुमति लिए जाने के बाद बंद किया जाता तो बात कुछ समझ में आती। यदि उद्योगों को स्वैच्छिक अवकाश के लाभ दिए जाने के बाद बंद किया जाता तो बात समझ में आती थी। लेकिन इस उद्योग को जो कि हमारे देश में एक अग्रणी उद्योग रहा है और जिसके श्रमिक 1942 के आंदोलन में स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, उन इकाइयों को नियम और विनयम का अनुसरण किए बिना बंद किया जा रहा है।

कपड़ा मिलों को 1983 और 1995 के बीच बंद किया गया। गुजरात में कुल बंद मिलों की संख्या 42 थीं और गुजरात में इससे प्रभावित श्रमिकों की संख्या 72,933 थीं। इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात के लगभग 80,000 परिवार, जो इन उद्योगों में कार्यरत थे, उन्हें अपने रोजगार से वंचित होना पड़ा।

इन इकाइयों को बिना किसी नियम और विनियमों के बंद कर दिया गया और इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि उन 80,000 श्रमिकों को, जिन्होंने यहां वर्षों पसीना बहाया, उन्हें उनकी विधि-संगत राशि भी अदा नहीं की गई। उन्हें कोई भी सूचना वेतन और छंटनी प्रतिपूर्ति भी नहीं दी गई। उनके वेतन भी अदा नहीं किए गये। गुजरात कपड़ा श्रमिकों की कुल बकाया राशि 222 करोड़ रुपए है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक श्रमिक ने अपने रोजगार खोने के अतिरिक्त, बीस वर्षों में 30,500 रुपए का नुकसान भी उठाया है। ये वही श्रमिक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था और जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में उन्हें बेरोजगारी और अपना जीवन बर्बाद करना नसीब हुआ। क्या यह देश का श्रमिक विरोधी रवैया नहीं है ? इन लाखों बेरोजगार लोगों की जीविका को कौन से साधन मुहैया कराये गए ? वे अब कहां जाएंगे ?

श्री ए॰ सी॰ जोस (इदुक्की) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि मिलों को बंद करने के लिए राज्य की अनुमति आवश्यक है। उसी नियम के अंतर्गत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उस कम्पनी के प्रबंधन को जिसने राज्य की अनुमति लिए बिना उद्योग बंद किया है, उस पर अभियोग चला सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य ने उन इकाईयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की या नहीं, जिन्होंने अपनी इकाई बंद कर दी है।

श्री सनत मेहता : मुझे दुःख है कि आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता। क्योंकि कपड़ा मंत्री ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते और दुर्भाग्यवश श्रम मंत्री ऐसे अवसर पर अनुपस्थित हैं।

श्री ए॰ सी॰ जोस : यह राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

श्री सनत मेहता : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब सैकड़ों बार दिया गया है। वे यह दलील देकर अपनी इकाई को बंद कर देते हैं कि बिजली बिल की आदयगी न होने पर उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। तब अभियोजन की लम्बी प्रक्रिया आरम्भ होती हैं। अभियोजन का निर्णय कभी नहीं होता और बेरोजगारी जारी रहती है चाहे बिजली काटे जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ हो या कुछ अन्य कारणों से हुआ हो। मैं बेरोजगारी के बारे में अत्यधिक चिंतित हूं न कि नियमितताओं के बारे में।

ऐसा नहीं है कि यह उद्योग आज खराब हालात में हैं। ऐसा नहीं कि इस उद्योग से भारत सरकार को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह वही उद्योग है जो कपड़ा निर्यात का कुल 33% धन अर्जित कर रहा है।

जहां तक सूती धागे का संबंध है तो, मैं इस मुद्दे को यहां इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब 1982 में रुग्णता शुरू हुई तब अनेक अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न देश की पत्रिकाओं में यह लेख, लिखा था कि कपड़ा उद्योग का सूरज अब ढलने वाला है और उसका कोई भविष्य नहीं है। उनकी वह धारणा इस बात से गलत सिद्ध हो गई कि वर्ष 1991-92 में सूती धागे का उत्पादन 1,805 मिलियन किलोग्राम था। वर्ष 1995-96 में इसका उत्पादन 2,319 मिलियन किलोग्राम था। निर्मित वस्त्र के उत्पादन में गिरावट आयी है, निर्मित वस्त्र के उत्पादन से जुड़ी कपड़ा उद्योग में 1991-92 में 10 मिलियन मीटर की गिरावट आयी जो कि बाद में घटकर 6.7 मिलीयन मीटर रह गया। कपड़ा का निर्यात 35,506 करोड़ रुपए का है। आज कपड़ा मिलों द्वारा 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। सूती धागे के उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि नियति के फलस्वरूप भारत सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। वर्ष 1995-96, या 1996-97 या 1997-98 में कपड़ा उद्योगों की स्थिति ऐसी नहीं थी जिससे वह एक बंद होता हुआ उद्योग हो। इसका परिणाम यह हुआ कि भिन्न अंशों द्वारा निर्मित मिलें बंद हो गईं और कताई करने वाले मिलों में वृद्धि हुई और जो

श्रमिक कम्पोजिट मिलों में कार्य करते थे वे बेरोजगार हो गए। मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति कहीं भी बर्दास्त की जा सकती है।

तत्पश्चात क्या हुआ ? जुलाई, 1991 में जब नई औद्योगिक नीति बनी तब तत्कालीन वित्त मंत्री लोक सभा में आये और अपने बजट भाषण में कहा, उन्होंने पैरा-52 में कुछ ऐसा कहा था :—

"सरकार पर्याप्त उपायों के साथ एक राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना करेगी। इस कोष का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी परिवर्तन संबंधी लागत और आधुनिकीकरण हेतु उत्पादकता उपकरण संबंधी लागत का बोझ श्रमिकों पर नहीं पड़े।"

उन्होंने आगे कहा था कि :

"इस कोष से एक सामाजिक सुरक्षा जाल तैयार होगा जो श्रमिकों को तकनीकी परिवर्तनों और उनके फैलाव के परिणामस्वरूप प्रतिकूल परिणामों से सुरक्षा प्रदान करेगा।"

भूतपूर्व वित्त मंत्री के यही शब्द थे। वर्ष 1991 से सभी वित्त मंत्री एक अच्छा बजट प्रस्तुत करते आये हैं क्योंकि अब बजट 'श्रमिक बजट' या 'गरीब लोगों का बजट' नहीं होकर, देश में फैली एक नई प्रवृत्ति के अनुसार वह 'ड्रीम बजट' होता है। इस 'ड्रीम बजट' में उन्होंने कहा था कि यह कोष तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रभावित श्रमिकों के लिए न केवल सुधारात्मक उपाय करेगा अपितु उन्हें पुन: प्रशिक्षण भी देगा जिससे कि वे आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में एक सक्रिय उत्पादनकर्ता बने रहें। इस वायदे का क्या हुआ ? मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जिससे इस बात की पुष्टि होगी। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष 1992-93 में शुरू की गई थी। 1996-97 तक प्रत्येक बजट में अब तक 3,100 करोड़ रुपए एन॰ आर॰ एफ॰ को आवंटित किए जा चुके हैं। सभा को यह जानने का अधिकार है कि हम बजट में धन उपलब्ध कराते हैं किंतु यह नहीं जानते कि इस धन का उपयोग किया जाता है या नहीं। इस वर्ष कुल 3,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वास्तव में कितना आबंटित किया गया ? लोक लेखा को 1,769 करोड़ रुपए हस्तांरित किए गए और शेष राशि का उपयोग किए बिना या घाटे को कम किए बिना यूंहि रखा गया। और उस 1,769 करोड़ रुपए में से 1,505 करोड़ रुपए स्वैच्छिक अवकाश योजना के लिए उपयोग किया गया।

वर्ष 1996-97 में माननीय श्री चिदंबरम् ने बजट प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात उसमें कोई गतिविधि नहीं हुई। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष वैसे ही पड़ा है। सुरक्षा जाल समाप्त हो चुका है। श्रमिकों को भुलाया जा चुका है। मैं इन सब आंकड़ों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूं। स्वैच्छिक अवकाश योजना के अंतर्गत करीब 70,000 श्रमिकों ने अवकाश प्राप्त किया जिनमें से अधिकतर कपड़ा श्रमिक थे। इसका आशय यह हुआ कि राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष का उपयोग न तो इन कपड़ा उद्योगों के श्रमिकों के पुनर्वास के लिए किया गया और न ही बकाया राशि की अदायगी के लिए। मुझे वह दिन याद है जब एल॰ आर॰ एफ॰ बनाया गया था। उद्योग मंत्रालय में तत्कालीन उद्योग सचिव ने मुझे गुजरात से आमंत्रित किया था। उन्होंने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने यह कहा था यह धन केवल श्रमिकों के लिए है। एक राज्य के कपड़ा विभाग के एक सचिव ने कहा था कि वह अपने राज्य में कपड़ा उद्योग को पुर्नजवित करना चाहते हैं। उन्हें कहा गया कि इसके लिए राज्य सरकार को धन नहीं मिलेगा। इस कोष की पहली प्राथमिकता है कि श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। ये उनके शब्द थे। उस समय से 1997 तक गुजरात के कपड़ा श्रमिकों के जो 200 करोड़ रुपए बकाया थे उसका एन॰ आर॰ एफ॰ से एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया।

वित्त मंत्री द्वारा रोजगार हेतु पुनर्प्रशिक्षण का भी वायदा किया गया था। उन्होंने कहा था कि यदि उनकी छटनी होती है तो उन्हें पुन: प्रशिक्षित किया जाएगा। पुन: प्रशिक्षण का क्या रिकार्ड है ? पांच वर्षों में कुल 2,990 लोगों का लगाया गया। ये कितने राज्यों में लगाए गए ? 16 राज्यों में इन 2,990 श्रमिकों को लगाया गया था। पांच वर्षों में औसतन यह 186 श्रमिक प्रति राज्य आता है। इसका मतलब 37 श्रमिक प्रति वर्ष हुआ। यह उसके परिणाम रहे हैं। सुरक्षा जांच समाप्त हो चुका है; रोजगार सृजन समाप्त हो चुका है। एक चीज केवल स्वैच्छिक अवकाश योजना और पुनर्प्रशिक्षण योजना थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि 16 राज्यों में प्रति वर्ष 37 व्यक्तियों को लगाया जाता रहा है।

अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन ने पूरी एन॰ आर॰ एफ॰ योजना पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो मुख्य रूप से पुनर्प्रशिक्षिण और पुर्नबहाली से संबंधित थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सूचित किया है कि इससे गुजरात के कुल कर्मचारियों में से मात्र दो प्रतिशत लोगों को ही फायदा होगा। 46 मिलों में कुल 72,903 श्रमिक प्रभावित हुए थे और केवल 5000 को ही प्रशिक्षण दिया गया। हमारे उदारीकरण की यही वास्तविकता है। समस्या यहीं समाप्त नहीं होती है। इसे बी॰ आई॰ एफ॰ आर को सौंपा गया। बी॰ आई॰ एफ॰ आर का क्या इतिहास है ? इसका बहुत ही रोचक रिकार्ड है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों को ही बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ को सौंपा जाता है। इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है ? कुल 301 कपड़ा मिलों में से बी॰ आई॰ अफ॰ आर॰ ने मात्र 66 मिलों को ही पुनर्वास योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की थी। इसने 96 मिलों को बंद करने को कहा और 57 मिलों की देखरेख करने की आवश्यकता नहीं बतायी। अत: मात्र श्रमिकों को समझाने की दृष्टि से इन मामलों को बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ को सौंपा गया, बताया गया। कहा गया कि बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ इसकी जांच कर रही है।

एक दु:खद बात यह है कि बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ का एक नियम यह है कि यदि पश्चिम बंगाल कपड़ा निगम को बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ को सौंपा गया तो वे मिलों के अनुरूप इसकी जांच नहीं करेगा। उदाहरणार्थ, ग्यारह मिलों में से छह मिल इस योग्य है किंतु वे कहेंगे कि इनकी जांच करना उनका कार्य नहीं है। वे केवल धारक कम्पनियों की ही जांच करेंगे जिसके परिणामस्वरूप क्षम इकाइयां भी अक्षम हो जाएंगी। जहां तक गुजरात का संबंध है तो रिकॉर्ड देता हूं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास अहमदाबाद में 22 कपड़ा मिलें हैं। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कहा है कि इस पर वह अपनी रिपोर्ट दे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने न्यू स्वदेशी, सहयोग, सिल्वर कॉटन शुभालक्ष्मी को क्षम इकाइयां माना है। चूंकि गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की धारक कम्पनियों को बी॰ आई॰ एफ॰ आर को सौंपा गया इसलिए सभी मिलों को बंद कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप

[श्री सनत मेहता]

जो भी क्षम मिलें थी उन्हें भी बेकार घोषित कर दिया गया।

मैंने सुना है कि अब उन्होंने बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ से प्रत्येक मामले को अलग-अलग तौर पर जाँच करने को कहा है। यह तभी हो सकता है जब सभी मिलों को एक अलग-अलग धारक कम्पनियां घोषित की जाए। यदि यह स्थिति है तो इस देश की पुरानी परम्परा क्या रही है, स्वतंत्रता के पश्चात हमने कैसे किया है ? मैं मुम्बई हमाली राज्य विधान परिषद का एक सदस्य था। उस समय, श्री शांति लाल शाह राज्य के श्रम मंत्री थे। उस समय, 1958-60 के दौरान धन का संदाय करने में कठिनाई हो रही थी। श्री शांति लाल शाह ने मुम्बई द्विमाषी राज्य परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिससे कि श्रमिकों के रोजगार को सुरक्षित रखा जा सके। उन वर्षों के दौरान, जब मिल मालिक अपने मिलों को चला रहे थे, तब कपड़ा निगम की स्थापना की गई थी। उस समय राज्य को अनेक वायदे किए गए थे। बाद में जब हम अधिक से अधिक प्रगति करते गए तब हमें पता चला कि अब उन मजदूरों का कोई ध्यान नहीं रखता। कोई कुछ नहीं करता। वर्तमान स्थिति के पहले भी जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। तब भी गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलें हुआ करते थे। लेकिन एकाएक ग्यारह मिलों को राष्ट्रीकृत कर दिया गया। बाद में इसका मूल्यांकन किया गया और एक प्राधिकार की नियुक्ति की गयी। इसके जो भी कारण हों, प्रत्येक कपड़ा मिल को कितना धन दिया गया इसकी एक सूची मेरे पास है।

एक कपड़ा मिल को मुआवजा के रूप में मात्र 32 लाख रुपए दिए गए और रातों-रात मिलों को अपने अधीन कर श्रमिकों को बचाया जा सका। देश में वह एक ऐसा समय था जब यदि किसी कपड़ा मिल के श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा तो अध्यादेश जारी कर कपड़ा मिलों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। मिल मालिकों ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय तक गए। उच्चतम न्यायालय ने कहा, आपको जो भी धन दिया गया है वह ठीक है। "आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं।" और आज क्या हो रहा है ? वे दिन समाप्त हो गए। अधिकतम मुआवजा 32.31 लाख रुपए दिया गया, अब स्वैच्छिक अवकाश योजना के तहत 220 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। इसमें बड़े-बड़े वायदे किए गए थे, औद्योगिक उत्पादन में भागीदारी का भी वायदा किया गया था। अब औद्योगिक श्रमिकों से वे वायदे समाप्त हो गए हैं।

तत्पश्चात् कपड़ा मंत्रालय में 'टर्न एराऊंड स्कीम' आई। एक 'टर्न एराऊंड स्कीम' तैयार की गई और इस योजना के अंतर्गत 79 मिलों को लाया गया। उस 'टर्न एराऊंड स्कीम' पर क्या लागत आई थी ? ये मात्र 2,005 करोड़ रुपए थे। लेकिन सरकार के पास उन एक लाख परिवारों के लिए कोई पैसा नहीं है। आज वे श्रमिक किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने 20 वर्ष तक देश की सेवा की है, उन्होंने कपड़ा क्षेत्र की सभी संरचना को बहुत मेहनत से बनाया है और सरकार के पास पैसे नहीं हैं। अतः कपड़ा मंत्रालय ने इसका एक समाधान ढूंढकर यह बताया कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास देश के महानगरों में 1514 एकड़ फालतू जमीन है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इस जमीन के मूल्यांकन के लिए कहा गया। उस जमीन की कीमत 2,389 करोड़ रुपए आंकी गई। इसकी भी जांच की जानी चाहिए।

एक अन्य ऐसा लोक निकाय है जिसने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें यह कहा गया है कि मुम्बई शहर के बीचों-बीच करीब 600 एकड़ की जमीन फालतू है। यह बात दो वर्ष पूर्व कही गई थी जब जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कहा था कि 600 एकड़ जमीन की लागत 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए थी। जबकि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि इस जमीन की कुल लागत मात्र 2,389 करोड़ रुपए है। उसमें से 36 हे॰ 1,900 करोड़ रुपए 'टर्न एराऊंड' स्कीम के लिए चाहिए। यह योजना चुनाव के दौरान बनाइ गई थी। सभी राष्ट्रीय केन्द्रों को बुलाकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हमारे माननीय अध्यक्ष उस समय श्रम मंत्री थे और श्री जी॰ वेंकट स्वामी कपड़ा मंत्री थे। सभी श्रमिकों ने सोचा कि उनका ये सपना पूरा होगा। 1,900 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, 79 इकाइयां फिर से कार्यरत हो जाएंगी और उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन तभी कपड़ा मंत्री का वक्तव्य इस सभा में आया जिसमें उन्होंने कहा :

"उपर्युक्त उल्लिखित कारणों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फालतू जमीन की बिक्री से प्राप्त धन पुनर्वास कार्यों में निवेश के लिए उपलब्ध नहीं हो सका, अतः, 1995 के टर्न एराऊंट पैकेज को क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने सभा में यह कहते हुए अपना हाथ झाड़ लिया कि "मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं।" दो-तीन वर्षों तक लोगों को यह सपना दिखाया जाता रहा कि 'यह टर्न एराऊंड स्कीम' को लागू किया जाएगा।

सभापति महोदय, कुछ दिन पूर्व, इस महीने की 9 तारीख को मैंने संसद में यह प्रश्न उठाया था और उसका जो जवाब मिला वह यह था कि :

"3.3.1997 को सभा में दिए गए वक्तव्य में यह बताया गया कि सरकार द्वारा 1985 में स्वीकृत राष्ट्रीय कपड़ा निगम में 'टर्न एराऊंड स्ट्रेटेजी' को क्रियान्वित नहीं किए जाने के कारण बताए गए हैं। चूंकि फालतू जमीन की बिक्री से प्राप्त धन उपलब्ध नहीं है और बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ ने इस पुनर्वास पैकेज को अनुमति प्रदान नहीं की है राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा धारक कम्पनियों ने 1995 में सरकार अनुमोदित रियायतों और बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ की प्रक्रियाओं के अनुसार ये विचारधारा उपयुक्त हैं या नहीं। यह प्रतिवेदन वर्तमान में सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पुनरीक्षित "टर्न एराऊंड स्ट्रेटेजी" की मुख्य बातें, जब यह पूरी हो जाएगी, सभा पटल पर रख दी जाएंगी।"

अतः "टर्न एराऊंड" का एक और सपना भारत सरकार के पास लम्बित है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसी समय, एक व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन श्रमिक संघ में बिता दिया था, भारत सरकार के कहने पर मैंने एक योजना प्रस्तुत की। औद्योगिक विकास विभाग के सचिव ने कहा कि पुर्नउत्पादन की ऐसी

योजना अहमदाबाद में ही संभव है क्योंकि अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की श्रमिक आंदोलन की परम्परा रही है। करीब 10 से 15 कपड़ा मिलें बंद हो गईं। मैंने शहरी योजना के एक विशेषज्ञ को इस कार्य में लगाया और अपने स्वैच्छिक संगठन, अपने श्रमिक संघ की ओर से 50,000 से 75,000 रुपए दिए और एक परियोजना तैयार करवाई। यह परियोजना बहुत ही सरल है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर रहा है। इस अवधि के दौरान, 1982 में कुल नए निवेशों में अहमदाबाद का अंश 4.2 प्रतिशत था। 1992 में अहमदाबाद का अंश 4.2 प्रतिशत से घटकर 2.54 प्रतिशत रह गया। एक तिहाई कपड़ा मिल बंद होने वाली थी। औद्योगिक विकास विभाग के आर्थिक सलाहकार श्री राकेश मोहन अहमदाबाद आए, जिन्हें आधारभूत संरचना के विकास का जादूगर माना जाता है, और हमसे अनुरोध किया कि टाऊन प्लानर और अर्थशास्त्री के मदद से कुछ करें। इस संबंध में हमने एक योजना बनाई। यह योजना बहुत सरल थी। इस योजना के अंतर्गत भूमि का फिर से उपयोग करने, श्रमिकों को उनके बकाया राशि का भुगतान और अहमदाबाद की सीमा के अंतर्गत नए उद्योग लगाने थे। कोई भी वृद्ध व्यक्ति यह जानते होंगे कि गांधी जी 1930 में जिस आश्रम में रहते थे वह नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित था। पूर्वी छोर पर एक कपड़ा मिल थी। जब गांधी जी से पूछा गया कपड़ा श्रमिकों के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था तो उन्होंने यह कहा कि रोज सुबह वह कपड़ा मिलों की वें चिमनी देखा करते थे और वह उन श्रमिकों के प्रति चिंतित थे। इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में एक श्रमिक आंदोलन शुरू किया था।

सभापति महोदय, वर्तमान में अहमदाबाद के सारा पूर्वी क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो चुका है क्योंकि सभी कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं। श्रमिक अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके लिए कुछ नहीं किया गया। अत: एक योजना तैयार की गई है। हमने एक योजना तैयार की है। उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ? मशीनों का मूल्य, जो कि परिसमापन के अंतर्गत था—किसी भी बात की समस्या नहीं थी और यदि भारत सरकार चाहती तो वह परिसमापक से पूछ सकती थी कि जब हमने यह योजना शुरू की थी तो उन मशीनों की कीमत 60 करोड़ रुपए थी और अचल सम्पति की कीमत 30.54 करोड़ रुपए थी। इससे कुल 191.84 करोड़ रुपए का सृजन होता। कुछ लोग कहते : क्या आप कर्जदाता को जानते हैं जो धन देते हैं। वित्तीय संस्थानों और बैंकों को धन वापस दिए जाने चाहिए, वह बात भी विचाराधीन थी। कुल मान्यता प्राप्त कर्जदाताओं—जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी—वित्तीय संस्थानों, बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक—के कुल दायिता 191.84 करोड़ रुपए थे और श्रमिकों की बकाया राशि 86.70 करोड़ रुपए थी।

महोदय, उस समय घाटा बहुत कम था। और अब जमीन की पुनरीक्षित कीमत अधिक है। हमने एन॰ आर॰ एफ॰ से अनुरोध किया था कि श्रमिकों के पैसे और उनकी वैध देयताओं के लिए धन दें और यह भी कहा था कि यह योजना गुजरात राज्य द्वारा क्रियान्वित की जाएगी और नए उद्योग शुरू किए जाएंगे। हमने यह भी हिसाब लगाया था कि कुल भूमि की 8.62 वर्ग मीटर और 1,000 वर्ग मीटर के प्लॉट से 616 प्लॉट सृजन किए जा सकते थे। जिससे करीब 54,996 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था। अत: धन का उपयोग हो जाता जिससे भूमि का पुनर्नियोजन भी होता और इसे बेचा भी नहीं जाता; नए उद्योग भी लगाए जाते तथा वित्तीय संस्थानों और बैंकों के कुल देय भी वापस किए जा सकते। हमने एन॰ आर॰ एफ॰ से यही मात्र अनुरोध किया था कि वित्त मंत्री के वायदे के अनुसार श्रमिकों को उनकी बकाया राशि लौटाई जाए।

इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? एन॰ आर॰ एफ॰ ने कई दिनों तक इस पर विचार किया। कपड़ा मंत्रालय ने भी इस योजना का समर्थन किया था। श्रम मंत्रालय ने भी इसका समर्थन किया था। बाद में अंतिम टिप्पणी के लिए इसे उद्योग मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी समिति के पास भेजा गया। औद्योगिक विकास विभाग के सचिव, जिनके पास एन॰ आर॰ एफ॰ भी था, ने कहा कि एन॰ आर॰ एफ॰ के सशक्त प्राधिकारी ने गुजरात सरकार के पुनर्नियोजन योजना को सिद्धान्त: स्वीकृति प्रदान की थी किन्तु इस योजना के लिए एन॰ आर॰ एफ॰ से कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई क्योंकि इस योजना को व्यापार नियम के शर्तों के अध्यधीन संव्यवहार करने के लिए आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट उप-समिति की स्वीकृति आवश्यक होती है। विगत तीन वर्षों से आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट उप-समिति अपनी स्वीकृति नहीं दे रही है और वित्त मंत्रालय चुपचाप बैठा है। एक ऐसी योजना जिससे सारी अहमदाबाद की अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान हो सकता है, ऐसी योजना जिससे 60,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसी योजना जिससे कपड़ा मिलों की बकाया राशि का भुगतान किया जा सकता है, ऐसी योजना जिससे वित्तीय संस्थाओं की बकाया राशि का भुगतान किया जा सके, को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। दो-चार सचिव भी आए थे। सभापति, श्री अशोक मित्रा जब उनसे यह पूछा कि एन॰ आर॰ एफ॰ का निर्माण क्यों किया गया था, जिसमें आपको विश्व बैंक से काफी धन मिला था।

महोदय, मैं सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में वाशिंगटन गया था। मैं विश्व बैंक के उस व्यक्ति से मिला था जो एन॰ आर॰ एफ॰ के प्रभारी हैं और इसके लिए धन उपलबध करा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने भारत सरकार को बी॰ आर॰ एफ॰ के लिए धन उपलब्ध कराया था या क्षेत्रों के पुनरुत्थान के लिए, मैंने पूछा कि आपने पुन:प्रशिक्षण के लिए या बी॰ आर॰ एस॰ के लिए धन दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने श्री मनटोक सिंह अहलूवालिया को साफ-साफ बता दिया है कि यदि इस धन का आप बी॰ आर॰ एफ॰ के लिए उपयोग करने जा रहे हैं तो हम आगे आपको धन नहीं देंगे। यह धन क्षेत्र पुनरुत्थान जैसी योजनाओं के लिए था जिससे कि नए रोजगार का सृजन किया जा सके।

1997 में ये सारे नाटक समाप्त होने के बाद परिणाम क्या निकला? वे सभी मिलें जो बंद होने के कगार पर थे जिसके लिए 191 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया था, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक-एक करके नीलामी कर दी गई। अमृता, नूतन, ओमेक्स, न्यू गुजरात सिंथेटिक नं॰ 1, न्यू गुजरात सिंथेटिक नं॰ 2, अर्योदय, विवेकानंद, रुस्तम और अहमदाबाद कामर्शियल के संबंध में ओदश जारी किए गए हैं।

नीलामी में इन मिलों को कौन खरीदेगा ? भू-माफिया ही उन्हें खरीदेंगे। लाखों श्रमिकों ने अपनी मेहनत और पसीना के बल पर इन

[श्री सनत मेहता]

सम्पत्तियों को बनाया है, जिन्हें आप भू-माफिया, निजी प्रबंधकों को बेचेंगे न कि ऐसे योजनाओं में लगाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान हो सके, न कि राज्य सरकार को उपलब्ध कराते जिससे कि अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान हो सके।

हमने वर्ष 1991 में डॉ॰ मनमोहन सिंह का बजट भाषण से लेकर अहमदाबाद में कपड़ा मिलों की भूमि की नीलामी तक देखा है। क्या एन॰ टी॰ सी॰ कपड़ा मिलों की समस्या के समाधान का यही तरीका है ? विश्व के अन्य भागों में क्या हो रहा है ? इस देश में ऐसे लोग हैं जो हायर-फायर से काम चलाना चाहते थे। विश्वीकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर उद्योग से जुड़े लोग यह चाहते हैं कि श्रम विधान में संशोधन किया जाए।

एक देश पश्चिम जर्मनी है। वहां श्रम संबंधी विधान हमारे विधान से कठोर है। वहां भी पुलिस लोग अपना संघ बना सकते हैं। वहां भी ऐसी स्थिति और तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। विश्वीकरण भी हो रहा है।

पश्चिम जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेट्रिक पार्टी के चांसलर के शब्द हैं : लचीलापन की कोई सीमा होती है, ऐसा श्री कोल के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एक संसदीय नेता श्री हाईनर गिजलर का कहना है। उनका कहना है कि "हम अमेरिका के हायर-फायर प्रणाली में विश्वास नहीं करते जहां लाखों लोग बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के कार्य करते हैं।" तत्पश्चात उन्होंने श्रीमती मार्गेट थैचर द्वारा इंग्लैंड में चलाए गए निजीकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "...इंग्लैंड में आधे से अधिक श्रमिक नैमितिक मजदूर हैं और बेरोजगारी हमसे काफी ज्यादा है।"

उद्योग के पुनर्सरचना हेतु जर्मनी एक नई पहल विकसित कर सकता है। जो कि उनके इस्पात क्षेत्र हैं, जब इस्पात उद्योग रुग्न हो गए तब पश्चिम जर्मनी की सरकार ने एक नई नीति बनाई जिसे "लैंड रीएडजस्टमेंट स्कीम" के नाम से जाना जाता है। इन इस्पात मिलों के पास कोयला आदि जैसी कच्ची सामग्री जमा रखने के लिए काफी बड़ा क्षेत्र है। अतः पश्चिम जर्मनी की सरकार ने उद्योग से जुड़े लोगों को कहा कि वे अपनी भूमि को कम कीमत पर छोड़ दें। हम आपके लिए नए उद्योग बनाएंगे जहां आप अपने श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षित कर काम पर लगा सकते हैं। जर्मनी में भूमि का समायोजन, बिना किसी हायर-फायर के पूरी सामाजिक सुरक्षा से पूरा किया गया।

यह एक अहम समस्या है। आज अहमदाबाद पूरी तरह से बिखरा हुआ अहमदाबाद है। यह वर्ष हमारी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ है। हमारे वायदे क्या थे ? हमने यह वायदा किया था कि हम यह योजना अहमदाबाद में लागू करेंगे। तत्पश्चात हम कानपुर में इसका अनुसरण करेंगे और यदि आवश्यक हुआ और श्री ज्योति बसु सहमत हुए तो हम इसका अनुसरण कलकत्ता में भी करेंगे और यदि कुछ लोग सहमत हों तो हम इसे मुम्बई में भी लाएंगे। हमारा यही विचार था। लेकिन नौकरशाह, वित्त मंत्रालय जिसने एन॰ आर॰ एफ॰ शुरू किया था, ने विश्व भ्रमण करके यह कहा कि हमने एन॰ आर॰ एफ॰ तैयार किया है। हम इसका मानवीय रूप चाहते हैं जो कि बेरोजगारी के कारण मानव चेहरे पर काला धब्बा लगा दिया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई सपना न दिखाए; एक सरकार की बढ़ाई और अन्य की बुराई न करें। मुम्बई में राज्य सरकार ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी। माननीय श्री आल्लपा जी आमूल-चूल परिवर्तन करने की लागत ही 2,000 करोड़ रुपए मात्र है। क्या यह वृहत् संघ सरकार एक लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपए नहीं निकाल सकती ? यह एक मानव निर्मित आपदा है। क्या यह सरकार लोगों को उनके देय 400 करोड़ रुपए की बकाया राशि नहीं दे सकती? जब इन मिलों का निलामी हो रहा था तब न्यायालय में बहस के दौरान टी॰ एल॰ ए॰ के वकील ने कहा कि हमारे अधिकार हमें पहले दिए जाने चाहिए। न्यायाधीश ने कहा था कि 'कम्पनी विधि के अंतर्गत कुछ भी संभव नहीं और नीलामी से श्रमिकों को जो भी अंश मिलेगा आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको पहला अधिकार प्राप्त नहीं है।'

इस देश में, जब 'उदारीकरण' शब्द नहीं था तब श्रमिकों को कुछ अधिकार प्राप्त थे। हमने वे सब अधिकार खो दिए हैं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका समाधान नहीं किया गया तो हम महात्मा गांधी की, जिन्होंने अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन शुरू किया था और जो साबरमती के पश्चिम क्षेत्र में स्थित आश्रम में रह कर मिलों की ओर देखते रहते थे और लोगों को यह कहते रहते थे कि इस शोषण को समाप्त करो। माननीय प्रधानमंत्री को गांधी जी के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। हम गांधी जी का नाम लेकर गांधी जी के श्रमिक आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि विश्व में इसके प्रति कुछ विवेक उत्पन्न होगा। मुझे उम्मीद है कि इस देश के श्रमिक संघ इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट होंगे और यह देखेंगे कि इन कपड़ा श्रमिकों को, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, न्याय मिल सके।

मुझे सेन गुरु जी की याद आती है। सेन गुरु जी वह व्यक्ति हैं जो मुम्बई में एक चाल से दूसरे चाल घूमते रहते थे। उन्होंने कपड़ा श्रमिकों का संगठन बनाया था जो स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने 60 दिनों की हड़ताल की थी और स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात् उन्होंने नींद की गोली खाकर आत्म हत्या कर ली। जवान होने के नाते हमने यह सोचा कि सेन गुरू जी अत्यधिक भावुक व्यक्ति थे। आज अनेक वर्षों के बाद हम महसूस करते हैं कि शायद वह ठीक थे क्योंकि स्वतंत्रता हेतु जिन कपड़ा श्रमिकों को उन्होंने संगठित किया था उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया और उन्हें उनकी छुट्टी भत्ता तथा शेष भत्ता भी नहीं दिए गए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह सिफारिश करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि आज भी वक्त है कि कैबिनेट उप-समिति क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना को अपनी स्वीकृति दे और मैं भारत सरकार से यह वायदा करता हूं कि हम इस योजना को सफल बनाएंगे। उन्हें एक पैसा का भी बोझ सहन नहीं करना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री हरिन पाठक बोलेंगे। मैं समय सीमा निर्धारित नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर अन्य सदस्य भी बोलने को इच्छुक हैं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं अपनी चर्चा को खुद ही सीमित रखना चाहूंगा क्योंकि मेरे ह्दय की शल्य चिकित्सा हुई है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन मैं कुछ बोलूंगा।

[हिन्दी]

सभापति जी, इस वर्ष हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। अभी यहां बताया गया कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और देश भर में उत्सव मनाए जाएंगे। आने वाली 15 अगस्त को हर मकान पर रोशनी होगी। हमारी राज्य सरकारें पिछले 50 सालों की अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी कि 1947 में हम कहां थे और 1997 में कहां पहुंच गए हैं। हमने आर्यभट्ट आकाश में भेजा। राकेश आकाश में जाकर पृथ्वी को देखकर आए। आज हमारे कुछ सांसद मित्र सदन में सैलूलर लेकर घूमते हैं। ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं, जिन्हें गिनाया जाएगा। मेरे बुजुर्ग मित्र सनत मेहता जी ने काफी कहा है।

मेरी नातंदुरूस्त तबियत को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देश की 50वीं वर्षगांठ मनाते वक्त हमें अपने देश की पहचान को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि आज हम उस पहचान को भूलते जा रहे हैं। इस देश की हर क्षेत्र में अलग पहचान है, चाहे सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो या औद्योगिक हो। इस देश की औद्योगिक पहचान थी—यहां का सूती कपड़ा।

मुझे स्मरण है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब इतिहास में यह बताया जाता कि उस समय ढाके की मलमल को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था। यह उस वक्त की बात है जब देश का विभाजन नहीं हुआ था।

मैं इस क्षेत्र का पिछले तीन चुनावों से संसद् में प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूं, जिसका जिक्र अभी मेरे मित्र सनत मेहता जी ने किया। वह गांधी जी की भूमि थी और आज भी है। मेरे क्षेत्र के तीन नाम हैं। संसद् में उसका नाम है अहमदाबाद, जिसका मैं प्रतिनिधि हूं। उसकी आबादी 35 लाख है। उसका पुराना नाम है करुणावती, जिसके संबंध में हमने सरकार को लिखा है कि मेरे क्षेत्र का नाम बदलकर असली नाम रखा जाए। मेरे क्षेत्र का तीसरा नाम है मानचैस्टर।

[अनुवाद]

यह वह शहर है जहां मैं पैदा हुआ था, जहां से मैं विगत नौ वर्षों से संसद का प्रंतिनिधित्व कर रहा हूं और अहमदाबाद निगम का बीस वर्ष तक प्रतिनिधित्व किया है। मैं विगत नौ वर्ष से संसद में अपने शहर की समस्या उठाता आया हूं।

[हिन्दी]

उसका तीसरा नाम मानचैस्टर था क्योंकि सूती कपड़े के मामले में उसने पूरे देश की बागडोर सम्भाल रखी थी। गुजरात में कुल 76 कपड़ा मिलें थी जिनमें से 65 कपड़ा मिलें सिर्फ मेरे क्षेत्र में थी। ऐसे शहर में मेरा जन्म हुआ था। मैंने ऐसे शहर की उस आबादी को देखा और आज अपनी उम्र के ढलते 50वें साल में उसी शहर की बर्बादी को भी देख रहा हूं।

अभी सनत भाई ने ठीक कहा कि जब गांधी जी साबरमती नदी के किनारे आश्रम में बैठते थे तो मेरे क्षेत्र की 76 कपड़ा मिलों से जो धुआं उठता था, उसे देखकर प्रसन्न होते थे क्योंकि उससे दो लाख परिवारों के घरों को रोजी-रोटी मिलती थी। उस धुंए में सिर्फ गुजरात के लोगों का चूल्हा ही नहीं जलता था बल्कि देश के कोने-कोने से आए, बिहार, कलकत्ता, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि से आकर मेरे क्षेत्र में बसे लोगों के चूल्हे भी जलते थे, उनकी रोजी-रोटी चलती थी। टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज का वह स्वर्ण युग था क्योंकि वहां 76 कपड़ा मिलें थीं।

एक के बाद एक मिलें बंद होती गईं। मैं इसकी राजनीतिक चर्चा में नहीं जाना चाहता। आज 25-30 मिलें चालू हैं। यह सिर्फ गुजरात की ही स्थिति नहीं है। देश में 1200 मिलें थीं। 1985 की टेक्सटाइल पालिसी के अंतर्गत मिलें बंद पड़ती गईं। उनके कामगारों के अधिकारों की हम रक्षा नहीं कर पाए।

सभापति जी, मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि हम 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। हमें अपने संविधान पर गौरव होगा। हम अपने संविधान के बारे में खुशियां मनाएंगे। क्या कहता है हमारा संविधान ? क्या इस मामले में हम उस संविधान की रक्षा कर पाए ? मैं उद्धृत करना चाहूंगा:

[अनुवाद]

भारत को संविधान, राज्य के नीति निदेशक सिद्धस्त-अनुच्छेद 41 और 43

[हिन्दी]

जिसमें कामदारों के हितों की रक्षा करने की बात कही गई है।

[अनुवाद]

मैं अनुच्छेद 41 को उद्धृत करता हूं :

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शकक्ता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा।"

मैं अनुच्छेद 43 को उद्धृत करता हूं जो काफी महत्त्वपूर्ण है :

"राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या बिना अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"

[श्री हरिन पाठक]

मैं अनुच्छेद 43क उद्धृत करता हूं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 43क को पढ़ें जिसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख है :

"राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

[श्री हरिन पाठक]

[हिन्दी]

हम कैसे खुशियां मनाएंगे ? दो लाख कामदार, दस लाख लोग, दो लाख परिवार पिछले 15 सालों से बेरोजगार होते जा रहे हैं। कई बार इस सदन में चर्चा उठी। अनेक योजनाएं बनीं लेकिन वह कागज पर ही रहीं। उनका अमलीकरण नहीं हुआ। मैं खुद भुक्तभोगी हूं इसलिए मुझे वेदना से कहना पड़ता है। मेरा निवास स्थान करूणावती के मध्य में है। शहर के मध्य में एक सुंदर सरोवर है। कांकरिया लेक उसको कहते हैं। उसके किनारे पर मेरा एक छोटा सा फ्लैट है। पिछले 10 सालों में मैं जब भी वहां से गुजरता हूं तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब उस सरोवर के किनारे पर किसी मुर्दे को सफेद कपड़ों में मैंने न देखा हो। सरोवर में नौका विहार करने की जगह को बंद मिल का कामगार शाम होते ही उसे आत्महत्या का साधन बना लेता है।

मैं आपके माध्यम से कुछ मांगें मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। उन मांगों के जरिए सारे कपड़ा उद्योग की जो स्थिति है जिसका विवरण अभी सनत जी ने किया है, वह मैं रखना चाहूंगा। 1985 में जब टेक्सटाइल पालिसी घोषित की गई तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उसके कामदार के पुनर्वसन लिए एक टैक्सटाइल वर्क्स रिहैबिलिटेशन फण्ड किया गया। उसके हिसाब से जो भी मिल बंद होती थी तो उसके कामदार को उसके प्रति मास की जो पगार थी उसका 75 प्रतिशत प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष 50 प्रतिशत और तृतीय वर्ष 25 प्रतिशत मिलता था।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि रीहैबिलिटेशन के अंतर्गत, टी॰ डब्ल्यू॰ आर॰ एफ॰ के अंतर्गत अभी 20 हजार कामगारों का 20 करोड़ रुपया बकाया है। कामगार बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं। मेरा शहर टूट चुका है। दस लाख लोग हैं और सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। हम बार-बार इस समस्या को सदन में उठाते हैं। आपके माध्यम से मेरी पहली मांग यह है कि आप श्रम मंत्री जी के साथ बैठकर कम से कम टैक्सटाइल वर्कर्स रीहैबिलिटेशन की जो स्कीम है, उस योजना के अंतर्गत जो आपको देना है, कम से कम 20 करोड़ रुपया बाकी है, उसका प्रावधान करें।

जैसा सनत भाई ने बताया, उन्होंन खुद भी अभ्यास करके एक स्कीम बनाई थी लेकिन वह मूर्तिमत में नहीं हो पाई। मैं गांधीवादी नेता को जरूर याद करूंगा। सनत भाई शायद उनका नाम लेना भूल गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : आपके लिए रखा है।

श्री हरिन पाठक : मेरे लिए रखा है। धन्यवाद।

अरविंद बुच नाम के 80 साल के गांधीवादी नेता पिछले तीन साल से करुणावती, अहमदाबाद की मजूर महाजन की फुटपाथ पर धरना देकर बैठे हैं। जो योजना उन्होंने बनाई, जिसे योजना को सरकार ने समर्थन दिया, मैं राजनैतिक चर्चा नहीं करूंगा कि गुजरात में किसकी सरकार थी और केन्द्र में किसकी सरकार थी, लेकिन 3-3 साल हो जाते हैं उस योजना के अंतर्गत, उसका समर्थन सरकार से नहीं मिलता। सरकार ने एक और आबिद हुसैन कमेटी बनाई थी। 1985-86 में उसका गठन हुआ, 1993-94 में उसकी रिपोर्ट आई मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आबिद हुसैन कमेटी की जो 12 सिफारिशें हैं, उन पर आप अमल तो करें। उन्होंने उसमें बहुत अच्छी सिफारिशें की हैं। जिस क्षेत्र में 25 हजार से ज्यादा कामगार बेरोजगार हों, वहां टैक्सटाइल रीस्ट्रक्चरिंग ऐसैट्स ट्रस्ट बनाया जाए और उस ट्रस्ट के अंतर्गत स्टैटूचरी लेवल का कोई अफसर हो और वह सारी परिस्थितियों का अध्ययन करे। कामगारों का जो बकाया पैसा है, उसे कैसे वापिस किया जाए, कामगारों का पुनर्बसन हो और जो फालतू जमीन है, उसे बेचकर उसी में से पैसा कमाया जाए और वहां छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ दी जाएं। लेकिन यह नहीं हो रहा है। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ में सब कुछ भेजा जा रहा है और बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ कम्पनी एक्ट के तहत काम करती है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग होगी कि आबिद हुसैन कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* पिछले सालों में 18 सत्र हो गए, कोई सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने इस सवाल को इस सदन में, सदन के बाहर, मंत्री जी के पास, सड़कों पर नहीं उठाया हो। आज मुझे खुशी है कि हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, दो दिन के बाद हमारा सत्र समाप्त होगा और फिर जब हम उत्सव मनाने के लिए विशेष सत्र में मिलेंगे तो उससे पहले कामगारों की चिन्ता करते आबिद हुसैन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए कम्पनी एक्ट में सुधार करके टैक्सटाइल रीस्ट्रक्चरिंग ऐसैट्स ट्रस्ट को बनाया जाए और उसमें इसका प्रावधान किया जाए।

14 जुलाई, 1991 में हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा हुई। उसमें सेफ्टी नैट टू दी वर्कर्स का उल्लेख किया गया है। मैंने पहले कहा है कि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कि स्वभाव के अनुरूप लम्बा-चौड़ा भाषण दूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उनकी समस्याएं हैं और यह समस्या किसी एक की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। देश के विभिन्न कोने में इतना मशहूर उद्योग जो दुनिया में माना हुआ उद्योग था, सूती कपड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है, उसकी सारी मिलें एक के बाद एक बंद होती जा रही हैं। उसपर गहनता से विचार किया जाए, उसकी कोई योजना बनाई जाए। 20 करोड़ रुपए जो वर्कर्स को देने बाकी हैं, सेफ्टी नैट टू दी वर्कर्स के अंतर्गत मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा।

एक अच्छा-सा उदाहरण गुजरात सरकार ने किया है, 11 मिलें गुजरात स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन चलाती थी, हमने एक समझौता किया, मजूर महाजन संघ, जो कि गांधी जी की प्रेरणा से आज से 100-125 साल पहले स्थापित किया था, उसके साथ समझौता करके हमने बी॰

आर॰ एस॰, वालेंटरी रिटायरमेंट के अंतर्गत 11 मिलों के मजदूरों को हंसी-खुशी सब के साथ समाधान करके 220 करोड़ रुपया उन्हें देने की घोषणा की है और यह स्कीम आज अमल में है, वालेंटरी रैजिगनेशंस आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि बहुत सारे मजदूर, 100 परसेंट मजदूर इसमें जुड़ जाएंगे।

इस सदन में सनत भाई का एक प्रश्न था, जिसमें मैंने आपकी अनुमति से यह विशेष उल्लेख किया, इसी सवाल को लेकर हमने यह प्रश्न उठाया था, आप उस दिन पीठासीन थे और आपने हमें अनुमति दी थी। बाकी हमारे सभी साथी इसमें जुड़ गए थे। अध्यक्ष जी ने यह कहा कि मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय और जिन-जिन क्षेत्रों में एन॰ टी॰ सी॰ की मिलें हैं, उनके सांसदों की एक मीटिंग उनके चैम्बर में बुलाई जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वह मीटिंग जल्दी बुलाई जाए। यह उल्लेख करूंगा 2005 करोड़ रुपए की योजना का। बहुत दुख होता है, एक सरकार जिसकी कलैक्टिव रैस्पोंसिबिलिटी होती है, वह सरकार इस पूरी समस्या का अभ्यास करती है। तत्कालीन कपड़ा मंत्री जी॰ वेंकटस्वामी जी के नेतृत्व में सारे पहलुओं का अभ्यास करके 2005 करोड़ रुपए की एन॰ टी॰ सी॰ मिलों के पुनर्वसन की, रिहैबिलिटेशन की एक योजना बनाई गई। कैबिनेट ने उसको मंजूर कर दिया, उसका अमलीकरण बाकी है, हम लोग रोज अखबार में पढ़ते थे, रोज सुबह होती थी, टैक्सटाइल वर्कर हमारे घर आते थे हमें पूछते थे कि हरिन भाई, क्या यह जो समाचार आया है, वह ठीक है। हम कहते थे कि सरकार ने 2005 करोड़ की योजना की घोषणा की है। मुझे बराबर वह दिन याद है, दिवाली का अगला दिन था और कुछ एन॰ टी॰ सी॰ मिलों के कामगारों को बोनस नहीं मिला था। दो दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए। मैं दिवाली के अगले दिन जी॰ वेंकटस्वामी जी के बंगले पर गया था, उनसे प्रार्थना की थी कि एन॰ टी॰ सी॰ के कामगारों को उनकी तनख्वाह और उनका बोनस दिया जाए। मुझे खुशी है कि उन्होंने वह काम किया।

मगर यह 2005 करोड़ की योजना आज कहां है ? यह सरकार कहती है कि हमें यह योजना मंजूर नहीं है, जो पिछली सरकार ने इतना अध्ययन करके इतनी बड़ी योजना बनाई, उसको मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। मेरे मित्र ने आई॰ एल॰ ओ॰ का उल्लेख किया है, मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। मैं चाहता हूं कि हरेक व्यक्ति को मौका मिले।

श्री हरिन पाठक : महोदय, आपने मेरे मित्र को 10 मिनट तक बोलने का मौका दिया मैं तीन-चार मिनट और लूंगा।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी सिफारिश संख्या 180 जो अपने सम्मेलन संख्या 173 में किया था। स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रमिकों को बकाया राशि के भुगतान को प्राथमिकता दी जाए।

[हिन्दी]

कुछ हो नहीं पा रहा है। एन॰ आर॰ एफ॰ के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए रखे गए। पिछले चार-पांच साल से लगातार हम लोग मांग करते हैं कि 300 करोड़ रुपया हमें लोन पर दिया जाए। गुजरात में बंद मिलों के कामगारों के पुनर्वसन के लिए, मिलों के माडर्नाइजेशन के

[**कर्नल राव राम सिंह** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 4.34 बजे

लिए 300 करोड़ रुपया हमें दिया जाए। आज तक एक रुपया हमें दिया नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो एन॰ आर॰ एफ॰ के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक से हम पैसा ले आते हैं, हम वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगते हैं कि हम माडर्नाइजेशन करना चाहते हैं और वह पैसा वालेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में दे देते हैं, यह धोखा है। यह कामगारों के साथ धोखा है। जब यह बात दुनिया के सामने जाएगी, तब हमारी क्या स्थिति होगी। एक तरफ हमारे कामगार बेरोजगार बनते जा रहे हैं, उनकी 5-5, 10-10, 12-12 साल पुरानी मांगें पूरी नहीं कर पाते हैं और उनकी ये मांगे ऐसी नहीं हैं, उनका कानूनन अधिकार है, उनकी पी॰ एफ॰, उनकी ग्रेच्युटी सरकार ने जो नीतियां बनाईं, उसके अंतर्गत उसका जो सही फाइनेंशियल बकाया है। उसकी जो डिमांड है, वह हम पूरा नहीं कर पाते हैं।

मेरी दो छोटी बातें आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा कि एन॰ आर॰ एफ॰ के अंतर्गत बन्द मिलों की कामगारों को ट्रेनिंग दी जाती है और वैकल्पिक काम-काज के लिए, क्योंकि यह जो टैक्सटाइल मिल होती है, वह कम्पोजिट यूनिट होती है, जिसमें विभिन्न ब्लीचिंग डिपार्टमेंट, विविंग और स्पिनिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ये 40-40 साल काम करने वाले आदमी कहां जाएंगे ? मिल बंद हो जाने के बाद कैसे अपना रोजगार करेगा। इसके लिए एक योजना बनाई गई कि उनको तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन महीने के प्रशिक्षण से कुछ नहीं होगा, मेरा सुझाव है कि एन॰ एफ॰ आर॰ के अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी अवधि चार महीने की जाए। इसी तरह से उनको इस अवधि में 40 रुपए रोज के स्थान पर 100 रुपए देने चाहिए। हमने करोड़ों रुपया बैंकों में बांटा है।

[अनुवाद]

यह मेरा सौभाग्य है कि घोटाले की जांच संबंधी संयुक्त समिति का मैं एक सदस्य था।

[हिन्दी]

मुझे मालूम है उस स्कैम से सोशल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत करोड़ों रुपया इस देश का चला गया, कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करे, तो जिस विषय में उसने प्रशिक्षण लिया है उसकी किट उसे दी जानी चाहिए।

हम आजादी की पचासवीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। मैं कपड़ा मंत्री जाल्लप्पा जी से कहूंगा कि देश का यह बुनियादी उद्योग मृतप्राय हो रहा है। मेरे क्षेत्र में 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी

[श्री हरिन पाठक]

की लड़ाई लड़ी गई थी। अहमदाबाद की सारी मिलों के कामगारों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर साढ़े तीन महीने तक बिना पगार लिए टोटल हड़ताल रखी थी। स्वर्ण जयंती पर कुछ लोगों को ताम्र पत्र दिया जाएगा, गोल्ड मैडल दिया जाएगा। हमने वह नहीं चाहिए जिन कामगारों ने साढ़े तीन महीने आजादी की लड़ाई लड़ी पुलिस की लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, उनको उनका हक दे दिया जाए। उनको मैडल नहीं चाहिए।

श्री सनत मेहता : बकाया दे दीजिए।

श्री हरिन पाठक : उनका बकाया पैसा दे दीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है इस टूटते हुए और बिखरते हुए कपड़े उद्योग को पुनर्जीवित किया जाए। जैसा सनत जी ने कहा कि कहीं हम पचासवीं सालगिरह पर उल्टे पांव न चलें। कभी मानचैस्टर कहलाने वाला यह शहर आज मृतप्राय पड़ा है। दस लाख परिवारों के भूखों मरने की नौबत आ गई है। नियम 193 के तहत चर्चा कराने के बजाए ऐसा ठोस कदम उठाया जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उठाया जाए। अगर सचमुच उन कामगारों के लिए हमारे मन में वेदना और तड़प है और उनकी समस्याओं को हम हल करना चाहते हैं, तो जो योजना बनाई है, उसको क्रियान्वित करके उनकी समस्याओं को हल करें।

यह उद्योग सचमुच मृतप्राय नहीं है। हमारी मंशा ठीक नहीं है इसलिए मरा हुआ है। अगर सरकार अपना मनोबल दृढ़ करती है कि उद्योग को बचाना है और आगे बढ़ाना है तो मैं समझता हूं इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। पूरा सदन इस सरकार के साथ है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं पूर्व वक्ताओं से अपनी सहमति प्रकट करते हुए एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। वस्त्र उद्योग पर चर्चा हो रही है।

सूती वस्त्र उद्योग की बात माननीय सदस्य ने कही। लेकिन गांवों में हस्तकरघा, लूम और हैंडलूम उद्योग हैं, उन उद्योगों की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। उसमें लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग आज बिल्कुल बेकार हो गए हैं। हमारे क्षेत्र में भी जो हैंडलूम उद्योग था, खादी वस्त्र के लिए जो लूम चलता था और खादी बनाई जाती थी, वह आज बिल्कुल बंद पड़ा है। उनको न सूत दिया जाता है, न उनको लूम के लिए सहायता दी जाती है। वे सब बेकार पड़े हैं और जो जुलाहे लूम उद्योग में लगे हुए थे, उनके यहां आज भुखमरी की स्थिति आ गई है। लोग बिल्कुल बेकार हो गए हैं। उन पर विशेष रूप से गांवों के क्षेत्रों में जो लूम उद्योग हैं, उन पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैं बिहार के औरंगाबाद से आता हूं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस चर्चा के दौरान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां का एक ओबरा कालीन उद्योग था, जिसको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला था, लेकिन वह उद्योग भी आज बंद हो गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि वस्त्र उद्योग जो एक-एक करके बंद होते जा रहे हैं, उन पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इस उद्योग में करोड़ों लोग लगे हुए हैं। इन लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए, इनके लिए समुचित उपाय करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संदीपान थोरात (पंढरपुर) : सभापति महोदय, चर्चा प्रारम्भ करते हुए मैं यह कहता हूं कि श्री सनत मेहता ने कपड़ा उद्योग की चर्चा के संबंध में अच्छा योगदान दिया है। मैं उनके विचारों को पूरा-पूरा समर्थन देता हूं।

कपड़ा उद्योग इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है। राष्ट्र का 1/5 हिस्सा इस उद्योग में लगा है। कुल निर्यात का 1/3 भाग इस उद्योग से प्राप्त होता है। अतः यह एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इस उद्योग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं किसी एक सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। चाहे यह सरकार हो या तो लोकतंत्र। प्रारम्भ से इस उद्योग को उपेक्षित रखा गया है।

भारतीय कपड़ा उद्योग मुख्यतः कपास पर निर्भर करता है। कपास मूल रूप से इस उद्योग की कच्ची सामग्री है। कपास के मूल्य में हर साल फेर बदल होता रहता है। यदि किसी उद्योग में कच्चे माल की कीमत 60 प्रतिशत से अधिक होती है तो वह उद्योग घाटे में चलेगा। इसी तरह, कपड़ा उद्योग में भी हुआ। हमारी नीति रही है कि इस उद्योग के लिए हम सस्ते दरों पर कच्ची सामग्री लेते रहें। अतः, इस उद्योग को उचित कीमत पर कपास उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जहां तक सूत उत्पादन का संबंध है तो माननीय मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि मेरा संबंध महाराष्ट्र के कपड़ा उद्योगों से है न कि समस्त देश से। मैं अपनी चर्चा कताई मिलों तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कताई उद्योग को सहकारी क्षेत्र में रखना स्वर्गीय श्री वाई॰ बी॰ चव्हाण का सपना था जो महाराष्ट्र में इस उद्योग के अग्रणी माने जाते थे। अनेक प्रतिबंधों के फलस्वरूप कताई उद्योग समाप्त हो रहे हैं। सर्वप्रथम, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि सूती धागे की लच्छा की बाध्यताएं इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। कपड़ा मंत्रालय सूती धागे की लच्छा संबंधी बाध्यताओं का आदेश समय-समय पर जारी करती रही है। धागे का पचास प्रतिशत भाग सूती धागे के लच्छे के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जब कोई मिल सूती धागे का लच्छा तैयार करती है तो उसे कोई भी नहीं खरीदता। यह कहा जाता है कि वह हथकरघा है किन्तु यह मात्र कागजों पर ही होता है। वह हथकरघा नहीं होता है।

मैं हथकरघा क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हूं। उसे सही तरीके से काम करना चाहिए। उसे वास्तव में काम करना चाहिए। लेकिन लोग अपने कपड़े बिजलीकरघा पर बुनते हैं और अपने कपड़ों पर हथकरघे की सील लगाते हैं और सरकार को रियायत पाकर पैसा कमा रहे हैं। इसे

बंद करना चाहिए। आप इस हैंक यार्न पर पाबन्दी लगाना जारी रखिए। मान लीजिए मिल ने हैंक यार्न का उत्पादन किया है, तो उसे खरीदने की एक योजना बनाई जानी चाहिए जहां उत्पादन पर आप कोई बंधन लगाते हैं, वहां निश्चय ही उसे खरीदने के लिए भी कोई नीति बनाई जानी चाहिए। जब यहां आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होता है, उसे पूर्णतः लागू करना चाहिए न कि आंशिक रूप से। आवश्यक वस्तु अधिनियम में निहित है कि जब आप उत्पादन पर पाबन्दी लगाते हैं, तो आपको उसे खरीदना चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपयुक्त कीमतों पर उचित दर दुकानों के माध्यम से बेचना चाहिए।

इस दिशा में सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार को उस उत्पाद को खरीदकर उचित दर दुकानों में रखना चाहिए। उन्हें उचित दर दुकानों से खरीदने दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अनेक मिलों को नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका स्टाक गोदामों में पड़ा है और कोई भी उनसे खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा है। यह वास्तविकता है। इससे उत्पादन में रुकावट आती है और उसके परिणामस्वरूप हानि भी होती है।

महोदय, यदि एक यूनिट, जिसकी पूंजी एक करोड़ से कम है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उस यूनिट से किराया, बिजली के बिलों की अदायगी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर की अदायगी भविष्य निधि इत्यादि द्वारा राष्ट्रीय आय के 150 करोड़ रु० से अधिक की आय होती है। इसलिए, कृपया देखिए कि हैंक यार्न पर पाबन्दी आदेश, 1995 को समाप्त किया जाए। यदि आप उसे वापस लेना नहीं चाहते हैं तो उस यार्न को खरीदने के लिए कोई योजना बनाइए।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि आप यार्न बैंक क्यों नहीं बनाते हैं। हैंक यार्न खरीदिए और उसे बैंक में रखिए। बुनकरों को आकर हथकरघा आयुक्त से खरीदने दीजिए। कताई मिलों को रुग्ण नहीं होने दीजिए। महाराष्ट्र में कुछ कताई मिलें हैंक यार्न की पाबन्दी के कारण रुग्ण हो रही हैं।

[हिन्दी]

नेता जी और हरिन पाठक जी कह रहे थे कि उनकी अहमदाबाद सिटी मानचेस्टर है। ...*(व्यवधान)* शोलापुर शहर भी एक मानचेस्टर है, नाईक साहब को मालूम है। आज भी शोलापुर शहर से एक्सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया कपड़ा जाता है। चादर और टावल के लिए शोलापुर शहर मशहूर हैं, मगर उस शहर की दशा बहुत बदल गई है। फॉर्मर स्पीकर शिवराज साहब यहां बैठे हैं वह हमारे शहर के जमाई हैं। आज उस शहर की जो परिस्थिति है उसे मैं बता नहीं सकता हूं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। जो शोलापुर स्पिनिंग एंड विविंग मिल ठीक चल रही थी वह बंद हो गई। उसकी मिट्टी भी बेच दी गई। अभी भी बी० आई० एफ० आर० के पास जो लक्ष्मी-विष्णु मिल का मामला चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सोचें। बी० आई० एफ० आर० में वह बात चल रही है उसमें जो मालिक हैं वह मालिक और बी० आई० एफ० आर० मिले हुए होते हैं, उसकी तरफ जरा सोचना चाहिए।

महोदय, लक्ष्मी-विष्णु मिल एक बहुत बढ़िया मिल थी, वह बंद हो गई और चार हजार कामगार इधर-उधर घूम रहे हैं। उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके चूल्हे बंद पड़े हैं। उनके लिए मैं मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि एन० टी० सी० के माध्यम से उसका टेकओवर कर लो। एन० टी० सी० को मदद पहुंचाने की जो चर्चा अभी चल रही है, वह आपको मिल जाएगी। वेंकटस्वामी जी ने जो प्रोग्राम बनाया है वह आपको मिल जाएगा, मेरा विश्वास है। उसके लिए झगड़ा करो, पूरा हाउस आपके साथ रहेगा।

पैसा भी मिल जाएगा। मुम्बई, अहमदाबाद में जगह बेचने के बाद जितना पैसा मिल जाएगा, उतना ही पैसा, शोलापुर सिटी की जमीन का भाव भी अच्छा है, उससे आपको मिल जाएगा। मालिक बेच रहा है, उसको आप जरा रोको। यहां से आर्डर भेज दो कि जो चल रहा है वह बंद करो। आर्डिनेंस निकालकर उसे अपने कब्जे में कर लो तो चार हजार फैमिली आपको दुआ देंगी।

दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता था वह यह है कि हैंडलूम के बारे में जो सैन्सस हो रहा है उसको तेजी से करो और काफी तेजी से करके पता लगाओ कि कितने हैंडलूम इस देश में हैं और उनके लिए कितना यार्न चाहिए। मैंने आपको प्राइवेट तौर पर जिक्र भी किया था कि शोलापुर शहर में आपका टैक्सटाइल का एक यूनिट होना चाहिए। वहां एक ट्रेनिंग सैंटर बनाओ और उसके माध्यम से शोलापुर शहर में इनकी जो दुर्दशा हो रही है उसको रोको।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे कपड़ा उद्योग में संकट जैसे महत्त्वपूर्ण और राष्ट्रीय मुद्दे को चर्चा के लिए स्वीकार करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करने दीजिए।

कपड़ा उद्योग हमारे देश का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और व्यापक उद्योग है। यह उद्योग इसलिए व्यापक और महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक यूनिट हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत 20 मिलियन श्रमिकों से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुल निर्यात का 1/5 हिस्सा कपड़ा क्षेत्र से निर्यात होता है बल्कि इसलिए क्योंकि इस उद्योग ने विगत में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने में सहायता की है।

महोदय, जब हम स्वतंत्र नहीं थे ढाका का मलमल बहुत मशहूर था। उस उद्योग को समाप्त करने के लिए और हमारे बाजार पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा। लेकिन, महोदय, यह उद्योग जिसने विगत में प्रगति की थी, यह उद्योग वर्ष 1980 से ही संकट का सामना नहीं कर रहा है। श्री सनत मेहता ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीय कपड़ा निगम सहित कपड़ा उद्योग की सभी समस्याओं के सभी पहलुओं को वर्ष 1982 से बहुत व्यापक, स्पष्ट तथा भावनात्मक रूप से निपटाया है। यह उद्योग वर्ष 1951 के बाद रुग्णता का शिकार होना शुरू हुआ था। 26 जुलाई, 1985 को सभा में कपड़ा नीति पर एक घोषणा की गई थी।

अपराह्न 5.00 बजे

कपड़ा उद्योग की समस्याओं का उल्लेख करते हुए इस उद्योग की रुग्णता तथा इस उद्योग पर आए संकट के कारणों का उल्लेख किया गया। यहां केवल एक कारण नहीं है। अनेक करण हैं। राष्ट्रीय कपड़ा

[श्री बसुदेव आचार्य]

नीति के संबंध में दिए गए भाषण में बढ़ रही रुग्णता के कारणों का उल्लेख किया गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

"रुग्णता हाल ही में आरम्भ नहीं हुई है, यह इस बात से देखा जा सकता है कि वर्ष 1951 में 151 अलाभकारी यूनिट थे। इस उद्योग में रुग्णता के कारण हैं संयुक्त मिलों द्वारा अपने उत्पाद का कुछ प्रतिशत नियंत्रित दरों पर सामाजिक दायित्व के रूप में रियायती दरों पर सप्लाई करना, लम्बी अवधि, स्टोरों में हाथ से बने सूती धागे की ऊंची लागत, बिजली की अधिक दरें, बढ़ते हुए किराए के बिल, फालतू कर्मचारीवृन्द अधिक उत्पाद शुल्क मांग में लगातार कमी, सूती कपड़े से अधिक ब्लेंडिड और हाथ से बने कपड़े का उपभोक्ताओं द्वारा अधिक पसन्द किया जाना, पुरानी मशीनरी, उत्पाद शुल्क में रियायत के कारण बिजलीकरघे की आकस्मिक वृद्धि के कारण प्रतिस्पर्द्धा और इसका उपवंचन तथा सामान्य रूप से इन मिलों का प्रबंध।"

कपड़ा उद्योग में संकट के मामले पर चर्चा करते हुए इन कारणों की व्याख्या की गई है। इस समस्या से निपटने के लिए रुग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 750 करोड़ रु० की एक निधि स्थापित की गई थी क्योंकि यह महसूस किया गया था और मुख्य कारण यह था कि मशीनरी पुरानी थी। आधुनिकीकरण नहीं किया गया और इन रुग्ण मिलों को व्यवहार्य बनाने के लिए आधुनिकीरण की आवश्यकता थी। आधुनिकीकरण के लिए निधि सृजित की गई। लेकिन आधुनिकीकरण के क्या परिणाम निकले ? निधि स्थापित हुई थी लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हुआ। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1985 के बाद, जब सभा में नीति के संबंध में वक्तव्य दिया गया था, इनमें से कुछ रुग्ण मिलों को व्यवहार्य बनाने की बजाए और कपड़ा मिलें रुग्ण हो गईं।

रुग्ण मिल अधिनियम के अंतर्गत बी० आई० एफ० आर० की स्थापना के बाद 300 से अधिक मिलों को बी० आई० एफ० आर० को सौंपा गया। यह बहुत हैरान कर देने वाली बात है जबकि यह एक इतना बड़ा उद्योग है जिसमें दो करोड़ से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो इसकी वर्षों से उपेक्षा क्यों की जा रही है।

जब वर्ष 1992 में राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना की गई तो इसका उद्देश्य प्रशंसनीय था। हमने अपनी आशंका व्यक्त की थी कि हालांकि इसके उद्देश्य प्रशंसनीय हैं, जबकि बी० आई० एफ० आर० का गठन आधुनिकीकरण के लिए किया गया था, पुनुर्द्धार पुनःप्रशिक्षण, पुनः बहाल करने के लिए किया गया था फिर भी राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए निधि प्रदान करना था।

पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपेक्षा की गई थी। इस निधि के एक छोटे से भाग को पुनः प्रशिक्षण और पुनः बहाल करने के लिए खर्च किया गया था।

महोदय, हमारी पुरानी तकनीक के कारण हम समस्याओं का तथा संकट का सामना कर रहे हैं। हमें अपनी तकनीक को आधुनिकतम बनाने की आवश्यकता है क्योंकि आधुनिकीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है। वर्ष 1968 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना की गई थी। वर्ष 1968 से 120 मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत शामिल किया गया था। राष्ट्रीय कपड़ा निगम से संबंधित लगभग सभी मिलों को कार्पोरेशन के अंतर्गत ले लिया गया और बाद में उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण केवल एकमात्र रामबाण नहीं था। राष्ट्रीयकरण के बाद पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए निधि की आवश्यकता थी।

वर्ष 1968 से आधुनिकीकरण के लिए कुछ नहीं किया गया। भारत सरकार की यह परम्परा रही है। मिलों को कार्पोरेशन के अंतर्गत ले लिया गया और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका उद्देश्य था मिलों को कुशलता से चलाना। जब मिलों को कार्पोरेशन के अंतर्गत ले लिया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था। मिलें कुशलता से किस तरह काम कर सकती हैं ? मिलें कुशलता से कार्य कर सकती हैं यदि धनराशि प्रदान की जाए और यदि पुरानी मशीनरी का नवीनीकरण किया जाए। लेकिन मिलों को बंद कर दिया गया। ऐसा करना न केवल कर्मचारियों को बचाने के लिए आवश्यक था बल्कि मिलों को चलाने के लिए भी आवश्यक था। पुनर्वास का अर्थ है रुग्ण मिलों को फिर से चालू करना। यह कैसे संभव है ? यह केवल आधुनिकीकरण द्वारा ही किया जा सकता है।

कपड़ा मिल मज़दूरों का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वे आज़ादी के लिए लड़े। वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन कपड़ा मिल मज़दूरों को संघर्ष करना पड़ा।

मुम्बई कपड़ा मिल मज़दूरों का इतिहास भी संघर्ष का रहा है। एक वर्ष में कितनी मिलें बंद हो गईं ? अनेक मिलें बंद हो गईं, लेकिन मिल मज़दूरों ने अपना संघर्ष जारी रखा। अब सभा कपड़ा मिल मज़दूर, सी० आई० टी० यू० से लेकर बी० एम० एस० तक सभी सैंट्रल ट्रेड यूनियनें पांच अथवा छः सैंट्रल ट्रेड यूनियनों ने एक साथ मिलकर संयुक्त कार्य समिति का गठन किया। लम्बे संघर्ष के बाद इस सभा में एक मांग की गई। कपड़ा अनुसंधान के अनेक संगठन हैं। यह चार कपड़ा अनुसंधान संगठन—एस० आई० टी० आर० ए०, वी० टी० आर० ए०, एन० आई० टी० आर० ए० और ए० टी० आई० आर० ए० को रुग्णता की जांच करने और स्थिति को सुधारने तथा इन रुग्ण मिलों को पुर्नजीवित करने के संबंध में उपायों का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने दो वर्ष के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। यह बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। सभी अनुसंधान संगठनों ने एक सामान्य जांच व अध्ययन न करके हर यूनिट का अध्ययन किया। मेरे पास कपड़ा अनुसंधान संगठन की रिपोर्ट की एक प्रति है। उन्होंने व्यवहार्यता के संबंध में और व्यवहार्यता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संबंध में प्रत्येक यूनिट का अध्ययन किया। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक वर्ष बाद एक समिति गठित की गई।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमें पूर्व पीठासीन अध्यक्ष द्वारा बताया गया था कि समय का कोई बंधन नहीं होगा। श्री चित्त बसु यहां उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : कोई बंधन नहीं है। बंधन केवल यह है कि नियम 193 के अंतर्गत दो घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आज चर्चा समाप्त नहीं होगी।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, चार घंटे का समय आबंटित किया गया है न कि दो घंटे का।

सभापति महोदय : मुझे दो घंटे का समय दिए जाने के निर्देश हुए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : चर्चा आज समाप्त नहीं होगी। यह कल भी चलेगी।

सभापति महोदय : दो घंटे का समय 5.30 बजे पूरा होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा 6 बजे के बाद नहीं बैठेगी। चर्चा आज समाप्त नहीं होगी। अनेक वक्ता हैं।

सभापति महोदय : दो घंटे का समय 5.30 बजे पूरा होगा। चर्चा अपराह्न 3.35 बजे आरम्भ हुई थी।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह चर्चा की गई थी। उस समय चार घंटे का समय निर्धारित किया गया था। मैं नहीं जानता कि समय में परिवर्तन कैसे कर दिया गया है। इस देश के पूरे कामगार वर्ग के संबंध में यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है।

श्री राम नाईक : महोदय, यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत की जा रही है। लेकिन जब कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा की गई तो यह निर्णय लिया गया कि एक पूर्ण चर्चा होनी चाहिए और उसके लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया। लेकिन नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की गई।

सभापति महोदय : चर्चा नियम 193 के अंतर्गत हो रही है। उसमें कहा गया है कि पूर्वसूचना में कम से कम दो सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए ......" उसमें आगे कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं:

"अध्यक्ष एक सप्ताह में ऐसी दो बैठकें नियत कर सकेगा जब ऐसे विषय चर्चा के लिए जा सकें और दो घंटे तक की और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो बैठक की समाप्ति पर या उससे पहले दो घंटे से अधिक न हो।"

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह विषय उठाने के लिए ही इसे नियम 193 के अंतर्गत लाया गया था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कभी दो घंटे में समाप्त नहीं होती है। यह वास्तविकता है। आप अच्छी तरह जानते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां।

श्री राम नाईक : जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस मामले के संबंध में निर्णय लिया गया था तो हम वहां थे।

सभापति महोदय : यह नियम है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि दो घंटे का समय आबंटित किया गया है। यदि सभा समय बढ़ाना चाहती है तो मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने के लिए उनसे अनुरोध कर सकता हूं।

श्री राम नाईक : महोदय, ऐसा हो सकता है। इस बीच हम चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह चर्चा आज समाप्त नहीं होगी। अपना भाषण समाप्त करने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट और चाहिए।

सभापति महोदय : अनेक वक्ता हैं। मैं आपसे अपना भाषण समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। एक कठिनाई यह है कि हमें सभी सदस्यों को समय देना है। हमें अपने मुद्दे संक्षेप में प्रस्तुत करने हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मेरे विचार में इतने अधिक बंधन नहीं लगाए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि बहुत अधिक बंधन नहीं होने चाहिए। एकमात्र कठिनाई यह है कि यदि आप अधिक समय लेते हैं तो आप अन्य माननीय सदस्यों का समय ले रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इस संबंध में चिन्तित हूं।

श्री सनत मेहता : महोदय, मैं काफी प्रेरित हुआ हूं क्योंकि सभापति के पैनल के सदस्य जब बोलते हैं तो वे और समय की मांग करते हैं और जब हम बोलते हैं और वे सभापति के रूप में पीठासीन होते हैं तो हम पर रोक-टोक लगाते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरा विश्वास है कि आपने एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मुझे बताया गया है कि इस समय 120 मिलें रुग्ण हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : ....की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य समाप्त करने पर विचार करें।

श्री बसुदेव आचार्य : कपड़ा मंत्रालय ने पांच मुख्य सैंट्रल ट्रेड यूनियनों आई० एन० टी० यू० सी०, सी० आई० टी० यू०, एच० एम० एस०, ए० आई० टी० यू० सी० और बी० एम० एस० के साथ राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को पुनर्जीवित करने के संबंध में चर्चा करने के लिए एक समिति गठित की। तत्पश्चात् दो वर्ष की गहन चर्चा के बाद 9.4.94 को एक विशेष त्रिपक्षीय समिति में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को कपड़ा अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार योजना के अनुसार पुनर्जीवित करने का समझौता किया था। सभी राष्ट्रीय सैंट्रल ट्रेड यूनियनें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से सहमत हो गई कि 36,000 श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी। तत्पश्चात् सरकार ने उसे स्वीकृति प्रदान करने में एक वर्ष ले लिया। कई बार हमने यह मुद्दा सभा में उठाया है कि जब समझौता हुआ था तब मंत्रिमंडल द्वारा मिलों को पुनर्जीवित करने के इस पैकेज को स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की गई। हम इसके पीछे के कारण नहीं जानते। भारत सरकार द्वारा चार कपड़ा अनुसंधान संगठनों को नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रत्येक यूनिट का अध्ययन किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात् एक समिति गठित

[श्री बसुदेव आचार्य]

की गई थी। फिर विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से समझौता हुआ था। यूनियनें, प्रबंधन तथा सरकार सब इससे सहमत हो गए। उसके बाद, भारत सरकार ने उसे स्वीकृति प्रदान करने में एक वर्ष क्यों लगा दिया ?

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपसे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पहले ही 25 मिनट ले लिए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं दस मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि 10 मिनट की अवधि काफी लम्बी है। यह अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। वे अपना भाषण नहीं दे पाएंगे। चर्चा आज समाप्त होनी है।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे पास कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं 5. 30 बजे अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ...*(व्यवधान)*।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह चर्चा कल भी जारी रह सकती है।

सभापति महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार, अध्यक्ष द्वारा यह चर्चा आज ही समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : अन्ततः हम इसका उल्लेख सभा में कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मुझे यह नहीं मालूम कि अगले दो दिनों में सभा में कितना कार्य होना बाकी है। इसलिए मुझे खेद है कि मैं स्वतः समय नहीं बढ़ा पाऊंगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : सभी मामले उठाए गए हैं विशेषकर इसलिए क्योंकि कोई कार्य सूची में अन्य कार्य नहीं था। हमने कमी को पूरा करने के लिए सभी मामले उठाए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तत्पश्चात्, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिए था कि समय को चार घंटे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुझे खेद है कि ऐसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह निर्णय लिया गया था। यदि लिखित में ऐसा नहीं है तो यह मेरी गलती नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि विशेष रूप से समय को बचाने के लिए यह सब मामले उठाए गए हैं और चूंकि देश में यह एक ज्वलन्त विषय बना हुआ है, इसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि सभी विषय जो कि इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, महत्त्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

श्री सुमित्रा महाजन (इंदौर) : यह बहुत सीरियस मामला है, इतने मजदूरों का मामला है और हम अगर इस तरह एक डेढ़ घंटे में इसको समाप्त कर देने की बात करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा।

सभापति महोदय : मैडम, एक डेढ़ घंटे की बात नहीं है, बात दो घंटे की है।

श्री बसुदेव आचार्य : समय बढ़ा दीजिए, हम लोग तो चाहते हैं, हाउस चाहता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम 193 के अनुसार, समय सीमा दो घंटे है। जब तक कि मुझे निर्देश नहीं मिल जाते, मुझे स्थिति का ज्ञान नहीं है। कल, कुछ ऐसा हो सकता है जो इतना ही महत्त्वपूर्ण हो।

[हिन्दी]

कल हो सकता है कि इतना ही महत्त्वपूर्ण कोई और विषय हो। अब यह बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हुआ होगा कि हाउस को 16 के बाद एक्सटेंड करना है, मैं तो कह नहीं सकता।

[अनुवाद]

मैं यह कह नहीं सकता। इसलिए, मैं स्वतः ही समय बढ़ाने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार के पास 79 राष्ट्रीय कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए धनराशि नहीं है। तत्पश्चात् एक प्रस्ताव था कि इन सभी मिलों की अतिरिक्त भूमि को बेचकर धनराशि एकत्रित की जाएगी। उस पैकेज को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। उस समय, मेरे विचार में महाराष्ट्र सरकार उस प्रस्ताव से सहमत हो गई थी। उस समय महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति ले ली गई थी। तत्पश्चात् उसके एक वर्ष के बाद जब संयुक्त मोर्चा सरकार केन्द्र में सत्ता में आई तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना इरादा बदल दिया और उन्होंने अतिरिक्त भूमि को बेचने से इंकार कर दिया। भूमि मिलों की है। यदि सरकार प्रस्तावित 79 मिलों को पुनर्जीवित करने और उनका आधुनिकीकरण करने के प्रति गंभीर है ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : माननीय सभापति महोदय, मैं यहां स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यदि श्री बसुदेव आचार्य मान गए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : महाराष्ट्र सरकार भूमि नहीं बेच रही है क्योंकि मुम्बई में सभी कपड़ा मज़दूर भूमि को बेचने का घोर विरोध कर रहे हैं। भूमि को न बेचने का यही कारण है।

श्री बसुदेव आचार्य : मुम्बई में कपड़ा मजदूरों की सभी यूनियनें भूमि बेचने के लिए सहमत हो गई हैं। इसलिए, कुछ कार्यविधि निकालनी होगी। केन्द्र सरकार नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन करके भूमि पर कब्ज़ा कर सकती है क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद वे मिलों को पुनर्जीवित करने संबंधी पैकेज में परिवर्तन नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : अब, मुझे सूचित किया गया है कि मैं स्वतः ही समय बढ़ाने की स्थिति में नहीं हूं और चर्चा अपराह्न 5.35 बजे समाप्त होनी है। मेरे विचार में माननीय मंत्री चर्चा का जवाब देने में

15 से 20 मिनट और लगाएंगे। यह स्थिति है। इसलिए, सभा का क्या विचार है ? मुझे सभा की इच्छा के अनुसार निर्देश मिलेंगे। मुझे सूचित किया गया है कि नियमों के अनुसार मैं दो घंटे से अधिक चर्चा का समय बढ़ाने की स्थिति में नहीं हूं जो कि 5 बजकर 35 मिनट पर समाप्त हो जाएगा और उससे पहले मंत्री महोदय को उत्तर देना है। इसलिए मैं अब कुछ माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे इस विषय में मार्ग-निर्देश दें।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : इससे पहले कि आप बोलें, मैं यह कहना चाहूंगा कि कौल और शकधर में कई उदाहरण उद्धृत किए गए हैं। लेकिन, मैं उन सबके बारे में बताना नहीं चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि सभा मुझे इस मुद्दे पर सही राह दिखाने की स्थिति में है। यहां अनेक वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय मैं अपनी जानकारी सभी के साथ सांझी करना चाहूंगा। कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि चर्चा कम से कम चार घंटे के लिए होगी।

सभापति महोदय : यदि इस बात पर सहमति हुई थी तो मुझे हैरानी है कि यह कैसे हुआ कि इसका उल्लेख कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में नहीं किया गया जो कि सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी ? क्या इस बात का उल्लेख किया गया था कि इसमें चार घंटे का समय लगेगा ?

श्री राम नाईक : महोदय, यह रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : फिर श्री राम नाईक। मुझे नियमों तथा परम्पराओं द्वारा निर्देश लेने हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं आपको इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि सदस्यों के रूप में, हम यह महसूस करते हैं कि चर्चा जारी रहनी चाहिए। अब अनौपचारिक चर्चा में इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि इससे पहले कि मंत्री महोदय चर्चा का जवाब दें।

सम्बन्धित संसद सदस्यों की, इस समस्या का समाधान करने हेतु अध्यक्ष महोदय के साथ एक बैठक होगी। यह सब अनौपचारिक है, अपचारिक नहीं।

सभापति महोदय : क्या मैं एक बात कहूं ? मैं इस विशेष प्रश्न के सन्दर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहता हूं कि क्या सभापति एक स्थापति प्रथा के ऊपर अपना विनिर्णय दे सकते हैं ? क्या वह अपना विनिर्णय इसके ऊपर दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : बहुत सारे अवसरों पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल (लातूर) : महोदय, आपका यह कथन बिल्कुल सही है कि नियम के अनुसार समय निर्धारित है। अंग्रेजी 'शेल' शब्द का प्रयोग इस तरह की चर्चा के लिए के लिए एक सप्ताह में दो मौकों के अभिव्यक्ति करने के लिए किया गया है।

सभापति महोदय : इसके अनुसार नियम 193 के अंतर्गत सप्ताह में दो बार बहस की जा सकती है जिसकी अवधि दो घण्टे हो सकती है जो बैठक के बाद होगी। अत: हम इससे बाहर कैसे जा सकते हैं ?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : 'शेल' शब्द 'दो घण्टे' पर लागू नहीं होता। यह 'दो अवसरों' पर लागू होता है। वह हम पर लागू नहीं होता। यदि सदन की यह इच्छा हो, यदि सदस्य सदन में बैठना चाहें—चूंकि विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है, और यदि आपको यह उचित लगता, समयावधि बढ़ाई जा सकती है और सदस्यों को समय दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : मैं सदन के सदस्यों की इच्छा के अनुसार चलता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय मैं श्री शिवराज वी॰ पाटिल के कथन से सहमत हूं। उन्होंने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि सदन उनसे समयावधि बढ़ाने का निवेदन कर सकता है। मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करना आपकी अधिकार सीमा की परिधि में है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप दो घंटे की अवधि को बढ़ाकर छ: घण्टे कर दीजिए।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया आप इसे इतना मज़ाक में न लें। यह कोई हंसी-खेल नहीं है।

मैं इस स्थिति में हूं कि 6.00 बजे तक समयावधि को बढ़ा दूं। तत्पश्चात् यह अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेना होगा कि उन्हें क्या करना है। इस समय चार और वक्ता हैं अत: मैं श्री बसुदेव आचार्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण पूरा करें चूंकि वह पैंतीस मिनट पहले ही ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरशुदा पैकेज को बदलना नहीं चाहिए और उन्हें किसी मिल को बन्द नहीं करना चाहिए। कुछ सचिवों की एक उप-समिति बनाई गई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट दी। वित्त मंत्रालय ने एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें केवल तेरह मिलों को अर्थक्षम बनाने की सिफारिश की और 1,04,000 मजदूरों को काम से निकालने की सिफारिश की। उन्हें उस पैकेज को कार्यान्वित करना चाहिए जिसे इससे पहली सरकार ने भूमि हदबंदी कानून में संशोधन करके मंजूरी दी थी। जब तक वे इसे कार्यान्वित करते हैं तब तक एक निधि अथवा ऋण अथवा एक 'ब्रिज लोन' दिया जा सकता है और वित्त मंत्रालय द्वारा उसे मंजूरी दी जा सकती है।

हमारा वित्त मंत्रालय और भारत सरकार से आग्रह है कि जब तक अतिरिक्त भूमि को बेच कर एक ऐसी निधि का सृजन नहीं किया जाता तब तक भारतीय वस्त्र निगम की 79 बीमार मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं, महिलाओं को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। गीता जी, मेरा आप से अनुरोध है कि आप संक्षेप में अपना भाषण दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, भारतीय वस्त्र निगम की मिलों के बारे में चर्चा करने से पूर्व मैं एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ अर्थात् पटसन उद्योग के बारे में चर्चा करना चाहती हूं।

महोदय यह तो आप जानते ही हैं कि लाखों लोग पटसन उद्योग से जुड़े हुए हैं। यदि पटसन मिलें रुग्ण हो जाती हैं, फिर चाहे वे निजी मिलें हों या सार्वजनिक मिलें तो स्थिति बहुत गम्भीर हो जाती है। जहां तक एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ का सम्बन्ध है, उसके लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार की गई है और भारत सरकार ने उसे सहमति दे दी है। परन्तु दुर्भाग्य से कार्यशील पूंजी जो आवश्यक है, वह नहीं दी जा रही है। यह आवश्यक है कि यह धन उपलब्ध कराया जाए।

सभापति महोदय : क्या इस विषय में आप पटसन मिलों की चर्चा कर सकती हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय यह पटसन मिलें भी उसी मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं। मैंने इस सम्बन्ध में बी॰ ए॰ सी॰ से स्पष्टीकरण ले लिया है। मंत्री जी ने अपनी सहमति दे दी है। परन्तु वह धन अभी तक नहीं मिला।

श्री चित्त बसु : महोदय, चर्चा का विषय वस्त्र उद्योग की समस्याओं से सम्बन्धित है। अतः इसमें पटसन भी शामिल है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि सीमेंट उद्योग सरकार द्वारा दिए गए उन आवश्यक निर्देशों का उल्लंघन करता चला आ रहा है कि सीमेंट की पैकिंग के लिए उसे पचास प्रतिशत जूट की बोरियां खरीदनी होंगी। वे सरकारी आदेश के विरोध में अदालत में गए और अपना केस हार गए। इतना होने पर भी वे इन अधिदेशात्मक आदेशों का पालन नहीं कर रहे। सरकार को इन आदेशों का पालन करवाने के लिए कड़े उपाय करने चाहिए। यदि सरकार ऐसा करे तो चूंकि जूट की बोरियां एक बड़ा उत्पादन है पटसन उद्योग को—दोनों निजी और सार्वजनिक, को रुग्णता से बचाया जा सकता है।

आखिर में, मैं यह कहना चाहती हूं जे॰ सी॰ आई॰ को सरकार द्वारा आवश्यक सहायता देकर उसे सक्रिय बनाना चाहिए। भारतीय वस्त्र निगम के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती, मैं तो केवल इतना ही सुझाव देना चाहती हूं कि एक कार्य-दल या अध्ययन दल को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, श्रम प्रतिनिधि और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए। उन्हें मामले के अच्छे और बुरे पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए, जैसे वस्त्र उद्योग में रुग्णता जैसे विषयों पर अपनी रिपोर्ट छः महीनों के अंदर-अंदर प्रस्तुत कर देनी चाहिए, जिसमें विविधीकरण सहित पुनरुद्धार योजनाओं के प्रस्ताव भी होने चाहिए ताकि कारगर मजदूर वर्ग को रखा जा सके और बाकियों को पर्याप्त मुआवजे और सम्बन्धित लाभों के बाद युक्त कह दिया जाए। यह सब लाभ उन्हें दिए जाने चाहिए। प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक बजटीय सहायता जारी रखी जानी चाहिए। उत्पादकीय कार्य के अभाव में वेतन और भत्तों की अदायगी को, बेशक, निरुत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन एक चरणबद्ध कार्यक्रम में।

अर्थक्षम इकाइयों का प्रबंधन, व्यावसायिक प्रबंधकारों द्वारा मजदूरों के सक्रिय सहयोग से किया जाना चाहिए। अन्य निजी वस्त्र इकाइयों को सीमित आधुनिकीकरण योजना तथा अर्थक्षमता योजना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कम से कम यह थोडे बहुत कम तो किए जाएं। एक बार फिर, मैं विशेषकर सीमेंट उद्योग द्वारा पटसन बोरियों की खरीद पर जोर देती हूं ताकि पटसन उद्योग को बचाया जा सके।

श्री चित्त बसु : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पटसन उद्योग की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे माननीय और योग्य मित्र श्री सनत मेहता ने इस विषय पर व्यापक दृष्टिपात नहीं किया। वस्त्र उद्योग में पटसन उद्योग भी शामिल है।

किसी राज्य अथवा क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में कुछ वस्त्र मिलें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। जहां तक देश के पूर्वी हिस्से का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में पटसन अर्थव्यवस्था की जीवन-रेखा है।

लगभग चार करोड़ लोग, विशेषकर उत्पादक जूट उद्योग पर निर्भर करते हैं। पटसन उद्योग की मुख्य समस्या यह है कि उत्पादकों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता। उनके साथ हमेशा अभाव और शोषण वाला बर्ताव किया जाता है और उन्हें सरकार से न्याय चाहिए।

समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने देश के पटसन अर्थव्यवस्था के विस्तार में नहीं जाना चाहता। जे॰ सी॰ आई॰ की स्थापना सन् 1971 में की गई थी और उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था जब आप जानते हैं कि जे॰ सी॰ आई॰ सरकार की एकमात्र ऐसा अभिकरण है जो लाभदायक तथा अपितु निम्नतम मूल्य पर खरीद करता है। यदि आप पंजाब के निवासी हों और यदि सरकार द्वारा अनाज की युक्तिसंभव तथा लाभदायक मूल्यों पर खरीद न होती हो तो पंजाब और हरियाणा पर विवशपूर्ण बिक्री का कितना बुरा असर पड़ता है यह आप भली-भांति समझ सकते हैं, साथ ही यदि उन्हें लाभजनक मूल्यों से वंचित रखा जाता है तो केवल उत्पादकों की ही नहीं अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो जाती है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर का आर्थिक तंत्र भी चरमरा जाता है।

भारतीय पटसन निगम की स्थापना सन् 1971 में सदन द्वारा पारित एक कानून द्वारा हुई थी और उस बहस में भाग लेने का अवसर भी मुझे मिला था। जे॰ सी॰ आई॰ की स्थापना इस सदन के द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा हुई थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों से सीधे पटसन लाभदायक मूल्यों पर खरीदना, बाजार ताल-मेल संचालन के माध्यम से एक स्थायित्व स्थापक अभिकरण के रूप में कार्य करना, मांग और आपूर्ति की विसंगतियों को समय अनुसार माल को इकट्ठा करने और जारी करने की प्रक्रिया द्वारा दूर करना और पटसन उत्पादकों को निम्नतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की नीति का कार्यान्वयन करने वाली सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य करना था। जैसा कि मैंने पहले कहा है चालू महीनों में एम॰ एस॰ पी॰ का प्रचालन नहीं हो रहा। जे॰ सी॰ आई॰ आज बहुत विकट परिस्थितियों में है और यदि उसे बचाया

नहीं जाता तो हमारे लाखों करोड़ों जूट उत्पादकों के लिए न्याय की कोई सम्भावना नहीं बचेगी।

अत: हम जे॰ सी॰ आई॰ को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि जब मूल्य गिरते हैं तो जे॰ सी॰ आई॰ निम्नतम समर्थन मूल्य पर पटसन खरीद सकती है। इस तरह गरीब किसान को विवशपूर्ण बिक्री के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मैं आपको यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि निधियों की कमी के कारण जे॰ सी॰ आई॰ निम्नतम समर्थन मूल्य पर कार्य नहीं कर रही है। निधियों की यह कमी, भारत सरकार और विशेषकर कपड़ा मंत्रालय की दोषपूर्ण नीतियों के कारण पैदा हुई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 31 मार्च तक सरकार द्वारा निम्नतम समर्थन मूल्य नीति न अपनाने के कारण हुए 58 करोड़ रुपए की भरपाई नहीं की गई और एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ को जूट की आपूर्ति के कारण 69 करोड़ रुपए बकाया राशि की अदायगी भी नहीं हुई। एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है। जे॰ सी॰ आई॰ ने भारी मात्रा में भी जूट आपूर्ति की है। परन्तु एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ ने जे॰ सी॰ आई॰ को इसका मूल्य अदा नहीं किया। अत: सरकार ने अभी 130 करोड़ रुपयों की अदायगी करनी है।

मुझे जे॰ सी॰ आई॰ के संघों में काम करने का विशेष अवसर मिला है। उनका कथन है कि वे मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हैं परन्तु जे॰ सी॰ आई॰ उनकी सुरक्षा, संरक्षा और संवर्धन करने तथा उत्पादकों तथा मिल के हितों को बचाने के लिए तैयार नहीं है। पटसन मिलों में ही पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख रुपए खराब हो गए। बहुत सी पटसन मिलें बन्द हो गईं और बहुत सी मिलों पर तालाबन्दी हो गई है। मैं इन पटसन मिलों के मजदूरों की दयनीय हालत और दुर्गति के विस्तार में नहीं जाना चाहता। विदेशी मुद्रा अर्जित करना तो मिल मजदूरों, पटसन उत्पादकों और विदेशी व्यापार के हित में है। हमारी अर्थव्यवस्था के इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि इस पक्ष की उपेक्षा होती है, तो वह राष्ट्रीय नुकसान के मूल्य पर होती है मेरी सीधी-सादी मांग यही है।

एक मांग यह भी है कि जे॰ सी॰ आई॰ को व्यावसायिक तौर पर अपना संचालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए अर्थात् उसे 'सीड मनी' उपलब्ध कराई जाए। ताकि वह बाजार से उचित मूल्य पर जूट खरीद सके और फिर एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ को बेच सके क्योंकि उन्हें भी साल में 15 लाख गांठों की आवश्यकता होती है। मैं इस बात के लिए भारत सरकार और माननीय मंत्री श्री जालप्पा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसे एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ के लिए साठ हजार गाठों को खरीदने का अवसर दिया। जबकि उनकी आवश्यकता पांच लाख गांठों की है उन्होंने साठ हजार गांठें बजार से खरीदने की अनुमति दी है। पटसन मजदूर, जे॰ सी॰ आई॰ के कर्मचारी और स्वयं मैं इस बात पर सहमत थे कि उन्हें व्यावसायिक संचालन हेतु 'सीडमनी' दी जानी चाहिए। ताकि वे एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जूट उद्योग की विशेषकर जे॰ सी॰ आई॰ समस्याओं को अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई। उस समिति ने सन् 1994 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। कुछ सिफारिशें की गईं थी और वे सिफारिशें ज्यों की त्यों लटकी पड़ी हैं। मुझे लगता है इस तरह से आप जे॰ सी॰ आई॰ को समाप्त कर रहे हैं। केवल जे॰ सी॰ आई॰ को नहीं अपितु देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्ट करके विपत्ति को बुला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मामले की ओर ध्यान दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। एक कानून है। संसद ने कानून बनाया और सीमेंट के व्यापारियों ने—मुझे यह कहना पड़ रहा है—कि इन व्यापारियों ने शासक वर्ग के एक हिस्से पर दबाव डाला है और वे सीमेंट उद्योग को जूट बोरियों के आवश्यक इस्तेमाल से छूट दे रहे हैं और सीमेंट उद्योग के हितों को बचाते-बचाते वे पटसन उद्योग को मार रहे हैं। केवल कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की सुरक्षा करते हुए वे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के हजारों उत्पादकों को मार रहे हैं।

अत: महोदय, मैं चाहता हूं कि इस नीति पर पुन: संशोधन किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीमेंट उद्योग इस कानून को पूर्णत: पालन करे। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हम सब कानून की परिधि के अन्दर हैं। हमें कानून का पालन करना चाहिए। परन्तु समाज का एक विशेष अंग कानून का उल्लंघन कर रहा है।

एन॰ टी॰ सी॰ के बारे में कुछ मांगें की गई हैं। अत: मैं जल्दी-जल्दी इन्हें पढ़ता हूं और अपना भाषण पूरा करता हूं।

आधुनिकीकरण और राष्ट्रीयकरण की प्रक्रियाओं को यूनियनों के साथ विचार-विमर्श करके कार्यान्वित किया जाना चाहिए; काम से लोगों को निकाला नहीं जाना चाहिए; निजीकरण नहीं होना चाहिए : जिन मिलों को हाथ में लिया गया है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए अतिरिक्त भूमि को बेचा जाना चाहिए और उससे प्राप्त धन को प्रबंधकीय ढांचे द्वारा आधुनिकीकरण और कार्यशील पूंजी आदि के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

बाकी मैं सरकार पर छोड़ता हूं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यदि यह बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के पास चला जाए तो...

श्री चित्त बसु : यह आपका काम है। मेरा काम तो यह देखना है कि उद्योगपति बढ़े, मजदूर विकास करे और देश प्रगति करे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं श्री राम नाईक को बोलने के लिए कहूं, मैं आपको यह बता दूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि वे बैठक कर रहे हैं—मुझे लगता है कि श्री राम नाईक ने भी यह संकेत दिया है कि 15 मई को होगी और अन्तिम निर्णय बैठक के दौरान लिया जाएगा। श्री राम नाईक, क्या आप श्री मधुकर सरपोतदार को मौका दे रहे हैं ?

श्री राम नाईक : हां, क्योंकि वह हमारा समर्थन करने वाली पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं अत: मैं उनसे सहमत हूं।

सभापति महोदय : हां श्री मधुकर सरपोतदार।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मेरा नाम भी है।

सभापति महोदय : मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितने अधिक वक्ताओं को समय दिया जा सकता है, दिया जाए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, आपको यह देखना चाहिए कि छोटी पार्टियों को समय की तंगी का शिकार न बनाया जाए।

सभापति महोदय : मैं हर समय इस बात के पक्ष में रहता हूं कि पीछे बैठने वाले सदस्यों को अधिक समय दिया जाए बजाय इसके कि बड़े नेता ही इस समय अपने वक्तव्य देते रहें। परन्तु फिर भी मैं श्री मधुकर सरपोतदार और श्री राम नाईक जैसे वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मैं एक नया सदस्य हूं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। महोदय, आज सदन में नियम 193 के अंतर्गत देश में कपड़ा उद्योग में मजदूरों की दशा और वस्त्र उद्योग की समस्याओं पर चर्चा हो रही है। यह समस्या देश की बहुत विकट समस्या बन गई है। यह जानना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इतनी विकट समस्या यह क्यों बनी और यह इतनी विकट समस्या बन ही गई है तो केन्द्र सरकार इस पर काबू करने और मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ? प्रश्नों के माध्यम से इस समस्या को सदन में कई अवसरों पर उठाया गया है और सम्बद्ध मंत्री श्री आर॰ एल॰ जालप्पा ने उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है।

मेरा कथन यह है कि मात्र समस्या पर सदन में चर्चा करने से क्या हम कोई उपाय निकाल पाएंगे और मिल मजदूरों को कुछ राहत पहुंचा पाएंगे ?

माननीय सदस्य श्री सनत मेहता ने अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों की जीवन दशा का जिक्र किया है। स्वतंत्रता के दिनों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे कपड़ा मजदूरों ने इस देश में स्वाधीनता के लिए अपनी जिन्दगियां और भत्ते कुर्बान कर दिए। जब यह अहमदाबाद में हुआ है तो इसके साथ-साथ मुम्बई में भी हुआ है मुम्बई में मिल मजदूरों ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया है। कई अवसरों पर मिलें बंद कर दी गईं। बहुत से मिल मजदूर जेल चले गए और बहुत से मजदूरों ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इस स्थिति से गुजरने के बावजूद आज केन्द्र सरकार इस उद्योग की उपेक्षा क्यों कर रही है ? पहला प्रश्न यह मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि मुम्बई में, स्वर्गीय श्री दत्ता सामन्त ने हड़ताल शुरू की थी और वह आज भी चल रही है। आज दत्ता सामन्त नहीं हैं। परन्तु उन्होंने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने हड़ताल को कब वापिस किया।

हड़ताल अभी भी जारी है। इसने मजदूरों के जीवन को गौरवशाली बना दिया है। वे हमारे शहर में कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लगभग 60 कपड़ा मिलें हैं जिसमें 2.85 लाख कर्मचारी काम करते हैं।

एक समय ऐसा भी था जब कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग हुआ करता था जिससे देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग पांचवा भाग निर्मित होता था और इससे कुल निर्यात आय का लगभग एक-तिहाई हिस्सा प्राप्त हुआ करता था। यह उद्योग कम से कम लगभग 20 मिलियन मजदूरों को रोजगार प्रदान करता था। यह स्थिति थी। आज की क्या स्थिति है। इन 60 मिलों में से, मेरी सूचना के अनुसार लगभग 25 से 30 मिलें चल रही हैं और इनमें से भी केवल 10 से 12 मिलें कुछ मुनाफा कमा रही हैं; बाकी मिलें घाटे में चल रही हैं और रुग्ण हैं। एन॰ टी॰ सी॰ ने इन मिलों को अपने अधीन ले लिया। मेरा सरकार से सीधा प्रश्न है, क्या आपने कभी इन एन॰ टी॰ सी॰ मिलों के कार्यकरण का सर्वेक्षण कराया है ? कितने मजदूर काम कर रहे हैं, उत्पादकता कितनी है ? आप कितनी मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं ? कितने मजदूर वस्तुतः कार्य कर रहे हैं ? यदि वहां पर काम नहीं है, तो वहां पर काम क्यों नहीं है ? भिवन्डी और अन्य स्थानों से एन॰ टी॰ सी॰ मिलों का कार्य बाहर जाता है। यह सारी सूचना किसी को एकत्रित करनी होगी। तब लोगों को यह पता चलेगा कि एन॰ टी॰ सी॰ की मिलें घाटे में क्यों चल रही हैं।

पिछले दिनों वस्तुतः, केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार—श्री जालप्पा अभी भी यहां उपस्थित हैं—उन्होंने कहा था कि इन 36 मिलों में, 65000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्हें केवल मजदूरी मिल रही है और वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी काम नहीं प्रदान किया गया है। छह महीने पहले इस प्रतिष्ठित सभा को यह सूचना दी गई थी।

मेरा सरकार से सरल सा प्रश्न यह है कि यदि आप मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करते जाते हैं और मजदूर कुछ भी काम न करें तो कब तक आप निष्क्रिय और कुछ भी लाभ न प्रदान करने वाले व्यक्तियों को जनता के धन का भुगतान करते रहेंगे। आप सभी तरह के स्वचालित करघा उद्योग के मजदूरों को नौकरियां क्यों प्रदान कर रहे हैं। आप इसीलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि आप सस्ते दामों पर काम करा सकते हैं, क्योंकि आप मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकते जो कि आजकल ऊंची है। और इस कारण कि आप एक दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। क्या ऐसे अधिकारी जोकि ऐसी मिलों में काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं ? क्या वे संगठन और सरकार के प्रति वास्तव में ईमानदार हैं ?

वे क्या कर रहे हैं ? उन्हें क्यों इस तरह से भुगतान किया जा रहा है ?

*अभी ट्रेड यूनियनों की आपसी दुश्मनी का उल्लेख किया गया था। श्री बसु देव आचार्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें जमीन बेचने की अनुमति नहीं दे रही है। इसका क्या कारण है ? क्या केन्द्र सरकार हमें गारंटी देगी कि जमीन बेचने के बाद भी मिलें भली-भांति कार्य करेंगी और सभी कर्मचारियों को उनका

नियमित कार्य मिलेगा और वे नौकरी में लगे रहेंगे; और मिलों को बन्द नहीं किया जाएगा ? क्या इस बात की कोई गारंटी है ? आजकल ऐसा दृष्टिकोण है। जो भी जमीन उनके पास है, वे इसे बेच देते हैं। एक-तिहाई आवासीय योजना को बेचा जाता है, एक-तिहाई मिलों को और एक-तिहाई सभी-मिलों के पुनर्विकास के लिए बेचा जाता है। इस पद्धति के द्वारा, क्या आप एक उचित आधार पर कार्य करने जा रहे हैं ? क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं कि यदि आप जमीन बेच देते हैं तो जो भी धन आपको मिलेगा आप उस धन का उचित रूप से प्रयोग करेंगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मेरा प्रश्न है कि यह कपड़ा मिलें रुग्ण क्यों हो गई हैं। यह सुनिश्चित करके कि जो मशीन अपेक्षित थी उसे समय पर लगाया जाए सरकार ने मिलों को रुग्ण न होने देने के लिए क्या किया है। इन मिलों में कोई विकास नहीं हुआ है। क्या कोई स्वचालित मशीन इस उद्योग में लगाई गई है ? यदि ऐसा नहीं है तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ?

यह ऐसा ही है जैसे कि गन्ने में से रस निकालना। जब कभी भी हमें रस की आवश्यकता होती है हम गन्ने को मशीन में डालते हैं। पहले चरण में इससे आपको अधिकतम रस मिलता है। फिर एक बार उसे मशीन में डालते हैं और कुछ रस प्राप्त करते हैं। बाद में फिर आप इसे दुहरा कर के यह क्रिया दोहराते हैं। फिर आप गन्ने को चार बार मोड़कर मशीन में डालते हैं और थोड़ा रस प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात् क्या होता है, जब रस के निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, आप पूरी तरह निचोड़े हुए गन्ने को इकट्ठा करते हैं और इसे गीलाकर देकर फिर से मशीन में डालकर अधिकतम शक्ति का प्रयोग करते हैं। जितना भी रस कोई प्राप्त करना चाहता है वह इकट्ठा करने का प्रयास करता है। बाद में क्या किया जाता है। पूरे निचोड़े हुए गन्ने को फेंक दिया जाता है। जहां तक देश के श्रमिकों का सम्बन्ध है, जहां तक दुनिया के श्रमिकों का संबंध है यही सर्वमान्य सत्य है। कर्मचारियों को इस विशेष पद्धति से उपयोग में लाया जाता है। जब तक उस कर्मचारी से वे कुछ प्राप्त कर सकते हैं तब तक उसका शोषण करते हैं। जब कभी नियोक्ता यह महसूस करता है कि इस विशेष कर्मचारी से कुछ प्राप्त करने की संभावनाएं कम हैं तो, उस मामले में, उसे बाहर निकाल दिया जाता है।

अब एक नई योजना आई है स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वी॰ आर॰ एस॰)। वी॰ आर॰ एस॰ के अंतर्गत न केवल कपड़ा मिलें अपितु कई अन्य कारखानों को भी बन्द किया जा रहा है। यह वी॰ आर॰ एस॰ क्या है। मजदूरों की संख्या को आवश्यकता से अधिक बताइए। उन्हें दो महीने, तीन महीने, छह महीने और साल भर बेकार बैठाए रखिए। उसके बाद उनसे कहिए कि देखिए हमारा उद्योग रुग्ण हो गया है। अब सार्वभौमिकता और उदारता का दौर आ गया है, अब हमें परिमाण में और गुणवत्ता में प्रतियोगी बनना है। जब तक कि हम स्वचालित मशीनें नहीं लगाते हैं, जोकि आती हुई नहीं दिखती हैं, जहां तक इस उत्पाद का सम्बन्ध है हम विश्व में प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में नहीं हैं। इस प्रकार से देश में परिदृश्य बदल रहा है। इसके लिए क्या उपाय हैं। मैं श्री जालप्पा से प्रश्न पूछ रहा हूं। जो भी आपने यहां पर उत्तर दिए, मैं उन उत्तरों का अध्ययन कर चुका हूं। वे बहुत ही जटिल और विवादास्पद हैं। मैं इस समस्या के प्रति प्रस्तावित दृष्टिकोण समझने में असफल रहा हूं। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा और उन कार्मिकों को हम क्या राहत पहुंचाएंगे जो आज पीड़ित हैं ? इस प्रकार मैं आज इस समस्या को देखता हूं। मैं एक समाचार पत्र में से उद्धरण देता हूं जिसका उल्लेख सभा में किया गया था।

अपराह्न 6.00 बजे

इसमें कहा गया है :

"केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 120 मिलों को बंद करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो इससे लगभग एक लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे।

ऐसा समाचार पत्र में छपा था।

इसका उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य पहले मजदूरों को बेरोजगार करना है। जितने भी धन का उन्हें भुगतान करना पड़े, भुगतान कीजिए और उन्हें उद्योग से बाहर जाने दीजिए।

फिर नई मशीनें लाइए, नए मजदूरों को काम पर लगाइए, कम से कम मजदूरी दीजिए और उद्योग शुरू कीजिए।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। यदि सभा सहमत है तो हम आज श्री मधुकर सरपोतदार के भाषण की समाप्ति तक सभा की बैठक को बढ़ा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी : सभापति महोदय, मैं आपसे सभा की बैठक को एक घण्टे के लिए बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे विचार से इस पर सहमति है। इसके बाद अध्यक्ष से निदेश लिए जाएंगे कि वह कितने समय के लिए बढ़ाना चाहते हैं और क्या मंत्री को कल सुबह उत्तर देना होगा।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह 'द्रोण' (कानपुर) : सभापति महोदय, उन्हें अपना भाषण कल जारी रखने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं। उन्हें अपना भाषण आज पूरा कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, क्या यह चर्चा कल जारी रहेगी ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जैसा कि मैं कह चुका हूं माननीय अध्यक्ष के निदेश लिए जाने चाहिए कि क्या वह चाहते हैं कि सभा की बैठक बढ़ाई जाए। मेरे विचार से वे ऐसा करने के पक्ष में हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय वे अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ से माननीय अध्यक्ष तक सभा की भावनाओं को सम्प्रेषित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मैं एक लिखित टिप्पणी के द्वारा ऐसा पहले ही कर चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : महोदय, वे अपने भाषण को कल जारी रख सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, आप 15 मिनट पहले ही ले चुके हैं। कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय मैंने केवल सात मिनट लिए हैं। मैंने अपना भाषण शुरू करने के पहले घड़ी देखी थी। मैं अपने भाषण को कल जारी रखूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब मैं इसे सभा की इच्छा पर छोड़ता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोणः महोदय, उन्हें कल अपना भाषण जारी रखने दीजिए।

श्री राम नाईक : महोदय, उन्हें अपना भाषण कल पूरा करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। मुम्बई उत्तर-पश्चिम के माननीय सदस्य खड़े हैं।

श्री राम नाईक : मुम्बई उत्तर के सदस्य द्वारा समर्पित ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 06.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, 15 मई, 1997/25 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।